खण्ड-223, अंक-10
गुरूवार, 14 वैशाख, शक संवत् 1883
(4 मई, 1961 ई0)

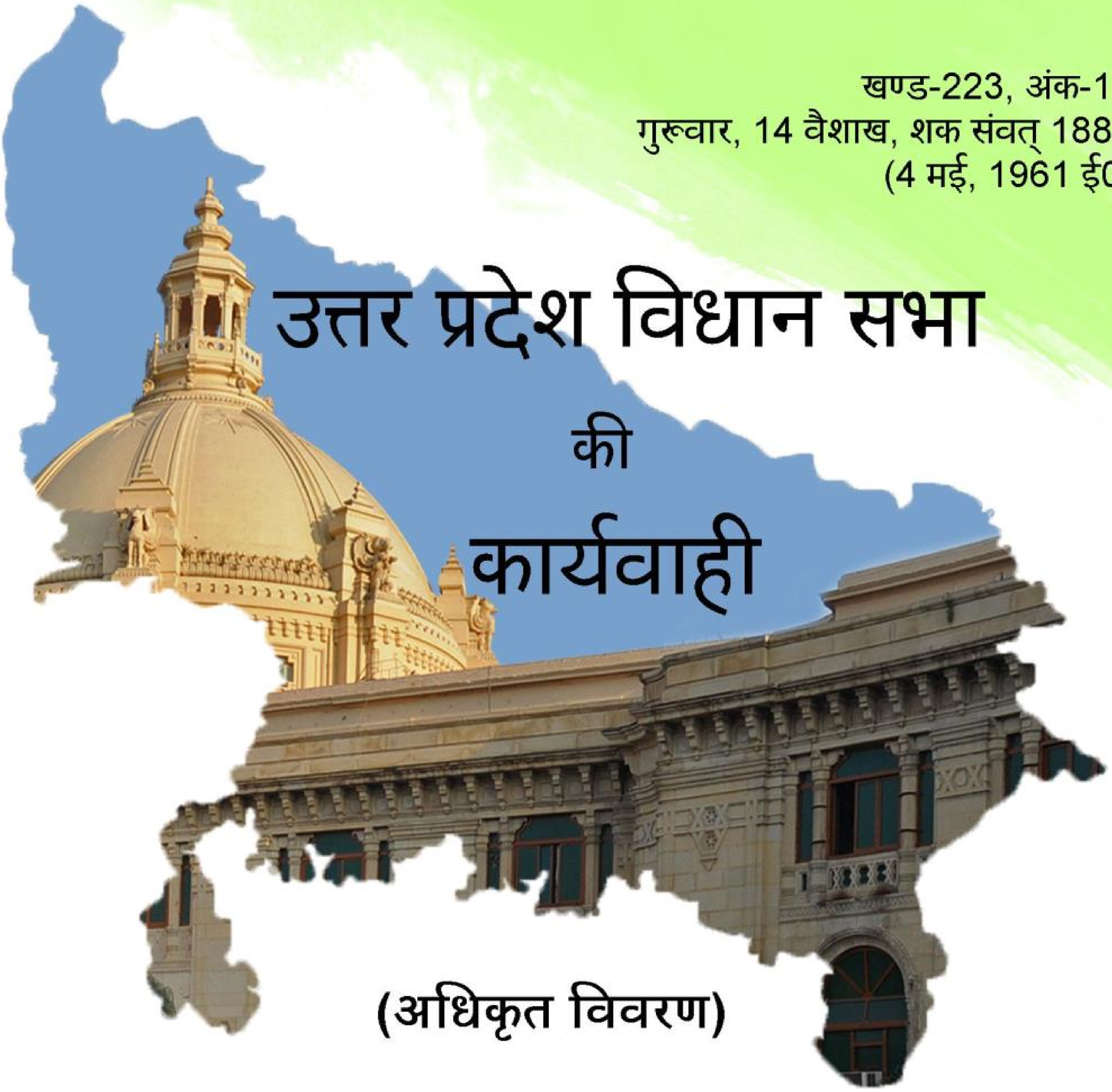

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 223 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ४ मई, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३३३

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (गोंडा)
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री

घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायणसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दीनदयालुकरुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरेंद्रसिंह दतियानवी, श्री
नरेंद्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री

बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मदनपांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेंद्ररिपुदमनसिंह, राजा
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअवतार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री

रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लालबहादुर श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
बसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुधाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त कांडपाल, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट---श्रम मंत्री, श्रीमती सुचेता कृपालानी भी उपस्थित थी।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ४ मई, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जे० के० रेयन मिल्स, कानपुर की हड़ताल

१—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर) तथा श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)—क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जे० के० रेयन मिल्स, कानपुर में ८ अप्रैल, १९६१ से श्रमिकों द्वारा हड़ताल किये जाने का क्या कारण है ?

श्रम उपमन्त्री (श्री वसी नकवी)—इसका तात्कालिक कारण यह था कि श्रमिकों की मांगों पर आपसी बातचीत के दौरान में सेवायोजकों द्वारा ७ श्रमिकों को जे० के० रेयन मिल्स, कानपुर से जे० के० काटन स्पिनिंग ऐंड वीविंग मिल्स, कानपुर तथा राधाकृष्ण मन्दिर, कानपुर में स्थानान्तर कर देना था।

**२—श्री मदन पांडेय तथा श्री रघुवीरराम—क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस हड़ताल को समाप्त करने के लिये सरकार की ओर से क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

श्री वसी नकवी—सरकार द्वारा किये गये प्रयत्नों के फलस्वरूप २४-४-६१ को दोनों पक्षों में आपसी समझौता हो गया है।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मन्त्री जी २४-४-६१ को जो समझौता हुआ है वह किन शर्तों पर हुआ है, उनको सदन के सामने रखेंगे ?

श्रम मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—जो ऐग्रीमेंट है वह काफी लम्बा है। अगर आप चाहें तो मैं पढ़ दूंगी या उसकी कापी उनको दे दूंगी।

श्री अध्यक्ष—वह चाहते हैं कि कोई खास-खास बातें हों तो बता दीजिये।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—आप इजाजत दें तो मैं अंग्रेजी में पढ़ दूं, कुछ टाइम लगेगा।

श्री अध्यक्ष—वह लम्बा है तो मैं इजाजत नहीं दूंगा। आप इसकी कापी ले लें।

श्री मदन पांडेय—जिस बात को लेकर झगड़ा हुआ था राधाकृष्ण मन्दिर में, और जगह पर ट्रांसफर किये जाने के कारण कर्मचारियों में असन्तोष फैल गया था, क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि ट्रांसफर वाले मामले का समझौते में क्या तय किया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—बहुत सारी जनरल बातें हैं, उसमें हर चीज आ जाती है। वेज स्ट्रक्चर आता है, छुट्टियां, कैजुअल लीव आती हैं। करीब २० बातें हैं।

श्री अध्यक्ष—वह कहते हैं कि पहले जो जवाब दिया है सवाल का—

> ". . . . बातचीत के दौरान में सेवायोजकों द्वारा श्रमिकों को जे० के० रेयन मिल्स, कानपुर, से जे० के० काटन स्पिनिंग ऐंड वीविंग मिल्स, कानपुर तथा राधाकृष्ण मन्दिर कानपुर में स्थानान्तर कर देना था।" यह कारण बताया।

इसके बारे में क्या फैसला हुआ, वह जानना चाहते हैं—खाली इसी पर्टिकुलर मामले में।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—यह तो मैं सारा ही आपको पढ़ कर सुना दूं. . . .

श्री अध्यक्ष—तो आपने अलग-अलग पढ़ कर नहीं देखा, जाने दीजिये।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय मन्त्री ने कहा कि अंग्रेजी में है ऐग्रीमेंट, तो मैं जानना चाहता हूं कि उस ऐग्रीमेंट के अंग्रेजी में होने के क्या कारण हैं? दोनों पक्षों में से कौन था ऐसा था जो हिन्दी नहीं समझता था और जिसके लिये अंग्रेजी जरूरी थी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---यह कमजोरी मेरी है। मुझे पढ़ने में एक घंटा लगेगा, मैं हिन्दी में पढ़ सकती हूं। मेरे पास दोनों दर्जन हैं, अंग्रेजी भी और हिन्दी भी।

श्री [illegible]---यदि पूरी बातें या कुछ ऐसी स्पेसिफिक बातें आप नहीं हैं तो उनसे ही बुलाने की कृपा करेंगी कि जो वर्कर्स हड़ताल पर थे, जितने दिन वह हड़ताल पर रहे उन दिनों का उनको तनख्वाह मिलेगी या नहीं, यह उस समझौते में तय हुआ है अथवा नहीं और हड़ताल के कारण जो काम के घंटों का नुकसान हुआ है इससे उनकी कोई मुश्किल आफ सर्विस पर असर तो नहीं होने वाला है?

श्री अध्यक्ष---मैं इजाजत नहीं दूंगा। जब उन्होंने उसे पूरी तरह से पढ़ा नहीं है तो कैसे जवाब देंगी। वह कापी देने को तैयार हैं, वह आप ले लें।

(श्रीमती सुचेता कृपालानी से) आप उनको उसकी नकल दे दीजियेगा।

केसर चीनी मिल, बहेड़ी से सम्बन्धित बोनस का मामला

३---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---दिनांक १२ अप्रैल, १९६१ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या १ के अनुपूरक प्रश्नोत्तर के संदर्भ में क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि १९५१-५२ के बोनस का मामला हाईकोर्ट के विचाराधीन है या नहीं? अगर नहीं, तो उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री वसी नकवी---विचाराधीन है। अभी प्रदेशीय सरकार को इस मामले में हाई-कोर्ट से कोई नोटिस नहीं प्राप्त हुआ है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हाईकोर्ट से क्या नोटिस प्राप्त होनी है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया है। हाईकोर्ट ने जजमेन्ट नहीं दिया था। तो जबतक हाईकोर्ट उस केस को डिस्पोज आफ नहीं करेगा तबतक इन्तजार करना पड़ेगा।

सस्ते अनाज की दुकानें बन्द न करना

४---श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)---क्या सरकार को विदित है कि इस समय बाजारों में अनाज व चीनी के भाव गिर गये हैं? यदि हां, तो क्या वह सस्ते अनाज की दूकानों (Fair Price Shops) को बन्द करने का विचार कर रही है?

सार्वजनिक निर्माण उपमन्त्री (श्री धर्मसिंह)---जी हां। सस्ते गल्ले की दूकानें बन्द करने का विचार नहीं है।

श्री लक्ष्मणराव कदम---जब उक्त दूकानों की बिक्री बन्द हो गई है तो क्या मन्त्री जी उक्त दूकानों को फिलहाल स्थगित करेंगे या दुकानदारों को कायम रखने के लिये कम्पेन्सेशन देने की कृपा करेंगे?

श्री धर्मसिंह---यह तो दूकानदारों पर निर्भर है। अगर वह छोड़ना चाहते हैं तो स्वयं छोड़ सकते हैं, उनको राइट है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि भावों में जो गिरावट हुई है वह सस्ते गल्ले की दुकानों के जो भाव हैं उससे नीचे हैं या अभी उससे ज्यादा हैं ?

श्री धर्मसिंह--प्रदेश के भिन्न-भिन्न भागों में भिन्न-भिन्न भाव हैं, किसी रीजन में कोई भाव है और किसी रीजन में कोई भाव है। लेकिन अगर एवरेज लगाया जाय तो वह कम है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--क्या यह सही है कि सरकार सस्ते गल्ले की दुकानों को बन्द नहीं करने जा रही है लेकिन चीनी पर से बहुत जल्दी कन्ट्रोल हटाने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक कन्ट्रोल टूटने वाला है ?

श्री धर्मसिंह--जहां तक चीनी का सम्बन्ध है, बहुत सी सहूलियतें दी गई हैं जिससे अधिक से अधिक कोटा उठे।

सैनिक स्कूल, लखनऊ के कर्मचारी व विद्यार्थी

५--श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सैनिक स्कूल, लखनऊ के कर्मचारियों का चुनाव लोक सेवा आयोग के द्वारा हुआ है अथवा नहीं ? यदि हुआ है तो कब और किन-किन कर्मचारियों का कितनी-कितनी तनख्वाह पर ?

संसदीय विषयक उप-मन्त्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)--जी नहीं। इस सम्बन्ध में स्थिति एक संक्षिप्त नोट में बताई गई है जिसकी प्रति मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९१७-९१८ पर)

६--श्री बंशीधर शुक्ल--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सैनिक स्कूल, लखनऊ में कितने विद्यार्थी अध्ययन करते हैं ? उनमें अनुसूचित जाति के तथा पिछड़े वर्ग के कितने-कितने विद्यार्थी हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--इस समय स्कूल में ५२ विद्यार्थी हैं जिनमें से अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग का कोई विद्यार्थी नहीं है। इन विद्यार्थियों का चुनाव प्रतियोगिता (competition) के ढंग से हुआ था जिसमें कोई अनुसूचित जाति का अथवा पिछड़े वर्ग का विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हुआ।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सैनिक स्कूल खुला है उसके लिये जो समिति बनाई गई है वह कौन-सी समिति है और इस विद्यालय के मुख्य इनचार्ज कौन हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--यह स्कूल इसलिये बनाया गया कि यहां से लड़के इंडियन मिलिटरी एकेडेमी में जायं। आपने जो प्रिंसिपल के बारे में पूछा उसके संबंध में यह उचित समझा गया कि डिफेन्स मिनिस्ट्री से कोई नाम पूछें। डिफेन्स मिनिस्ट्री ने अपने यहां से सेलेक्शन करके, देहरादून मिलिटरी स्कूल के मिलिटरी एजूकेशन कोर के सीनियर अध्यापक, श्री एच० आर० एच० डेनियल का नाम रेकमेंड किया। साथ ही मिलिटरी हेडक्वार्टर ने भी कुछ नाम भेजे और आर० आई० एम० एस० देहरादून के प्रिंसिपल साहब ने भी नाम भेजा और कुछ लोगों ने डाइरेक्टली एप्लाई किया। जो समिति बनाई गई, जिसके विषय में आपने पूछा--उसमें मुख्य सचिव, शिक्षा निदेशक, लखनऊ एरिया के कमांडर ब्रिगेडियर रामसिंह, श्री बी० डी० जयाल, डाइरेक्टर मिलिटरी एजूकेशन, कर्नल जी० आर० नागर, डाइरेक्टर आफ ट्रेनिंग ऐन्ड इम्पलायमेंट तथा मेजर एम० पी० शर्मा, श्री राज्यपाल के मुख्य सचिव थे। इस कमेटी ने मेजर एच० आर० एच० डेनियल का नाम तय किया। इस नाम को पब्लिक सर्विस कमीशन के पास भी भेजा। उन्होंने सलाह दी कि इसको उनके परव्यू से निकाल दिया जाय। इसलिये उनके परव्यू से निकाल कर कमेटी ने निश्चय किया।

श्री बंशीधर शुक्ल---श्रीमान् जी, मैं चौथे सवाल के संबंध में पूछना चाहता हूं कि लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति न करने के क्या कारण थे ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने जो इतनी लम्बी बात कही उसमें कारण ही तो बतलाये हैं ।

श्री बंशीधर शुक्ल---मंत्री जी बतलाने की कृपा करें कि कितने विद्यार्थी बुलाये गये थे, कितने आये, इतने कम क्यों लिये गये, जो आये उनकी नाप क्या थी, कितने नम्बर मिले हैं और किसने इम्तहान लिया ?

श्री अध्यक्ष---इतने कम क्यों लिये, सिर्फ इसका उत्तर दे दें ।

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---जितनी जगहें थीं उतने ही लिये गये ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---चुनाव करने वाली कमेटी में अनुसूचित और पिछड़ी जातियों के कितने व्यक्ति थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---ऐसी बातों में सरकार इस प्रकार नहीं सोचती है और न ऐसी जगहों पर इस बात को एनकरेज करती है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या पिछड़ी और अनुसूचित जातियों में से किसी विद्यार्थी के न लिये जाने का कारण उनकी शारीरिक या शैक्षिक अयोग्यता थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---एक रिटेन एग्जामिनेशन हुआ था । जिनको ऊंचे नम्बर मिले, उन्हें बुलाकर उनमें से छांटे गये ।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन कर्मचारियों के पे-स्केल्स एजूकेशन डिपार्टमेंट के हैं या स्पेशल हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---पे-स्केल्स किस विभाग के हिसाब से रखे गये हैं, यह तो मैंने कम्पेयर नहीं किया है । जो पे-स्केल्स हैं, उनकी सूचना दे दी है ।

श्री प्रतापसिंह---जब स्कूल के लिये अध्यापकों और प्रिंसिपल का सेलेक्शन हो रहा था उस समय पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी मेम्बर को न रखने का क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---कमीशन ने तो खुद कहा कि इसे उनके परव्यू से बाहर रखें ।

वेज बोर्ड का प्रस्ताव लागू करने के लिये श्रम मन्त्री को स्मृति-पत्र

**९---श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया) (अनुपस्थित)---क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या १८ अप्रैल, १९६१ को श्री शिब्बन लाल सक्सेना, सदस्य, लोक सभा तथा श्री गेंदासिंह एवं श्री मदन पांडेय, सदस्य विधान सभा, का एक शिष्ट मंडल उनसे वेजबोर्ड से सर्वसम्मत प्रस्ताव को लागू करने के संबंध में मिला था ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---जी हां ।

**८---श्री गौरीशंकर राय (अनुपस्थित)---क्या यह भी सत्य है कि उक्त शिष्ट-मंडल ने श्रम मंत्री को एक स्मृति-पत्र दिया ? अगर हां, तो क्या श्रम मंत्री कृपया उक्त स्मृति-पत्र की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---जी हां । स्मृति-पत्र की †प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

---

†प्रतिलिपि छापी नहीं गई ।

नशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ क प्रिंसिपल के विरुद्ध आरोप

**९--श्री मदन पांडेय--क्या यह सत्य है कि स्टेट होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड के रजिस्ट्रार तथा हेल्थ एवं मेडिकल सेक्रेटरी को नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के वर्तमान प्रिंसिपल एवं अन्य प्रबन्धकों के संबंध में हाल ही में ऐसे पत्र प्राप्त हुये हैं जिनमें नियुक्तियों के समय गलत योग्यता तथा जाली डिप्लोमा (बोगस डिप्लोमा) स्वीकार करने के आरोप लगाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आरोप-पत्र की प्रमुख-प्रमुख बातों तथा उन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से सदन को अवगत कराने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह--जी हां। अगस्त, १९६० में उक्त कालेज के विद्यार्थियों की यूनियन की ओर से वर्तमान प्रिंसिपल की योग्यता के विरुद्ध एक ऐसा आरोप सरकार को प्राप्त हुआ था जो कि विचाराधीन है ।

**१०--श्री मदन पांडेय--क्या यह सत्य है कि गत वर्ष नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के भवन निर्माण के लिये भूमि हस्तगत करने के लिये गजट नोटिफिकेशन हो चुका है, परन्तु अभी तक भूमि हस्तगत नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री धर्मसिंह--जी हां । क्योंकि नेहरू नगर हाउसिंग सोसायटी, लखनऊ ने रिट पेटीशन दायर कर दी है जो कि हाईकोर्ट के विचाराधीन है ।

श्री मदन पांडेय--क्या जिस आरोप-पत्र का जिक्र किया गया है उसकी पहली धारा में यह दिया हुआ है कि डाक्टर जे० सी० शर्मा ने, जो इस समय प्रिंसिपल हैं, नेशनल होम्योपैथिक कालेज में ५०-५१ में भरती के नियमों के विरुद्ध एडमिशन लिया था ?

श्री धर्मसिंह--जी हां, इस प्रकार का आरोप विद्यार्थियों द्वारा लगाया गया है ।

श्री मदन पांडेय--इसकी जांच में इतना समय क्यों लग रहा है जबकि इस पद की भरती के लिये २४-४-५७ के स्टेट्समैन और दूसरे समाचार-पत्रों में विज्ञापनों में ४ साल के कोर्स की कैद खास तौर से रखी गई थी ? क्या अभी तक इसका कोई सबूत नहीं मिल पाया है ?

श्री धर्मसिंह--यह पत्र उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद् को भेज दिया गया है । इस कालेज का आगरा यूनिवर्सिटी से एफीलियेशन का मामला चल रहा है । इसके चुनाव-नियम और कायदे-कानून का प्रश्न विचाराधीन है । इस वजह से थोड़ी देर लग गई ।

मेजा तहसील का अग्निकांड

**११--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील में, जो शहर से ४० मील दूरी पर है, अप्रैल, १९६१ के तीसरे या चौथे सप्ताह में भयंकर आग लगी थी ? यदि हां, तो उस अग्निकांड में कितने धन-जन की हानि हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां । १७ अप्रैल, १९६१ को आग लगी थी जिससे लगभग ६,४४० रुपये की अनुमानित क्षति हुई है । पर किसी मनुष्य या पशु की जीव हानि नहीं हुई ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह घटनास्थल इलाहाबाद नगर से ४० मील दूर है और इलाहाबाद से आग बुझाने के लिये फायर ब्रिगेड गया था ?

न्याय मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---नोटिस चाहिये ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस धन-जन की हानि में सरकार की तरफ से क्या मदद दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---५९० रुपये गैचुइटस रिलीफ में दिये गये और ६,९१० रुपये कलेक्टर ने लाशों के लिये मांगे हैं, जिसकी मंजूरी बोर्ड आफ रैवेन्यू से दे दी गई है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या इस प्रकार की आग की घटना से बचने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---योजना कोई नहीं हो सकती । सरकार आशा करती है कि सब सावधानी बरतेंगे ।

फर्रुखाबाद जिले में चकबंदी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत करने वालों में श्री रामेंद्रसिंह भदौरिया

**१२---श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)---क्या न्याय मंत्री दिनांक १३ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०५ के उत्तर के क्रम में यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री आर० एम० भदौरिया को श्री कोतवाल सिंह भदौरिया, सदस्य विधान सभा का भतीजा, उन्होंने किस आधार पर बताया है ?

शिक्षा उपमन्त्री (श्री रामस्वरूप यादव)---कलेक्टर फर्रुखाबाद के एक पत्र में एक उल्लेख के आधार पर श्री रामेन्द्रसिंह भदौरिया को श्री कोतवाल सिंह भदौरिया, एम० एल० ए० का भतीजा कहा गया था । श्री कोतवालसिंह भदौरिया के शिकायती-पत्र की प्रतिलिपि जो अब सरकार को प्राप्त हुई है, उसमें उन्होंने श्री रामेन्द्रसिंह भदौरिया को अपने परिवार का भाई कहा था ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि समाचार-पत्रों के आधार पर इस प्रकार का उत्तर देने का क्या कारण था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कलेक्टर का खत आया था, समाचार-पत्रों के आधार पर हमने उत्तर नहीं दिया है ।

श्री प्रतापसिंह---क्या मंत्री जी उस लाइन को पढ़ने की कृपा करेंगे जिसमें कलेक्टर ने लिखा है कि वह भदौरिया, एम० एल० ए० साहब का रिश्तेदार है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---वह कान्फीडेंशल है । यहां उसे नहीं पढ़ना चाहिये ।

श्री प्रतापसिंह---मान्यवर, अभी जो उत्तर दिया गया उसमें बताया गया है कि माननीय मंत्री जी ने कलेक्टर फर्रुखाबाद के पत्र के आधार पर श्री राजेन्द्र सिंह भदौरिया को श्री कोतवाल सिंह भदौरिया का भतीजा बताया । तो जिस पत्र के आधार पर माननीय मंत्री जी ने उसको भतीजा बताया था उसी पत्र को कान्फीडेंशल कहना कहां तक सही है ?

श्री अध्यक्ष---अगर वे कान्फीडेंशल रखना चाहते हैं तो वह है । यह तो उनका अधिकार है कि वह जिस बात को कान्फीडेंशल रखना उचित समझें रखें ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय मंत्री जी उस पत्र को चाहे गोपनीय रखें लेकिन क्यों संबंधित अधिकारी को मंत्री जी इस बात का आदेश देंगे कि भविष्य में इस प्रकार की गलत सूचना बिना ठीक प्रकार से पता लगाये न दिया करें ?

श्री अध्यक्ष—यह तो उन्हें करना चाहिये ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह तो उन्होंने स्वयं ही बताया कि वह उनके खानदान का भाई है । अगर उन्होंने भतीजा बता दिया तो क्या ज्यादा गलती कर दी ।

सचिवालय के पांच वर्ष से अधिक सेवा करने वाले अधिकारियों को हटाने पर विचार

१३—श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आई० ए० एस० तथा आई० सी० एस० के ऐसे कितने अधिकारी हैं जो पिछले पांच साल अथवा अधिक से उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्य कर रहे हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—सात ।

१४—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त अधिकारी किन पदों तथा विभागों में इस समय कार्य कर रहे हैं और उनके क्या-क्या नाम हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९१९ पर)

१५—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त अधिकारियों का लगातार सचिवालय में ही रहने का क्या विशेष कारण है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—प्रशासकीय हित ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार के पास इन अफसरों के अतिरिक्त और अफसर नहीं हैं जिनको इन लोगों के स्थान पर रखा जा सके ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार के पास अधिकारी हैं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—जब सरकार के पास अधिकारी हैं और नियम के अनुसार ३ साल से ज्यादा एक स्थान पर नहीं रहना चाहिये तो फिर इन अधिकारियों को ५ साल से अधिक क्यों रखा जा रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार समय पर उन्हें बदल देगी ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—सरकार ने कल बताया था कि बहुत से जिम्मेदार अफसर अपना मकान बनाकर भी एलाटेड मकानों में रह रहे हैं, ऐसी हालत में जिन लोगों को ५-५ साल से अधिक हो गया है उन लोगों का स्थानान्तरण सरकार करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार के सामने ट्रांसफर के विषय के जो नियम हैं वे रहते ही हैं और जब अवसर आता है उन नियमों के अन्तर्गत सरकार काम करती है ।

श्री नवलकिशोर—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ये जो सात अफसरान पांच साल से ज्यादा से हैं वे इस सेक्रेटेरियट में कब से काम कर रहे हैं और कौन कौन साहब हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--वे निम्न प्रकार हैं--

नाम आफिसर	कब से सेक्रेटेरियट में हैं
सर्व श्री--	
१--गोविन्द नारायण	१-७-५४
२--बिपिन बिहारी लाल	२७-७-५१
३--श्याम सुन्दर लाल कक्कड़	२-६-५२
४--देवव्रत दत्त	९-१-५६
५--भरत नारायण	४-१-४९
६--रघुवीर शरण दास	१७-११-४७
७--त्रिभुवन प्रसाद तिवारी	६-४-५६

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--क्या माननीय मंत्री जी को यह भी विदित है कि इन ७ आफिसरों के अतिरिक्त ऐसे भी आफिसर हैं जो थोड़े ही समय के लिये यहां से बाहर गये और फिर यहां आ गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि जब उनका यह नियम है कि सेक्रेटेरियट में ३ साल से अधिक कोई आफिसर न रहे और योग्य अधिकारी भी उनके बजाय सरकार को उपलब्ध हैं, तो फिर क्या कारण है कि सरकार इन अधिकारियों को यहां बनाए हुए हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--यह तो मैंने कहा कि यह सवाल सरकार के विचाराधीन है और यह भी कि यह बहुत पहले से चले आ रहे हैं लेकिन सबको एक साथ ही हटा दिया जाय ऐसा संभव नहीं है । लेकिन यह प्रश्न हमारे सामने है और उस नियम के अन्तर्गत हम उचित कार्यवाही करेंगे जिससे बार-बार सदन में यह सवाल न उठे ।

विज्ञान मन्दिर स्थापित करने की योजना

**१६--श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रत्येक जिले में देहाती क्षेत्र में विज्ञान मंदिरों की स्थापना की योजना के संबंध में भारत सरकार ने राज्य सरकार के पास हाल में कोई आदेश या सुझाव भेजे हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--जी हां । भारत सरकार ने निम्नलिखित ५ स्थानों पर विज्ञान मंदिर स्थापित करने की राय दी है :

१--बेयागपुर	(बहराइच)
२--बछरावां	(राय बरेली)
३--बिसौली	(बदायूं)
४--चिरैया	(आजमगढ़)
५--रसड़ा	(बलिया)

**१७--श्री रामदुलारे मिश्र--यदि हां, तो उपर्युक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--इस योजना की मुख्य बातें संलग्न हैं ।

तिथी आर्थ नहीं गई ।

**१८--श्री रामदुलारे मिश्र--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य के अन्तर्गत अभी तक किन जिलों में विज्ञान मंदिर स्थापित हैं और उन्हें भारत सरकार से क्या सहायता मिलती है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--अभी तक केवल मसौली (बाराबंकी) में एक विज्ञान मंदिर स्थापित है, जिसका सारा खर्चा, अलावा इमारत के, भारत सरकार सहन करती है ।

श्री रामदुलारे मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मसौली, बाराबंकी में कब से विज्ञान मंदिर स्थापित हुआ है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--इसकी तारीख की सूचना मेरे पास नहीं है, अगर आप पूछेंगे तो बतला दूंगा ।

श्री रामदुलारे मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मसौली की भांति ही दूसरे विज्ञान मंदिरों की भी पूरी सहायता भारत सरकार कर सकती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--विज्ञान मंदिरों के संबंध में और जगहों के लिये भी कई सुझाव आये हैं जहां सरकार बनवाना चाहती है लेकिन अभी तक उसकी मंजूरी यहां से दी नहीं गयी है, क्योंकि इसकी कुछ ज्यादा उपयोगिता हमारी नजरों के सामने आयी नहीं है ।

श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि विज्ञान मंदिरों के स्थान के निर्णय के संबंध में उन्होंने क्या सिद्धान्त निश्चित किया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--हमने उसके सिद्धान्त निर्धारित करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं विचारा क्योंकि केन्द्रीय सरकार से अभी मांग आयी थी कि कहां कहां खोले जायं, तो मैंने एक प्रश्न किया कि इसकी उपयोगिता तो जरा बतला दी जाय, तो उसकी कोई ज्यादा उपयोगिता समझ में आयी नहीं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या सरकार कृपा करके इसको स्पष्ट करेगी कि विज्ञान मंदिरों में क्या होगा या क्या विषय लेकर ये बनाये जायेंगे या बनाने की योजना सरकार के सामने है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--जैसा कि इस सूचना में दिया हुआ है, विज्ञान मन्दिरों में थोड़ी साइंस की चीजें होंगी । जिनमें स्वायल एनेलिसिस, फूड एनेलिसिस और पानी के एनेलिसिस की बातें बतलायी जायंगी । कुछ माडेल भी रखे जायेंगे, स्टीम इंजिन का भी माडेल होगा जिसको देखकर लोग विज्ञान की बातें समझ सकेंगे । कुछ चार्ट वगैरह भी होगा । एक छोटी लायब्रेरी होगी, एक छोटा म्यूजियम भी होगा । इस तरह से विज्ञान संबंधी चीजें वहां होंगी ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि प्रत्येक विज्ञान मन्दिर को भारत सरकार से जो सहायता मिलती है, उसमें प्रदेश की सरकार का भी कुछ योगदान रहता है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--वे एक मकान चाहते हैं जो उनको फ्री मिले । जहां तक उसके चलाने का खर्चा है, वह भारत सरकार अपनी तरफ से देती है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मसौली विज्ञान मन्दिर पर सालाना कितना रुपया व्यय हो रहा है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—जैसा कि सभी विद्यालय मन्दिरों पर खर्च होता है, इस पर १५,७०० रु० सालाना खर्च होता है। यही एक बाउंडेल है।

तारांकित प्रश्न

[माननीय श्रम मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित किये गये २७ अप्रैल, १९६१ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

भारत फाइबर ऐण्ड अलाइड इण्डस्ट्रीज फर्म के विरुद्ध शिकायतें

*१—**श्री लक्ष्मणराम कदम**—क्या सरकार प्रश्नकर्ता के भारत फाइबर ऐण्ड अलाइड इन्डस्ट्रीज (Bharat Fibre and Allied Industries) नामक फर्म से संबंधित अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या २६ दिनांक, ९ फरवरी, १९६१ के लिखित उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उक्त फर्म का काम चालू हो गया है तथा फर्म के विरुद्ध किसने क्या शिकायत की है ?

सूचना राज्यमन्त्री (श्री रऊफ जाफरी)—फर्म ने रिवेट किस्म के बटन बनाने का कार्य आरम्भ कर दिया है।

श्री शिवकुमार, गोविन्द रोड, लखनऊ ने इस फर्म के विरुद्ध यह शिकायत की कि :

१—उक्त फर्म धोखा देकर बोगस फर्म के नाम से इम्पोर्ट लाइसेन्स प्राप्त करता है।

२—इस प्रकार प्राप्त इम्पोर्ट लाइसेन्स को उस माल के खरीदने पर इस्तेमाल नहीं करता है जिसके लिये इम्पोर्ट लाइसेन्स मिले।

३—इस फर्म के पास न कोई कारखाना है न वर्कशाप।

श्री लक्ष्मणराम कदम—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने उक्त शिकायतों के संबंध में कोई जांच कराई है ? यदि हां, तो वह किस नतीजे पर पहुंचे ?

श्री रऊफ जाफरी—असल में यह शिकायत गवर्नमेन्ट आफ इंडिया को भेजी गई थी, मिनिस्ट्री आफ कामर्स को और उन्होंने यहां भेजी और यहां गवर्नमेन्ट ने सायबेक्टर के द्वारा इब्तदाई जांच कराई और उनकी रिपोर्ट आने पर मामला सी० आई० डी० को दे दिया गया है और जांच हो रही है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस फर्म ने कई लाख की बिल्डिंग भी बना दी है और पहले लाइसेंस के लिये इस सरकार द्वारा ही रिकमेंड किया गया था ?

श्री रऊफ जाफरी—यह तो बताया जा चुका है कि यहां से इम्पोर्ट लाइसेंस के लिये सिफारिश की गई थी और शिकायत तो बाद में आई जिस की जांच हो रही है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि डायरेक्टर से जो जांच कराई गई और सी० आई० डी० के सुपुर्द नहीं किया गया तो क्या प्राइमाफेसी केस फर्म के खिलाफ बनता था इस कारण से वह मामला सी० आई० डी० को दिया गया ?

श्री रऊफ जाफरी—यह तो जाहिर है कि अगर प्राइमाफेसी केस न होता तो सी० आई० डी० को न दिया जाता और मामला वहीं खत्म हो जाता।

बखिरा बाजार में थाली बनाने वाले मजदूरों की बेकारी

*६—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—क्या सरकार को ज्ञात है कि फूल धातु और पीतल आदि धातुओं पर ११ रु० ४ आ० फी मन इक्साइज ड्यूटी बढ़ जाने से बखिरा बाजार बस्ती में थाली निर्माण का काम बन्द सा हो गया है और वहां के लगभग १,००० थाली बनाने वाले मजदूर इस समय बेकार हो गये हैं ?

*७—क्या सरकार इस नयी बेकारी को सुलझाने का कोई उपाय कर रही है ?

श्री रऊफ जाफरी—सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री राजाराम शर्मा—यह सूचना कब तक एकत्र हो जायगी ?

श्री रऊफ जाफरी—इसकी कोई निश्चित तारीख नहीं बताई जा सकती।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या मंत्री जी प्रश्न ७ के संदर्भ में बताने का कष्ट करेंगे कि यह सूचना एकत्र की जा रही है या कोई मीटिंग होने वाली है जिसमें विचार किया जायगा कि किस तरह से यह बेकारी दूर हो ?

श्री रऊफ जाफरी—मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि यहां जो जवाब दिये जाते हैं वह बिलकुल ठीक दिये जाते हैं सूचना इकट्ठा की जा रही है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

* * *

ग्राम सेवक

*४—श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितने ऐसे ग्राम सेवक हैं जिन्होंने १९५७–५८, १९५८–५९, १९५९–६० तथा १ अप्रैल, १९६० से २८ फरवरी, १९६१ तक विभिन्न सरकारी पदों पर कार्य किया है ?

श्री वसी नकवी—सूचना एकत्र की जा रही है।

*५—श्री सजीवनलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५७–५८ १९५८–५९, १९५९–६० तथा १ अप्रैल, १९६० से २८ फरवरी, १९६१ तक अलग-अलग प्रत्येक वर्ष में ऐसे ग्राम सेवक प्रदेश में कितने प्रशिक्षित हुए जिन्हें 'सी' श्रेणी प्राप्त हुई ?

श्री वसी नकवी—सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री सजीवनलाल—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सूचना कब तक एकत्र हो जायगी ?

श्री वसी नकवी—इसमें इतना ब्यौरा मांगा गया है कि इसमें काफी समय लगेगा, कोई निश्चित समय नहीं बताया जा सकता।

* * *

झांसी और बांदा की प्रदर्शनियां

*७—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बुंदेलखन्ड के किन-किन जिलों में वहां के स्थानीय अधिकारियों द्वारा विकास प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है और उन पर १९५८–५९ व १९५९–६० में किस-किस जिले में कितना-कितना रुपया किन-किन मदों में व्यय हुआ था तथा उसकी पूर्ति किन-किन मदों से की गयी थी ?

श्री वसी नकवी—वर्ष १९५८–५९ व १९५९–६० में बुन्देलखन्ड के किसी भी जिले में स्थानीय अधिकारियों द्वारा जिला स्तर पर विकास प्रदर्शनियों का आयोजन नहीं किया गया।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि झांसी और बांदा में जो प्रदर्शनियां हुईं उनकी कमेटियों के सभापति वहां के कलेक्टर और सेक्रेटरी वहां के मैजिस्ट्रेट थे ?

श्री वसी नकवी---जी हां, यह जो प्रदर्शनियां हुईं उनका हमारे विभाग से कोई संबंध नहीं है । वह वहां की नान आफीशियल कमेटीज जिनके चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने की थी ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---यह जो नान आफीशियल कमेटीज थीं और सरकारी आदमियों ने जिनमें प्रेसाइड किया, तो क्या सरकारी आदमियों ने चन्दा भी इकट्ठा किया था या पब्लिक ने ही इकट्ठा किया था और सिर्फ उन्होंने प्रेसाइड किया ?

श्री वसी नकवी---चन्दा तो, जहां तक सरकार को ज्ञात है पब्लिक से हुआ लेकिन मैंने कह दिया कि मेरे विभाग से इसका संबंध नहीं है ।

(माननीय श्रम मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित किये गये २७-४-६१ के तरांकित प्रश्न)

* * *

औद्योगिक समझौते के लिये त्रिदलीय सम्मेलन बुलाने का सुझाव

*२---**श्री मदन पांडेय**---क्या सरकार उत्तर प्रदेश के औद्योगिक संबंधों को सुधारने के लिये औद्योगिक विराम संधि (Industrial Truce) कराने के लिये सरकार, मिल मालिक तथा मजदूर प्रतिनिधियों के त्रिदलीय सम्मेलन विभिन्न उद्योगों में कराने जा रही है जैसा कि केन्द्रीय वेतन आयोग (चीनी) की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है ?

श्री वसी नकवी---जी नहीं ।

*३---**श्री मदन पांडेय**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि केन्द्रीय वेतन आयोग (चीनी) ने हाल में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसकी कौन-कौन सिफारिश १ नवम्बर, १९६० से अथवा वर्तमान सीजन में, वह प्रदेश के चीनी उद्योग में लागू करने जा रही है ?

श्री वसी नकवी---सब सिफारिशें १ नवम्बर, १९६० से लागू की गई हैं ।

श्री मदन पांडेय---प्रश्न २ के उत्तर 'जी नहीं' जो कहा गया है, तो इस बात को देखते हुए कि आजकल जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट तथा और श्रम संबंधी कानून हैं वह बहुत पहले के बने हुए हैं और आउट आफ डेट हो चुके हैं और सरकार ने कोई नया कानून भी इस वक्त इंट्रोड्यूस नहीं किया है और इंडस्ट्रियल पीस दिन पर दिन भंग होती जा रही है, जैसी कि कानपुर वगैरह में है, तो क्या कारण है कि त्रिदलीय सम्मेलन भी न बुलाया जाय ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---ज्यों ज्यों जरूरत होती है त्यों त्यों बुलाया जाता है ।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीया मंत्राणी जी बताने की कृपा करेंगी कि इसी सेशन में इंडस्ट्रियल रिलेशंस बिल या और कोई दूसरी चीज इंडस्ट्रियल पीस को कायम रखने के लिये सरकार लाने का विचार कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---इरादा तो था कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस बिल इसी सेशन में लाते, लेकिन जैसी सूरत है उसमें इस सेशन में नहीं ला सकेंगे, अगले सेशन में लाएंगे ।

श्री चन्द्रजीत यादव---पिछले वर्ष जो त्रिदलीय सम्मेलन नैनीताल में हुआ था उसकी कुछ बातें भूतपूर्व मुख्य मंत्री के सिपुर्द कर दी गई थीं और यह आशा की जाती थी कि फिर त्रिदलीय सम्मेलन किया जायगा ताकि प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में जो अशान्ति है उसके हल करने का कोई रास्ता निकल सके । तो इस बात को देखते हुए और इस आश्वासन को देखते हुए सरकार इस साल क्यों नहीं त्रिदलीय सम्मेलन को बुलाने पर विचार कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—कौन कौन एश्योरेंसेज दिये गये वह तो मुझे इस वक्त नहीं मालूम है लेकिन जैसे अभी टैक्सटाइल वेज बोर्ड के सिलसिले में, शुगर वेज बोर्ड के सिलसिले में त्रिदलीय सम्मेलन किया था, तो जहां जरूरत होती है वहां बुलाते हैं ।

श्री मदन पांडेय—यह जो १ नवम्बर से लागू करने की बात प्रश्न ३ के उत्तर में की गई कि सभी मिलों में लागू कर दी गई है, तो क्या सरकार के पास रिपोर्ट आ गई है कि किन-किन फैक्टरियों ने अभी तक नहीं किया है और किन किन ने कर दिया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—आर्डर तो अभी हाल ही में इश्यू हुआ है, इसलिये इसकी अभी रिपोर्ट नहीं आई है ।

* * *

तिलौर में कोसी नदी पर पुल न बन सकना

*२७—**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट**—ग्राम तिलौर, जिला अल्मोड़ा में कोसी नदी पर पुल बनाने के विषय में प्रश्नकर्त्ता के ९ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १२०-१२१ के उत्तरों के संदर्भ में क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि—

(अ) तिलौर के ग्रामीणों से जितनी नकद धनराशि नियोजन विभाग द्वारा श्रमदान के एवज मांगी गई थी उसे पूरा-पूरा गांव वालों ने जमा कर दिया था ?

(ब) नकद धनराशि के अलावा गांव वालों ने विभाग के आदेशानुसार नियुक्त स्थान (Site) में बताये गये मुताबिक श्रमदान भी दिया था ?

(स) संबंधित फाइल एक कार्यालय में करीब २ वर्ष तक दबी रही और उस पर कोई कार्य नहीं हुई ?

श्री वसी नकवी—पुल बनाने की कुल लागत का अनुमानांक पहले ९,८८१ रु० था जिसके आधार पर ग्राम्यजनों से १,३२७ रु० नकद तथा २,००० रु० की लागत का श्रमदान वांछित था । १,३२७ रुपये की नगद राशि ग्राम सभा तिलौर ने पूरी-पूरी जमा कर दी थी, तथा कुछ श्रमदान भी हुआ । बाद में पुल की लागत का अनुमानांक बढ़ कर १८,२६८ रु० हो गया तथा जनता के नकद अनुदान की राशि और श्रमदान की मात्रा भी उसी अनुपात में बढ़ गई । जनता इन वृद्धियों से सहमत नहीं हुई ।

(ब) जितना श्रमदान वांछित था, उतना पूर्ण रूप से हुआ या नहीं—इसका निश्चय नहीं किया जा सका । किन्तु कुछ श्रमदान हुआ अवश्य था ।

(स) कार्य में प्रगति न हो पाने के कारण है निर्माण-सामग्री का उपलब्ध न होना, लोहे के मूल्य में वृद्धि, निर्माण-कार्य की अनुमानित लागत में वृद्धि, बढ़ी हुई लागत के आधार पर संशोधित मात्रा में अनुदान देने में जनता की विवशता तथा निर्माण के लिये निश्चित किए गए स्थान की अनुपयुक्तता और अन्य उपयुक्त स्थान की खोज ।

*२८—**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट**—क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त पुल बनाने के स्थान का चयन व उसका एस्टीमेट किसने किया ? उनमें क्यों परिवर्तन हुआ तथा चट्टान को खोखलेपन का पता पहले क्यों नहीं लगा ?

श्री वसी नकवी—स्थान का चयन तथा एस्टीमेट राज्य सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा किया गया था । उसमें परिवर्तन होने के कारण ये हैं: (क) जैसा कि कहा जा चुका है, निर्माण सामग्री तत्काल उपलब्ध नहीं हुई, (ख) निर्माण-सामग्री के मूल्य तथा निर्माण की अनुमानित लागत में वृद्धि (ग) जो स्थान पुल के निर्माण के लिये चुना गया था, वह उक्त प्रयोजन के लिये अनुपयुक्त सिद्ध हुआ ।

चट्टान के खोखलेपन का पता पहले क्यों नहीं लग सका—इस विषय पर राज्य सरकार ने मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग से जांच कर रक्खी है। जांच के परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---पहले तो मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमान् आप देखें कि प्रश्न संख्या २७ का जो (स) भाग है उसमें पूछा गया था कि संबंधित फाइल एक कार्यालय में करीब करीब २ वर्ष तक दबी रही और जवाब दिया गया कि कार्य में प्रगति न हो सकने के फलां फलां कारण थे, यानी फाइल के दबे रहने का जिक्र ही नहीं है। पहली मर्तबा जब मैंने ओरिजिनली पूछा था तो कहा गया कि सूचना नहीं। आज दुनिया भर की बातें गिनाई गईं लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष---संबंधित फाइल एक कार्यालय में करीब-करीब २ वर्ष तक दबी रही और उस पर कोई कार्य नहीं हुआ? इसका उत्तर तो नहीं दिया गया।

श्रीमती सुचेता कृपालानी---बिष्ट जी ने सवाल जो पूछा था वह यही है कि यहां काम ठीक से नहीं हुआ और जब यह प्रश्न मेरी निगाह में आया तो मैंने आर्डर दिये हैं कि जल्दी से यह काम किया जाय।

श्री अध्यक्ष---वह यह जानना चाहते हैं कि क्या यह फाइल २ साल तक दबी रही? यह प्रश्न पूछा गया है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी---कुछ हद तक लापरवाही जरूर हुई और उसकी वजह से काम आगे नहीं बढ़ा। जो दूसरे भी कारण हैं वह भी सही हैं। जो जगह सेलेक्ट की वह ठीक नहीं थी। सिर्फ फाइल दबने की वजह से काम पड़ा रहा ऐसा नहीं है। मगर जो कुछ है काम ठीक नहीं हुआ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---श्रीमन्, यह फाइल दो साल तक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के यहां दबी रही और मैंने अपने दो दिन बरबाद करके उस फाइल को निकलवाया।

श्री अध्यक्ष---आप वहां कैसे पहुंच गये?

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---मैंने यह फाइल ढूंढ़ी कि कहां गई। तो मंत्री जी बतायेंगे कि यह देखते हुए कि गांव वालों से जितना रुपया जमा करने को कहा गया, जमा किया, श्रमदान कर दिया, उसके बाद सरकार की वह फाइल गायब हो गई और इस बीच में दाम बढ़ गये जिसमें गांव वालों का कोई कसूर नहीं, अतः इस बात को देखते हुए सरकार सारे पुल को अब अपने खर्चे से बनवाने की कृपा करेगी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---मैं बिष्ट जी के इन्फार्मेशन के लिये बताना चाहती हूं कि जो खर्चा बढ़ गया था अब रिवाइज करके नया एस्टीमेट बना है जो करीब करीब पुराने दामों में बन रहा है। अब गांव सभा खुद काम करेगी, सिर्फ देखरेख गवर्नमेंट की रहेगी, ओवरसियर और इंजीनियर की। तो जो गलती थी उसको सुधार लिया गया।

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमान् जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी ऐसी भाषा बोलती हैं और इतनी जल्दी में बोलती हैं कि जो सुनने में और समझ में नहीं आती है।

श्री अध्यक्ष---मेरी समझ में तो सब आ जाता है। आप तो बहुतों को शिक्षा देते हैं, इसलिए आपको जल्दी समझ लेना चाहिये।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि फाइल दो साल तक दबी रही। तो मैं जानना चाहता हूं कि जिन लोगों की वजह से यह फाइल दो साल तक दबी रही उनके बारे में क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---मैंने तो यह नहीं कहा कि दो साल तक दबी रही। बिष्ट जी ने यह कहा। तो अगर उनकी इन्फार्मेशन करेक्ट है तो मैं उसकी जांच कराने के लिए तैयार हूं और जो इन्फार्मेशन मेरे पास आयी है मैं उससे बहुत नाखुश हूं और मैं इसकी जांच कराऊंगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि जब प्रश्न में स्पष्ट रूप से यह पूछा गया है कि फाइल दो साल तक दबी रही, तो इस बात की सूचना जब सरकार ने मंगाई तो यह सूचना मंगाई या नहीं कि विष्ट जी का आरोप सही है या गलत और अगर सरकार ने सूचना नहीं मंगाई तो क्यों नहीं मंगाई ?

श्री अध्यक्ष---इसके बारे में तो उन्होंने प्रत्यक्ष सवाल किया कि जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर नहीं दिया गया है। यह बिलकुल सही बात है। उनको अभी तक नहीं मालूम कि दो साल तक फाइल दबी रही या नहीं क्योंकि उत्तर दफ्तर से आया और जैसा आया वैसा ही यहां दे दिया गया।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि जो जगह खोखली बतायी जा रही है फिर उसी जगह पर पुल क्यों बनाया जा रहा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---जो इन्फार्मेशन ये मुझे दे रहे हैं वह मेरे पास नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय श्रम मंत्री इस बात को देखते हुये कि दो साल तक फाइल दबी रही इस वजह से इस प्रश्न का उत्तर नहीं आया है, वे उत्तर देने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगी कि उत्तर क्यों नहीं दिया ?

श्री अध्यक्ष---वह तो उन्होंने कह दिया।

* * *

औद्योगिक आस्थान खोलने की योजना

*५६---**श्री शिवप्रसाद नागर** (जिला खीरी) (अनुपस्थित)---क्या श्रममंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में तीसरी पंचवर्षीय योजना के अधीन वह किन किन जिलों म इन्डस्ट्रियल इस्टेट कायम करने जा रहे हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९२० पर)

कानपुर के चमड़ा उद्योग मजदूरों की वेज बोर्ड के लिये मांग

*५७---**श्री उमाशंकर शुक्ल** (जिला कानपुर)---क्या श्रममंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या चमड़ा उद्योग कर्मचारी संघ, कानपुर ने सरकार के पास चमड़ा उद्योग में काम करने वाले मजदूरों के लिये वेजबोर्ड की स्थापना के लिये एक प्रस्ताव पास करके जनवरी, १९६१ में भेजा है ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री वसी नकवी---जी नहीं। प्रश्न, नहीं उठता।

श्री उमाशंकर शुक्ल---श्रीमन्, मेरे पास इस सिलसिले में पोस्टल रसीद भी है और दो वर्ष से लगातार आई० एन० टी० यू० सी० भी इस सिलसिले में प्रस्ताव पास कर के भेजती है कि वेज बोर्ड की स्थापना हो, इन सब को भी मैं छोड़ देता हूं, फिर भी वर्तमान समय में जो कानपुर में चमड़ा उद्योग में असन्तोष फैला और मजदूरों में हड़ताल हुई तो उनकी भी यह विशेष मांग थी कि वेज बोर्ड की स्थापना की जाय, तो क्या इन सब बातों को देखते हुए लेदर इंडस्ट्री के लिये वेज बोर्ड की स्थापना करने की कृपा मंत्री जी करेंगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---आपको शायद मालूम नहीं कि मिनिमम वेज के लिये जो कमेटी बैठी थी उसने चमड़ा उद्योग के लिये सिफारिश की थी कि मिनिमम वेज मुकर्रर किया जाय, तो उसका आर्डर गवर्नमेंट की तरफ से १६ मार्च को निकल चुका है।

श्री उदय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो कानपुर के इस चमड़ा उद्योग के कारखाने में हड़ताल हुई थी वह इसलिए हुई थी कि उस कारखाने ने समिति की सिफारिशों को लागू नहीं किया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ? क्या समिति की सिफारिशों को लागू किया गया या नहीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—हमारे मुहकमे की तरफ से मजदूरों को यह आफर दिया गया है कि यह सारा मैटर ऐडजुडिकेशन या आर्बिट्रेशन में रेफर करने को तैयार है, लेकिन मजदूर राजी नहीं हुए हैं। अगर राजी हो जायेंगे तो आसानी से हो जायगा।

एलगिन मिल नं० २, कानपुर में फैक्टरी ऐक्ट का प्रवर्तन

*५८—श्री उमाशंकर शुक्ल—क्या श्रममंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या पुराने कानपुर काटन मिल में जो अब एलगिन मिल नं० २ कानपुर के नाम से १९५९-६० में चालू की गई है, फैक्टरी ऐक्ट लागू नहीं है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया है ?

श्री वसी नकवी—एलगिन मिल्स नं० २, कानपुर पर फैक्ट्रीज ऐक्ट लागू है।

श्री उमाशंकर शुक्ल—पहले हिस्से का जवाब दे दें कि फैक्टरी ऐक्ट इस फैक्टरी पर कब से लागू है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—१९६० से, जब लाइसेंस का रिन्यूअल किया है, तभी से लागू है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि मिल नम्बर दो कब से चालू हुई, क्या उसके चालू होने पर लागू हुआ या उसके पहले ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—मैंने कहा कि पहले थोड़े दिन उन्होंने कुछ थोड़े नम्बरों को लेकर काम किया। उसके बाद जब नम्बर बढ़ाया तब से फैक्टरी ऐक्ट लागू है। इस वक्त लागू है।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीया मंत्राणी जी को यह सूचना है कि फैक्टरी ऐक्ट की धाराओं के अनुसार जितनी सुविधाएं श्रमिकों को मिलनी चाहिए, उससे कुछ कम सुविधाएं वहां पर मिल रही हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—हमारे फैक्टरी इंस्पेक्टर ने जब इंस्पेक्ट किया तब पता चला कि वह कुछ कानून नहीं बरत रहे हैं। उनको नोटिस दी गयी है कि वह उसको लागू करें।

श्रम विभाग के प्रधान कार्यालय, कानपुर में कुछ पदों के स्थायीकरण में विलम्ब

*५९—श्री उमाशंकर शुक्ल—क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या श्रम विभाग के कानपुर स्थित प्रधान कार्यालय में कुछ पदों को स्थायी करने का राज्य सरकार का जो आदेश लगभग दो वर्ष पूर्व दिया गया था, उसे अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वसी नकवी—श्रम विभाग के कानपुर स्थित प्रधान कार्यालय में ९ नान गजटेड पदों को १ अप्रैल, १९५९ से स्थायी करने के आदेश हुए थे। इनमें से २ पदों पर स्थायीकरण हो गया है तथा ७ पदों पर स्थायीकरण विचाराधीन है।

श्री उमाशंकर शुक्ल—क्या श्रम मंत्री बतायेंगे कि जो यह दो वर्ष पूर्व आदेश दिया गया था स्थायीकरण का, दो वर्ष के अन्दर केवल दो स्थायीकरण हुए और सात अभी बाकी हैं, इस रफ्तार से यह कितने दिनों में स्थायी हो जायंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—हर एक के अलग अलग कारण हैं। कहीं तो उनके ऊपर कुछ शिकायत है, उसकी जांच हो रही है। जब जांच हो जायगी, तो उसके बाद फैसला किया जायगा। कहीं परमानेन्ट पोस्ट डिक्लेयर होनी चाहिए, आदमी नहीं मुकर्रर हुआ। इसके अलग-अलग कारण हैं जिससे देरी लग रही है।

श्री उमाशंकर शुक्ल—क्या श्रम मंत्री महोदय को जानकारी है कि उसी कार्यालय में ऐसे लोग हैं जो दस वर्ष से ज्यादा समय से काम कर रहे हैं, जिनमें क्लर्क और हेड क्लर्क तक हैं, उनका स्थायीकरण नहीं किया गया, जिनकी संख्या ७९६ है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—ऐसे तो गवर्नमेंट के हर एक डिपार्टमेंट में काफी लोग अस्थायी हैं।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीया मंत्राणी जी बतायेंगी कि यह दो वर्ष में दो केसेज में फैसला हुआ है और उनका स्थायीकरण किया गया है, तो जो बाकी सात केसेज और रह गये हैं, उनकी जांच-पड़ताल इन दो वर्षों में होती रही है, अगर होती रही है तो कब तक सरकार इन पर फैसला हो जाने का निश्चय कर लेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—इसका जबाव तो मैं दे चुकी हूं कि उनका हर एक का इंडिविजुअल केस है, कहीं सीनियारिटी फिक्स होना है, कहीं शिकायत है....

श्री अध्यक्ष—वह पूछ रहे हैं कि कितना समय और लगेगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—वह मैं कैसे बता सकती हूं ? इंडिविजुअल, हर एक केस में अलग-अलग टाइम लगेगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगी कि यह जो दो स्थायी किये गए हैं यह कौन-कौन से पद हैं और जो सात अस्थायी अब भी हैं, वह कौन-कौन से पद हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—यह मेरे पास ९ आदमियों की फेहरिस्त है, वह मैं पूरी पढ़े देती हूं—पाइप लाइन मिस्त्री—१, यह अभी स्थायी नहीं हुए हैं, मेकेनिक कम साइक्लो-स्टाइलर—१, स्टेनोग्राफर—१, ये दो स्थायी हुए हैं, असिस्टेंट—३, नोटर एंड ड्राफ्टर—१, एकाउन्ट्स क्लर्क—१ और आर्डरली—१, ये अस्थायी हैं।

* * *

विकास क्षेत्र उमर्दा की इमारत सम्बन्धी जांच रिपोर्ट पर विचार

*७९—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या फर्रुखाबाद जिले के अन्तर्गत विकास क्षेत्र उमर्दा की इमारत की जांच करने के लिये कोई कमेटी कमिश्नर, इलाहाबाद की अध्यक्षता में नियुक्ति की गई है और क्या उक्त कमेटी की बैठक कमिश्नर महोदय के जनवरी या फरवरी, १९६१ में फर्रुखाबाद के दौरे के समय फर्रुखाबाद में हुई ? यदि हां, तो उक्त कमेटी की रिपोर्ट क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—फर्रुखाबाद जिले के अन्तर्गत विकास क्षेत्र उमर्दा की इमारत की जांच करने के लिये एक कमेटी कमिश्नर इलाहाबाद की अध्यक्षता में नियुक्त की गई थी। उक्त कमेटी की कई बैठकें विभिन्न स्थानों पर हुईं, जिनमें से एक बैठक १६-२-६१ को जिला नियोजन अधिकारी फतेहगढ़ के कार्यालय में भी हुई।

कमेटी की रिपोर्ट जो २१-४-६१ को प्राप्त हुई है, अभी सरकार के विचाराधीन है।

* * *

ऊगू विकास सम्मेलन पर व्यय

*९१—श्री सजीवनलाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम ऊगू, तहसील सफीपुर जिला उन्नाव में २४ व २५ फरवरी, १९६१ में होने वाले विकास सम्मेलन में कितना रुपया व्यय हुआ और उक्त धन की स्वीकृति विकास खंड सलाहकार समिति से ली गई थी या नहीं ? यदि नहीं, तो वह धन किस की आज्ञा से व्यय हुआ ?

श्री वसी नकवी—उक्त विकास सम्मेलन २४ फरवरी से नहीं, बल्कि २५ फरवरी से शुरू होकर २७ फरवरी, १९६१ तक रहा। इसमें राज्य सरकार का १,०३० रु० ३२ न० प० व्यय हुआ, जिसके लिये खंड सलाहकार समिति की स्वीकृति आवश्यक नहीं थी। यह धन सम्बन्धित जिला नियोजन अधिकारी तथा जिलाधीश की स्वीकृति से व्यय किया गया।

श्री सजीवनलाल—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि यह सम्मेलन विकास खंड स्तर का था या जिला स्तर का ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—विकास खंड के स्तर का था।

श्री सजीवनलाल—यदि विकास खंड स्तर का था तो विकास खंड स्तर की सलाहकार समिति से क्यों नहीं स्वीकृति ली गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—कुछ पैसा सोशल एजूकेशन की मद में रहता है जो सरकारी पैसा होता है और सरकार की तरफ से खर्च होता है। उसके लिए कमेटी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—इस सम्मेलन में जो खर्च हुआ वह सिर्फ उतना ही हुआ जितना कि राज्य सरकार ने दिया है या और खर्च हुआ है ? यदि और खर्च हुआ है तो वह कहां से आया ?

श्री वसी नकवी—६९७ रुपया पब्लिक के चन्दे से आया, वह भी खर्च हुआ।

* * *

इटावा जिले के लिये शक्ति चालित करघा योजना

*९८—श्री अभयराम यादव (जिला इटावा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह तृतीय पंचवर्षीय योजना में जिला इटावा में किन-किन छोटे उद्योग-धंधों को खोलने जा रही है ?

श्री रऊफ जाफरी—शक्ति चालित करघा (Power loom) योजना।

श्री अभयराम यादव—इस करघा योजना में कितना रुपया व्यय करने का अनुमान है और यह कब तक बनकर तैयार हो जायगा, तथा कितने व्यक्तियों को इस योजना के अन्तर्गत कार्य मिलने की सम्भावना है ?

श्री रऊफ जाफरी—पावर लूम पर जो खर्च आवेगा उसके लिए जो कर्ज दिया जायगा इंडिविजुअल्स को, वह है ९५ हजार रुपये और जो उनको ग्रान्ट की शक्ल में दिया जायगा वह है ३० हजार रुपये और वह एक प्रोडक्शन यूनिट बनेगी।

श्री देवनारायण भारतीय—(जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार ने छोटे उद्योग-धंधों के सिलसिले में इटावा जिले के घी उत्पादन की ओर ध्यान दिया है जहां कि शुद्ध घी बहुत बड़ी मात्रा में पैदा होता है और कानपुर तथा लखनऊ दो ऐसे नगर हैं जहां कि उसकी खपत हो सकती है, तो क्या उस घी योजना को चालू करने पर सरकार विचार करेगी ?

नोट—तारांकित प्रश्न ९८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री रऊफ जाफरी—घी योजना जो है, अभी तक इस घी की इतनी कमी है कि घी तो रुकता ही नहीं, जैसे बना बाजार में बिक गया, तो उसके लिए किसी खास योजना की जरूरत नहीं है ।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या माननीय मन्त्री जी को यह विदित है कि जिला इटावा में जमुना खादर में बहुत काफी मात्रा में घी उत्पन्न होता है और उसको मार्केट न मिलने की वजह से वहां पर वह बहुत सस्ते दाम पर बिकता है और कानपुर और लखनऊ में डालडा शुद्ध घी में मिश्रित होकर यहां पर बिकता है तो क्या शुद्ध घी की सप्लाई के विचार से सरकार इस बात पर विचार करेगी कि वहां पर शुद्ध घी एकत्रित किया जाय और कानपुर तथा लखनऊ में केन्द्र खोल कर वह शुद्ध घी सप्लाई किया जाय ?

श्री रऊफ जाफरी—इस बात पर विचार किया जा सकता है कि अगर मुमकिन हो तो घी पैदा करने वालों की एक कोआपरेटिव बनाई जाय और उस कोआपरेटिव के जरिये से कुछ काम हो । इस पर विचार किया जायगा ।

* * * *

इटावा में सूती मिल खोलने का आयोजन

*१००—श्री अभयराम यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इटावा में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकार एक सूती मिल खोलने जा रही थी ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या प्रगति हुई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—(क) जी हां ।

(ख) इस कार्य के लिये आवश्यक मशीनरी और उत्पादन आरम्भ करने के लिये उचित व्यवस्थायें की जा रही हैं ।

* * * *

केन क्रशर्स की स्वीकृति तथा गुड़, राब, खाण्डसारी तथा शक्कर, बनाने की इकाइयां

*१०८—श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में १९६०-६१ के सीजन के लिये कितने केन क्रशर्स की स्वीकृति दी गई है और उनके लिये कितनी दरख्वास्तें प्रत्येक जिले से केन कमिश्नर, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुई थीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९२१-९२२ पर ।)

*१०९—श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि प्रदेश में १९५९-६० के सीजन में गुड़, राब तथा खांडसारी शक्कर बनाने की कितनी इकाइयां थीं जिनको लाइसेंस दिये गये थे ? उनमें से वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में कितनी इकाइयां चालू थीं और कितनी बन्द थीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—सन् १९५९-६० के सीजन में कुल ४,६४८ इकाइयों को लाइसेंस दिये गये । सन् १९६०-६१ के सीजन में कुल ३,५८३ इकाइयों को लाइसेंस दिये गये । १,०६५ इकाइयों ने कार्य नहीं किया ।

चान्दपुर वीवर्स हैण्डलूम सहकारी समिति का आवेदन-पत्र

*११०—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत सगड़ी तहसील में चांदपुर (मिसिरपुर) वीवर्स हैन्डलूम सहकारी समिति ने करघा-उद्योग की तरक्की के लिये उक्त स्थान में रंगाई एवं छपाई घर की स्थापना के लिये वर्ष १९६० में या जनवरी-फरवरी, १९६१ में सरकार के पास कोई आवेदन-पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--(क) जी हां ।

(ख) वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में धन की व्यवस्था न होने के कारण कोई सहायता प्रदान नहीं की जा सकी ।

*१११--**श्री मुक्तिनाथ राय**--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या उक्त हैन्डलूम सोसाइटी ने उक्त तिथियों में उन्नतिशील यंत्रों तथा अन्य सुविधाओं के निमित्त भी सरकार से सिफारिश की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--(क) जी हां ।

(ख) इसके लिये २१४ रुपये का ऋण तथा ५८७ रुपये का अनुदान दिया गया ।

* * * *

अनुसूचित तथा पिछड़े वर्ग के ग्राम सेवक तथा ग्राम सेविकायें

*११७--**श्री लायकसिंह चौधरी** (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितने ग्राम सेवक तथा ग्राम सेविकायें हैं । उनमें से कितने अनुसूचित जाति के तथा पिछड़े वर्ग के हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--५,७२४ ग्राम सेवक तथा ८७६ ग्राम सेविकायें हैं । ग्राम सेवकों में ५१७ अनुसूचित जाति के तथा ८१२ पिछड़े वर्ग के हैं । ग्राम सेविकाओं में २५ अनुसूचित जाति की तथा ६३ पिछड़े वर्ग की हैं ।

*११८--**श्री लायकसिंह चौधरी**--उपर्युक्त ग्राम सेवक तथा ग्राम सेविकाओं में कितने शहरवासी हैं तथा कितने ग्रामवासी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--ग्राम सेवकों में १३१ शहर वासी तथा ५५९३ ग्रामवासी हैं और ग्राम सेविकाओं में ३९० शहरवासी तथा ४८६ ग्रामावासी हैं ।

* * * *

कानपुर की सूती मिलों के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार की जानकारी

*१२१--**श्री उमाशंकर शुक्ल**--क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर की सूती मिलों में वीविंग स्पिनिंग और कार्डिंग डिपार्टमेन्ट्स में कितने प्रतिशत रेशनलाइजेशन हो गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--कानपुर के किसी भी सूती मिल के कार्डिंग विभाग में रेशनलाइजेशन किए जाने की सचना नहीं मिली है । उनके स्पिनिंग और वीविंग विभाग में किए गए रेशनलाइजेशन के संबंध में एक तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९२३ पर ।)

*१२२--**श्री उमाशंकर शुक्ल**--क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या वर्तमान वर्ष में कानपुर के सूती मिलों के मालिक १० और १२ साल तक के पुराने एवजीदारों को लगातार काम से वापस करके नई टेम्पोरेरी भर्ती करके काम ले रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--इस विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि कानपुर की सूती मिलों में ऐसा व्यापक रुप से किया जाता है तथापि जब कभी ऐसी शिकायत मिलती है तो मालिक और मजदूरों से बातचीत करके या संराधन समिति द्वारा आपस में समझौता कराने का पूर्ण प्रयत्न किया जाता है और आवश्यकतानुसार इन मामलों को अभिनिर्णय के लिये भी भेज दिया जाता है ।

*१२३—श्री उमाशंकर शुक्ल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर के सूती वस्त्र उद्योग में १९५९–६० के वित्तीय वर्ष में कितनी मिलों में उत्पादन सलाहकार कमेटियां काम कर रही थीं, उनके जरिये कितना उत्पादन बढ़ा और कितने मजदूर लाभान्वित हुये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—कानपुर के सूती उद्योग के किसी भी मिल में १९५९–६० के वर्ष में उत्पादन सलाहकार कमेटियां काम नहीं कर रही थीं। अतः उनके द्वारा उत्पादन बढ़ने और मजदूरों के लाभान्वित होने का प्रश्न नहीं उठता।

[४ मई, १९६१ के लिये उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट, लखनऊ का अनुदान

*१—श्री अब्दुलरऊफ लारी (जिला गोरखपुर) तथा श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गवर्नमेंट टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, लखनऊ में इस समय लगभग चार लाख की मशीनें और इन्जन ऐसे पड़े हैं जो अब तक फाउन्डेशन पर नहीं रखे गये ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं।

*२—श्री अब्दुलरऊफ लारी तथा श्री गोविन्द सिंह विष्ट—क्या मुख्य मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इन्स्टीट्यूट को गत ५ वर्षों में कितनी Non-recurring Grant दी गयी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गत पांच वर्षों में गवर्नमेंट टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, लखनऊ को ७,८०,५०० रुपया की Non-recurring Grant दी गयी।

[४ मई, १९६१ के लिये उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

घोसी तहसील के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या तहसील घोसी जिला आजमगढ़ के कर्मचारियों के विरुद्ध ६–२–६१, १२–१–६१, ५–११–६० और २–११–६० को प्रार्थना-पत्र विभिन्न व्यक्तियों द्वारा क्रमशः जिलाधीश, न्याय मन्त्री, मुख्य मन्त्री, तहसीलदार, जिलाधीश तथा सेक्रेटरी बोर्ड आफ-रेवेन्यू, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां। जांच के पश्चात् दिनांक ६–२–६१ तथा १२–१–६१ क प्रार्थना-पत्रों में उल्लिखित आरोप निराधार पाये गये तथा दिनांक ५–११–६० व २–११–६० के प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं।

अनुवापार के प्रधान, गांव सभा के विरुद्ध शिकायतें

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्राम अनुवापार के प्रधान गांव सभा के विरुद्ध १० सदस्यों के हस्ताक्षर से १५ सितम्बर, १९६० तथा १८ अक्टूबर, १९६० का प्रार्थना-पत्र जिलाधीश एवं पंचायत अधिकारी, आजमगढ़, के पास आया है जिसमें गांव समाज की सम्पत्ति का दुरुपयोग करने की शिकायत की गई है ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई तथा क्या शिकायत करने वाले से भी बयान तथा प्रमाण आदि मांगे गये थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सूचना एकत्र की जा रही है।

उत्तराखण्ड में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

*३—श्री घनश्याम डिमरी (जिला गढ़वाल)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या उत्तराखंड के जिला चमोली, उत्तरकाशी व पिथौरागढ़ के विद्यार्थियों को वजीफे देने की सरकार की ओर से कोई व्यवस्था की गई है? अगर हां, तो हर एक जिले को कितना-कितना रुपया १९६०-६१ के लिये मंजूर किया गया था और वह किस आधार पर बांटा गया?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उत्तराखंड के निर्माण के पश्चात् जो विकास योजनायें वहां लागू की गई हैं उनमें एक विद्यार्थियों को वजीफा आदि देने की है। इसके अन्तर्गत जिले के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों तथा जिले से बाहर उच्च तथा प्राविधिक (Technical) शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को वजीफा आदि देने के लिये अलग धनराशियां स्वीकृत की गई हैं। १९६०-६१ में जो धनराशियां स्वीकृत की गयी हैं उनका ब्योरा संलग्न है। ये धनराशियां जिलों में स्थापित स्कूलों, जिले में तथा बाहर शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या आदि बातों को दृष्टिकोण में रखते हुये स्वीकृत की गई हैं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ९२४ पर)

*४—श्री घनश्याम डिमरी—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि क्या उपर्युक्त जिलों के बोर्डर ब्लाक्स (Border Blocks) के विद्यार्थियों को रुपया अलग मंजूर होता है? अगर हां, तो १९६०-६१ के लिये कितना रुपया मंजूर था और वह किस आधार पर बांटा गया?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—चूंकि बोर्डर ब्लाक्स उत्तराखंड के निर्माण के पहिले से ही स्थापित थे और इन ब्लाक्स के उन विद्यार्थियों को जो बाहर उच्च एवं प्राविधिक (Technical) शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, वजीफा आदि देने के लिये अलग से बजट में प्रावधान था, अतः १९६०-६१ में इनके लिये अलग से रुपया मंजूर किया गया। १९६०-६१ में १५,००० रुपये की धनराशि मंजूर थी जिनमें से ब्लाक्स की संख्या के आधार पर ७,५०० रुपये पिथौरागढ़ के दो ब्लाक्स के लिये और ३,७५० रुपये की धनराशि चमोली तथा ३७५० रुपये की धनराशि उत्तरकाशी के एक एक ब्लाक के लिये स्वीकृत की गयी।

बस्ती जिले में प्लास्टिक के खिलौने बनाने के लिये ऋण

*५—श्री राजाराम शर्मा—क्या बस्ती जिले में प्लास्टिक के खिलौने बनाने के लिये प्रथम और द्वितीय योजना काल में सरकार द्वारा किसी को कर्ज दिया गया है? यदि हां, तो कितना रुपया दिया गया और उससे कितने रुपये का सामान तैयार हुआ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

[४ मई, १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

राजकीय मुद्रणालयों में हेड असिस्टेंट प्रिंटिंग तथा ऐशबाग मुद्रणालय से सम्बन्धित मारपीट के मुकदमे

*६—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेशीय राजकीय मुद्रणालयों में हेड असिस्टेंट प्रिंटिंग के पदों के कितने व्यक्ति कहां-कहां पर कितने-कितने दिनों से काम कर रहे हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उत्तर प्रदेशीय राजकीय मुद्रणालयों में हेड असिस्टेंट प्रिंटिंग के पदों पर तीन व्यक्ति जिनमें से दो इलाहाबाद में तथा एक लखनऊ शाखा में १ फरवरी, सन् १९५२, १० नवम्बर सन् १९५६ तथा २ अप्रैल सन् १९५३ से क्रमशः काम कर रहे हैं।

*२—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त हेड असिस्टेंट में से जो लोग तीन वर्ष से अधिक से एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं उनके अन्यत्र स्थानान्तरण न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—चूंकि संबंधित हेड असिस्टेंट प्रिंटिंग अपना कार्य सुचार-रूप से कर रहे हैं, इसलिये उनका स्थानान्तरण नहीं किया गया।

*३—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या सरकार को यह भी सूचना है कि राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग में १ मार्च, १९५८ से अब तक कई बार कर्मचारियों में मारपीट तथा झगड़े हो चुके हैं और मुकदमेबाजी हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन झगड़ों का क्या कारण था तथा सरकार ने उनके निराकरण के लिये क्या विभागीय कार्यवाही की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऐशबाग मुद्रणालय में १ मार्च सन् १९५८ से अब तक हुई मारपीट तथा मुकदमेबाजी की सूचना सरकार को है। इनके कारण तथा उन पर की गई विभागीय कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ९२५—९२७ पर)

सोडा ऐश फैक्ट्री, साहूपुरी, वाराणसी में हस्तगत का जाने वाली भूमि का मुआवजा

*४—श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि सोडा ऐश फैक्टरी, साहूपुरी, वाराणसी गांव भुजहुंआं, सैदपुर पुरैनी, खुटहां परगना राल्हूपुर के किसानों की कितने एकड़ जमीन फैक्टरी का विस्तार करने के लिये ले रही है, क्या उसके लिये एक्वीजीशन की कार्यवाही की गई है ? क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि इस संबंध में मुआवजा किस रेट से किसानों को दिया गया है या दिया जायेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सोडा ऐश फैक्ट्री, साहूपुरी, वाराणसी ने फैक्टरी के विस्तार के लिये ग्राम फतेहपुर, खुटहां, सैदपुर, व्यासपुर व खजूरगांव में किसानों की कुल ११४.२४ एकड़ भूमि एक्वायर करने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया है जिसकी अभी प्रारम्भिक जांच हो रही है। जांच होने के पश्चात् अनुमानित मुआविजे की दर बतलायी जा सकती है।

*५—श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उक्त फैक्ट्री गांव चांदीतारा, नाथूपुर, फत्तेपुर, व्यासपुर, भोजपुर, चौरहट की जमीन एक सड़क फैक्ट्री से राजघाट पड़ाव तक सीधे निकालने के लिये लेना चाहती है ? यदि हां, तो कितनी चौड़ी सड़क निकाली जायगी और अलग-अलग गांवों की कितनी जमीन एक्वायर की जा रही है ? इसका मुआवजा किस रेट से किसानों को दिया जायेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ९२८ पर)

उद्योग विभाग से सम्बन्धित सूत का स्टाक बेचने के लिये आदेश

*६—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—विधान सभा के दिनांक १३ अप्रैल, १९६० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या १०० और १०१ के लिखित उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि २ लाख ३८ हजार ७ सौ अठाइस रुपये १७ न० पै० की कीमत का जो सूत स्टाक में शेष था, उसमें से ३१ जनवरी, १९६१ तक कितनी कीमत का सूत शेष रह गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—१,९१,७९९ रुपये ५१ न० पै० की कीमत का।

राजकीय औषधालय, नालगांव में मिडवाइफ भेजने का आश्वासन

*७---श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या मुख्य मंत्री दिनांक ५-५-६० के विधान सभा के तारांकित प्रश्न संख्या ३५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नीलगांव (सीतापुर) राजकीय औषधालय में मिडवाइफ दिनांक ३१ जनवरी, १९६० तक नहीं पहुंची है ? यदि हां तो मिडवाइफ कब तक नीलगांव राजकीय औषधालय में पहुंच जायगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी हां । निश्चित तिथि तो नहीं बताई जा सकती है किन्तु इस संबंध में भरसक प्रयत्न किया जा रहा है तथा निकट भविष्य में आशा है कि शीघ्र ही मिडवाइफ पहुंच जायगी।

महारानी लक्ष्मीबाई के पौत्र श्री लक्ष्मणराव का जीवन काल पेंशन का अन्त

*८---श्री उदल---क्या सरकार महारानी लक्ष्मीबाई की सम्पत्ति के एवज में श्री लक्ष्मण राव को जो महारानी के खानदान के थे उन्हें ७५ रुपये मासिक पेंशन देती थी और उनके स्वर्गवास हो जाने के बाद उनके खानदान वालों को उपरोक्त पेंशन देना बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह सही है कि उत्तर प्रदेश सरकार श्री लक्ष्मणराव को ७५ रुपये मासिक पेन्शन देती थी। पेन्शन अक्तूबर, १९५१ से शुरू हुई थी और सन् १९५५ के अन्त तक ५० रुपये मासिक की दर से दी गई। जनवरी, १९५६ से उस रकम को बढ़ा कर ७५ रुपये कर दिया गया था। पेन्शन उनके जीवन काल तक के लिये मंजूर हुई थी। यह पेन्शन उनको महारानी लक्ष्मीबाई के पौत्र होने की हैसियत से कृपात्मक कारणों (Compassionate grounds) से दी जाती थी, न कि महारानी की सम्पत्ति के एवज में। मई १९५९ में श्री लक्ष्मणराव के स्वर्गवासी हो जाने पर पेन्शन भी अनुदान की शर्त (Condition of the grant) के बमूजिब बन्द हो गई।

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों की पुनर्वासन योजना

*९---श्री ताराचन्द माहेश्वरी---विधान सभा के दिनांक २५-३-६० के प्रश्न संख्या ६, ७ और ८ के उत्तर के क्रम में क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस भूमि पर विस्थापित परिवारों को बसाया गया है वह भूमि दान में प्राप्त हुई या एक्वीजिशन करके प्राप्त की गई है ? यदि वह खरीदी गई है, तो किस कीमत पर और उक्त क्षेत्र में जमीन का बाजार भाव क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---पीलीभीत तथा बिजनौर जिले में भूमि खरीदी गयी है तथा रामपुर जिले में लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट के अन्तर्गत हस्तगत की गयी है। खरीदी गयी भूमि के विषय में दी गयी कीमत और उक्त क्षेत्र में जमीन के बाजार भाव का विवरण संलग्न-पत्र में दिया गया है

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ९२९ पर)

आजमगढ़ जिले में हड्डा से खाद बनाने के लिये कथित अनुदान

*१०---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में आजमगढ़ जिले के किन-किन व्यक्तियों को हड्डी से खाद बनाने के कारखाने खोलने हेतु कितने-कितने रुपये के अनुदान एवं ऋण सरकार द्वारा प्रदान किये गये हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—किसी व्यक्ति को कोई भी अनुदान या ऋण नहीं दिया गया ।

*११—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त व्यक्तियों को दिये गये अनुदान एवं ऋणों का आधार क्या था तथा क्या उन्होंने इसकी जांच भी करायी है कि उसका उपयोग किया गया है कि नहीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—प्रश्न नहीं उठता ।

पानी निकासी नालियों के लिये श्री रामसुन्दर पांडेय का पत्र

*१२—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को प्रश्न कर्त्ता द्वारा ५ मई, १९६० का भेजा हुआ इस आशय का पत्र मिला है जिसमें पानी की निकासी हेतु निर्माण की जाने वाली नालियों की चर्चा है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—उक्त पत्र विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश को भेजा गया था। किन्तु विकास आयुक्त द्वारा सन् १९५९ के किसी मास में सिंचाई विभाग के अधिकारियों को भेजे गये जिस आदेश का उल्लेख उस पत्र में था वह वस्तुतः सिंचाई विभाग का ही आदेश था। अतएव विकास आयुक्त ने उप विकास-आयुक्त (प्राविधिक) के माध्यम से, सिंचाई विभाग का ध्यान उस पत्र में उठाये गये प्रश्न की ओर आकर्षित किया। सिंचाई विभाग ने, तदनुकूल अपने सम्बन्धित आदेश दिनांक १८ फरवरी, १९६१ के द्वारा वांछित संशोधन कर दिया है ।

विकास खण्डों का जीपों का पुलिस द्वारा प्रयोग करने का सुझाव

*१३—**श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)**—क्या सरकार ऐसा आदेश देने का विचार कर रही है जिससे कि पुलिस कर्मचारी विकास खंडों की जीपकारों का उपयोग बहुत जरूरी मौकों पर अपराधियों को पकड़ने में ऐसी शर्तों के साथ कर सकें जिसमें कि उपयोग करने की सुविधा का दुरुपयोग न हो ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं ।

मधुवन डिस्पेन्सरी में डाक्टर न होना

*१४—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मधुवन डिस्पेन्सरी जिला आजमगढ़ में डाक्टर कब से नहीं है और क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मधुवन डिस्पेन्सरी जिला आजमगढ़ में १७-११-६० से डाक्टर नहीं है । इसका कारण डाक्टरों की कमी है ।

पिथौरागढ़ जिले में बेरीनाग-बाड़ेछीना मोटर मार्ग तथा कुछ पुलों के बनाने की प्रार्थना

*१५—**श्री गोविंदसिंह बिष्ट**—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या पिथौरागढ़ (उत्तरा खंड) की तृतीय पंचवर्षीय योजना में बेरीनाग-बाड़ेछीना मोटर रोड तथा सरयू पर बेटुलिया (सिरसोली) कालवे फसोला तथा अराधार पर झूला पुल बनाये जाने की योजनायें स्वीकृत की गई हैं ? अगर हां, तो यह कार्य कब तक आरम्भ कर दिया जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पिथौरागढ़ की तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रश्न में उल्लिखित मोटर रोड तथा झूला पुलों के निर्माण के लिये कोई योजनायें अलग से नहीं सम्मिलित की गई हैं। उत्तराखण्ड की तृतीय पंचवर्षीय योजना में जनता की मांग के अनुसार सड़कें बनाने के लिये

१८६.५५ लाख की धनराशि प्रस्तावित की गई है। बेरीनाग-बाड़ेछीना मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है और निर्णय लिये जाने पर इस मार्ग पर उपरोक्त धनराशि से व्यय किया जायेगा।

इसी प्रकार उत्तराखंड की तृतीय पंचवर्षीय योजना में झूला पुलों के निर्माण के लिये ५४.६६ लाख रुपये की धनराशि प्रस्तावित की गई है। ये पुल जनता की मांग के अनुसार बनेंगे। अन्य मांगों पर विचार करते समय माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तावित पुलों को बनाने के सम्बन्ध में भी विचार किया जायेगा।

*१६—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या इस कार्य के सम्बन्ध में विधान सभा के कार्यालय ४० एम० एल० ए० का दिनांक १-४-६० का व उसके बाद भी प्रश्न कर्ता के पत्र भूतपूर्व व वर्तमान मुख्य मंत्री जी को मिले? अगर हां, तो वे क्या-क्या थे व उनमें क्या-क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, प्रश्न में कथित दिनांक १ अप्रैल, १९६० का पत्र तथा प्रश्नकर्ता के अन्य कुछ पत्र मिले। इनमें उपरोक्त मोटर मार्ग, पुलों आदि को बनाने की तथा अन्य कुछ मांगें की गई थीं। इनके सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता को दिनांक १० जनवरी, १९६१ को एक विस्तृत उत्तर भेजा जा चुका है। वस्तुस्थिति दर्शाते हुए एक और उत्तर भेजा जा रहा है जो उनको शीघ्र ही प्राप्त होगा।

*१७—श्री रामसुन्दर पांडेय—[हटा दिया गया।]

पीलीभीत जिले में बंगाली विस्थापित

*१८—श्री प्रतापसिंह—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि प्रदेश की उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत पीलीभीत में १४४ बंगाली परिवारों को जमीन अभी तक नहीं दी गई है? यदि हां, तो क्यों और उन्हें जमीन कब तक और कहां दी जायेगी?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—जी हां, क्योंकि इस उपनिवेश क्षेत्र में बंगाली विस्थापित परिवारों को बसाने की कोई योजना है ही नहीं।

गाजियाबाद में उपभोक्ता सहकारी संघ के व्यवस्थापक व शोधक का चालान

*१९—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार को पता है कि गाजियाबाद के फूड इंस्पेक्टर ने वहां के उपभोक्ता सहकारी संघ के व्यवस्थापक व शोधक का जून १९५८ में इस आधार पर चालान किया था कि उनके दूध में १७ प्रतिशत पानी मिला था परन्तु मेरठ के सेशन जज ने इनको बरी कर दिया था?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अधिकृत रूप से ऐसी कोई सूचना शासन को उपलब्ध नहीं हुई। परन्तु पत्रों में प्रकाशित समाचार के आधार पर शासन द्वारा सम्बन्धित सूचना एकत्रित की जा रही है।

*२०—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार को यह भी पता है कि इलाहाबाद की हाई-कोर्ट बेंच में १३ मार्च, १९६१ को उक्त लोगों के विरुद्ध की गई अपील को खारिज करते हुये यह रूलिंग दी है कि Adulteration Act के अन्तर्गत नियमों में गाय व भैंस के दूध में fat का अनुपात निर्धारित नहीं किया गया है? यदि हां, तो उसने उक्त नियमों में संशोधन करने के लिये क्या कार्यवाही की है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं क्योंकि उच्च न्यायालय के कथित फैसले की प्रतिलिपि जो मंगाई गई है अभी प्राप्त नहीं हुई है।

जिला सप्लाई कार्यालय, गोरखपुर के कुर्क करने की आज्ञा

*२१—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार को पता है कि गोरखपुर के मुनसिफ ने मार्च, १९६१ में एक डिग्री के एक हजार चार सौ चालीस रुपये की वसूली के लिये वहां के जिला सप्लाई कार्यालय के कुर्क कर लिये जाने के वास्ते आज्ञा जारी कर दी है? यदि हां, तो उक्त डिग्री किस सम्बन्ध में हुई थी और क्या कार्यालय कुर्क हो गया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, कुर्की की आज्ञा जारी की थी परन्तु अब रद्द हो गई है। यह डिग्री श्री रामचन्द्र लाल श्रीवास्तव, भूतपूर्व गोडाऊन कीपर के डिक्रीटल एमाउन्ट १४३९ रुपये ६० नये पैसे के भुगतान के सम्बन्ध में हुई थी। जिला पूर्ति कार्यालय कुर्क नहीं हुआ, क्योंकि प्रार्थना करने पर आज्ञा का कार्यान्वित करना अदालत ने स्थगित कर दिया था। १८-४-६१ को कुल रुपये का भुगतान कर दिया गया।

सितारगंज व खटीमा तहसीलों में अग्निपीड़ितों को सहायता

*२२—श्री प्रतापसिंह—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ दिसम्बर, १९६० से ३० मार्च, १९६१ तक तहसील सितारगंज व खटीमा में किस-किस गांव में आग लगी और उससे कितना नुकसान हुआ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अपेक्षित सूचना संलग्न सूची में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ९३० पर)

*२३—श्री प्रतापसिंह—क्या न्याय मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त नुकसान उठाने वाले लोगों को कितनी-कितनी सहायता दी गई?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जरूरतमंद पीड़ितों को २५ रुपये के हिसाब से अहेतुक सहायता दी गई व उन्हें अपने मकान बनाने के लिये लकड़ी भी निःशुल्क दी गई।

*२४-२५—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—[११ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*२६-२७—श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—[११ मई, १९६१ के लिए स्थगित किये गये।]

प्लास्टिक न इस्तेमाल करने के सम्बन्ध में अनुदेश

*२८—श्री रामदुलारे मिश्र—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य सरकार का ध्यान केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की हाल ही में जारी की गयी उस प्रेस विज्ञप्ति की ओर आकर्षित हुआ है, जिसमें जनता को पतले प्लास्टिक के झोलों तथा सामान बांधने के लिये आवेष्ठन के रूप में प्लास्टिक इस्तेमाल न करने और साथ ही उपर्युक्त वस्तुओं से स्वास्थ्य को हुई हानियों का वर्णन करते हुये उन्हें जला देने व नष्ट करने की चेतावनी दी गई है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।

*२९—श्री रामदुलारे मिश्र—यदि हां, तो राज्य सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—केन्द्रीय सरकार की उक्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रदेश के सभी सिविल सर्जनों, जिला और नगर स्वास्थ्य अधिकारियों और दूसरे अधिकारियों को अनुदेश दिये जा रहे हैं कि वे जनता को इस सम्बन्ध में आवश्यक चेतावनी दे दें।

विकास आयुक्त कार्यालय, लखनऊ में लिपिकों का स्थायीकरण

*३०.—श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार दिनांक ३०-३-६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २७ के उत्तर के संदर्भ में कृपा बतायेगी कि विकास आयुक्त कार्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में क्लर्कों के स्थानों को स्थायी किये जाने के लिये जी० ओ० कब हुआ है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—६ लिपिकों के पदों को स्थायी किये जाने के आदेश १० अप्रैल, १९५४ को जारी किये गए थे और शेष १४ लिपिकों के पदों को स्थायी किये जाने के आदेश ९ मई, १९६० को जारी हुये थे।

बागपत सहकारी मिल में गन्ने की पेराई

*३१.—आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९६०-६१ के वर्ष में बागपत सहकारी गन्ना मिल (मेरठ) में मार्च, १९६१ तक कितना गन्ना पेरा गया और कितनी चीनी पैदा हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वर्तमान सीजन में इस मिल द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक ८५,०२१ टन गन्ना पेरा गया और ७७९१.७० टन चीनी उत्पादित हुई।

*३२.—आचार्य दीपंकर—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि क्या उपर्युक्त अवधि में इस मिल को आस-पास के किसानों से आवश्यकतानुसार गन्ना न मिलने पर मिल अधिकारियों ने मलियाना एवं शामली की चीनी मिलों के क्षेत्रों में एवं जमुना पार से गन्ना मंगवाया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, आसपास से कम गन्ना मिलने के कारण जो और गन्ना, गन्ना आयुक्त द्वारा मिल को allot हुआ वह खरीदा गया।

*३३.—आचार्य दीपंकर—यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दूसरे क्षेत्रों से मंगवाये गये गन्ने के दाम किस भाव पर अदा किये गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—शामली मिल के क्षेत्र के एंलम व मलियाना मिल के नेक व कुराली सेंटर्स से मंगवाये गये गन्ने का दाम उसी दर से भुगतान किया गया जिस दर से उपरोक्त मिलों ने निर्दिष्ट सेंटर्स से गन्ना खरीदा था। इसके अतिरिक्त निकटवर्ती क्षेत्र से कुछ गन्ना जो लिया गया उसके लिये गेट की दर से मूल्य दिया गया।

कानपुर में श्रमिक बस्तियों के किराये में विभिन्नता

*३४.—श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कानपुर के विभिन्न स्थानों पर सरकार द्वारा बनायी गयी श्रमिक बस्तियों के मकानों का किराया कुछ श्रमिकों से १० रुपये और कुछ से साढ़े सत्रह मासिक लिया जा रहा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां।

*३५.—श्री भगवतीसिंह विशारद—यदि हां, तो इस भेद के क्या कारण हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—यह मकान भारत सरकार की Subsidized Industrial Housing Scheme के अन्तर्गत बने हैं तथा इसके अन्तर्गत यह केवल उन मजदूरों को दिये जाते हैं जो Factories Act के अन्तर्गत registered गैर सरकारी फैक्ट्री में काम करते हैं। इनके बनाने में भारत सरकार ने ५०% सहायता के रूप में दिया जिसे किराया निर्धारित करते समय छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार इनका किराया उस सहायता की धनराशि को छोड़ देने पर १० रुपया महीना आता है।

परन्तु कुछ ऐसे लोग भी कतिपय कारणों से इनमें रहने लगे हैं जो प्राइवेट फैक्ट्री में काम नहीं करते या Factories Act के अन्तर्गत मजदूर की परिभाषा में नहीं आते। उन लोगों के बारे में भारत सरकार के यह आदेश हैं कि किराया सहायता की रकम को मिला कर वसूल किया जाय। यह आर्थिक किराया साढे सत्रह रुपये महीना आता है।

डी० पी० ओ०, जौनपुर के विचाराधीन शाहगंज ब्लाक के बर्खास्त कर्मचारियों का मामला

*३६--श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बी० डी० ओ० सोधो, तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर ने इस क्षेत्र में कब पद ग्रहण किया?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—२४ सितम्बर, १९६०।

*३७—श्री राजनारायण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्होंने जब से इस क्षेत्र में पद ग्रहण किया है तब से उन्होंने कितने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को सेवा कार्य से मुक्त किया? उन व्यक्तियों की संख्या क्या है? तथा वे क्यों सेवा कार्य से वंचित किये गये?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—केवल दो पत्रवाहकों (Messengers) की सेवायें चरित्रहीनता, जनता को कार्यालय की गोपनीय बातें बताने, आदेशों की अवहेलना करने आदि के कारण समाप्त (Terminated) की गईं।

*३८—श्री राजनारायण—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि कार्य से वंचित किये गये उपर्युक्त कर्मचारियों ने अपने-अपने अभ्यावेदन डी० पी० ओ० महोदय, जौनपुर को दिये हैं और उन पर क्या आदेश हुये हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां, दोनों ही के अभ्यावेदन डी० पी० ओ० जौनपुर के विचाराधीन हैं।

गोरखपुर जिले में पुराने सहायक विकास अधिकारी

*३९—श्री अमरनाथ—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में विकास विभाग के कितने अधिकारी ऐसे हैं जो तीन वर्ष से अधिक एक ही स्थान पर हैं और उनका तबादला अब तक नहीं होने का क्या कारण है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—केवल एक सहायक विकास अधिकारी (कृषि) एक स्थान पर ३ वर्ष से अधिक से कार्य कर रहे हैं। अराजपत्रित अधिकारियों (Non-gazetted) के लिये कोई अवधि निर्धारित नहीं है।

श्रम कार्यालयों में अवकाश के दिनों में ड्यूटी

*४०—श्री उमाशंकर शुक्ल—क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के श्रम कार्यालयों में अवकाश के दिनों में भी कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया जाता है? यदि हां, तो क्यों और उसका उन्हें कितना पारिश्रमिक दिया जाता है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां।

अवकाश के दिनों में अति आवश्यक कार्य देखने के लिये न्यूनतम कर्मचारियों की ड्यूटी अपनी-अपनी बारी के अनुसार लगाई जाती है। ऐसे कर्मचारियों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता।

बरेली में सिन्थेटिक रबर फैक्टरी का आयोजन

*४१—श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या बरेली में लगाई जाने वाली सिन्थेटिक रबर फैक्टरी को जमीन मिल गई है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कब तक इस फैक्ट्री के लग जाने तथा काम शुरू करने की आशा है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—संभवतः १९६३ तक।

*४३—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—[११ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

*४४-४६—श्री जगन्नाथप्रसाद (जिला खीरी)—[११ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

करीमपुर के खलियान में आग लगने से क्षति

*४७—श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार को विदित है कि २० मार्च, १९६१ को थाना नगरा, जिला बलिया के अन्तर्गत ग्राम करीमपुर के खलियान में आग लग गई? यदि हां, तो उसमें कितनी क्षति हुई?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, लगभग २५ हजार रुपये की क्षति अनुमानित है।

मोहनलालगंज तहसील के अधिकारियों के विरुद्ध हलीमाबाद के काश्तकारों की शिकायतें

*४८—श्री रघुवीरसिंह (जिला एटा), श्री दुर्योधन (जिला गोरखपुर), श्री बिहारीलाल (जिला पीलीभीत), श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़) तथा श्री मदन पांडेय—तहसील मोहनलाल गंज, जिला लखनऊ के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत के सम्बन्ध में २६ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७९ के उत्तर के संदर्भ में क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला लखनऊ की मोहनलालगंज तहसील के अधिकारियों के विरुद्ध मौजा हलीमाबाद के काश्तकारों द्वारा की गई कौन-कौन सी शिकायतें प्रारम्भिक जांच में अंशतः सत्य प्रतीत हुईं तथा सम्बन्धित कर्मचारियों को क्या सजा दी गई?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

*४९—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—[११ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

कैराना तहसील में चक रास्ते न होने से कठिनाई

*५०—श्री बादामसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या न्याय मंत्री को विदित है कि तहसील कैराना, जिला मुजफ्फरनगर में चकबन्दी द्वारा चकों के लिये रास्ते न बनाने से किसानों को अत्यन्त कठिनाई हो रही है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, चक रास्ते कुछ जगह न होने से कठिनाई बतायी जाती है।

*५१—श्री बादामसिंह—यदि हां, तो क्या सरकार उपर्युक्त कठिनाइयों को दूर करने का कोई उपाय कर रही है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यू० पी० ग्राम सुधार (भूमि अधिकरण) अधिनियम, १९४८ के अन्तर्गत आवश्यक भूमि ली जा सकती है। इस विषय में आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये हैं।

*५२-५३—स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)—[११ मई, १९६१ के लिए स्थगित किये गये।]

बदायूं तहसील में, लगान में बढ़ती तथा चकबन्दी व्यय

*५४—श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बदायूं, तहसील बदायूं में सी० एल० आर० डी० द्वारा लगान तरमीम होने के कारण किसानों पर जमींदारी विनाश से अब तक कितना लगान बढ़ा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बदायूं तहसील में सी० एल० आर० डी० योजना के अन्तर्गत रेकार्डों के संशोधनों के फलस्वरूप वास्तविक लगान में कुल १३,३६२ रुपये की वृद्धि हुई। शुद्ध बकाया धनराशि कुल १,९७,५२१ रुपये है।

*५५—श्री टीकाराम—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बदायूं की तहसील बदायूं में जो १९६०-६१ में चकबन्दी की गयी है उसका क्या खर्चा प्रति एकड़ किसानों से लिया जायेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उत्तर प्रदेश के समस्त क्षेत्र में जहां चकबन्दी की जा रही है, चकबन्दी का खर्चा निम्नलिखित दरों से उन किसानों से वसूल किया जा रहा है जिनकी भूमि अधिक संहत की गई है:

१—६ रुपये ६२ न० पै० प्रति एकड़ उन क्षेत्रों के किसानों से जिनमें आयतीकरण (rectangulation) पद्धति पर चकबन्दी की जा रही है।

२—५ रुपये ८७ न० पै० प्रति एकड़ अन्य क्षेत्रों के किसानों से।

देवरिया जिले की चीनी मिलों पर किसानों की बकाया रकम का ब्याज

*५६—श्री शिवप्रसाद (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उसकी जानकारी में देवरिया की चीनी मिलों से किसानों के बकाया दाम पर ७ १/२ प्रतिशत सूद केन यूनियनों द्वारा लिया जाता है, जो किसानों को मिलना चाहिए ? यदि हां, तो वह धन अब तक किसानों को न दिये जाने का कारण क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—चीनी मिलों को अधिकतर केन यूनियन जिसका किसान एक सदस्य है, द्वारा गन्ना सप्लाई किया जाता है और गन्ने के बकाया दाम पर जो निर्दिष्ट ब्याज मिलता है वह यूनियन की जनरल बाडी द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार उस क्षेत्र के गन्ना किसानों के हित में विकास कार्यों आदि में लगा दिया जाता है।

खेतान तथा पंजाब केन यूनियनों में रिजर्व बीज

*५७—श्री शिव प्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामकोला की खेतान केन यूनियन और पंजाब केन यूनियन द्वारा १९६०-६१ में कितना-कितना गन्ना बीज के लिये रिजर्व रखा गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

*५८-५९—श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती) तथा श्री रामलखन (जिला वाराणसी)—[११ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

खतौली में अस्पताल खोलने की योजना

*६०—श्री राजेन्द्रदत्त (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कस्बा खतौली जिला मुजफ्फरनगर में मर्दाना व जनाना अस्पताल बनाने की स्कीम कब से सरकार के विचाराधीन है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह योजना सन् १९५६–५७ से शासन के विचाराधीन है।

*६१—श्री राजेन्द्रदत्त—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस विषय में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—धन की स्वीकृति दी जा चुकी है। भवन निर्माण संबंधित नक्शे तथा नक्शमीने भी सरकार ने पास कर दिये हैं। भूमि का कब्जा प्राप्त होते ही निर्माण कार्य आरम्भ होगा।

जालौन जिले से अनाज के निर्यात पर प्रतिबन्ध

*६२—श्री गरीबदास (जिला जालौन)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन से बाहर जाने के लिये कौन–कौन से अनाज व तिलहन पर उसकी ओर से प्रतिबन्ध है अथवा निकट भविष्य में रोक लगाये जाने का विचार है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—(क) जालौन जिले से बाहर तिलहन भेजने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

अनाजों में केवल चावल, धान अथवा उनके प्रोडक्ट्स को किसी ऐसे स्थान को नहीं भेजा जा सकता जो प्रदेश की सीमा के अन्तर्गत पांच मील के अन्दर हो या प्रदेश के बाहर हो। प्रोडक्ट्स में चावल का ब्रान (Bran) और हस्क (Husk) शामिल नहीं है।

(ख) इस प्रकार का कोई विचार नहीं है।

बलरामपुर के निकट पेपर मिल की आवश्यकता

*६३—श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह गोंडा जिले में बलरामपुर के निकट कोई पेपर मिल स्थापित करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं।

*६४–६५—श्री भगवतीप्रसाद दुबे (जिला गोरखपुर) तथा श्री प्रभुरनाथ—[११ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*६६–६७—श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—[११ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

सदर हास्पिटल, इटावा से कुत्ता काटे का इन्जेक्शन लेने वाले व्यक्तियों की मृत्यु सम्बन्धी शिकायतें

*६८—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर, १९६० में इटावा के सदर हास्पिटल में कितने लोगों को कुत्ता काटने के इंजेक्शन लगाये गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सदर अस्पताल, इटावा में अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर, १९६० में क्रमशः ६८, ६५ और १२७ कुत्ता काटने के इंजेक्शन लगाये गये।

*६९—श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या उसके पास ऐसे प्रार्थना–पत्र जनवरी, १९६१ में आये हैं कि जो इंजेक्शन उक्त महीनों में लगाये गये उनकी मियाद समाप्त हो चुकी थी और फिर भी वे लगाये जाते ही रहे जिसके फलस्वरूप बहुत से व्यक्तियों की इंजेक्शन लगने के बाद मृत्यु हो गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।

बिल्ली ग्राम की सुरंग

*७०—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि मिर्जापुर जनपद के बिल्ली नामक ग्राम में जो चोपन से तीन मील दूर है, दो सुरंगों का पता चला है जिसकी छतें, दीवारें, फर्श आदि सब संगमरमर की बनी हैं तथा उसमें से एक सुरंग में सोने का शिवलिंग भी प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस खोज का पूर्ण विवरण बताने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं । उक्त स्थान पर केवल एक सुरंग पायी गयी है जिसके अन्दर कोई सोने का शिवलिंग नहीं प्राप्त हुआ है । यह सुरंग केवल पानी का एक रास्ता है और इसका कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व नहीं है ।

इभिलिहा पुरवा मजरा सरौरा के बाढ़ पीड़ितों को ऊंचे पर बसाने की प्रार्थना

*७१—श्री सजीवन लाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला लखनऊ, तहसील लखनऊ के ग्राम इभिलिहा पुरवा मजरा सरौरा में गोमती की बाढ़ से डूबे हुये घरों को पुनः ऊंची भूमि पर आबाद कराने हेतु ता० २७ अक्तूबर, १९६० को तहसीलदार, लखनऊ द्वारा एस०डी०ओ०, ता० १२ दिसम्बर, १९६० को एस०डी०ओ०, लखनऊ, तारीख २१ दिसम्बर, १९६० को एस०डी०ओ०, लखनऊ, तारीख २१ जनवरी, १९६१ को डी० सी० सैलाब लखनऊ तथा तारीख २७ जनवरी, १९६१ को डी०सी० लखनऊ को दिये गये प्रार्थना-पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ग्राम इभिलिहा पुरवा मजरा सरौरा में गोमती की बाढ़ से डूबे हुये घरों को पुनः ऊंची भूमि पर आबाद कराने हेतु २७-१०-६०, १२-१२-६० व २१-१-६१ के प्रार्थना-पत्र मिले ।

जो कार्यवाही उक्त प्रार्थना-पत्रों पर की गई वह इस प्रकार है:—

अतिग्रस्तों के पुनर्वास के लिये ग्राम इभिलिहा पुरवा के समीप ऊंची भूमि चुनी गई पर उस भूमि पर बसने के बजाय कुछ लोगों ने अपनी पुरानी आबादी की भूमि पर ही जाने का निश्चय किया । एक और बंजर भूमि ग्राम रपरा के पास तजबीज की गई परन्तु इस स्थान पर भी वे जाने को तैयार न हुये । अतः इन्हें बसाने के लिये अब एक और भूमि चुनी गई है जिसे प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है ।

*७२-७४—श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—[११ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*७५—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—[११ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*७६-७८—श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—[११ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

रामपुरा से नरभक्षी द्वारा बालिका का उठाया जाना

*७९—श्री गरीबदास—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या कस्बा रामपुरा, जिला जालौन में पिछले महीने मार्च में एक बालिका को नरभक्षी लकड़बग्घा उठा ले गया था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न में बताई गई घटना सही है इस उपबन्ध में proviso के साथ कि यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कथित जानवर लकड़बग्घा ही था या उसी किस्म का कोई अन्य जंगली जानवर ।

*८०—श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)—[११ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

उत्तर प्रदेशीय सहयोगी सुपरवाइजर एसोसियेशन का आवेदन-पत्र

*८१—श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक ९ अगस्त, १९५८ को उत्तर प्रदेशीय सहयोगी सुपरवाइजर एसोसियेशन का कोई रिप्रेजेन्टेशन प्राप्त हुआ था जिसमें आदेश नं० ३७३५ (S.T.)/XXXVI-A—१३६ (S.T.) ५७, दिनांक १५ जुलाई, १९५८ में उपर्युक्त एसोसियेशन को शामिल करने की मांग की गई थी ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक इस दिशा में कौन से कदम उठाये हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां। पर उस रिप्रेजेन्टेशन में उपर्युक्त एसोसियेशन को १५ जुलाई, १९५८ के आदेश में शामिल करने की मांग नहीं थी।

प्रश्न नहीं उठता।

इटावा जिले के टी० बी० अस्पताल के विरुद्ध शिकायत

*८२—श्री गणेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो इटावा जिले में टी० बी० का अस्पताल है उसके सम्बन्ध में टी० बी० के मरीजों ने ऐसे प्रार्थना-पत्र फरवरी व मार्च, १९६१ में स्वास्थ्य मंत्री के पास भेजे हैं कि वह लोग बिलकुल ठीक नहीं हो सके थे और उन्हें बीच ही में अस्पताल से हटा दिया गया है तथा दुबारा भर्ती किये जाने की प्रार्थना की गई है ?

*८३—यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ, जिसको इटावा टी० बी० अस्पताल में पुनः दाखिले के आदेश दे दिये गये हैं।

बिना डाक्टर के राजकीय अस्पताल

*८४—श्री सुधामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश भर में किन-किन राजकीय अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं और कब से ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऐसे अस्पतालों की जिलेवार सूची† (क) तथा (ख) संलग्न है। जिन तिथियों से डाक्टर नहीं हैं, वे तिथियां अस्पतालों के सम्मुख अंकित हैं। कुछ अस्पतालों के सम्बन्ध में यह सूचना एकत्रित की जा रही है।

बिना डाक्टर के अस्पताल

*८५—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)—क्या सरकार राज्य के ऐसे एलोपैथिक अस्पतालों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी जिनमें १७ फरवरी, १९६१ को क्रमशः २ वर्ष तथा ? वर्ष से डाक्टर नहीं हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी प्रदेश के केवल ४१ जिलों की सूचना एकत्रित की जा सकी है। इन ४१ जिलों में जिन अस्पतालों में जब से डाक्टर नहीं हैं उन की सूची† तालिका (अ) में दी हुई है।

*८६—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—क्या सरकार राज्य में द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में खोले गये एलोपैथिक अस्पतालों की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी जहां पर १७ फरवरी १९६१ को क्रमशः २ वर्ष, ३ वर्ष, ४ वर्ष से दवा इत्यादि के आवर्तक या अनावर्तक अनुदान उपलब्ध रहे हैं परन्तु वहां पर क्रम में उसी समय से (१) अभी तक डाक्टर नहीं हैं, (२) अस्पताल का नियमित कार्य ही शुरू नहीं हुआ है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सूची† तालिका (ब) में दी हुई है।

---

†सूची छापी नहीं गई।

कलेक्टरियों का पुनस्संघटन

*८७--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--कलेक्टरियों के पुनः संगठन के सम्बन्ध में दिनांक २६ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ११३-११४ के लिखित उत्तर के क्रम में क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि योजना के लागू होने पर कुछ पदों को उस समय क्रमोन्नत करके उन्हें स्थायी बना दिया गया ? यदि हां, तो ऐसे पदों की संख्या क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां । ३८ पद हैं ।

चक्की भूसाडोही और देवरिया का सीमा विवाद

*८८--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या न्याय मंत्री २५ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १३ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि क्या आजमगढ़ और देवरिया जिलों की ओर से पैमाइश एवं अभिलेख क्रियायें समाप्त हो गयीं ? यदि हां, तो कब ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अभीष्ट सूचना अभी तक उपलब्ध न हो सकी, एकत्रित की जा रही है ।

*८९--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सीमा सम्बन्धी विवाद का अन्तिम हल सरकार द्वारा क्या निकाला गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अभीष्ट सूचना अभी तक उपलब्ध न हो सकी, एकत्रित की जा रही है ।

*९०--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या चक्की भूसाडोही, जिला आजमगढ़ के निवासियों के रहने के स्थान को ऊंचा करने की योजना पर देवरिया जिले के किसानों द्वारा रोक लगा दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अभीष्ट सूचना अभी तक उपलब्ध न हो सकी, एकत्रित की जा रही है ।

मैटरनिटी सेंटर, बस्ती की दाई के साथ बलात्कार

*९१--श्री रामलाल (जिला बस्ती)--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि ३० जुलाई, १९६० को मेटरनिटी सेंटर, बस्ती की एक दाई के साथ बस्ती के स्वास्थ्य विभाग के किसी डाक्टर ने बलात्कार किया था और इस सम्बन्ध में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री को भी कोई शिकायत दी गई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

*९२--क्या यह भी सही है कि इस घटना की शिकायत स्थानीय अधिकारियों को भी दी गई थी और उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सूचना एकत्र की जा रही है ।

इलाहाबाद शहरी क्षेत्र के ग्रामों की विकास योजना

*९३--श्री कैलाशनारायण गुप्त (जिला इलाहाबाद)--विधान सभा के वर्तमान सत्र के ७ वें गुरुवार (३०-३-६१) के अन्तर्गत पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४७ के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में इलाहाबाद शहरी क्षेत्र में जिन विकास योजनाओं पर कार्य हुआ है उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

*९४--विधान सभा के वर्तमान सत्र के ७ वें गुरुवार के अन्तर्गत पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४८ के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद शहरी क्षेत्र के ग्रामों में तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो विकास कार्य होने हैं उनकी सूची क्या है और यह विकास कार्य जिला नियोजन समिति द्वारा अथवा महापालिका द्वारा सम्पन्न कराये जायेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सूचना एकत्र की जा रही है ।

तुलसीपुर मिल द्वारा गन्ने की पेराई तथा क्रय

*९५--श्री धर्मपालसिंह (जिला गोंडा)--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले के अन्तर्गत तुलसीपुर गन्ना मिल ने वर्ष १९६०-६१ में कुल कितने गन्ने का सट्टा किया है ? अब तक सट्टे का कितना गन्ना पेरा जा चुका है तथा कितना शेष है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वर्तमान सीजन में इस मिल ने ५१.०० लाख मन गन्ना खरीदने का एग्रीमेंट किया था और १५-४-६१ तक मिल द्वारा ३३.३८ लाख मन गन्ना खरीदा जा चुका है। उपरोक्त तारीख के बाद केवल १२.०० लाख मन गन्ना ही मिल को सप्लाई के लिये उपलब्ध हो सकेगा ।

*९६--श्री धर्मपाल सिंह--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष १९५९-६० में उक्त मिल ने कितने गन्ने का सट्टा किया था और मार्च, १९६० तक कितने गन्ने की पेराई हो गई थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--उक्त चीनी मिल ने गत वर्ष ३४.०० लाख मन गन्ना खरीदने का एग्रीमेंट किया था और वह मार्च, १९६० के अन्त तक २५.५९ लाख मन गन्ना पेर चुकी थी ।

*९७--श्री धर्मपालसिंह--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत वर्ष १५ अप्रैल के बाद जो गन्ना उक्त मिल ने लिया, उसका मूल्य किस दर से कृषकों को दिया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--उक्त मिल ने गत वर्ष १५ अप्रैल के बाद जो गन्ना लिया उसका मूल्य कृषकों को १.६२ रुपया प्रति मन गेट तथा १.५० रुपया प्रति मन रेल सेंटर्स पर दिया ।

एटा जिले में उद्योगों के लिये ऋण

*९८--श्री चिरंजीलाल जाटव (जिला एटा)--क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला एटा में उद्योग समिति द्वारा १९५८-५९, १९५९-६० व १९६०-६१ के तीन वर्षों में किन-किन उद्योगों को कितना-कितना अनुदान तथा ऋण दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है ।

आगरे में फैक्टरियों द्वारा कोयला उधार देना

*९९--श्री आदिराम सिंघल (जिला आगरा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सच है कि गत तीन पंचांग वर्षों में आगरे में कुछ फैक्ट्रीज ने अपने कोयले के परमिट में से दूसरे व्यक्तियों को कोयले के वैगन उधार दिये हैं ? यदि हां, तो उक्त अवधि में किस-किस फैक्टरी ने कितना-कितना कोयला उधार दिया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां । वांछित सूचना संलग्न है ।

---

*सूचना छापी नहीं गई ।

गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट, लखनऊ से स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा न मिलना

*१००--श्री देवनारायण भारतीय तथा श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या गवर्नमेन्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट, लखनऊ के १९५८ के प्रास्पेक्टस द्वारा विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को यह आश्वासन दिया गया था कि विद्यार्थी स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा कोर्स में भर्ती किये जायेंगे और उत्तीर्ण होने पर उन्हें स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा दिया जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं ।

*१०१--श्री देवनारायण भारतीय तथा श्री उग्रसेन---क्या यह सही है कि जो विद्यार्थी १९५८ में उक्त संस्था में इसी आश्वासन पर प्रविष्ट हुये थे उन्हें इस वर्ष वह संस्था स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा नहीं देना चाहती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---प्रश्न ही नहीं उठता ।

*१०२--श्री देवनारायण भारतीय तथा श्री उग्रसेन---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह इस संस्था को अपग्रेड करने का विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी, नहीं ।

इटावा तहसील में सेंगर नदी की बाढ़ से ध्वस्त मकानों के पुर्ननिर्माणार्थ सहायता

*१०३--श्री अभयराम यादव---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा की तहसील इटावा के अन्तर्गत कितने ऐसे ग्राम हैं जिनके मकान सेंगर नदी की बाढ़ से वर्ष १९६० में सम्पूर्ण तथा अर्द्धांश में धराशायी हुये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ऐसे ग्रामों की संख्या ३४ है ।

*१०४---श्री अभयराम यादव---क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन ग्रामवासियों को मकान बनाने हेतु कितना-कितना रुपया ऋण या अनुदान स्वरूप दिया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जो ऋण तथा अनुदान दिया गया वह इस प्रकार है :---

१---ऋण ३२,१३५ रुपया,
२---अनुदान १,७९० रुपया ।

इटावा जिले में कुटीर उद्योगों के लिये सहायता

*१०५---श्री सुखलाल (जिला इटावा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा में कुटीर उद्योग कौन-कौन से हैं और किन किन स्थानों पर हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ९३१ पर)

*१०६---श्री सुखलाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन उद्योगों को १९५९-६० में सरकार द्वारा ऋण तथा अनुदान के रूप में कितनी-कितनी मदद दी गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---१,४८,२७२ रुपया ५० नये पैसे ऋण तथा ५५,६२८ रुपया ३६ नये पैसे अनुदान के रूप में दिये गये ।

गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट, लखनऊ का आडिट ऐण्ड मशीनरी

*१०७--श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गवर्नमेंट टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, लखनऊ में १ जनवरी, १९५९ से ३१ मार्च, १९६० तक किन किन फर्मों से कितने कितने रुपयों की Machinery and equipment खरीदे गये और उनका भुगतान कब और कैसे किया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है ।

*१०८--श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या यह सही है कि गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट, लखनऊ का आडिट गत तीन वर्षों से नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--गवर्नमेंट टेक्निकल इन्सटीट्यूट, लखनऊ का आडिट सितम्बर, १९५९ में हुआ था ।

चमोली जिले पर व्यय

*१०९--श्री नरेंद्रसिंह भंडारी (जिला गढ़वाल)--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जब से जिला चमोली (उत्तराखंड) का निर्माण हुआ है तब से ३१ मार्च, १९६१ तक उस जिले में उत्तराखंड बजट से कुल कितना रुपया खर्च हुआ है ? क्या मुख्य मंत्री कृपया इस खर्चे का "ब्रेक अप" सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--दिनांक २४ फरवरी, १९६०, जब से जिला चमोली का निर्माण हुआ तब से ३१ मार्च, १९६१ तक उस जिले में उत्तराखंड बजट से २७,६०,३६१.०० रुपया व्यय हुआ है जिसका ब्योरा संलग्न है । इसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग के बार्डर वर्क्स डिवीजन्स, चमोली तथा जोशीमठ के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं क्योंकि यह सूचना उनसे प्राप्त नहीं हो सकी ।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ९३२ पर)

हाउस अलाटमेंट ऐडवाइजरी कमेटी, आगरा में श्री बुलाकीदास को लेना

*११०--श्री आदिराम सिंघल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा शहर की House Allotment Committee में श्री बुलाकी दास जी खंडेलवाल को किस आधार पर चुना है ? क्या यह सही है कि इन पर Food Adulteration Act में २०० रुपया जुर्माना हो चुका है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--श्री बुलाकी दास जी को आगरा शहर हाउस एलाटमेंट ऐडवाइजरी कमेटी (House Allotment Advisory Committee) में उनके सार्वजनिक कार्यकर्त्ता होने के आधार पर मनोनीत किया गया था ।

जी हां ।

*१११-११३--श्री अब्दुल रऊफ लारी--[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किये गये ।]

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--मान्यवर, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के अध्याय ७ के नियम २९ के उपनियम १५ की ओर ले जाना चाहता हूं। नियम २९ में प्रश्नों का रूप तथा विषय है और नियम १५ में यह है कि "उसमें ऐसे विषयों के संबंध में सूचना नहीं मांगी जायेगी जो गोपनीय प्रकृति के हों, जैसे मंत्रि परिषद् के विनिश्चय अथवा कार्यवाहियां, विधि अधिकारियों द्वारा राज्यपाल को दी गई मंत्रणा तथा अन्य तत्सम विषय" ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, जब प्रश्न पूछा गया और आपकी आज्ञा से स्वीकृत हो गया तो उसके स्वीकार होने का मतलब यह है कि हाउस में उसका उत्तर दिया जायगा। उत्तर होने के बाद वह उत्तर हाउस की प्रापर्टी हो गया। वह उत्तर में आपकी आज्ञा से पढ़ दूं "कलेक्टर फर्रुखाबाद के एक पत्र में एक उल्लेख के आधार पर श्री राजेन्द्रसिंह भदौरिया को श्री कोतवालसिंह भदौरिया एम० एल० ए० का भतीजा कहा गया था", तो यह जो जवाब है अगर गोपनीय होता तो यह प्रश्न एडमिट ही न होता। प्रश्न के एडमिट होने पर यह हाउस की प्रापर्टी बन गया। यह गोपनीय नहीं रहा। इसलिये मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि प्रश्नों का उत्तर पूछने का अधिकार विरोधीदल को है? अगर रोज सवालों के ऐसे जवाब दिये जायेंगे कि गोपनीय है तो हमारा अधिकार छिन जायगा।

श्री अध्यक्ष—अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो प्रश्न स्वीकार करते हैं, तो उसमें स्वयं अपने जजमेंट से नियमों का पालन करते हैं। अगर उन्होंने एडमिट नहीं किया इसका मतलब यह है कि कैबिनेट का प्रश्न रहा हो या गवर्नर को एडवाइस दी हो, इसके बारे में पूछा गया हो या ऐसे ही प्रकार का कोई विषय हो। लेकिन गवर्नमेंट को क्या उत्तर देना चाहिये, यह उसमें नहीं दिया हुआ है। गवर्नमेंट किसी प्रश्न का उत्तर तभी नहीं दिया करती है जब कि वह उसको गोपनीय रखना चाहती है। उत्तर देने का अधिकार उनको है। तो इसमें उत्तर का प्रश्न नहीं है, अपितु स्वीकार करने का प्रश्न है। उत्तर देने का अधिकार उनको है।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६१

सचिव, विधान सभा—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६१ पर राष्ट्रपति महोदय की अनुमति २२ अप्रैल, १९६१ को प्राप्त हो गई और वह १९६१ का उत्तर प्रदेश का १५ वां अधिनियम बन गया।

प्राक्कलन समिति (१९६०-६१) का प्रतिवेदन†

***श्री देवकीनन्दन विभव** (जिला आगरा)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्राक्कलन समिति १९६०-६१ का १६ वां प्रतिवेदन सिंचाई विभाग के संबंध में सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। मैं आपकी आज्ञा से सदन को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि यह प्रतिवेदन बहुत छोटा सा है जो मैं सदन में प्रस्तुत कर रहा हूं। जो भी प्रतिवेदन हम इस सदन में प्रस्तुत करते हैं उस प्रतिवेदन को फैक्चुअल वेरीफिकेशन के लिये डिपार्टमेंट को भेजा करते हैं। मुझे खेद है और मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वे फैक्चुअल वेरीफिकेशन में काफी विलम्ब लगाते हैं। यह प्रतिवेदन बहुत छोटा सा प्रतिवेदन है जिसे एक, दो दिन के फैक्चुअल वेरीफिकेशन के बाद वापस आ जाना चाहिये था, परन्तु इसे भेजे हुये दो मास हो गये, कई बार लिखा गया, किन्तु फैक्चुअल वेरीफिकेशन आज तक नहीं आया। विभाग को मैंने यह भी सूचित कर दिया कि आप यदि इस समय तक इसका फैक्चुअल वेरीफिकेशन करके नहीं भेजेंगे तो वह सदन के सामने उपस्थित कर दिया जायगा। चुनांचे यह प्रतिवेदन मैं प्रस्तुत कर रहा हूं और मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वह विभागों को यह इंस्ट्रक्शन्स दे कि जो क्वैरीज प्राक्कलन समिति की ओर से भेजी जाती हैं, उनका वे समय के अन्दर उत्तर दें और जो रिपोर्ट फैक्चुअल वेरीफिकेशन के लिये भेजी जाती है, उसका फैक्चुअल वेरीफिकेशन कर उसे जल्द से जल्द समिति को वापस कर दें, ताकि कमेटी, जिस शीघ्रता से काम करने की आवश्यकता है उस शीघ्रता से, काम कर सके।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि अभी सभापति, प्राक्कलन समिति ने इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करते समय जो कुछ कहा है उससे मालूम पड़ता है कि जो सवालात किये जाते हैं प्राक्कलन समिति की ओर से उनका उत्तर न

---

†छापा नहीं गया।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मदन पांडेय]

मिलने के कारण उसमें कुछ खामी रह गई है। तो क्या अध्यक्ष महोदय इसके लिये कुछ समय नियत करेंगे कि इस प्रतिवेदन पर हम विचार कर सकें और देख सकें कि इसमें क्या कमी और क्या खामी रह गई है ?

श्री अध्यक्ष---प्रतिवेदन पर तो बहस नहीं होती, लेकिन कोई सभापति जब अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुये अपनी कठिनाई बताता है, तो उसके ऊपर संबंधित मंत्री और विशेष कर मुख्य मंत्री जी का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं। इस विषय में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय प्राक्कलन समिति के सभापति ने यह कहा कि जो प्रश्न वह उपस्थित करते हैं और जो सेक्रेटेरियट से जानकारी हासिल करना चाहते हैं, फैक्चुअल बातों के बारे में, उनके उत्तर वह नहीं देते हैं, दो दो महीने तक उत्तर नहीं देते। और इसलिये बहुत छोटा प्रतिवेदन उन्होंने उपस्थित किया और उन के उत्तर क्या हैं, उन पर वह विचार नहीं कर सके और जो अपनी राय थी वह उन्होंने दे दी। तो यह कठिनाई उन के सामने है। यह सदन की एक महत्वपूर्ण समिति है और उसमें इस तरह की लापरवाही, मैं समझता हूं, सचिवालय की तरफ से नहीं होनी चाहिये। यह उल्लेख अब उन्होंने किया है तो क्या माननीय मुख्य मंत्री इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---अध्यक्ष महोदय, मैं इससे सहमत हूं कि यदि कोई अधिकारी इस तरह की कार्यवाही करता है तो वह इस सदन के प्रति और इसकी परम्पराओं के प्रति उस श्रद्धा को प्रकट नहीं करता जिस श्रद्धा को उसे प्रकट करना चाहिये। मैं अवश्य इस विषय में उचित आदेश जारी करूंगा जिससे कि जो कमी और कमजोरी अभी तक अधिकारी यदि दिखाते रहे हैं तो आइन्दा न दिखायें।

श्री अध्यक्ष---मैं भी एक बात कहना चाहता हूं सभापति, प्राक्कलन समिति को, कि यह सूचना माननीय मुख्य मंत्री ने जब दे दी है तो कुछ थोड़ा-सा पत्र व्यवहार करके जो कठिनाई उनके सामने आई है वह भी उनके पास भेज दें ताकि उनको तहकीकत करने में सहूलियत हो जाय।

मथुरा, आगरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी आदि जिलों में गल्ले के भाव में गिरावट के कारण किसानों में बेचैनी के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष---नियम ५२ के अन्तर्गत जो विषय मेरे सामने हैं उनमें आज मैंने श्री टीकाराम पुजारी जी का स्वीकार किया है और वह यह है : "दिसम्बर तथा जनवरी में किसानों ने १६ रुपये मन ज्वार तथा अन्य मोटा अनाज खरीद कर खाया है जिस पर दो आना रुपया उसे ब्याज देना पड़ेगा। किसानों ने १९ रुपये प्रति मन गेहूं, १८ रुपये प्रति मन चना, १७ रुपये प्रति मन बेजर, १६ रुपये प्रति मन जौ, १६ रुपये प्रति मन मटर खरीद कर अपने खेतों में बोया जिस मटर का भाव ९ रुपये प्रति मन, १० रुपये प्रति मन बेजर, साढ़े नौ रुपये प्रति मन जौ, १३ व १४ रुपये प्रति मन तक गेहूं था। गल्ले के भाव में गिरावट के कारण मथुरा, आगरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी आदि जिलों के किसानों में बेचैनी फैली हुई है।

ऐसी दशा में लोकमहत्व के अविलम्बनीय तथा निश्चित प्रश्न पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करता हूं।"

इस पर मंत्री जी वक्तव्य कब देना चाहेंगे ?

सार्वजनिक निर्माण उप मन्त्री (श्री धर्मसिंह)---इसकी सूचना हम बुधवार के दिन दे सकेंगे।

सदन के भावी कार्य-क्रम के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के कार्यक्रम के बारे में यह जानना चाहता हूं कि क्या ५ दिन की छुट्टी होने वाली है, ६ तारीख के बाद से ?

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—कोई छुट्टी की बात तो इस समय है नहीं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—इस संबंध में मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सदन की कार्यवाही १२ मई के बाद भी चलाने का विचार है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी तो ऐसा विचार नहीं है, किन्तु अगर काम होगा और सदन चाहेगा तो बैठेंगे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पर विवाद करने के लिये कोई तिथि निश्चित हो जानी चाहिये ?

श्री अध्यक्ष—आप लिखकर भेज दें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—आपने तो निश्चित करने के लिये कहा था ।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)—श्रीमन्, मेरा भी एक प्रस्ताव नियम ५२ का था.....

श्री अध्यक्ष—उसको आप फिर लिख कर भेज दें, आज तो एक ले लिया गया है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, वन मंत्री जी ने जो साइक्लो-स्टाइल करा कर एक बयान बटवाने के लिये कहा था वह अभी तक नहीं मिला है हम लोगों को ?

श्री अध्यक्ष—उसके लिये मैंने उनके पास रिमाइन्डर भेज दिया है ।

स्वदेशी काटन मिल्स कानपुर में तालाबन्दी के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब श्रम मंत्री, सर्वश्री ऊदल, चन्द्रजीत यादव आदि के नियम ५२ के प्रस्ताव के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे ।

श्रम उपमंत्री (श्री वसी नकवी)—१९५३ में मेसर्स स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर ने मिल की विभिन्न पालियों के समय में परिवर्तन घोषित किया । इसके फलस्वरूप श्रमिकों में असन्तोष फैला, उन्होंने हड़ताल की और अन्त में २३ फरवरी, १९५४ को एक समझौता हो गया । उस समझौते के अनुसार पालियों के संबंध में निम्नलिखित समझौता हुआ था :—

पाली 'ए'—सोमवार को ५ बजे प्रातः से २ बजे अपराह्न तक । शनिवार को ६ बजे प्रातः से ३ बजे अपराह्न तक । सप्ताह के अन्य दिन ६ बजे प्रातः से २ बजे अपराह्न तक ।

पाली 'बी'—२ बजे अपराह्न से १० बजे रात तक, सोमवार के दिन । ३ बजे अपराह्न से १२ बजे रात तक, शनिवार के दिन । २ बजे अपराह्न से १० बजे रात तक, सप्ताह के अन्य दिनों में ।

पाली 'सी'—१० बजे रात से ६ बजे प्रातः तक, सोमवार के दिन । १२ बजे रात से ९ बजे प्रातः तक शनिवार के दिन । १० बजे रात से ६ बजे प्रातः तक, सप्ताह के अन्य दिनों में ।

उसी समय से, पालियों के उपरोक्त समय के अनुसार श्रमिक काम कर रहे हैं । ८ मार्च, १९६१ को सूती मिल मजदूर सभा ने प्रबन्धकों को एक नोटिस दी जिसमें उन्होंने मांग की कि शनिवार और सोमवार को भी पालियों का पहले की भांति ८ घंटे का समय रखा जाय । उस

[श्री वसी नकवी]

नोटिस में यह बात भी कही गई थी कि यदि मांग पूरी न की गई तो श्रमिक २५ मार्च, १९६१ को २ बजे दिन से हड़ताल कर देंगे और जब तक मांग स्वीकार न की जायगी तब तक प्रत्येक शनिवार और सोमवार को पाली के एक अधिक घंटे के काम की हड़ताल करते रहेंगे। प्रबन्धकों का कहना था कि सोमवार और शनिवार की पालियों के एक अधिक घंटे का काम २३ फरवरी, सन् १९५४ के समझौते की शर्तों के अनुसार लिया जाता है और जब तक उस समझौते में परिवर्तन नहीं होता श्रमिक इससे बाध्य रहेंगे। बाद में २३ फरवरी, सन् १९५४ के समझौते में नियत त्रिदलीय समिति द्वारा इस मामले पर विचार किया गया। इस समिति की बैठकें श्रमायुक्त (लेबर कमिश्नर), के कार्यालय में २१, २२ और २३ मार्च को हुई। सूती मिल मजदूर सभा पालियों के समय परिवर्तन के संबंध में अपनी मांगों का औचित्य सिद्ध करने के लिये सारपूर्ण बात न बतला सकी। उक्त समिति में सेवा योजकों के प्रतिनिधि इस मामले को मध्यस्थ निर्णय के लिये भेजने के लिये राजी हो गये थे और श्रमिकों की मांग इस हद तक स्वीकार कर लिये थे कि वे सोमवार को एक घंटा काम कम लेंगे। परन्तु यह शर्तें श्रमिकों के प्रतिनिधियों को स्वीकार न थीं। श्रमायुक्त ने भी इस समस्या को सुलझाने का प्रयत्न किया, परन्तु श्रमिकों के प्रतिनिधि अपनी बात पर अटल रहे।

सूती मिल मजदूर सभा ने शनिवार २५ मार्च, १९६१ से हड़ताल कर दी। उस दिन पहली पाली का समय ६बजे प्रातः से ३बजे अपराह्न तक था परन्तु इस पाली में श्रमिकों ने २ बजे अपराह्न से ही हड़ताल कर दी और ३ बजे अपराह्न तक हड़ताल पर रहे। दूसरी पाली के श्रमिकों ने ३ बजे अपराह्न से काम शुरू किया और १० बजे रात से हड़ताल कर दी। तीसरी पाली के श्रमिकों ने १० बजे रात से काम शुरू किया और उन्हें ९ बजे प्रातः तक काम करना चाहिये था, लेकिन ६ बजे प्रातः तक उन्होंने हड़ताल कर दी अर्थात् उन्होंने ६ बजे प्रातः से ९ बजे प्रातः तक ३ घंटे काम बन्द रखा। सोमवार २७ मार्च, १९६१ ई० के सबेरे की पाली ५ बजे प्रातः से शुरू होनी थी परन्तु बजाय ५ बजे के श्रमिकों ने ५ बजे प्रातः से ६ बजे प्रातः तक १ घंटे हड़ताल पर रहने के बाद ६ बजे प्रातः से काम शुरू किया। श्रमिक इसी भांति प्रत्येक सप्ताह हड़ताल कर रहे हैं क्योंकि श्रमिकों ने अनुचित रूप से हड़ताल की थी। अतः सेवायोजकों ने, जिन श्रमिकों ने हड़ताल की थी, उनका प्रति सप्ताह दो दिन का वेतन काटना शुरू कर दिया। वेतन की इस कटौती के विरोध में २५ अप्रैल, १९६१ से गो स्लो शुरू कर दिया। सबसे पहले मिल नम्बर २ के रिगफ्रेम सेक्शन में ए पाली के श्रमिकों ने गो स्लो करना शुरू किया था। उसके कुछ देर बाद २५ अप्रैल, १९६१ को २ बजे अपराह्न से वह काम पर उपस्थित हो गये। श्रमिकों ने मशीनों की रफ्तार धीमी करने के प्रयोजन से पुली की बेल (Bell) गिरा दी। जिन मिस्त्रियों ने पूर्व स्थान पर बेल को चढ़ाकर मशीन को सामान्य गति से चलाना चाहा तो उन्हें रोक दिया गया। अतः खराब बाविनों की संख्या बढ़ने के अतिरिक्त उत्पादन में कमी होना स्वाभाविक था। इसी प्रकार का आचरण २६ अप्रैल को २ बजे अपराह्न को बी पाली के श्रमिकों ने भी किया। जब कि मिल नम्बर ३ में इसी प्रकार से गो स्लो शुरू किया गया जहां श्रमिकों ने मशीन की चाल को धीमा करने के प्रयोजन से मोटरों की गति धीमी कर दी। मोटरों को अधिक गरम होने या जलने से बचाने के लिये सेवायोजकों ने मोटरों को डाइरेक्ट स्पीड पर चलाने का प्रयत्न किया, परन्तु श्रमिकों ने ऐसा न करने दिया, जिसके फलस्वरूप ६ बजे रात तक मोटर बहुत गरम हो गये। प्रबन्धकों ने इस भय से कि कहीं मोटर जल न जायं उनका चलाना रोक दिया और पाली के शेष समय के लिये इस सेक्शन के सब श्रमिकों की बैठकी घोषित कर दी। बैठकी पर भेजे जाने वाले श्रमिक सेक्शन में रुके रहे। 'बी' पाली के श्रमिकों ने भी २७ अप्रैल को लगभग २ बजकर ३० मिनट पूर्वाह्न से मोटरों की चाल धीमी कर दी।

स्पिनिंग सेक्शन में सूत की कमी के कारण उसमें होने वाले काम की मात्रा भी कम हो गयी जिसके फलस्वरूप चीज-वाइंडिंग और रोलिंग विभागों के कुछ श्रमिक बैठकी पर भेजने

पड़े। यह हड़ताल २८ और २९ अप्रैल को भी जारी रही। श्रमिकों ने सेवा योजकों की सभी आज्ञाओं का उल्लंघन किया और हड़ताल पर डटे रहे। कुछ गति में परिवर्तन होने योग्य मोटर भी जल गये। कुछ हाथापाई और धमकी देने की घटनाएं भी हुईं। २६ अप्रैल को श्रमिकों का एक प्रतिनिधि-मंडल श्रमायुक्त से मिला। उन्हें अपनी शिकायतें दूर करने के लिये वैधानिक कार्यवाही करने की राय दी गयी। श्रमिकों ने इस राय की कुछ भी परवाह न की और अन्य उत्तेजक कार्यों के अतिरिक्त मिल में 'गो स्लो' जारी रक्खा। ३० अप्रैल को मिल साप्ताहिक छुट्टी के कारण बन्द रहा। १ मई, १९६१ को प्रबन्धकों ने तालाबन्दी घोषित कर दी।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ के जिस समझौते की उन्होंने चर्चा की है, वह समझौता आई० एन० टी० यू० सी० द्वारा हुआ था और ३ आदमियों की एक कमेटी लेबर कमिश्नर की अध्यक्षता में बनायी गयी थी कि वह मिल की जांच पड़ताल करने के बाद और काम के घंटों के सम्बन्ध में सुझाव देगी और उसी के अनुसार काम लिया जायगा, लेकिन उस समझौते पर अमल नहीं हुआ और मिल-मालिकों और श्रम विभाग द्वारा वह समझौता तोड़ा गया तो मजदूरों को मजबूर होकर हड़ताल करनी पड़ी है? तो ऐसी हालत में जो तालाबन्दी घोषित की गयी है, उससे मजदूरों की बेकारी बढ़ रही है। इसलिये उसको फौरन बन्द किया जाय और मजदूरों की जायज मांगों को माना जाय, इस पर मंत्री जी विचार कर रहे हैं?

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—जिस कमेटी का जिक्र किया, वह अभी मार्च में ३ दिन बैठी रही और उसने बहुत कोशिश की कि कोई समझौता किया जाय, लेकिन मजदूरों ने हर एक किस्म के समझौते से इन्कार किया है। इस विषय में मैं पहले ही हाउस में अपना बयान दे चुकी हूं, उसके अतिरिक्त कोई नयी बात नहीं बता सकूंगी। जितने जायज तरीके मजदूरों को मानने के लिए बताये गये, वह उनमें से एक भी तरीका अपनाने को राजी नहीं हैं। बाद में उन्होंने 'गो स्लो' टैक्टिक्स चलाये, तब मजबूरी हालत में मिल बन्द कर दिया गया। २६ तारीख को वह लोग लेबर कमिश्नर से मिले थे और वह एडजुडीकेशन, आर्बिट्रेशन, हर एक तरीके से समझौता कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन मजदूर किसी की राय मान नहीं रहे हैं। यहां जो माननीय सदस्य हैं, ये लोग यदि मजदूरों को अच्छी सलाह दें तो फौरन समझौता हो सकता है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नियमतः मिल-मालिकों को ८ घंटे काम लेना चाहिए। अगर किसी वजह से मजदूरों और मालिकों में ४ घंटे फी हफ्ते काम अधिक लेने के लिए समझौता हो गया तो क्या पुनः स मसले पर विचार करेंगे कि फैक्टरी ऐक्ट के मातहत जो ८ घंटे काम लेना चाहिए, वही व्यवस्था पुनः लागू की जाय?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—यह ४ घंटे के लिए जो बातचीत हुई थी, एक घंटा मालिक छोड़ने के लिए तैयार थे और ३ घंटे के लिए आर्बिट्रेशन में रेफ़र करने के लिए तैयार थे, लेकिन वे नहीं माने।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—इस बात को देखते हुये कि ११ हजार श्रमिक डेढ़ महीने से तथाकथित हड़ताल कर रहे हैं और तालाबन्दी की वजह से पिछले महीने की तनख्वाह न मिलने के बाद भी वह शांतिपूर्ण आचरण कर रहे हैं, क्या माननीया श्रम मंत्राणी जी—जब कि वह लेबर कमिश्नर द्वारा समझौता कराने में असफल रही हैं—मिल मालिकों और मजदूरों के प्रतिनिधियों को मिलाकर और समझौता वार्ता कराकर इस हड़ताल और तालाबन्दी को खत्म कराने पर विचार कर रही हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—मैं इस समय आपसे कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैं मालिकों से भी बात कर चुकी हूं और मजदूरों से भी बात कर चुकी हूं। फिर भी मेरी सेवा हमेशा हाजिर है, अगर शान्तिमय तरीके से मामला सुलझ सके। मगर आजतक मजदूरों ने जो बर्ताव किया है, उसको देखते हुए मैं इस समय कोई एश्योरेन्स देने के लिए तैयार नहीं हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—इस बात को देखते हुए कि मिल मालिकों ने १५ दिन पहले से ही मजदूरों की तनख्वाह रोक रखी थी, जिसके कारण वाक आउट वाक में भी हड़ताल रही और सरकार ने त्रिदलीय सम्मेलन भी करने की कोशिश की; लेकिन फिर कोई समझौता नहीं हो पा रहा है, क्या सरकार मजदूरों की तरफ ही दोष न रखते हुए मालिकों के दोषों को भी देखेगी ताकि कोई समझौता हो सके.....

श्री अध्यक्ष—यह तो सुझाव है।

श्री मदन पाण्डेय—खासकर इस बात को देखते हुए कि समझौता वार्ता जिसका सुझाव मैंने पिछले प्रस्ताव द्वारा दिया था, उसमें सम्भवतः कुछ विलम्ब लगे। मजदूरों को जो रुपया कोआपरेटिव से मिलने वाला है वह तालाबन्दी के कारण और खजाञ्ची वगैरह के न रहने के कारण नहीं मिल पा रहा है, क्या सरकार इस प्रकार की बाधाओं को दूर करने के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था करेगी ताकि मजदूरों को भूखों मरने की नौबत न आये?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—एक नयी बात माननीय सदस्य ने कही है, उसकी मैं जांच करूंगी और देखूंगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो समझौता फरवरी, १९५४ में हुआ, वह सूती मिल मजदूर सभा से हुआ या किसी दूसरे संगठन से हुआ था?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—उस वक्त मजदूरों की तरफ से जो नुमाइन्दे चुने गये थे वे त्रिदलीय कमेटी में बैठे थे।

श्री चन्द्रजीत यादव—जैसा कि कहा गया कि २६ अप्रैल को सूती मिल मजदूर सभा का प्रतिनिधि मंडल लेबर कमिश्नर से मिला और यह सुझाव रखा कि जो चार घंटे ज्यादा काम लिया जाता है, उसमें ढाई घंटे कम करके मध्यस्थ को सुपुर्द कर दिया जाय, यदि यह सही है तो क्या सरकार इस सुझाव पर विचार करेगी कि चार घंटे जो ज्यादा लिये जा रहे हैं, उनमें दो घंटे कम करके इस केस को मध्यस्थ को सुपुर्द कर दिया जाय?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—इस सदन में बैठकर एक घंटे, डेढ़ घंटे या दो घंटे का फैसला करना मुश्किल है।

श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला कानपुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि जो तोड़-फोड़ की घटनाओं का जिक्र किया गया, वह मजदूरों ने नहीं किया बल्कि मालिकों के प्रोवोकेटर्स ने किया?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—मेरी इन्फार्मेशन यह है कि इनके पास जो मशीन है उसका कन्टीन्यूएंस प्रेसेस से काम चलता है। काम रुकने पर वह अपने आप जल जाती है। उसी तरह से वह जली।

श्री उमाशंकर शुक्ल—क्या सरकार को मालूम है कि सन् ५४ के जिस समझौते का जिक्र किया गया, वह केवल तीन महीने के लिये था? उसमें फैक्टरी इन्सपेक्टर से तीन महीने काम करने की इजाजत ली गई थी कि इस तरह से मौका दिया जाय क्योंकि कारखाने

में घाटा है और फिर उसके फौरन बाद उसको रिवाइज किया जायगा लेकिन तबसे आजतक बावजूद मजदूरों द्वारा मांग करने पर भी कोई कार्य नहीं किया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—मैंने अभी बतलाया कि वह कमेटी फिर बैठी थी, फिर उन्होंने कार्य किया, और पहले मैंने इस सदन में जो स्टेटमेन्ट दिया था उसमें भी यह बतलाया था कि कमेटी को काफी रीजनेबिल ग्राउन्ड्स नहीं मिले उसको रिवाइज करने के लिये।

१८५७ के क्रांतिकारियों और देशभक्तों को राजनीतिक पीड़ितों के समान सुविधाएं देने के लिये संकल्प (क्रमागत)†

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, यह जो प्रस्ताव नारायणदास जी का है, उस पर कल से ही सरकार की तरफ से दबाव चल रहा है कि उसको वापस ले लिया जाय। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनको बुलवाया था और खानगी बातचीत भी उनसे की थी और उसके फलस्वरूप शायद उन्होंने कोई आश्वासन भी पाया। तो यह बताया जाय कि अगर आश्वासन पाया है तो क्या आश्वासन पाया और क्या वे इस प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—अगर उन्होंने कोई आश्वासन पाया होगा तो वे सदन के सामने उसको कहेंगे।

श्री नारायणदास पासी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, कल मैं यह जिक्र कर रहा था कि १८५७ का स्वतंत्रता संग्राम हमारे १९४२ के स्वतंत्रता संग्राम से कुछ कम नहीं था बल्कि किसी मानी में ज्यादा ही था और उसका कारण वही है जो बापू ने बताया था। मैंने इस बात का भी जिक्र किया कि ब्रिटेन के अन्दर जो इन्डस्ट्रियल एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन हुआ और जिसका संचालन वहां के मजदूरों और किसानों ने किया, उसका फल यह हुआ कि सारे यूरोप में प्रतिक्रियावाद, सामन्तवाद और राजाओं के खिलाफ, जो किसान और मजदूरों का शोषण कर रहे थे, एक भावना पैदा हुई।

जिस वक्त डलहौजी हिन्दोस्तान के अन्दर प्रधान होकर आया, उसने १८५६ ई० ई० में २१ हजार जागीरें और ३५ हजार इनामी जागीरों को जप्त किया। यही नहीं १९ वीं सदी में ईस्ट इंडिया कम्पनी ने सारे हिन्दोस्तान में नकली अकाल पैदा करके गरीब जनता को लूटा। यही नहीं अंग्रेज पादरियों के झुंड के झुंड यहां पर आये और भूख से मरती हुई जनता का धर्म परिवर्तन करने का प्रयत्न किया। उस समय स्वामी दयानन्द सरस्वती, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय, स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद आदि ऐसे लोग हमारे बीच में हुए जिन्होंने अपनी जान हथेली पर लेकर हिन्दू और मुसलमानों को धर्म परिवर्तन से बचाया। फैजाबाद के मौलवी अहमदउल्ला साहब ने सारे मुसलमानों का धर्म परिवर्तन होने से रोका। यही नहीं धर्म परिवर्तन के लिये सुअर और गाय की चर्बी कारतूसों में लगायी गयी और पादरियों की ओर से खुल्लमखुल्ला यह कहा जाने लगा कि हिन्दुओं और मुसलमानों को जो फौजी थे, कारतूसों को उस चर्बी को चूसना ही पड़ेगा, जो कारतूसों में लगती थी।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य जो पादरी का लफ्ज बोल रहे हैं, वह उचित नहीं है। अगर उस के बजाय वे अंग्रेज अफसर कहें तो अच्छा हो वरना उसका रिपरकशन इंडियन क्रिश्चियन पादरियों पर भी पड़ता है।

---

†३ मई, १९६१ की कार्यवाही से।

श्री अध्यक्ष---यह तो उनकी राय हो सकती है। अगर उन्होंने इतिहास में ऐसा ही पढ़ा है तो वे उस दृष्टि से ऐसा कह सकते हैं। दूसरे उस समय के पादरियों की कोई बात आज के पादरियों पर लागू नहीं हो सकती।

श्री नारायणदास पासी---उसका परिणाम यह हुआ कि सिपाहियों के अन्दर यह भावना फैली कि हमारे धर्म को अंग्रेजी सरकार नष्ट कर देगी तो हमारा जीवन ही नष्ट हो जायगा। उसका अंजाम यह हुआ कि श्री मंगल पांडेय जो सुरहुरपुर, अकबरपुर तहसील, जिला फैजाबाद के थे तथा ९ फीट २ इंच लम्बे थे, २९ मार्च, १८५७ को बारकपुर, कलकत्ता में प्रथम शहीद हुए। यही नहीं जिन बहुत से लोगों की जायदादें भी जब्त कर ली गयीं, शिवाजी के सतारा के रंगोबापूजी, श्री अजीमुल्ला खां और राजा राममोहन राय ने विलायत में जाकर इस बात के लिये कोशिश की कि हिन्दुस्तान में गदर न होने पावे और अंग्रेज सरकार चेत जाय। उन्होंने बतलाया कि ईस्ट इंडिया कम्पनी किस तरह से हिन्दुस्तान में लूट मचाये हुए हैं और किस तरह से अत्याचार कर रही है। लेकिन हमारी ब्रिटिश सरकार जो उस वक्त टूरी दल को थी, उसने उस तरफ कान तक नहीं दिया। इसका अंजाम यह हुआ कि भारतीय नेताओं में अजीमउल्ला खां, अब्दुल्ला शाह, नाना साहब पेशवा, कुंवर सिंह, राणा बेनी माधव सिंह, रानी लक्ष्मी बाई, तांत्या टोपे लसुड़ी सिंह, जनौरा के समरथ सिंह, राजा देवी बक्ससिंह, हरदत्त सिंह, आनन्दी और गालिब जंगबेगम, हजरत महल आदि ने संगठित रूप से यहां के पासी, चमार, कुर्मी, बारू, संथार, गूजर, भर, लसुड़ी, भिजूनीप, ब्राह्मण, क्षत्रिय यानी हिन्दू मुसलमानों को इकट्ठा किया और उनके वे नेता बन गये। १० मई, १८५७ को जब मेरठ में गदर शुरू हुआ तो जिले जिले से लोगों ने दिल्ली में जाकर बहादुर शाह से मिला और उनको ही हिन्दूमुसलमानों का नेता बनाया। उसके बाद जो कुछ हुआ, वह तो आपको मालूम ही है। ईस्ट इंडिया कम्पनी का राज्य खत्म हो गया।

यही नहीं बल्कि श्री अरविन्द घोष, लाला लाजपत राय, रासबिहारी घोष, रवीन्द्रनाथ टैगोर तथा सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के व क्रान्तिकारी दल के जितने भी बड़े बड़े नेता शहीद हो चुके हैं, पचासों वर्ष तक बराबर आन्दोलन करते रहे। सर ह्यूम जो इटावा का कलक्टर था, वह क्रान्तिकारियों के डर से औरत के लिबास में भाग गया था। वह सन् १८८३ में श्री सुरेन्द्र नाथ बनर्जी से जाकर टकराया और इस तरह से सन् १८८३ के अन्दर श्री रामचन्द्र लहरी के नेतृत्व में कांग्रेस का जन्म हुआ। सर ह्यूम और श्री सुरेन्द्र नाथ बनर्जी के संघर्ष का अंजाम यह हुआ कि नेताओं के बीच में दरार पड़ गयी। लेकिन श्री गोपाल कृष्ण गोखले और तिलक महाराज जैसे बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस के अन्दर जान पैदा की और श्री पं० मोतीलाल नेहरू व टैगोर के आशीर्वाद से हमारी कांग्रेस आगे बढ़ती गयी। फिर महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में १९२०-२१, ३०-३१ और ४० तथा ४२ की लड़ाई लड़ी गयी। सन् ४२ में वही हुआ जो हमारे नेता महात्मा गांधी ने "भारत छोड़ो" का नारा लगाया और हमारे देश की जितनी जनता थी उसने कांग्रेस का साथ दिया और कई जिलों में अपना कब्जा कर लिया, कई थानों पर कब्जा कर लिया और इस तरह से आन्दोलन को सफल बनाया। इसका अंजाम यह हुआ कि विलायत की जो मजदूर सरकार थी, वह हिन्दू मुसलमानों की एकता देखकर डर गयी और उसने हिन्दुस्तान को स्वतंत्रता दे दी। इस प्रस्ताव के द्वारा तो हम अपने उन पूर्वजों को श्रद्धांजलि प्रस्तुत कर रहे हैं जो बड़े बड़े क्रान्तिकारी व देशभक्त थे तथा जो फांसी पर लटक गये।

हमारे चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं। श्री रामप्रसाद बिस्मिल व श्री अशफाक उल्ला काकोरी केस के बानी मुबानी थे जिन्होंने चन्दा कर के हजारों रुपया जमा किया और काकोरी ट्रेन की डकैती कर के अंग्रेजों को थर्रा दिया और वह नाम पैदा किया कि जिस को सारी दुनिया जानती है। अशफाक का शेयर है---'तंग आके हम तो उनके जुल्म से बेदाद से, चल दिये सूयेअदम- जिन्दाने फैजाबाद से।' आज हम इस प्रस्ताव द्वारा उन क्रान्तिकारि के प्रति अपनी श्रद्धांजलि पेश करना चाहते हैं और श्रद्धान्जलि के प्रस्ताव कभी वापस

नहीं होते। हमारे सामने पूज्य महात्मा गांधी का चित्र है जिन्होंने कि हे राम ! कहकर अपने प्राण त्याग दिये। आज उन के सामने यह प्रस्ताव यहां पेश है। मैं चाहता हूं कि सन् १८५७ के गदर के समय से सन् ४२ तक के जितने भी आन्दोलन हुए हैं उनका इतिहास लिखा जाय और उसके लिखने में कोई भेदभाव न किया जाय। इतना कहने के बाद मैं यह कहते हुए समाप्त करूंगा कि हमारे महात्मा गांधी श्री राम के पुजारी थे और उनके चरणों की रज को हमने इन्हीं हाथों से लिया है यह कह कर कि बापू हमें बल दो कि हम यह न भूलें कि :—

"राम त्वदीय पदपंकजपंजरान्ते ।
अथैवमेविशतु मानस राज हंस ।
प्राणः प्रयाणसमये कफवातपित्तैः ।
कंठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते ।"

साथ ही हमको उचित है कि हम उन महापुरुषों का सम्मान करें। इस सदन में जो हमारे त्यागी भाई बहिन बैठे हैं, उन्होंने त्याग किया है, उन के सामने मेरा यह प्रस्ताव है। मैं उन से आशा करता हूं कि वह अवश्य इस को पारित करेंगे।

श्री अध्यक्ष—जिन के संशोधन हैं वे पहले बोल लें, समय कम है, वह भी ५ मिनट से अधिक न लें।

श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—श्रीमन्, इस प्रस्ताव के संबंध मेरे जो संशोधन हैं उनकी महत्ता मैं पहले ही बता चुका हूं।

श्री अध्यक्ष—चारों संशोधनों के बारे में आप पांच मिनट में बोलें।

श्री रामदुलारे मिश्र—मान्यवर, अपने संशोधनों के संबंध में और उनके महत्व के संबंध में उस दिन मैंने निवेदन किया था कि वे काफी महत्वपूर्ण हैं। यह सत्य है कि सन् ५७ में और उस के बाद जिन महावीरों ने अमर कृत्य किये वे हमारे सम्मान के पात्र हैं, उनमें से कुछ हमारे साथी भी हैं जिन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में सन् २०, ३०, ४० और "करो मरो" के आन्दोलन सन् ४२ में अपनी कुर्बानी की। इसके अलावा मेरठ, मैनपुरी षड्यंत्र केस है। सन् १९१८ में पं० गेंदा लाल दीक्षित के नेतृत्व में संघर्ष हुआ था, उसके बाद काकोरी के अमर शहीदों का नम्बर आता है जिनके केस की पैरवी बैकुंठवासी माननीय गोविन्द बल्लभ पंत ने की थी और उनके साथ हमारे मुख्य मंत्री श्री चन्द्रभानु गुप्त ने भी साहसपूर्वक कार्य किया था। ये सब उन्हीं महावीरों में आते हैं और उन्हीं के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करने के लिये हमने य संशोधन पेश किये हैं। हमारे संशोधन मूल प्रस्ताव से मिलते-जुलते हैं और काफी महत्वपूर्ण हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि प्रस्तावक महोदय तथा सदन मेरे इन संशोधनों को स्वीकार करने की कृपा करे।

***श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय . . .

श्री अध्यक्ष—इस पर १ बजे के अन्दर राय भी लेना है, इसलिये आप भी ५ मिनट से अधिक न लें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—माननीय नारायण दास जी ने जो प्रस्ताव रखा है वह एक साधारण सा प्रस्ताव है, उस में केवल सम्मान सूचक प्रमाण-पत्र देने की ओर उनको कुछ सुविधायें देने की बात कही गयी है। इस संकल्प पर बोलते हुए कुछ माननीय सदस्यों ने यह आलोचना की है कि सन् १८५७ के क्रांतिकारियों के परिवारों में अब ऐसे भी व्यक्ति हो सकते

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

हैं, जो वर्तमान स्वतंत्रता के युद्ध के विरोधी रहे हों, ऐसी शंका प्रस्तुत की है। लेकिन इस प्रस्ताव में ऐसी बात कही गयी है कि उन क्रांतिकारियों को उनके कार्य के लिये प्रमाणपत्र दिया जाय। वर्तमान उत्तराधिकारी चाहे जैसी हालत में हों लेकिन सन् ५७ के कार्यों के लिये यदि उन्हें प्रमाणपत्र दिया जाता है तो कोई अनुचित कार्य नहीं होगा और इसी प्रकार जो आवश्यक सुविधायें देने की बात कही गयी वह भी सरकार की इच्छा पर होगी। अगर वह समझती है कि उसके परिवार के सदस्य अब भी उस तरह के काम करने के लिये तैयार हैं तो वह किसी एक व्यक्ति को सुविधा दे सकती है और जिस व्यक्ति के कार्य उसके विपरीत हों उसको वह नहीं भी दे सकती है। ऐसे एक व्यक्ति को सुविधा देने में और इस बात का प्रमाणपत्र देने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये कि तुम्हारे पूर्वजों ने किसी समय ऐसा कार्य किया था।

तो मैं समझता हूं कि यह बहुत निर्विवाद है। इसलिये सरकार को इसे मान लेना चाहिये और मैं समझता हूं कि सदन इसे सर्वसम्मति से पास करेगा और सरकार इसके अनुसार कार्य करेगी।

श्री अध्यक्ष---माननीय न्याय मंत्री, आप ५-७ मिनट में कह लीजिये।

न्याय मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---मुझे तो जवाब देना है।

श्री अध्यक्ष---तो फिर २ बजे तक बोलिये क्योंकि १ और २ के बीच में राय नहीं ली जा सकती।

श्री हुकुमसिंह विसेन---तो जल्दी खत्म कर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस प्रस्ताव का संबंध है, उसके पीछे जो भावना है, मैं सरकार की तरफ से कहना चाहता हूं कि सरकार किसी से पीछे नहीं है। सरकार भी जिन लोगों ने १८५७ में सैक्रीफाइस की है उनके प्रति श्रद्धा रखती है। लेकिन जिस शक्ल में यह प्रस्ताव रखा गया है वह ऐसा वेग और अनिश्चित है कि यदि व्यावहारिक रूपसे इसे कार्यान्वित करने की चेष्टा की जाय तो वह हो भी नहीं सकता।

उधर से हमारे मित्र बलदेवसिंह जी ने कहा कि गोंडा के राजा देवीबख्श सिंह ने १८५७ में बड़ा त्याग किया और नैपाल चले गये और उनके वंशज राजा साहब मनकापुर हैं। गोंडा में न मालूम कितने लोग क्लेम करेंगे कि हम उनके वंशज हैं। तो कौन उसे तय करेगा? मैं भी विसेन ठाकुर हूं, मैं भी कहूंगा कि मैं भी उन्हीं में से हूं। तो इसको तय कौन करेगा?

माननीय नारायण दास पासी ने भी अपने जिले के दो-चार बड़े-बड़े आदमियों के नाम बताये लेकिन जिस शक्ल में यह प्रस्ताव रखा गया है वह तो हर एक व्यक्ति पर जिसने कि १८५७ में सैक्रीफाइस की लागू होगा। राजा देवी बख्श सिंह और तात्या टोपे वगैरह जो नेता थे, उनके पीछे न मालूम कितने सिपाहियों ने अपने आपको बलिदान कर दिया। उन गरीबों का क्या हाल है, उनको कौन पूछेगा? अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो चन्द राजा महाराजा, जिनको कि नारायणदास जी हमेशा बुराई किया करते थे, आज न मालूम कौन-सा जाल उन पर चल रहा है कि वह बड़े जोरदार शब्दों में उन बड़े आदमियों की पूजा करना चाहते हैं और जब सीलिंग बिल हमने पेश किया था तो कहा गया था कि हुकुम सिंह बड़े आदमियों की मदद करना चाहते हैं। तो इस प्रस्ताव से क्या होगा? उन गरीबों का कोई पता नहीं लगेगा जिन लाखों सिपाहियों ने अपनी जानें गवायीं, उनका कोई नामोनिशां नहीं रहेगा और जो बड़े बड़े हैं उनको ही फायदा हो सकेगा।

मोतीलाल जी ने तो यहां तक कहा कि दत्तक पुत्रों के उत्तराधिकारी को भी मिले। असली पुत्र का तो पता नहीं चलता, तो दत्तक पुत्र का क्या पता चलेगा? इस तरह से उसे अव्यावहारिक कर दिया है।

श्री रामचन्द्र विकल ने कहा कि उनकी प्रापरटी सब रेस्टोर कर दी जाय। जमींदारी खत्म हो गई, सब भूमिधर और सीरदार हो गये, अब वह प्रापरटी कहां से लायें? क्या भूमिधर को बेदखल करें, सीरदार को बेदखल करें? नहीं कर सकते हैं। हमारी पूरी हमदर्दी उन छोटे किसानों के साथ है, जिनको जमींदारी समाप्त होने के बाद जमीन मिली है, मैं उनको बेदखल नहीं कर सकता हूं। कोई कहे मैं ऐसा प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता जिसका नतीजा यह हो कि हमारे देश के लाखों की तादाद में भूमिधर और सीरदार बेदखल हो जायं।

मैं क्या बताऊं, जगन्नाथ लहरी जी ने कहा कि अनुशासन जो कांग्रेस पार्टी रखना चाहती है, इससे कांग्रेस पार्टी मिट जायगी। मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व महज अनुशासन मानने पर ही है। जो अनुशासन न माने उस आदमी के लिये कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं है। अनुशासनहीनता हमारी कांग्रेस कभी पनपा नहीं सकती।

जो लोग मूवमेंट में शरीक नहीं हुए वह भी लम्बी, चौड़ी बातें करते हैं गोया वही शहीद हैं और हम कुछ नहीं हैं। हमको तो काम करना पड़ता है, देखते हैं कि कैसे इमप्लीमेंट करेंगे? और अगर इस सदन का आदेश होता है तो वह हमारे लिये शिरोधार्य होगा। यह प्रस्ताव व्यावहारिक नहीं है, इसमें बहुत दिक्कतें हैं। भावुकता में आकर सीमा पार कर जाना दूसरी बात है, लेकिन जो जरा भी सावधानी से विचार करेंगे वे समझेंगे कि यह प्रस्ताव अव्यावहारिक है, इसको कार्य रूप में इमप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। मैं नारायण-दास जी पासी की तारीफ करता हूं कि इस संकल्प को पेश करके सब को मौका दिया अपने दिल के उद्गार निकालने के लिये और अपने भी निकाले। मुझे आशा है कि अब वह इस संकल्प को मेहरबानी करके वापस ले लें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री अध्यक्ष--नारायणदास जी हैं नहीं। अतः पहले मैं प्रस्ताव पर राय लूंगा और अगर प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तो जो संशोधन हैं उन पर राय लेकर उनको जोड़ दिया जायगा। अगर प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया तो फिर सभी संशोधन अस्वीकृत समझे जायेंगे।

प्रश्न यह है कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि सन् १८५७ ई० में चलाये गये स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों, क्रांतिकारियों और देश भक्तों के परिवारों को जिनकी सम्पत्तियां जब्त हो गयीं अथवा जो अपने घरों से निष्कासित किये गये अथवा जो लूटे फूंके गये, अथवा नेपाल की तराई और प्रदेश के भिन्न-भिन्न स्थानों में भयंकर दुख उठा रहे हैं उनको राष्ट्रीय सम्मान सूचक प्रमाण-पत्र दिये जायं और राजनीतिक पीड़ितों की भांति आवश्यक सुविधायें दी जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गई।)

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--श्रीमन्, वैसे तो आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। लेकिन थोड़ा संदेह है। अगर यह प्रस्ताव इस स्वरूप में स्वीकार हो गया तो फिर संशोधन कैसे लिये जायेंगे?

श्री अध्यक्ष--दोनों तरीके होते हैं। नियम यह है, आप २८५ देखिये, इसमें दिया है कि संशोधन किस तरह से पेश किये जायेंगे। अध्यक्ष को यह अधिकार है कि किसी प्रस्ताव के ऊपर वह, जो मूल प्रस्ताव है, उसको पहले ले ले या संशोधनों को पहले ले ले। किसी को भी पहले ले सकता है। तो मैं इसमें सहूलियत समझता हूं। इसीलिये मैंने यह मौका दे दिया कि अगर मूल प्रस्ताव पहले ले लिया जाता है और वह स्वीकार हो जाता है तो उसका अर्थ यह होगा कि वह स्वीकार हुआ है, सब्जेक्ट टू दि अमेंडमेंट्स अगर पास हो जायं। इसीलिये मैंने पहले ही साफ कर दिया कि अगर यह पास हो जाता है तो अगर कोई अमेंडमेंट उसके बाद स्वीकार हो जाता है तो वह उसमें जुड़ जायगा।

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि सन् १८५७ ई० में चलाये गये स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों, क्रांतिकारियों और देश भक्तों के परिवारों को, जिनकी सम्पत्तियां जब्त हो गयीं अथवा जो अपने घरों से निष्कासित किये गये अथवा जो लूटे-फूंके गये, अथवा जो नैपाल की तराई और प्रदेश के भिन्न-भिन्न स्थानों में भयंकर दुख उठा रहे हैं, उनको राष्ट्रीय सम्मान सूचक प्रमाण-पत्र दिये जायं और राजनैतिक पीड़ितों की भांति आवश्यक सुविधायें दी जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर सदन का विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार प्रस्वीकृत हुआ--

पक्ष में---२३,
विपक्ष में---११६।)

श्री अध्यक्ष---अब ये सब संशोधन भी गिर गये। अब माननीय आचार्य दीपंकर अपना प्रस्ताव पेश करेंगे।

तीन एकड़ से कम भूमि वाले किसानों से लगान वसूल न करने के सम्बन्ध में संकल्प

*आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं :---

"यह सदन यह निश्चय करता है कि तीन एकड़ से कम भूमि रखने वाले किसानों से लगान वसूल न किया जाय और चकबन्दी योजना में ऐसी व्यवस्था की जाय कि प्रत्येक भूमिहीन को आबादी के लिये भूमि मिल सके।"

(इस समय १२ बज कर ५९ मिनट पर, अधिष्ठाता, श्रीमती चन्द्रावती, पीठासीन हुईं।)

माननीया, आज इस सदन में तीन एकड़ से कम भूमि रखने वाले किसानों से लगान वसूल न करने के संकल्प को प्रस्तुत करते हुये मेरा यह इरादा नहीं है कि मैं छोटे किसानों के लिये या तीन एकड़ से कम भूमि रखने वाले आम किसानों के लिये किसी दया की भावना से ऐसी मांग प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं यह नहीं कहता हूं कि उनके ऊपर किसी प्रकार की दया की जानी चाहिये या तीन एकड़ से कम भूमि रखने वाले छोटे किसान हमारी और इस सदन की कृपा के पात्र हैं और उनको यह दी जानी चाहिये। विपरीत इसके मैं यह अनुभव करता हूं कि हमारी पूरी की पूरी आर्थिक व्यवस्था के विकास के लिये जिससे कि हमारा पूरा अर्थ-तंत्र अपने ऊपर टिक सके और उसमें जो रोजाना किसी न किसी प्रकार का आर्थिक संकट आता है उसके निवारणार्थ हमें अपने प्रदेश की बहुसंख्यक जनता और किसानों में जिनका बहुत बड़ा प्रतिशत है, उनको आर्थिक दृष्टि से अपने पांव पर खड़ा करने के लिये इस प्रकार की योजनाओं को अमल में लाना जरूरी है, जिससे वे अपने आर्थिक साधनों का विकास करें और अपनी आर्थिक जिन्दगी के स्तर से समाज को किसी न किसी प्रकार योगदान कर सकें।

एक लम्बे अरसे से हम देखते चले आ रहे हैं कि आम तौर पर किसान की आर्थिक जिन्दगी कमजोर होती चली जा रही है। उसमें जहांतक छोटे किसान का संबंध है तीन एकड़ या उसके आस-पास भूमि रखने वाले, पांच एकड़ तक भूमि रखने वाले, जहां तक छोटे किसानों का संबंध है, उनकी गरीबी लगातार बढ़ती चली जा रही है। अगर हम आज इसकी विवेचना करें कि किसान की आर्थिक जिन्दगी में उन्नति हुई है या गुरबत बढ़ी है तो एक ही तरीके से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। वह यह है कि पैदावार के साधन किसान के पास कितने आये हैं। किसान की आर्थिक जिन्दगी जितना इस बात पर मुनहसर करती है कि खेती की कितनी मात्रा है, उससे अधिक उसकी आर्थिक जिन्दगी में तरक्की का पता इस बात से चलता है कि पैदावार के साधन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसके पास कितने बढ़े हैं। इन साधनों में सब से बड़ा साधन बैल होते हैं। अगर ५० वर्ष का रेकार्ड देखा जाय तो हम यह अनुभव करते हैं कि जितनी मात्रा में किसान की संख्या बढ़ी है और खेती के अन्य साधन बढ़े हैं, उसके अनुपात में बैलों की संख्या नहीं बढ़ी है। मैं मिसाल के तौर पर कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। १९४० में कृषि के पशुओं की संख्या १,३७९ लाख थी, वहां १९४५ में यह संख्या १,३६७ लाख हो गयी। १९५१ में एक लम्बे अरसे के बाद १,५५० लाख संख्या हुई और १९५६ में भी वह १,५७९ रही। इस प्रकार हम देखते हैं कि पिछले बीस वर्षों में हमारे भारतवर्ष में--मैंने यह पूरे भारतवर्ष के आंकड़े प्रस्तुत किये--किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार बैल नहीं रख पाये हैं। उसके साथ-साथ जहां तक अन्य साधन हैं, मिसाल के तौर पर बैल के द्वारा चालित हल और गाड़ी को ले लें उनकी संख्या में अधिक वृद्धि हुई है। १९५१ में हलों की संख्या ३२७ लाख थी, १९५६ में ३८३ लाख हो गयी। गाड़ियों की संख्या १९५१ में ९८ लाख थी और १९५६ में १०७ लाख हो गयी। इसी प्रकार कोल्हू १९५१ में ५.५ लाख थे और १९५६ में ५.४५ लाख हुए। इस बात से दो बातें प्रमाणित होती हैं। एक तो यह कि जहांतक गाड़ियों और हलों की सख्या का बढ़ना है वह यह साबित करता है कि इस बीच में किसानों में अलहदा होने की प्रवृत्ति बहुत जोरों से पैदा हुई। जैसे-जैसे ही समय बढ़ा, भाई भाई अलग होने की तरफ अग्रसर हुए। मगर इस बीच में जहां उन्होंने हलों और गाड़ियों की संख्या बढ़ाई, बैलों की संख्या नहीं बढ़ायी।

इन आंकड़ों से यह बात प्रमाणित है कि हमारे देश में बैलों की संख्या नहीं बढ़ी है। उसका नतीजा यह है कि हमारे देश में जब छोटे-छोटे किसानों की तादाद इतनी बड़ी संख्या में बढ़ी तो उसके साथ-साथ उनके पास भूमि भी बहुत कम रह गयी। जिनके पास एक इंच भी भूमि नहीं है, उन किसानों की संख्या १९ प्रतिशत है। जिनके पास एक एकड़ तक भूमि है उनकी संख्या १३.६ प्रतिशत है और एक से ढाई एकड़ तक के किसानों की संख्या १७.३ प्रतिशत है यानी ढाई एकड़ तक किसानों की संख्या ५० फीसदी है। वहां उनके पास भूमि सिर्फ ५.६ प्रतिशत है और इसी प्रकार यदि हम यह देखें कि जिन किसानों के पास २५ एकड़ से ज्यादा भूमि है उनकी संस्था कितनी है तो वह कुल मिलाकर उनकी संख्या मुश्किल से साढ़े चार प्रतिशत है और उनके पास जमीन ३४ प्रतिशत है। इस प्रकार यह जो भूमि की विषमता है, यद्यपि भूमि-सुधार कानून बहुत बड़ी तादाद में हमारे देश और प्रदेश में लागू किये गये हैं लेकिन फिर भी भूमि की जो विषमता है, वह कायम है। बावजूद इसके कि भूमि के बंटवारे के सिद्धांत को भी स्वीकार किया गया है और भूमि की अधिकतम सीमा का आरोपण भी कानून पास करके किया गया है, लेकिन फिर भी जहां तक भूमि सीमा की विषमता का प्रश्न है उसमें किसी प्रकार की कमी न आयी है और न इन कानूनों के द्वारा आने की संभावना है।

मैं आप के द्वारा यह बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि आज जैसे-जैसे भूमि सुधार कानून लागू हुए हैं, उन कानूनों के लागू होने का असर हमारे देश की कृषि के ऊपर एक ही पड़ा है और वह यह कि नये सिरे से भूमि के ऊपर एकाधिकारी प्रवृत्तियों का उदय हुआ है। पहले ये एकाधिकारी प्रवृत्तियां, जिनके द्वारा ज्यादा से ज्यादा भूमि कम से कम लोगों के पास संचित होती थी, एक फ्यूडल किस्म का, सामन्ती प्रकार का एकाधिकारवाद था। लेकिन जब से ये भूमि सुधार कानून लागू हुए हैं और जब से राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई है, तब से पुराने क्लासिकल किस्म के फ्यूडलिज्म पर प्रतिबन्ध लगा और किन्हीं अंशों में उसको समाप्त किया गया, जिससे पुराने किस्म का एकाधिकारवाद यद्यपि अब रुक गया है, लेकिन प्रकारान्तर से उसकी परिधि ज्यों की त्यों है। वह एक व्यक्ति के नाम से जो अधिक भूमि की मात्रा थी वह अब एक व्यक्ति से हटकर एक परिवार के नाम पर हो गई है, इतना जरूर संशोधन हुआ है। इसके साथ-साथ एक नये पूंजवादी ढंग का जो एकाधिकारवाद होता है उसका उदय हमारे कृषि-तंत्र में हुआ है। उसका परिणाम यह है कि आज हम चाहे जितने भी कानून क्यों न बनायें,

[आचार्य दीपंकर]

चाहे जितनी भी घोषणाएं क्यों न करें और चाहे सरकार कितना भी दावा क्यों न करे कि हम कृषि-तंत्र में से पुराने प्रकार की विषमता का निवारण करना चाहते हैं और समाज को एक स्वस्थ अर्थतंत्र के ऊपर खड़ा कर के अपनी खेती के विकास की तरफ अग्रसर करना चाहते हैं। परन्तु यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि पुराना जो एकाधिकारवाद था जिसमें कि ज्यादा जमीन थोड़े से लोगों के पास इकट्ठी होती जाती थी, वह चाहे बदल गया हो, लेकिन उसकी जगह एक नये पूंजीवादी ढंग का एकाधिकारवाद आ रहा है जिसमें कि परिवार ने एक व्यक्ति का स्थान ले लिया। मैं यह बात आप से कहूं कि जैसे शुरू शुरू में अमरीका में पुराने फ्यूडल तरीके की गैरहाजिरी में, क्योंकि अमेरिका में फ्यूडलिज्म कभी नहीं रहा जिसकी समाप्ति करके, नयी कृषि व्यवस्था की स्थापना हुई हो, सीधे-सीधे कबीलों से बदल करके एक पूंजीवादी सिस्टम वहां आया और धीरे-धीरे थोड़े लोगों के पास जमीन इकट्ठी होती गई और ज्यादा से ज्यादा आदमी खेतिहर मजदूर होते गये। उसी प्रकार आज हमारे देश और प्रदेश में भी वही प्रवृत्ति बड़े जोरों से काम कर रही है।

मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि यद्यपि हमारी सरकार और उसके मंत्रिगण इस बात की बार-बार घोषणा करते हैं कि वह खेती-बारी में ज्यादा से ज्यादा समानता लाना चाहते हैं और ऐसे तरीके अख्तियार करना चाहते हैं कि जिससे लोगों की भूमि उनके हाथों से निकलकर दूसरों लोगों के पास न आये लिहाजा उसके लिये बहुत कानून भी बनाये गये और बेदखली के पुराने तरीकों को भी रोका गया लेकिन फिर भी मैं यह बात आप से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि सरकार को यह सोचना चाहिए कि यद्यपि पुराने सामन्ती किस्म की बेदखली खत्म हो गई है लेकिन आज आर्थिक मजबूरी किसान के सामने ऐसी पैदा हो रही है कि जिसके कारण छोटी छोटी जोतों को अपने पास रखना उसके लिये असम्भव होता चला जा रहा है। इसीलिये आज हम धीरे-धीरे यह बात देखते हैं कि किसान, जिसके पास एक या दो या तीन एकड़ जमीन है, वह उस जमीन के सहारे न तो गुजरबसर कर सकता है और न उस जमीन को वह छोड़ सकता है। इसलिए कि आज हमारे देश या प्रदेश में वह आर्थिक परिस्थितियां नहीं हैं जिनमें खेती का उखड़ा किसान दूसरी जगह जाकर रोजगार हासिल कर सके। लिहाजा वह खेती से चिपका रहता है। अगर २, ३ एकड़ जमीन इतनी कम है कि उसके ऊपर उसका गुजारा नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर किसी किसान के पास २ एकड़ जमीन है या ३ एकड़ तक जमीन है तो उस पर वह २ बैल नहीं रख सकता। अगर वह २ बैल रखता है तो उसको मरे-मरे २ बैल रखने पड़ेंगे जो अगर बैठ जाते हैं तो उठते नहीं हैं और अगर उठ जाते हैं तो बैठते नहीं हैं। मजबूरन उसको एक बैल रखना पड़ेगा। यदि वह एक बैल रखता है तो पुराने काश्तकारों की जो सहकारिता थी, जिसको साझा कहते हैं, उसको करने के लिये आप उसे मजबूर करते हैं। लेकिन आज इस पूंजीवादी समाज में, जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर विश्वास नहीं रखता है वहां वह चीज चलना कठिन है। उस पुराने समाज में यद्यपि सौ त्रुटियां थीं परन्तु फिर भी उस समाज में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर भरोसा था और वहां एक दूसरे की बात पर दूसरा व्यक्ति भरोसा कर सकता था। आज पूरे समाज में अविश्वास फैला हुआ है। इन छोटे-छोटे किसानों के लिये, जिनके पास दो एकड़ भूमि है या एक बैल है, साझा करके हल चलाना मुश्किल हो गया है। वास्तव में, हमारे प्रदेश में करीब ३६ प्रतिशत ऐसे किसान हैं जिनके पास एक ही बैल है। पूरे हिन्दुस्तान के आंकड़े देखे जाय तो एक बैल रखने वाले किसानों की संख्या ३०, ३५ प्रतिशत से कम नहीं है।

ऐसी स्थिति में जिन किसानों के पास एक ही बैल है और २॥ एकड़ तक जमीन है ऐसे किसानों की संख्या हमारे देश में करीब-करीब ५० फीसदी है। यदि हम ५ एकड़ को अनइकोनामिक होल्डिंग मान लें, सरकार तो मानती ही है और उनका कहना है कि ६। एकड़ भूमि रखने वाले किसान अनइकोनामिक होल्डिंग वाले हैं, तो उसकी जोत से उनको लाभ नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जो किसान ५ एकड़ तक भूमि जोतते हैं उनकी संख्या हमारे प्रदेश में बहुत बड़ी है यानी करीब-करीब उनकी संख्या ६८ फीसदी है। जहां तक जमीन का ताल्लुक है

उनके पास करीब-करीब १५ फीसदी जमीन है। १५ फीसदी जमीन वालों पर सरकार लगान छोड़ती है तो उस लगान की मात्रा १५ फीसदी होगी लेकिन जिनको राहत मिलेगी लगान छोड़ने से उनकी तादाद हमारे प्रदेश में करीब-करीब ६७.९ फीसदी है यानी करीब-करीब ६८ फीसदी है।

अगर ५ एकड़ की बात छोड़ दी जाय और २।। एकड़ की बात कहें तो २।। एकड़ की जनसंख्या हमारे प्रदेश के किसानों की करीब-करीब ५० फीसदी बैठती है। अगर ३ एकड़ भूमि रखने वाले किसानों का औसत देखा जाय तो उनकी जनसंख्या कुल किसानों में करीब-करीब ५७ फीसदी है। अगर मान लीजिये कि ५ एकड़ भूमि रखने वाले किसानों का हिसाब देखें तो सरकार को केवल लगान ५ फीसदी छोड़ना पड़ेगा और फायदा हो जायगा ६८ फीसदी किसानों को। ३ एकड़ के किसानों का नियम आप स्वीकार कर लें तो ५७ फीसदी किसानों को उस लगान से छुटकारा मिल जायगा और ३।। फीसदी सरकार के लगान पर असर पड़ेगा। ऐसी स्थिति में मैं यह उचित समझता हूं कि अब यह जो प्रश्न हमारे सामने आता है, अगर मान लीजिये कि हम लगान माफ कर दें जमीन की जोत के हिसाब से तो उसकी मात्रा ३, ४ फीसदी से ज्यादा नहीं है और सरकार को विशेष नुकसान भी नहीं है। इसी तरीके से उसको यदि दूसरी तरह से देखा जाय तो किसानों को कम फायदा नहीं है।

मैं आपसे यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि आर्थिक दृष्टि से इसकी मात्रा बहुत कम होगी। जहां आप २०, २२ करोड़ रुपया वसूल करते हैं लगान का, उसमें ज्यादा से ज्यादा ५० लाख से लेकर ९० लाख तक और ज्यादा से ज्यादा एक करोड़ तक सरकार को छोड़ना पड़ सकता है। लेकिन उसके लिये हम पूरे समाज में एक भावना तैयार करते हैं उनके लिये जो छोटे छोटे किसान हैं, अनइकानामिक होल्डिंग वाले हैं, जिनके सम्बन्ध में मन्त्री जी कहते हैं कि उनको अपनी खेती से लाभ नहीं होता है, जो अलाभकर खेती करते हैं, जो मुश्किल से अपनी गुजरबसर कर पाते हैं। ऐसे लोगों से फ्यूडल सरकार तो टैक्स वसूल कर सकती थी या ऐसा काम साम्राज्यवादी सरकार कर सकती थी, लेकिन जो सरकार अपने को लोककल्याणकारी सरकार कहती है उसके लिये आर्थिक दृष्टि से यह गलत है ही मगर नैतिक दृष्टि से भी और लोककल्याणकारी भावना की दृष्टि से भी यह वास्तव में असंगत और अन्यायोचित है।

माननीया, मैं इसके साथ यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि बीच-बीच में जो बहुत सी सहूलियतें सरकार किसानों को देती है, उसकी दृष्टि से देखें तो आज हमारे प्रदेश में तेजी से यह भावना पैदा होती जा रही है कि जब शहरों में इनकमटैक्स आदि लगाने का सवाल आता है तो सरकार आमतौर से एक मात्रा निर्धारित कर देती है कि इससे कम जिनकी आमदनी होगी, उन पर टैक्स नहीं लगाया जायगा। बेहतर हो कि यह नियम देहात में भी लागू किया जाय। जिन किसानों के पास एक निश्चित मात्रा से कम भूमि है, उनसे किसी किस्म का लगान वसूल नहीं किया जाना चाहिये।

इसके अलावा एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। लगान की प्रणाली अर्थशास्त्र के अनुसार दो प्रकार की होती है। एक विशुद्ध लगान कहलाता है। जिस देश में डेमोक्रेसी नहीं है, जनता को राय देकर अपनी इच्छानुसार राजसत्ता बनाने का अख्तियार नहीं होता, जहां जनता अप्रत्यक्ष रूप से कानून नहीं बनाती है और अर्थशास्त्र के नियम नहीं निर्धारित करती, उन मुल्कों में लगान की प्रणाली विशुद्ध लगान कहलाती है और उसका मतलब यह है कि वहां इनकम के आधार पर अलग-अलग किसानों की आर्थिक स्थिति के आधार पर लगान नहीं होता बल्कि जमीन के अलग-अलग टुकड़ों पर लगान निर्धारित होता है और जितने टुकड़े जिसके पास होते हैं, उतने टुकड़ों का लगान जोड़कर वह किसान अदा करता है। इग्लैंड और फ्रान्स में डेमोक्रेसी आने से पहले इसी प्रकार की लगान की व्यवस्था थी। लेकिन जब उन देशों में एक नया सिस्टम आया, डेमोक्रेसी आयी, संसदीय जनतांत्रिक प्रणाली आयी, नये आर्थिक नियमों का उदय हुआ, उस के साथ-साथ वहां पर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की नीति चालू हुई। यह प्रोग्रेसिव

[आचार्य दीपंकर]

टैक्सेशन की नीति, क्रमशः वृद्धिशील करों के नियम अगर जिन्दगी के बाकी अंकों पर लागू होते हैं तो खेती पर भी क्यों न हों ? सरकार भी इस सिद्धांत को स्वीकार करती है। लेकिन उसके अपने जो दकियानूसी हित हैं उन्हीं के दृष्टिकोण से वह उनका निर्धारण करती है। मिसाल के तौर पर जिनके पास ज्यादा से ज्यादा जमीन है, एक हजार एकड़, दो हजार एकड़, दस हजार एकड़ जमीन जिसके पास है, सरकार ने उनपर बृहत जोतकर अधिनियम के अनुसार टैक्स लगाया और उसमें जैसे-जैसे जिसके पास होल्डिंग बढ़ती जाती है, उसके अनुसार टैक्स भी बढ़ता जाता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर लार्ज स्केल होल्डिंग के लिये एक नियम है, तो . . . .

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह त्रिसेन)---अब नहीं है।

आचार्य दीपंकर---मैं उसी पर आ रहा हूं। तो एक उसूल पर अमल करते हुए आपने जार्ज स्केल होल्डिंग के लिये एक नियम बनाया और जब वह समाज के एक हिस्से पर लागू होता है तो उसी उसूल के मातहत समाज के दूसरे हिस्से के लिये भी कानून होना चाहिये। मैं यह चाहता हूं कि यही नियम छोटे किसानों के लिये भी लागू होना चाहिये। जिसके पास जमीन कम हो उससे कम लगान लिया जाय और जितनी मात्रा में जमीन कम होती जाय, लगान भी उतनी मात्रा में कम होता जाना चाहिये। ऐसी मेरी मान्यता है और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इस सिद्धान्त को स्वीकार करना चाहिये और डेमोक्रेसी के जो नियम हैं, विकास के जो नियम हैं, उनके अनुसार सरकार को इस सिद्धान्त को स्वीकार करना चाहिये। अंत में एक जमीन की सीमा ऐसी भी होनी चाहिये कि जिस पर कोई लगान नहीं लिया जाना चाहिये। यह सीमा हो तो ५ या ६ एकड़ की होनी चाहिये, लेकिन सरकार जिस प्रकार दुराग्रह करती है उसे देखते हुए उससे किसी तर्कसंगत या जनहितकारी बात का स्वीकार करा लेना असंभव है। इस-लिये कम से कम भागते भूत की लंगोटी भली वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए मैं आपके सामने इस संकल्प के द्वारा तीन एकड़ की ऐसी सीमा को मान लेने की बात रखता है। यह सिद्धान्त ऐसा है कि जो सर्वमान्य हो सकता है और होना चाहिये। होना यह चाहिये कि ३ एकड़ तक भूमि रखने वाले किसानों से किसी प्रकार का लगान नहीं वसूल करना चाहिये।

माननीया, इसी प्रस्ताव में इसके साथ-साथ जो दूसरी चीज है, मैं उसकी तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। चूंकि उसको चकबन्दी के साथ जोड़ दिया गया है, इसलिये यह कुछ सीमित हो गया है। मेरे कलीग, माननीय मित्र ने इसमें जो संशोधन रखा है उस पर भी मैं अपने विचार आप के सामने रखूंगा किन्तु मैं उस पर माननीय सदस्य के भाषण को सुनने के बाद ही तफसील के साथ कुछ कहूंगा। तभी उन बातों का उत्तर देना मेरे लिये सम्भव हो सकेगा।

माननीया, चकबन्दी का जो ओरीजनल कानून था उसमें कुछ त्रुटि रह गयी थी, किन्तु बाद को उसमें संशोधन करके उस कमी को पूरा कर दिया गया। पहले के कानून के अनुसार चकबन्दी अधिकारी वही करता था जो किसान कहता था। चूंकि किसान सामूहिक इस्तेमाल के लिये जमीन को छोड़ना पसन्द नहीं करता था, इसलिये चकबन्दी अधिकारी उसी नीति का पालन करते थे। उसके बाद किसानों ने यह अनुभव किया कि सामूहिक इस्तेमाल के लिये यानी रास्तों आदि के लिये जमीन न छोड़ने से कितना कष्ट होता है। अब संशोधित कानून के मुताबिक इस बात का प्रावधान किया गया है कि सामूहिक इस्तेमाल के लिये, यानी पाठशालाओं के लिये, रास्तों के लिये तथा अन्य कामों के लिये जमीन छोड़ी जाय। परन्तु इसके साथ-साथ यह भी है कि गांव की भूमिहीन जनता के रहने के लिये भी जमीन छोड़ी जाय। इसके लिये भी नियम तो हैं लेकिन चकबन्दी अधिकारी जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं, वह सब बातें उन्हीं पर छोड़ दी गयी हैं और जो भी आपके कानून हैं जैसे पंचायत राज ऐक्ट वगैरह के सब एक तरह से इतने काम्प्ली-केशन्स से पैदा कर देते हैं कि गांव के भूमिहीन किसानों के रहने के लिये, हरिजनों की आबादी के लिये, जमीन मिलने की एक समस्या सी उठ खड़ी होती है। मैं सिद्धान्त रूप से माननीय

मोतीलाल जी के सिद्धान्त को स्वीकार करता हूं किन्तु मेरा प्रश्न जो है वह केवल यही है कि आबादी के लिये भूमि प्राप्त हो सके। उसके लिये सरकार को कोई अलग से कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है, जो सरकार का चकबन्दी कानून बना हुआ है उसी में थोड़ा सा संशोधन करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिये कानून में यह तो है कि जमीन छोड़ी जाय, मगर कहां छोड़ी जाय, यह कानन में नहीं है। अगर हरिजन पूर्व में हैं तो जमीन पश्चिम में छोड़ी जाती है और अगर वे लोग पश्चिम में हैं तो जमीन पूर्व में छोड़ी जाती है। एक दिन नहीं, आये दिन हम इस बात को गांवों में देखते हैं। इसलिये इसके लिये कानून में स्पष्ट रूप से प्राविजन होना चाहिये। (लालबत्ती होने पर) मुझे, माननीया, ३-४ मिनट का समय और दे दिया जाय।

तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमारा जो पुराना समाज था, उसमें भूमिहीनों को जमीन मिलने में कठिनाई नहीं हुआ करती थी। पुरानी परम्परागत रीतियों के अनुसार गांव का हर किसान भूमिहीन लोगों को भूमि देने में अपना गर्व समझता था। अगर वे भूमिहीन किसानों को बसाने के लिये कुछ जमीन देते थे तो वे इस बात में गर्व समझते थे और खुश होते थे। जब वे चौपालों में बैठते थे तो वे यह कह कर अपने को गौरवान्वित करते थे कि किसने कितनी जमीन किसको दी। आज जो नये-नये कानून हमारे सामने आये हैं उनसे यह तो जरूर हुआ कि कांग्रेस ने उस ओर एक कदम उठाया है, जनता को कुछ राहत मिली है, आज वे अपनी आवाज उठा सकते हैं, किन्तु अभी वे काफी नहीं हैं। आज सरकार एक कदम उठाती है, तो एक कदम बढ़ा कर फिर रुक जाती है और नतीजा यह होता है कि गरीब जनता पूरी तरह से लाभान्वित नहीं हो पाती। पहले समाज में लोग खुशी से किसानों को जो भूमिहीन होते थे जमीन दिया करते थे और जमीन ही नहीं उनको रहने के लिये, झोंपड़ी बनाने के लिये पैसा भी देते थे, फूस भी देते थे और उनकी झोपड़ी आबाद हो जाती थी। परन्तु आज स्थिति बिलकुल बदल गयी है। आज मजदूर किसी प्रकार का सहयोग पाने की स्थिति में नहीं है और आज उसके लिये एक इंच जमीन भी हासिल करना मुहाल है। आज से सौ वर्ष पहले जो एक चमार की, एक दस्तकार की, झोपड़ी बन गयी थी, आज १०० वर्ष बाद या ५० वर्ष बाद भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। यद्यपि उसमें रहने वालों की संख्या दुगुनी, चौगुनी और दसगुनी तक हो गयी है। माननीया, मैंने अपनी आंखों से देखा है और आपने भी देखा होगा कि गांव के मजदूरों की झोपड़ियों में जिनमें वह खुद रहते हैं उसी में उसकी मां, उसकी बहिन, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके भाई, उसकी पत्नी, उसके बच्चे सब रहते हैं, उसी में भैंस बंधती है और उसी में उसके दूसरे जानवर बंधते हैं। उसकी हालत इतनी दयनीय हो गयी है कि अगर उसके खिलाफ़ कोई आवश्यक कदम सरकार नहीं उठाती है तो उनकी जिन्दगी नरक हो चुकी है और आइन्दा और भी नरकमय होती जायगी। उनके पास पैसा नहीं है कि वे पंचायतों की जमीन जब नीलाम होती है तो वह नीलाम की बोली बोलकर जमीन ले सकें और उस पर अपनी झोंपड़ी बना सकें। यह उनके बस की बात नहीं है। जब कम्पेटीशन में बोली चढ़ने लगती है तो उसमें गांव के मजदूर के लिये आना असम्भव हो जाता है। इसलिये जहां सरकार सहायता के लिये बहुत से कदम उठाती है, सब्सीडी का रिजर्वेशन करती है, सीड के लिये रिजर्वेशन करती है, सीड में भी गांव के मजदूर को नहीं मिलता, जिनको मिलता है, उनकी तादाद १ परसेंट या डे परसेंट ज्यादा नहीं होती। लेकिन सरकार ऐसी सहायता करे, चकबन्दी कानून में ऐसी तरमीम करे कि गांव के हरिजनों और मजदूरों को बगैर पैसा दिये हुए, बगैर नीलाम की बोली बोले हुए, उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए और जो आज जमीन की परिस्थिति है उसको देखते हुए, उनको जमीन मिल सके। इस प्रकार का संशोधन कानून में होना चाहिये।

मैं यह संकल्प आपके द्वारा इस सदन में और माननीय मंत्री जी के सामने रखता हूं और आशा करता हूं कि सदन इस संकल्प के ऊपर ज्यादा गम्भीरतापूर्वक और वस्तुगत परिस्थितियों

[आचार्य दीपंकर]

को देखते हुये ग्राम की गरीब जनता की कठिनाइयों का अनुभव करते हुये, खास कर जो छोटे-छोटे ३ एकड़ से भी कम के किसान हैं उनके आर्थिक उत्थान के लिये, उनके मनोबल को ऊंचा करने के लिये और उनकी हिम्मत को बढ़ाने के लिये इस संकल्प को स्वीकार करेंगे।

श्री रामजीलाल सहायक (जिला मेरठ)---अधिष्ठात्री महोदया, मेरे इसमें २ संशोधन हैं पहले और तीसरे नम्बर पर। यदि आज्ञा हो तो साथ-साथ ले लूं।

श्री अधिष्ठाता---हां, आप दोनों एक साथ कर दीजिए।

श्री रामजीलाल सहायक---माननीया, मैं आप की आज्ञा से जो संकल्प आचार्य दीपंकर जी ने रखा है उस में निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं:---

"संकल्प की दूसरी पंक्ति के शब्द 'वसूल न किया जाय' के स्थान पर शब्द 'उनकी उपज के आधार पर लिया जाय' रख दिया जाय। तथा 'संकल्प की दूसरी पंक्ति के शब्द ऐसी' के स्थान पर शब्द 'अनिवार्य रूपेण' रख दिया जाय।"

मेरे इन दोनों संशोधनों के अनुसार इस संकल्प का रूप इस प्रकार हो जायगा:---

"यह सदन यह निश्चय करता है कि तीन एकड़ से कम भूमि रखने वाले किसानों से लगान उनकी उपज के आधार पर लिया जाय और चकबन्दी योजना में अनिवार्य-रूपेण व्यवस्था की जाय कि प्रत्येक भूमिहीन को आबादी के लिए भूमि मिल सके।"

इस संकल्प के २ पहलू हैं। पहला भाग तो यह है कि जिन किसानों के पास तीन एकड़ से कम भूमि है उनसे लगान न लिया जाय, मैं माननीय प्रस्तावक महोदय की इस बात से सहमत नहीं हूं। भूमि चाहे कम हो या अधिक, मेरा ऐसा निश्चित मत है कि यदि हम अपनी बुद्धि अपनी कौशल से और अपनी योग्यता के अनुसार कहीं काम नहीं करेंगे तो चाहे कितनी ही अच्छी भूमि क्यों न हो उत्पादन नहीं बढ़ेगा और ऐसी सूरत में जिन किसानों के पास तीन एकड़ से कम जमीन हो उनसे लगान न लिया जाय मैं इस बात को उचित नहीं समझता हूं। फिर दूसरी बात यह भी है कि आज देश में निर्माण के अनेक कार्य हो रहे हैं और हम देश को निर्माण की दिशा में आगे ले जा रहे हैं। ऐसी हालत में इस बात को उठाना कि कौन आदमी कितना लगान दे, कौन नहीं दे, मैं अच्छा नहीं समझता। यह देश के लिये कोई अच्छी बात नहीं है। आचार्य जी ने स्वयं अपने भाषण में कहा कि मैं किसानों की तरफ से कोई अपील नहीं करता, न कोई भीख मांगता हूं। मुझे प्रसन्नता है उनकी इस बात से और मैं समझता हूं कि जब वह इस बात को कबूल करते हैं कि ३ एकड़ से कम भूमि रखने वाले किसान किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते तो मैं समझता हूं कि वह मेरी इस बात से सहमत होंगे कि लगान माफ़ न किया जाय, बल्कि उपज के आधार पर लिया जाय।

माननीया, हमारे देश में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। जब इतना काम हो रहा है देश की जनता ने, गरीबों ने और मजदूरों ने ऐसे उदाहरण पेश किये हैं और जिससे देश की भलाई का काम किया गया हो और जब हमारे सामने ऐसे उदाहरण हों कि जब महाराणा प्रताप को आवश्यकता हुई तो देश के उत्थान के लिये भामाशाह आगे आये, तो यह कोई नयी बात नहीं है। हमारे यहां एक पौराणिक कथा है। देश में भयानक अकाल पड़ा, बहुत से ऋषी मुनि इकट्ठा हुए। उन्होंने सोचा कि किस प्रकार इन्द्र को प्रसन्न किया जाय जिससे वर्षा हो और फसलें अच्छी हों। यह तय किया गया कि एक बड़ा भारी यज्ञ किया जाय और उसमें नर बलि चढ़ाई जाय। जब यह प्रश्न सबके सामने उपस्थित हुआ तो सब जमीन कुरेदने लगे, बलि देने के लिए कोई सामने नहीं आया। तब एक किसान नवयुवक, १८--१९ वर्ष का खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं तैयार हूं, मेरी बलि चढ़ाई जाय। जिस देश में इस प्रकार के उदाहरण हों तो देश के लिए लोग बड़े से बड़े बलिदान कर सकते हैं। फिर यदि हम आज किसान के सामने यह रखें कि लगान न लिया जाय तो यह ठीक नहीं होगा। हमारे यहां जितने भी स्वतंत्रता संग्राम चले

उन सब में किसान आगे आया और उसने देश की आजादी के लिए सब कुछ त्याग किया। तो मैं समझता हूं कि हमारे देश के किसान या मजदूर किसी भी बात में कम नहीं हैं कि वह देश के निर्माण के युग में पीछे रह सकें। मेरा निश्चित मत है कि वह चाहे कितने ही भूखे हों, गरीब हों, लेकिन फिर भी देश के निर्माण के कार्यों के लिये हर्ष से त्याग करेंगे और उनसे जो कुछ बन पड़ेगा वह अवश्य देंगे। इसलिए किसान की तरफ से यह बात कहना कि उसका लगान कम किया जाय, मैं समझता हूं यह उसका अपमान करना होगा।

फिर मैं आचार्य जी की सेवा में निवेदन करूं कि यह मान लेना कि ३ एकड़ से कम भूमि वालों की उपज या उत्पादन कम होता है, उनकी स्थिति अच्छी नहीं होती, यह भी गलत मालूम पड़ता है। दो उदाहरण मेरे पास हैं। इलाहाबाद में एक माली है जिसके पास केवल ४ बिस्वे जमीन थी और ६ आदमियों का परिवार, सब का वह पालन करता था। उसी में उसने शादियां कीं और मकान बनवाया। रहस्य यह था कि वह ऐसी चीज उस जमीन पर पैदा करता था जो मंहगी बिकती थी। जब भिंडी डेढ़ रुपये सेर बिकती तो उसकी जमीन पर तैयार रहती और इसी तरह से वह गुजारा करता था। मैं यह भी आचार्य जी की सेवा में निवेदन करूं कि मेरठ में भी एक किसान है, गांधी आश्रम के सामने उसका ४ बीघे का खेत है। उसके दो कुएं हैं, एक पक्का और एक कच्चा जिस पर उसने रहट लगाया है। उस थोड़ी सी जमीन से उस माली ने एक पक्का मकान बनाया है, ४ लड़कियों की अच्छी शादी की और अच्छी शिक्षा लड़कों को दी है, दो अच्छी जगह पर हैं। तो हम यह नहीं कह सकते कि थोड़ी जमीन कम उत्पादन करती है। जमीन अधिक हो या थोड़ी, लेकिन हमें इतनी कुशलता और योग्यता से काम करना चाहिए कि उपज बढ़े। वैसे तो किसी के पास हजारों एकड़ जमीन भी हो जाय और वह उस पर काम न करे तो कुछ भी पैदा नहीं होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर लगान माफ करने की बात नहीं आती, बल्कि उसकी उपज के आधार पर लगान लिये जाने की बात आ सकती है।

मैं जानता हूं कि हमारे गांव में लगभग २० वर्ष पहले जब जमींदारी प्रथा थी, दो चार अच्छे किसान, मुखिया, गांव का नम्बरदार और जमींदार एक आदमी, ये सब खेत पर जाकर खड़ी फसल को आंक लिया करते थे कि इस खेत में ५० मन गेहूं होगा और उसी के हिसाब से कह दिया करते थे कि तुमको दस मन लगान में देना है। आज यह बात मुश्किल हो सकती है। लेकिन शरह पर हम लगान तय कर सकते हैं कि अगर किसी किसान के खेत में यह मालूम हो जाय कि दस मन गेहूं होगा तो उसकी कीमत लगा दीजिये और उसी शरह पर लगान लगा दीजिये। इस तरह से आचार्य जी की जो मंशा है कि किसानों पर बोझ न पड़े, थोड़ी जमीन वाले किसानों की अच्छी स्थित हो सके, वह मंशा पूरी हो जायगी और लगान घटाने की बात नहीं आयेगी। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस रूप में इस संकल्प को देखे कि जिनके पास तीन एकड़ से कम भूमि है उनके पास जो उपज हो उसके आधार पर एक दर नियत करके उनसे लगान लिया जाय। ऐसी दशा में उनकी अवस्था अच्छी होगी और उनकी दशा सुधरेगी।

इस संकल्प का दूसरा पहलू यह है कि जो लोग भूमिहीन हैं उनको आबाद होने के लिये जमीन दी जाय। मान्यवर, हमारे यहां चकबन्दी कानून बना। मूल कानून में ही इस बात की व्यवस्था की गयी कि गांव वालों के उपयोग की जितनी जमीन हो वह छोड़ी जाय। दुबारा उसमें संशोधन किया गया, उसमें भी इस बात की व्यवस्था की गयी कि गांव की आबादी के लिये भी जमीन छोड़ी जाय। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में चकबन्दी हुई है, कुछ जरा सी अभी बाकी है। वहां पर कई गांवों में गरीबों को बसाने के लिये जमीन छोड़ी गयी। लेकिन आज तक बावजूद मेरी भी तमाम कोशिशों उसमें से एक मकान भी बनवाने के लिये जमीन नहीं दी गयी। इस चीज को एक प्रकार से कानून की नाफर्मानी कहा जा सकता है या यह कहा जाय कि हमारे अफसरों की एक अजीब हालत है या फिर यह कहा जाय कि हमारा कानून इतना लचर है कि जो चीज हम तै करते हैं वह भी पूरी नहीं हो पाती है।

श्री मोती लाल अवस्थी (जिला कानपुर)---स्थान का नाम भी बता दीजिये।

श्री रामजीलाल सहायक---सरथना तहसील में महादेव ग्राम में मुझे बताया गया कि वहां हरिजनों को बसाने के लिये जमीन छोड़ी गई, लेकिन आज तक किसी को जमीन नहीं दी गई। जमीन पड़ी हुई है। गांव पंचायत का जो प्रधान है वह उस जमीन को अपने मन से इधर-उधर कर रहा है। इसी प्रकार से इसी तहसील में एक ग्राम सथना इन्दर सिंह है। वहां पर भी जमीन छोड़ी गई थी, लेकिन वह भी उसी तरह से पड़ी हुई है। इस तरह से कई गांव हैं जहां पर जमीनें छोड़ी गई लेकिन दी किसी को नहीं गई। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कानून इस तरह का लचर हो, प्राविधान भी किया जाय लेकिन जमीन न मिले तो फिर वह एक बेकार की चीज हो जाती है। सरकार को इधर ध्यान देना चाहिये ताकि कानून में इस तरह के जो प्राविजन्स किये गये हैं वह पूरे किये जांय। जिस गांव में चकबंदी की जाय उसके लिये लाजिमी हो कि वहां पर जो गरीब लोग हों उनको बसाने के लिये जमीन छोड़ी जाय और उनसे मुआविजा लिया जाय। आज इस तरह की बातें हमारे सामने बराबर आती हैं, हमारे पास लोग बराबर आते रहते हैं और कहते हैं कि हमें मकान बनाने के लिये जमीन चाहिये, लेकिन हम उनके लिये कुछ नहीं कर पाते। उनके लिये कोई चारा नहीं है। गांव में कोई आदमी जमीन बेचने के लिये तैयार नहीं होता। गांव पंचायतों ने अपने यहां खलिहान, श्मशान भूमि और रास्तों की जमीन छोड़ी है, वह आबादी के लिये नहीं छोड़ते। और जिन्होंने छोड़ी है वह देते नहीं। जबर्दस्त आदमी हावी हो जाता है। इसलिये मन्त्री जी से मेरा निवेदन है कि वह इधर ध्यान दें कि चकबन्दी कानून में प्राविजन होते हुये भी जो बात नहीं हो रही है उसको ठीक किया जाय।

अब आचार्य जी से मुझे यह निवेदन करना है कि उन्होंने जो तीन एकड़ से कम जमीन वाले काश्तकारों के लिये लगान माफी की बात कही, ऐसा न करके यह उचित होगा जैसा मैंने निवेदन किया कि उपज के आधार पर लगान लिया जाय। दूसरे यह कि हम लोग उन्हें बतलावें कि वे किस तरह से थोड़ी सी भूमि में अधिक से अधिक पैदा करें और हमारे कृषि विभाग को भी यह बात बतानी चाहिये। छोटे-छोटे किसान सहकारी खेती करें तो अच्छा हो, इससे पैदावार बढ़ेगी और लगान कम करने की बात भी नहीं आवेगी। इसके लिये हमें उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिये जिससे देश का निर्माण हो।

*__श्री मोतीलाल अवस्थी__---यदि आपकी आज्ञा हो तो दोनों संशोधन एक साथ रख दूं?

श्री अधिष्ठाता---हां, दोनों रख दें।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि संकल्प की दूसरी पंक्ति के शब्द "चकबन्दी" तथा शब्द "में" के स्थान पर क्रमशः शब्द "एक समुचित" तथा शब्द "द्वारा" रख दिया जाय। मैंने इसमें शब्द "एक" बढ़ा दिया है। दूसरा मेरा संशोधन माननीया, यह है कि संकल्प की तीसरी पंक्ति के शब्द "आबादी" तथा शब्द "के" के बीच में शब्द "एवं कृषि" रख दिया जाय।

माननीया, आचार्य दीपंकर जी ने यह संकल्प प्रस्तुत करके इस प्रदेश के प्रति एक बड़ा कर्त्तव्य निभाया है। उन्होंने सरकार का ध्यान उस मौलिक प्रश्न की तरफ आकर्षित किया है जो सचमुच एक बड़ी अहमियत रखता है। मैं जानता हूं कि विरोधी पक्ष की ओर से कितने भी मूल्यवान संकल्प या सुझाव और प्रस्ताव आये हों, जैसा आज की प्रजातांत्रिक सरकारों का तरीका होता है, वे विरोधी पक्षों से आये हुये सुझावों को बहुत कम मानती हैं और न मानने का कारण भी यह है कि उनसे उनके ऊपर एक अविश्वास की सी बात स्वीकार सी कर ली जाती

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। इस मौलिक प्रजातांत्रिक दिक्कत की वजह से मैं देखता हूं कि कभी-कभी सुन्दर से सुन्दर सुझाव भी सरकार किसी न किसी ढंग से अनुचित बता देती है और उन्हें स्वीकार नहीं करती है। दीपंकर जी के प्रस्ताव को हम मौलिक रूप से स्वीकार करते हैं। बल्कि जैसा उन्होंने रखा ३ एकड़, उसकी जगह ६ । एकड़ तक अनइकानामिक मानी गई है और वहां तक हो सकता है। किन्तु उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाल कर उसे अख्तियार किया और सरकार से चाहा है कि ३ एकड़ वालों के साथ वह एक विशेष कदम उठावे।

रामजीलाल सहायक जी ने सरकार का काम हलका किया है कि जिनकी उपज काफी न हो उनके ऊपर से एक तरह से लगान हटा ही जैसा लिया जाय। सहायक जी ने उसके लिये तर्क भी दियाहै। मैं तो यहां तक तैयार हूं कि हमारे न्याय मंत्री जी जो राजस्व मंत्री होने के नाते आज इस प्रस्ताव पर बोलेंगे, उनकी तर्कनायें मैं बहुत अर्से से सुनता चला आया हूं और उनके कहे हुये शब्द मेरे पास नोट हैं। मैं उन्हीं के आंकड़े पेश करूंगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन—आंकड़े हम पेश नहीं करेंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी—लेकिन आप जैसी स्थिति के मंत्री को हमेशा आंकड़ों से अपनी बात की ताईद करनी चाहिये। आंकड़ों से कभी-कभी बहुत सी बातों का वजन देखा जाया करता है।

हमारे प्रस्तावक महोदय और हमारे बीच में एक थोड़ा-सा विशेष अन्तर है जो एक खास विषय के बारे में है। जैसा उन्होंने कहा है कि भूमिहीन किसानों के लिये कुछ ऐसी सुविधा दी जाय जो चकबन्दी योजना के द्वारा वह कराना चाहते हैं वहां मुझे सन्देह पैदा होता है। दीपंकर जी ऐसे क्षेत्र से आये हैं, ऐसे उद्देश्य को लेकर आये हैं और ऐसे प्रतिद्वन्द्वी को हराकर आये हैं जो केवल इस चकबन्दी के आधार पर आधारित था। उन्होंने कहा है कि हमने चकबन्दी का मुंहतोड़ जवाब दिया है।

आचार्य दीपंकर—मैं चकबन्दी की वजह से जीत कर नहीं आया हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—अच्छा, मैं अपने को सुधारे लेता हूं। यदि हम आज उनके द्वारा यह जानें कि वह चकबन्दी की योजना को स्वीकार किये लेते हैं तो सचमुच मुझे आश्चर्य होता है। लेकिन मैं तो वर्तमान चकबन्दी को किसी भी रूप में स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं। माननीया जी, मैं आपकी तरफ ही इशारा करके कहूं कि सुन्दर से सुन्दर गहना हमारी किसी माता या बहन को दे दिया जाय जो इतना भारी हो कि उससे न सम्भले, जिसके लिये एक कहावत भी है कि ऐसे सोने को क्या करूं जो कान को ही खावे तो फिर उससे क्या लाभ? ठीक इसी तरह से चकबन्दी योजना है। माननीय रामजी लाल सहायक की बात सुनकर मुझे थोड़ी सी खुशी हुई कि उस पक्ष में ऐसे लोग निकले तो कि जिन्होंने सरकार के न्याय मंत्री के सामने कह दिया, चूंकि सबसे बड़े समर्थक चकबन्दी के न्याय मंत्री जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि भूमिहीनों को जमीन नहीं दी। मंत्री जी शायद कह दें कि किसी स्वप्न में सोचते हुये उन्होंने ऐसा कह दिया है। लेकिन मैं जानता हूं कि इस चकबन्दी योजना के द्वारा भूमिहीनों को न लाभ होने वाला है और न हुआ है। यह चकबन्दी नहीं है, बल्कि चकमाबन्दी है। इसमें हर हालत में छोटा किसान मारा जाता है। इसलिये हमने इसका नाम चकमाबन्दी रखा है। कोई अच्छी योजना सरकार की तरफ से प्रस्तुत की जाय, मुझे उसके स्वीकार करने में दिक्कत नहीं है। वह योजना ऐसी तो होनी चाहिये जिसमें भूमिहीनों को भूमि मिले। मैं तो सोचता था कि उन्होंने आबादी की बात क्यों कही। परन्तु आबादी की बात भी सही है। साथ ही रहने की जगह के साथ-साथ कृषि की जगह भी मिलनी चाहिये। निवास-स्थान मिलने से ही उनकी समस्या हल नहीं होगी। उन्होंने भूमिहीनों की परिभाषा में अगर पिछड़ी जातियों को ही रखा हो तो मैं बढ़ा कर कहता हूं कि जो अपने को बड़ा वर्ग

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

कहते हैं, जैसे ब्राह्मण वगैरह, उनको भी शरीक करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे ७॥ लाख परिवार ऐसे भूमिहीन हैं जो न्याय मंत्री जी ने बताये हैं, २४ लाख एकड़ हमारे पास ऐसी जमीन है जो ग्राम-समाज के पास है और २९ लाख एकड़ भूमिहीनों को देने के लिये तैयार हैं। ये आंकड़े हमारे न्याय मंत्री ने उस समय दिये थे जबकि अधिकतम जोत सीमा विधेयक हमारे सामने था। जब उनसे पूछा गया कि आपके पास भूमि है भी, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास २९ लाख एकड़ जमीन है जो हम भूमिहीनों को देंगे। इस भाषण को दिये हुए उन्हें डेढ़ बरस हो गया, मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने इस २९ लाख एकड़ में से कितनी भूमि भूमिहीनों को दी है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---अब तो वे दो लाख एकड़ कहते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी--इतनी जल्दी इतनी कैसे घट जायगी? उन्होंने कहा कि जैसे उनके खजाने में हो २९ लाख एकड़ जमीन रखी हुई है। वह किनको दी और कहां दी? मैं चाहूंगा कि इस बारे में वे हमें बतायें। हमारे सामने मुख्य प्रश्न इस समय यही है कि उत्तर प्रदेश में छोटे-छोटे काश्तकार ज्यादा हैं। अगर ७० प्रतिशत काश्तकार हैं तो उनमें से १६.१ प्रतिशत भूमिहीन मजदूर हैं और बहुत से छोटी भूमि वाले हैं। इन भूमिहीनों में अधिकांश में पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनको सरकार की ओर से हर प्रकार की सहायता मिलनी चाहिये। अधिष्ठात्री महोदया, मंत्री जी द्वारा आपका अनादर हो रहा है, जरा इसको रोका जाय।

श्री अधिष्ठाता---माननीय मंत्री जी, इधर देखें।

श्री मोतीलाल अवस्थी--माननीय मंत्री जी जिस खानदान के हैं वह खानदान कभी पीठ नहीं दिखाता, फिर ठाकुर साहब पीठ क्यों दिखाते हैं?

श्री हुकुमसिंह बिसेन--हम कान से सुनते हैं, आंख से नहीं।

श्री मोतीलाल अवस्थी--लेकिन आप पीठ न दिखाइये, सरकार को इन भूमिहीनों की तरफ ध्यान देना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि इन भूमिहीनों और अर्थहीनों के विषय को यों ही बहस में टाल दिया जाय। सरकार को इसे महत्वपूर्ण पहलू समझ कर इस समस्या को सुलझाना चाहिये। सरकार और अखबार वाले ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव को कितना महत्व देते हैं यह तो उनकी उपस्थिति से ही मालूम पड़ जाता है। हमारा समाचार निकालने वाला वर्ग इन भूमिहीनों के प्रति संवेदना भी प्रकट करने के लिये तैयार नहीं है। हमारी बात तो केवल अरण्यरोदन ही मालूम पड़ रही है।

श्री हुकुमसिंह बिसेन--आप अपनी तरफ तो देख लीजिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं तो मौजूद हूं। एटम बम तो एक ही होता है। अगर आप ताश खेलना चाहते हों तो उसमें इक्का एक ही होता है। उस इक्के के महत्व को कम न कीजिये।

मैं यह कहने जा रहा था कि इस प्रस्ताव में तीन एकड़ से कम भूमि रखने वाले किसानों से लगान वसूल न किये जाने की बात आई है। तो हमारे मंत्री जी जो इसका जवाब देंगे वह मैं जानता हूं, वे कहेंगे कि इस प्रकार गवर्नमेंट के हाथ से लगान निकल जायगा। फिर वे कहेंगे कि अगर लगान निकल गया तो और टैक्स लगाने के लिये कोई रास्ता बतलाइये। दूसरी तर्कना वे यह देंगे कि लगान तो हम लेते नहीं हैं, हम तो रेंट लेते हैं, लेकिन यह क्या बात है कि किरायेदार से आप रेंट लिये जांय और उसको मालिक भी न बनावें। यह भी अजीब तर्कना वे देंगे कि भूमि का रेंट हम लेते हैं, लेकिन यह भी कहेंगे कि हम उसको भूमिधर नहीं बनाने जा रहे हैं। उनका कहना यह भी होगा कि अगर इस तरह से भूमिहीन बनते जायेंगे तो उनका

खानदान भी बढ़ता जायगा और इस तरह से सब नष्ट हो जायगा । आप जरा सोचें कि यह तर्कना कितनी कमजोर है । आज की स्थिति को हमें समझना है और जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के निर्धन किसान इतनी कम उपज में अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं तथा जिस तरह से पिछड़ेवर्ग के लोग पीड़ित हैं, उनके सहायता देने के लक्ष्य को सरकार पहले स्वीकार कर ले और तब कोई योजना बनावे तो वह बन सकती है । अगर सरकार चिन्तित है कि हमारी रेवेन्यू बनी रहे, भूमि का बटवारा न हो तथा भूमि उन लोगों के पास रहे जो इसके आवश्यकतामन्द हैं तो इसके लिये योजना बन सकती है । लेकिन सरकार पहले इस सिद्धान्त को स्वीकार कर ले कि जिनके पास भूमि नहीं है या जिनके पास उनके परिवार के भरण पोषण के योग्य भूमि नहीं है या जिनके पास केवल भूमि ही भूमि है, उनके लगान या रेंट में कुछ न कुछ कमी होगी, इसके लिये कोई योजना बना कर सरकार हमारे सामने लाये जिस पर हम सब विचार करें । इसके बिना अगर सरकार अपनी पिटी हुई तर्कनायें देती रहेगी तो मैं यह कहूंगा कि सन् ५७ से ६० तक का हमारा समय इस सदन में बर्बाद हुआ और अब ६१ का समय भी बर्बाद होने जा रहा है । हमने अकेले इस सदन में पहले यह आवाज बुलन्द की, लेकिन मालूम नहीं कि क्यों मेरी बातें उन बहरे कानों तक नहीं पहुंच सकीं । लेकिन फिर भी सोचता हूं कि अब तो परीक्षा का साल आ रहा है, यह सरकार चेते और उसे इन किसानों और भूमिहीनों का आर्तनाद और पुकार को सुनना चाहिये तभी उनका कुछ कल्याण होगा ।

मैं माननीय मंत्री जी से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यह अवसर ऐसा नहीं है जिसे सरकार खो दे । यह ऐसा अवसर है जिसे वह पकड़े और इस संकल्प को स्वीकार करे ।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय अधिष्ठात्री महोदया, मैंने प्रस्तुत संकल्प को पढ़ा, जिसके दो भाग हैं । उसको पढ़ने से मुझे यह पता चला कि माननीय सदस्य जिन्होंने इस संकल्प को इस सदन में पेश किया है, उन्होंने न तो इसको लिखा और न उनके विचारों के मुताबिक ही यह संकल्प मालूम देता है, क्योंकि उनकी प्रखर बुद्धि और उनके उचित विचारों को सुनने का मुझे कई बार इस सदन में मौका मिला है । लेकिन इस प्रस्ताव की भाषा और उसके विचार उनकी इस प्रखर बुद्धि से मिलते नहीं है । इस बुनियाद पर मैं समझता हूं कि किसी दूसरे ने इस संकल्प का ड्राफ्ट किया और उनके नाम से इस संकल्प को यहां पेश किया गया है । भाषा और विचारों के जो दोष व कमी हम इस संकल्प में पाते हैं, उसके पहले ही हिस्से में है "यह सदन यह निश्चय करता है कि तीन एकड़ से कम भूमि रखने वाले किसानों से लगान वसूल न किया जाय", मेरी उज्रदारी भाषा के इन शब्दों पर है कि "लगान न वसूल किया जाय," इसमें भाषा और विचारों का भी दोष है । "लगान वसूल न किया जाय" के माने यह नहीं होते हैं कि वे जमीन जो हैं, वे लैंड रेवेन्यू या रेंट फ्री कर दी जाय । वसूल न करना दूसरी बात है और उस जमीन पर कोई लैंड रेवेन्यू ही न रहे यह दूसरी बात है, तो मैं दोष इसलिये देता हूं कि अगर उनका मतलब यह है कि लैंड रेवेन्यू फ्री हो तो यह जो भाषा है वह बहुत कमजोर है और उन के दिमाग के विचार को वह व्यक्त नहीं करती है । इसलिये मैं समझता हूं कि यह उन की चीज नहीं है क्योंकि वह स्वंय तो एडवान्स विचार रखते हैं और भाषा के विद्वान् भी हैं और उनके उच्च विचार भी हमें सुनने को मिलते हैं । तो ऐसा मालूम होता है कि यह उनके विचार नहीं है किसी दूसरे के हैं ।

इसमें दूसरी चीज यह है कि "चकबन्दी योजना में ऐसी व्यवस्था की जाय कि प्रत्येक भूमिहीन को आबादी के लिये भूमि मिल सके" । मेरी जो पहली उज्रदारी दूसरे हिस्से से है वह एक तो चकबन्दी योजना से है और दूसरे "प्रत्येक" शब्द जो रखा है उससे भी मुझे उज्रदारी है क्योंकि आपको मालूम होगा कि चकबन्दी का जो प्रश्न है उस के संबंध में जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में यह है कि जो कुछ भी बाकी जमीन गांव की होगी वह गांव समाज के हवाले होगी और उसका प्रबन्ध और कंट्रोल गांव समाज के द्वारा होगा । तो जब वह जमीन एक लीगल और स्टेचुटरी बाडी के प्रबंध में हैं तो उस को चकबन्दी के साथ जोड़ना बिल्कुल असंगत बात है और मुझे

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

यह चीज, यह अप्रोच ही गलत मालूम होती है। अगर हम उस जमीन के बारे में कोई व्यवस्था कराना चाहते हैं तो हमें, उस बाडी के पास अप्रोच करना होगा। चाहे कुछ भी हो वह व्यवस्था उसी उसके द्वारा होनी चाहिये। इसलिये वह अप्रोच अगर हो सकती है तो जो गांव समाज एक लीगल और स्टेचुटरी बाडी है उससे हो सकती है। इस तरह का प्राविजन कर दिया जाय कि चकबन्दी में वह ग्राम समाज की तरफ से अलाट कर दी जाय। इसके अलावा "प्रत्येक" शब्द के संबंध में भी मेरी उज्रदारी है वह विचारों की लड़ाई है, पंडितों की बात है, आचार्यों का मामला है, मैं तो पंडित हूं नहीं मामूली पढ़ा लिखा आदमी हूं। "प्रत्येक" शब्द रख देने से गांव में मालूम नहीं कितने आदमी हैं, १०० हों २०० हों या एक हजार हों, और हर एक को जमीन दी जाय, तो वहां किस हिसाब से कहां से जमीन आयेगी कि हर लैंडलेस को जमीन मकान के लिये मिल जाय। अगर उन के हिसाब से ३ एकड़ की ही बात मानी जाय जैसा कि उनके प्रस्ताव में है तो किस तरह से ३ एकड़ जमीन अलाट हो सकती है। उनका मतलब हो सकता है कि हर किसी की जरूरत के मताबिक जमीन मिल जाय। तो इस तरह से इसमें भाषा का दोष रह जाता है जिस की बुनियाद पर यह संकल्प सदन में अस्वीकार किया जा सकता है।

वैसे मैं उनके विचार और भावना का आदर करता हूं और खासकर उन व्यक्तियों के विचार और भावनाओं की मैं कद्र करता हूं जो सच्चे और स्वच्छ हृदय से उन विचारों को रखते हैं, भले ही वह विचार आइडियलस्टिक हों, लेकिन यह होते हुये भी कोई ऐसी बात नहीं है ताहम मैं यह बताना चाहता हूं कि सारे भारतवर्ष में लैंड के मुताल्लिक जो सरकार की पालिसी है वह अभी तक एक ही है। किसी भी प्रान्त में लैंड एसेसमेन्ट, लैंड रेवेन्यू के मुताल्लिक कोई दूसरी पालिसी नहीं है। पब्लिक यूटिलिटी और परपजेज के लिये, जैसे स्कूल, कालेज धर्मशाला इत्यादि हैं, उनके लिये तो गवर्नमेंट फ्री आफ रेवेन्यू कर देती है, लेकिन जहां तक जमीन के कल्टीवेशन का मामला है हमारी सरकार की पालिसी थ्रू आउट इंडिया एक यूनिफार्म पालिसी है और मैं समझता हूं कि अगर इस पालिसी को चेन्ज करना है तो आल इंडिया बेसिस पर कम से कम कंसल्टेशन कर ही लेना चाहिये। यह तो मसला उसी तरह से होगा जिस तरह कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ५५ वर्ष से ५८ वर्ष कर दिया जबकि सारे हिन्दुस्तान में ५५ ही था। तो यह बात गौर के लायक हो सकती है, हम नहीं कहते हैं कि नहीं हो सकती, समय तबदील हो चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं, विचार बदल चुके हैं, लेकिन उसके लिये जो उचित कदम है उसे उठाना चाहिये और मैं समझता हूं कि बिना आल इंडिया कंसल्टेशन के सिर्फ एक प्रान्त में उस चीज को रख दिया जाय जो कि आल इंडिया पालिसी के प्रतिकूल हो तो वह कदम साउंड नहीं मालूम होता है।

तीन एकड़ से कम जमीन जिन लोगों के पास है उनकी तादाद सारे हिन्दुस्तान में बहुत बड़ी है और हम यह भी नहीं जानते कि इस कदम के उठाने से जो उसके फायनेंशियल कांसीक्वेंसेज होंगे उसका हमारे पब्लिक एक्सचेकर पर कहां तक असर होगा। करोड़ों में वह धनराशि हो सकती है। तो यह भी देखने की चीज है। जब हम कोई व्यवस्था करते हैं तो हमको हर दृष्टिकोण से मसले पर विचार करके उसको करना चाहिये क्योंकि बहुत सी गलतियां जो हम सोचने में में करते हैं वह प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देतीं, लेकिन जब कानून बनकर अदालत में जाता है तो जैसे धोबी के गधे के कान खींचे जाते हैं उसी तरह से हमारे बनाये हुये कानून के अदालत में कान खींचे जाते हैं और तब हमें उसकी असलियत का पता चलता है।

हम एक मुल्क की व्यवस्था करते हैं तो वह सच्चे और सही तरीके पर होनी चाहिये और हमारी बुद्धि का जो परिचय अदालत में होता है वह उपहास्यास्पद नहीं होना चाहिये। कोई भी व्यक्ति अगर सोचने विचारने में कमजोरी रखता है या जल्दबाजी में कोई स्टेप लेकर कानून की व्यवस्था चाहता है तो वह इस सदन का उपहास कराता है।

मैं सदा इस बात का हामी रहा हूं कि सिम्पेथेटीकली हर मसले पर विचार हो, गरीबों के लिये व्यवस्था जरूर की जाय, लेकिन उस व्यवस्था के करने में बहुत सही तरीके पर सोचकर हमें

कदम उठाना चाहिये क्योंकि अगर कोई डिफैक्ट हमारे विचार में रह जाता है तो कल वह गलती आपके सामने खड़ी हो जायगी और फिर आपको मुंह दिखाना जरा अच्छा नहीं मालूम होगा ।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं, इसकी भावनाओं का मैं अवश्य आदर करता हूं, लेकिन जो दोषपूर्ण भाषा और विचार मुझे नजर आये, हो सकता है मेरी बुद्धि कुछ दूसरे किस्म की हो गई हो क्योंकि मुझे दूसरी रोशनी मिलती हो और लोगों की राय कुछ और हो । यह मुमकिन हो सकता है । मैं नहीं कहता कि मैं सही हूं, लेकिन यह दोष मुझे अवश्य दिखाई देता है और आल इंडिया पालिसी को देखते हुये मैं समझता हूं यह संकल्प जिस रूप में आया है उसको पास नहीं होना चाहिये ।

श्री ऊदल--अधिष्ठाता महोदय, आचार्य जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं । अभी माननीय रावत जी के विचारों को बड़े गौर से सुना । उनका कहना यह है कि आचार्य जी ने जो भाषण दिया और जो संकल्प लिखा, दोनों में मेल नहीं है । और यह भी कहा कि इस प्रस्ताव को किसी दूसरे ने लिख दिया, लेकिन नाम उन्होंने अपना दे दिया । मैं समझता हूं कि रावत जी, जैसा कि उन्होंने कहा कि विचारों की लड़ाई है और यह भी कहा कि वे पंडित नहीं हैं । मैं कहना चाहता हूं कि वह अगर जमीन के बारे में पंडित नहीं हैं तो कानून के हैं और जमीन की सारी व्यवस्था से अच्छी तरह परिचित हैं । इसलिये रावत जी ने इस प्रस्ताव के समझने में ही गलती कर दी । आचार्य जी का खयाल यह है कि तीन एकड़ से कम के जो काश्तकार हैं उनका लगान वसूल न किया जाय, उसकी मंशा यही है कि उनको लगान से मुक्त कर दिया जाय । और इसलिये कर दिया जाय कि कांग्रेस ने, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, उस समय मैं भी कांग्रेस का वालन्टीयर था, झंडा ढोता था, फैजपुर में १९३७ में प्रस्ताव पास किया था कि अलाभकर जोत का लगान माफ किया जाय । यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ था । अलाभकर जोत की परिभाषा देश में ६ एकड़ तक है, जब कि संकल्प में केवल ३ एकड़ ही रखा गया है । हम आप जानते हैं कि ऐसे किसानों की क्या हालत है ? न वह अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं न शादी विवाह कर सकते हैं, न मकान, खाना कपड़ा मुहैया कर सकते हैं । कांग्रेस ने उस जमाने में देखा कि किसानों की हालत खराब है लिहाजा इस प्रस्ताव को पास करना चाहिये । तो मैं रावत जी से जानना चाहता हूं कि वे इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं, लेकिन इसकी भावना का स्वागत करते हैं । तो कांग्रेस ने जब १९३७ में प्रस्ताव पास किया था उस समय उसकी क्या मंशा थी ? क्या यह मंशा थी कि अंग्रेजों के खिलाफ जो आजादी का संघर्ष चल रहा है उसमें किसानों को अपने साथ लेना चाहिये और उनको धोखा देना चाहिये ? या यह मंशा थी कि किसानों को राहत पहुंचायी जाय ?

मैं कांग्रेस सरकार पर आप के द्वारा यह चार्ज लगाता हूं कि महात्मा गांधी ने जो जो आन्दोलन चलाये और जनता की सही माने में जो भावना थी जिसके जरिये से देश गुलाम हुआ था और नैतिक स्तर गिरता चला जा रहा था, एक-एक को अगर देखा जाय तो एक-एक आन्दोलन के पीछे एक-एक नारे के पीछे हमारे देश के करोड़ों इन्सान थे । शराब बन्दी आन्दोलन में लाखों आदमी जेल गये, कितने लोग मारे गये । नमक सत्याग्रह को ले लें, विदेशी कपड़ों के बहिष्कार को ले लें, जो उनकी होली जलायी गई, और यह जो प्रस्ताव है अलाभकर जोत के लगान माफ करने का, तो मैं यही नतीजा निकालता हूं कि कांग्रेसी सरकार ने उस जमाने में जो नारे दिये थे जनता को धोका देने के लिये दिये थे । जिन आन्दोलनों और नारों को महात्मा गांधी जी ने उठाया था यह सरकार उनको एक एक करके तोड़ती चली जा रही है ।

शराब बन्दी को देखें । हरद्वार में एक दुकान खोल दी गई जहां कभी दुकान नहीं खुली थी । नमक पर टैक्स लगाया विदेशी कपड़ों का बाजार खोल दिया जिससे हमारे देश के तमाम उद्योग धन्धे चौपट हो गये । इसी तरह से अलाभकर जोतों का लगान माफ करने का जो

[श्री ऊदल]

फैजपुर में प्रस्ताव पास किया था वह भी खत्म कर दिया। जैसा कि प्रवस्थी जी ने कहा दलील उधर से यह दी जायगी कि रेवेन्यू कम हो जायगा। तो क्या उस वक्त रेवेन्यू कम होने का सवाल नहीं था। उस वक्त हमारी सरकार को ७ करोड़ २२ लाख रेवेन्यू मिलता था और बकीया १२ करोड़ के करीब जमींदार मुनाफा ले लेते थे। तो उसके मुनाफे के खिलाफ आन्दोलन किया गया और कहा गया था कि जमींदार मुनाफा लेता है इसलिये हम जमींदारी खत्म करेंगे और किसानों को लगान में छूट देंगे। आचार्य जी का प्रस्ताव तो यह है कि तीन एकड़ से कम भूमि वाले, तो ऐसे लोगों का लगान माफ करने से मुश्किल से ४ करोड़ रुपये का सरकार को रेवेन्यू में लास होगा और १२ करोड़ ७६ लाख की जगह आज सरकार को २४ करोड़ रेवेन्यू लगान से मिल रहा है। तो कोई ज्यादा नुक्सान रेवेन्यू में नहीं होने वाला है और किसानों की एक बहुत बड़ी संख्या को राहत मिल जायगी। इस प्रस्ताव को मान लेने से कांग्रेस का सम्मान ही बढ़ेगा।

दूसरा सवाल यह है कि कांग्रेस ने वहां यह भी प्रस्ताव पास किया था कि वे जमीन वालों को जमीन देंगे। सीलिंग वाले बिल पर बोलते हुये माल मंत्री ने कहा था कि २९ लाख एकड़ जमीन मिलेगी, लेकिन अभी हाल में उन्होंने बताया कि सिर्फ २ लाख एकड़ ही जमीन मिलेगी। तो ये आंकड़े रोज-ब-रोज बदलते कैसे रहते हैं? ये जो २ लाख एकड़ जमीन कहते हैं कि मिलने वाली है यह भी नहीं मिलेगी और करोड़ों रुपया सीलिंग के ऊपर खर्च किया गया। क्या सरकार जनता को इसका जवाब देगी कि उसकी गाढ़ी कमाई का रुपया इस तरह से पानी की तरह क्यों बहाया जा रहा है? आचार्य जी का यह कहना है कि जहां चकबन्दी होती है वहां जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान बनाने के लिये जमीन दी जाय। तो प्रस्ताव तो बिल्कुल साफ है, लेकिन पता नहीं रावत जी ने कैसे उसकी भावना की तो कद्र की लेकिन प्रस्ताव का विरोध किया। इसलिये मैं चन्द शब्दों में इस संकल्प का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि यह कांग्रेसी सरकार जिसने हर मौके पर देश की जनता को धोखा दिया है कम से कम तीन एकड़ वाले आचार्य जी के संकल्प को स्वीकार करके अपनी नेकनीयती दिखायेगी।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---अधिष्ठात्री महोदया, जो प्रस्ताव आचार्य दीपंकर ने प्रस्तुत किया है, मुझे अफसोस है कि मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं ऊदल जी की तरह जोशीली स्पीच तो देना नहीं जानता हूं लेकिन उनको यह जरूर बतला देना चाहता हूं कि सन् १९४२ में जिस तरह से कुछ करके पछतायें थे उनको दोबारा फिर पछताने का अवसर आयेगा। इतिहास जरूर बतलाता है और आगे भी बतलायेगा, उसको कुचला नहीं जा सकता। मैं समझता हूं कि भूमि व्यवस्था का कानून एक ऐसा कानून है कि जिस पर अगर हम विचार करें तो आचार्य दीपंकर ऐसे सज्जन से यह आशा करते हैं कि वे स्वंय ही अपने प्रस्ताव को वापस ले लेंगे। जमीन के सिलसिले में हमेशा हमारे देश में खून होता रहा है। जर, जमीन और जन हमेशा झगड़े की जड़ माने जाते रहे हैं।

श्री रामकृष्ण सारस्वत (जिला फर्रुखाबाद)---कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गई)

श्री बजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---व्यवस्था का प्रश्न है। आज का दिन गैर सरकारी दिन है। उसमें अधिकांश प्रस्ताव विरोधी दल की ओर से पेश किये जाते हैं उनमें सरकारी पक्ष की कोई रुचि नहीं रहती है। तो ऐसी व्यवस्था कर दी जाय कि कम से कम गैर सरकारी प्रस्तावों में कोरम का सवाल न खड़ा हो।

श्री अधिष्ठाता---दो बजे के बाद तो कोरम की व्यवस्था होती है।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा—अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कह रहा था कि जमीन पर कब्जा करने के लिये हमेशा लड़ाइयां होती रहीं। ज़र, जन, जमीन—ये झगड़े की जड़ मानी जाती है। जब हमने रूल आफ ला स्वीकार किया तो उसके साथ-साथ यह सिद्धान्त भी स्वीकार किया कि इस जमीन के जिस हिस्से को कोई आदमी इस्तेमाल करे, तो उसके बदले वह कुछ धन राजस्व के रूप में दे। वह राजस्व उन लोगों का हिस्सा समझा जाय, जिन्होंने जमीन पर कब्जा नहीं किया है। जमीन पर प्रत्येक स्त्री पुरुष का जन्म सिद्ध अधिकार है। जमीन का प्रयोग करने वाला उस अधिकार की पूर्ति राजस्व दे कर करता है। हमने जब रूल आफ ला स्वीकार कर लिया तो जमीन के जिस हिस्से पर आदमी कब्जा करता है या काश्त करता है तो उसके बदले में राजस्व देना ही चाहिये।

जो हमारे मित्र ऊदल जी ने यह कहा कि कांग्रेस ने पास कर दिया था कि अलाभकर जोतों का लगान माफ कर दिया जायगा। यह उनकी किसी कांग्रेस ने पास किया होगा। राष्ट्रीय कांग्रेस की महासभा ने ऐसा कोई प्रस्ताव पास नहीं किया कि अलाभकर जोतों का लगान कभी लिया नहीं जायगा। साथ ही साथ मैं तो इस बात को मानने वाला हूं कि जब जमीन किसी के लिये लाभकर न हो तो उसके लिये अच्छा है कि उसको छोड़ उस आदमी के लिये जो उसको लाभ कर बनाये और उसका प्रयोग करे। इसीलिये अलाभकर जोतों के सिलसिले में यह कहा गया है कि छोटी छोटी जोत वाले मिल कर सहकारी समितियां बनायें और छोटी-छोटी जोतों को बड़ी बना कर उस पर काश्त करें और अपना अंशदान करके उस जमीन को लाभकर बनायें। इस प्रकार हम दो काम करेंगे। एक तो जमीन के छोटे-छोटे हिस्से जो नित्य होते जा रहे हैं, सन्तान दर सन्तान जमीन बटती जा रही है वह नहीं होगा और दूसरे इस तरह से लोगों को जो जमीन के मोह में पड़कर बेकारी की तरफ रुझान होता है वह नहीं हो सकेगा। हम तो चाहते हैं कि हमारे देश के छोटे-छोटे किसान इन छोटी-छोटी जमीनों से निजात पावें और किसी तरह के ऐसे उद्योग-धंधों में लग पावें जिससे कि वह अपना जीविकोपार्जन कर सकें। जब हम इस तरह की जमीन को अलाभकर कह देंगे और यह कह देंगे कि उन अलाभकर जोतों का लगान नहीं लिया जायगा तो उन लोगों का जिनका जमीन पर कोई क़ब्जा ही नहीं है, जिनका उसमें कोई हिस्सा ही नहीं है, उन लोगों के हक की पूर्ति कैसे होगी क्योंकि जमीन को तो हमने जन्मजात अधिकार मान लिया है प्रत्येक व्यक्ति का, तो जिसका हिस्सा जमीन पर नहीं है उसके हिस्से की पूर्ति कैसे होगी? तो अलाभकर जोतों के सम्बन्ध में जो यह प्रस्ताव आया है मैं समझता हूं कि आचार्य दीपंकर जी स्वयं ही इस पर विचार करेंगे और प्रस्ताव का जो दूसरा हिस्सा है जिसमें कि यह कहा गया है कि चकबंदी योजना में ऐसी व्यवस्था की जाय जिसमें कि भूमिहीनों को रहने के लिये जगह मिल जाय, उसमें तो कोई दो रायें हो ही नहीं सकतीं, क्योंकि जो आदमी इस देश में पैदा हुआ है उसको रहने के लिये तो स्थान मिलना ही चाहिये, लेकिन अलाभकर जोतों पर लगान न लगे, यह कैसे हो सकता है? आज मान लीजिये कि किसी के पास ६ एकड़ या ३ एकड़ से ज्यादा भूमि है, कल को उसके चार सन्तानें हो जाती हैं, उसकी वह जमीन उन सन्तानों में बट जाती है, और इस प्रकार वह जमीन भी अलाभकर हो जाती है, इसी तरह से सारे प्रदेश की जमीन अलाभकर हो सकती है, तो वैसी स्थिति में हमारे लिये यही रास्ता है कि हम ऐसे अलाभकर जोतों को संयुक्त करके सहकारी समितियों से उन पर काश्त करके उनको लाभकर बनावें और काश्त पर जो यह एक बोझ आ गया है उस बोझ को भी कुछ हलका करें।

भाई पालीवाल जी ने उस दिन कुंवर श्रीपाल सिंह जी के प्रस्ताव पर बहस करते हुये कहा था कि सरकार तो चाहती है कि लोग जमीन से छूट जायं। मैं समझता हूं कि अगर सरकार ऐसा चाहती है तो उसमें कोई बेजा बात नहीं है। वह चाहती है कि वह उस जमीन से निकलकर किसी रोजगार में लगें, दस्तकारी में लगें, किसी उद्योग धंधे में लगें जिसके द्वारा वह अपना

[श्री ब्रजबिहारी मेहरोत्रा]

जीविकोपार्जन करें। जमीन पर ही लगे रहने से कुछ दिन बाद उनके सामने काला संसार दिखाई पड़ेगा क्योंकि यह जमीन तो बढ़ने वाली नहीं है और आबादी बराबर बढ़ती जायगी। तो उपज भी चाहे जितनी बढ़ा ली जाय, लेकिन उससे भी सबकी गुजर इसी जमीन से नहीं हो सकती। इन बातों के साथ में इस सिद्धांत के साथ कि जमीन प्रत्येक को है जो कि इस संसार में पैदा होता है और जो अधिक मात्रा में जमीन को अपने पास रखे हुये हैं उनको उसके बदले में राजस्व देना ही चाहिये, इस सिद्धांत को रूल आफ ला के रूप में माना है, तो इस सिद्धांत को जब मान लिया तो कोई भी जमीन अलाभकर जमीन नहीं हो सकती इसलिये मैं समझता हूं इस सिद्धांत को मानते हुये आचार्य दीपंकर जी अपने संकल्प को वापस लेंगे।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—माननीया सभापति जी, अभी जो संकल्प सदन के सामने विरोधियों की तरफ से आया है कि तीन एकड़ जमीन का लगान न लिया जाय, मैं उसका समर्थन करता हूं और श्रीमती सरकार आलिया से कहना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव आप ही की पतित पावन सीताराम पार्टी का है, मेरा कुछ नहीं है। यह प्रस्ताव आपकी ही पार्टी ने बहुत दिन पहले रखा था कि अलाभकर जोतों का लगान न लिया जाय। लेकिन फिर भी आप उसको नहीं मानते हैं इसके माने यही समझे जा सकते हैं कि मरने वाले को दवा जहर मालूम पड़ती है। अब कौन मरने वाला है, यह आप जानिये। लेकिन आप तो डूबते हैं मगर यार को ले डूबेंगे, यह बात यहां चरितार्थ होती है। मैं यदि अत्युक्ति न समझें तो कह दूं कि इस असेम्बली में सरकार पार्टी की ओर से किसानों के सम्बन्ध में कोई जानकारी किसी को है ही नहीं और यदि किसी को है तो वह कुछ कहना नहीं चाहते या कह नहीं सकते इतने दबे हुये हैं। यह क्या मामला है कि जमीन के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न प्रकार के कानून बनते चले जा रहे हैं? रोज टूटते हैं कोई अपनाता नहीं कोई मानता नहीं वकील भी घुड़-मुड़ करते हैं

(इस समय २ बजकर ३० मिनट पर अधिष्ठाता, श्री लक्ष्मीनारायण संसल, पीठासीन हुये।)

कहीं तो आप कहते हैं कि जो जमीन पर कब्जा कर ले उसकी जमीन है। तो कब्जा तो गुंडा और नंगा आदमी कर पायेगा, बदमाश कर पायेगा, भला आदमी कब्जा नहीं कर पायेगा। चाहे उसी की जमीन हो, यही हो रहा है गांवों का रहना खेती करना कठिन है कब प्राणों पर आ पड़े किसी भी जमीन पर कोई कब्जा कर रहा है चाहे पुश्तैनी है चाहे आज की जहां जहां आप चकबंदी करते हैं। उसमें जिसके नाम खाता होता है उसको जमीन मानते हैं उसी को चक देते हैं कब्जे की कोई बात नहीं रखते। दूसरी तरफ कब्जा होने के कारण आप अधिवासी सीरदार और न जाने क्या क्या बना देते हैं। और जो सरकार की जमीन है उसके लिये कानून भिन्न-भिन्न प्रकार के हैं। यह क्या, दूसरों की जमीन पर कब्जा करले तो हकदार और सरकार की जमीन पर गैर हकदार "अपनी कुशल कुशल जगमाहीं"। मेरे पास भी ३।। एकड़ नहरी जमीन है जिसका सर्किल रेट २२ रुपया है और लगान ३७ रुपया हमसे लिया जाता है। ५ साल का आगे का लगान ले लिया गया। इसका ५ साल के बाद नीलाम होता है। ५ साल वाला उसका किसान नहीं माना जाता है उसको ठेकेदार माना जाता है। दूसरे पांच साल बाद दूसरे को दे देते हैं। यह क्या है! मैंने श्री रामसूर्ति जी से कहा कि भाई, यह हमेशा के लिये हमको दे दो और जो लगान आप लेते हैं वही हमसे हमेशा लिया करें। वे कहने लगे कि यह सरकार की प्रापर्टी है। इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं और किसान की प्रापर्टी पर कब्जा कर ले तो दूसरे की हो गई और सरकार की नहीं।

हमारे यहां लखीमपुर खीरी उपनिवेश योजना में यह तय हुआ कि वहां पर जो पुराने गांव बसते थे वे उन गांवों के नाम अभी तक खाते में ज्यों के त्यों बने हुये हैं। वहां एक सड़क पलिया से बनाई गई है। उसका नाम आदित्यनाथ झा मार्ग रखा गया है पूछते हैं क्यों इनका नाम रक्खा यह, कौन हैं ये तो कोई उत्तर नहीं। उन गांवों के खाते में जो किसानों के पुराने नाम

थे वे ज्यों के त्यों बने हुये हैं और वैसे ही चले आ रहे हैं। मगर वहां पर सम्पूर्णानन्द नगर बस गया है। कमलापति पुरी, चन्द्रभानु पुरी, विचित्र नगर, विसेनपुरी, गिरधरपुरी इस प्रकार से १२ मिनिस्टरों के नाम पर नगर बसाये गये हैं। वहां पर जो काश्तकार हैं उनको सेटलर कहते हैं। यह क्या है ? जो बे पढ़े लिखे लोग हैं खेती अच्छी प्रकार कर सकते हैं उनको १० एकड़ ज़मीन दी गई है। हाई स्कूल पास को २० एकड़ ज़मीन दी गई है। जो अपने आप खेती नहीं कर सकते। यह विपरीतिता क्यों ? आपने वहां ऐसी बांकी बस्ती बसाई है कि कुछ पूछो मत। एक मद्रासी है, एक बंगाली है। एक पूर्वी एक यू०पी० का है तो एक-एक मकान में ४ लोग रहते हैं। सब आदमी आपस में लड़ते हैं औरतें भी आपस में लड़ती हैं, लेकिन भाषा कोई आपस में किसी की समझ नहीं पाता है। खीरी उपनिवेश योजना आप उसको कहते हैं जब हमारे दादा हुकुम सिंह जंगल के मंत्री थे तो मैंने उनसे कहा था कि दादा जी, यह ज़मीन किसानों को दे दो वे खेती उस पर कर लेंगे। मैं कोई ज़मीन नहीं चाहता हूं मेरे ऊपर तो आपकी बहुत कृपा है, लेकिन यह ज़मीन मिल जाय तो मैं इसको आबाद करा दूंगा। केवल उसमें एक सड़क निकाल दीजिये। वह २६ मील की सड़क थी और उस पर लाख, पचास हजार से अधिक खर्चे की बात नहीं थी। मगर उस बात को सरकार ने नहीं माना। अब सरकार ने जो योजना वहां पर चालू की है उसके लिये सवा ६ लाख रुपया खर्च किया गया है और केवल ७ हजार एकड़ भूमि तोड़ी गई है। ५००, ७००किसान भी वहां पर बसाये गये हैं। जो पंजाबी वहां खुद बस गये हैं वह सब मालदार हैं। सरकार ने जो काश्तकार बसाये हैं वे बहुत गरीब हैं। सरकार ने जो विसेनपुरी, बसाई है वह बाल की रद्दी ज़मीन है वहां के काश्तकार दुखी हैं रो रहे हैं नमी नहीं है, सींचने का प्रबंध नहीं। उसी के पड़ोस पांच छै सौ एकड़ ज़मीन परती पड़ी है, अच्छी है खेती हो सकती है मैंने उसके लिये सरकार से कहा कि यह ज़मीन दे दी जाय और सरकार अगर उसको न तोड़ सके तो खुद ही इनको काश्तकार तोड़ लेंगे लेकिन सरकार की तरफ से कह दिया गया कि उसमें पानी भर जाता है। क्या कहा जाय कोई देखने सुनने वाला नहीं है वहां का कालोनाइजेशन अफसर और कोआपरेटिव इंस्पेक्टर अनेक बार दरख्वास्त देने पर भी नहीं हटाये गये न हटाये जायेंगे उन्होंने ही सब रुपया बरबाद किया खूब खाया मगर कुछ नहीं।

श्री अधिष्ठाता—आप प्रस्ताव पर ही बोलें।

श्री बंशीधर शुक्ल—मैं प्रस्ताव पर ही बोल रहा हूं। यह ज़मीन के बारे में प्रस्ताव है उसी के सम्बन्ध में निवेदन कर रहा हूं। वहां के काश्तकार सेटलर कहे जाते हैं और जिनको आबाद किया गया है। उनसे लगान लिया जाता है ५ या ७ रुपया फी एकड़ फिर भी जब चाहते हैं छीन लेते हैं। उसी के पड़ोस नेपाल में लोगों को ज़मीनें दी गयी हैं। उनसे तीन साल तक लगान नहीं लिया जाता है। और डेढ़ एकड़ का एक बीघा मानते हैं। ३ साल तक लगान नहीं लेंगे फिर बाद को एक बीघा पर ३ रुपया ७ आना लगान लिया जाता है। दस साला बन्दोबस्त होता है, खेतिहर स्वतंत्र है कोई बंधन नहीं है मगर यहां करोड़ों बन्धन हैं भगवान क्या होगा

आप इस प्रस्ताव में तीन एकड़ रख रहे हैं। यह आपकी तरफ से यदि आजाता तो मान लेते मगर चूंकि विरोधियों की ओर से है इसलिये नहीं मानेंगे। मैं तो इसको समर्थन करता हूं और आपकी बात को दोहराता हूं और साथ ही साथ यह कहता हूं कि ज़मीन की एक किस्म की जाय और फिर उस पर इस ढंग से लगान बांधें कि एक फसल वाली, दो फसल और तीन फसल वाली जो काश्त हो उस पर उसी ढंग से लगान रखें। ५ रुपया एकड़ से अधिक लगान न रखें और २,३ रुपये एकड़ से कम न रखिये। इतना यदि आप कर दें तो किसानों को बहुत राहत मिलेगी साथ ही नौकर कम कीजिये। अब आपने इसमें कुर्क अमीन को अलग रखा है। पतरौल को अलग रखा है। पतरौल सिंचाई का काम करने वाला है और कुर्क अमीन लगान वसूल करता है पटवारी कब्जा लिखने वाला, लगान बांधने वाला ग्राम सेवक के पास कोई काम नहीं ग्राम सेविका ग्राम विनोदिनी के पास कोई काम नहीं और कामदार गन्ना लिखने वाला,

[श्री बंशीधर शुक्ल]

ग्राम सेक्रेटरी फैमनी रजिस्ट्रार लिखने वाला, बोलो भारत माता की जय, तो यह ६,६ भयंकर अफसर जो किसानों पर छुरी चलाया करते हैं यह छोटे हैं, बड़े अफसरों का तो कहना ही क्या। अगर इन सब को हटा कर एक को रख दिया जाय तो किसानों की जान बच जाय और आपका खर्च भी कम हो।

अगर हम कोई सुझाव रखें तो उसे आप ठुकराते हैं, समझते हैं कि उससे कहीं इनका प्रभाव न बढ़ जाय। आज मैं एलानिया कहता हूं कि यह प्रस्ताव है और इसे आप न मानेंगे, लेकिन दस साल बाद आप सोचेंगे कि मैंने क्या कहा था। मैं कहता हूं कि जमीन की एक क़ानून बनाइये और ढंग से बनाइये। चकबंदी में आप लगान के अनुसार जमीन का नक्शा बनाते हैं और उसके हिसाब से ही जमीन की नाप करते हैं। यह गलत है मेरे जिले में तो जिसके पास ज्यादा जमीन है उसका लगान उतना ही कम है। एक, डेढ़ रुपया एकड़ तक का लगान है के भल्ला साहब का ११०० एकड़ का फार्म है, ५५० रुपया लगान उनको देना पड़ता है। वह साहब पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर हैं। चन्द्रभानु गुप्त जी की उन पर विशेष दया है और उन की दया से वे जंगल कटाने का अख्तियार भी रखते हैं। उनका कहना यह है कि ७०,००० दरख्त उनको ऐसे मिले कि जो १०० रुपये से ज्यादा की कीमत के थे। आज उनके जंगल में दो लाख रुपये से ज्यादा का ईंधन पड़ा है। सरकार ने उनको अमीर होने के लिये और ज्यादा मदद की, सुभीते दिये। एक लाख कर्ज दिया यह तो वही हुआ कि 'अंधा बांटे रेवड़ी, कुनबा ही को देय'। यह नीति ठीक नहीं है। मैं यह कहूंगा कि किसान पर आज तक दुधारा चलता रहा है। सरकार ने कभी उनकी तरफ देखा ही नहीं मच्छर उन के पास जाते हैं तो काटने के लिये, चिड़िया आती हैं तो उसकी फसल उजाड़ने के लिये, चूहे पहुंचते हैं तो अनाज का सत्यानाश करने के लिये, जमींदार जाता था उनको चूसने के लिये, आफीसर जाते हैं तो उनका शिकार खेलने के लिये कीड़े पहुंचते हैं काटने के लिये, हवा पहुंचती है उड़ाने के लिये, सूरज पहुंचता है जलाने के लिये, बादल पहुंचता है बहाने के लिये, कोई उनका सगा है ही नहीं

श्री अधिष्ठाता---कोरम नहीं है। आप जरा रुक जायं।

श्री बंशीधर शुक्ल---श्रीमन्, मैं तो कोरम की कोई जरूरत नहीं समझता। यह सरकार के खिलाफ प्रस्ताव है और इसलिये पास होगा ही नहीं। हमें अपनी कह लेने दीजिये।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री बंशीधर शुक्ल---तो श्रीमान जी आज किसान की हालत खराब है। श्रीमन्, किसान का तो यह कहना है कि हमको किसी का सहारा नहीं हमें अपने भरोसे मरना जीना है और---

धरती खोदे नाज मिले भुइयां खोदे पानी,
बिरवा पोंछे दूध मिले सपना असि अस मिले जवानी।
लकड़ी पेरे शक्कर मिठाई दाना पेरे तेल,
मट्टी पेरे नमक मिले उर किनते अतर फुलेल।
यहां जमाना चूसे आवै यह रस चूसी दुनियां,
यहां कहां उड़ कोठी बंगला वह किसान की दुनियां।
सिंचिता उदै जुंधइया अथवै चलै मन्द पुरवइया,
कोइली कांवों कुतवा पोंपों चों चों करै चिरैया।
बरधा दुवौं पगुरयो लागे गाय ठाढ़ि हुंकारै,
टटिया फारे बछरा झांके रहि रहि मूड़ि निकारै।
टें टें पर लरिका चपटावें मेहरी द्वार बहारै,
बड़का भइया गोंद बनावे सूखे बेल उछारै।
बिटिया थिरकै पावन पहिरै सनई की झुंन-झुंनिया,
देखि करेजा बिरन बाढ़े यह किसान की दुनियां।

श्रीमन्, किसानों ने बड़ी बड़ी आशायें आप से की थीं, आपको गद्दी पर बिठाया था इस आशा से कि यह कुछ हम गरीब किसानों का भला करेंगे इसलिये नहीं कि वे हमको बरबाद करके छोड़ेंगे। जो लगान पहले उनको जमींदारों को देना पड़ता था आज उससे दुगना सरकार उनसे ले लेती है। आपने उनके लिये किया क्या? जो कुछ किया अपने नौकरों के लिये, अपने अधिकारियों के लिये किया। आप जरा इस बात का हिसाब तो रखिये कि आपके अधिकारी २४ घंटे में कितना काम करते हैं। एक आपने उनको बंगला दे दिया, कार दे दी, वे बीबी को साथ लेकर घूमते हैं, अन्डा खाते हैं, बिस्कुट खाते हैं और मजा करते हैं। किसानों पर तो ऐसे भौंक पड़ते हैं जैसे जंगल में रीछ बोलता है।

कुछ माननीय सदस्यों की इच्छा है कि कोई कविता भी कही जाय। उसे भी सुनिये—

"किसी अधिकारी का है किंचित सहारा नहीं,
रोज लादे जा रहे हैं इन पर करोड़ों कर,
आते हैं आफिसर दिखा के नये-नये टैक्स ऐक्ट
छीन लेते रकम भरी जो जोड़-जोड़ कर।

विकट परिश्रम में फिर भी लगे हुये हैं,
दुरित दुरास तुझ से न मुख मोड़ कर,
नौकर रखता है घर रोकड़ अरोड़कर,
मालिक किसान मरता है गोड़-गोड़ कर॥

मान्यवर, आप किसान को कुछ रियायत दीजिये। यह जो ३ एकड़ वाला प्रस्ताव है इसको स्वीकार कीजिये, वैसे होना तो ६ एकड़ चाहिये था। इससे आपको कुछ घाटा नहीं होगा और जो बड़े किसान हैं जिनका लगान कम है बढ़ा दीजिये। जिनके पास हजारों एकड़ जमीनें हैं, उन पर आप लगान बढ़ा दीजिये। जो बंजर भूमि है वहां पर आप जंगल लगाइये और जंगलों में जो अच्छी जमीन है जहां खेती हो सकती है, उसको वहां से निकाल कर किसानों में बांट दीजिये। लम्बी लम्बी झीलों का पानी निकाल कर उसमें खेती करवाइये। देखिए घाटा के बजाय मुनाफा होता है या नहीं। सरकारी फार्म खत्म कीजिये देखिए किसान बढ़ता है या नहीं। यह सब आप करें तो किसान का भी फायदा होगा और आपके नौकरों का भी फायदा होगा। आपको इन बढ़े हुये अपने नौकरों को चीन से लड़ने के लिये मैदान में भेज देना चाहिये वहां आप उनको मरने दें। आबादी तो इनकी ही बढ़ी है यही बढ़ाते हैं श्रीमन्, इन शब्दों के साथ में आचार्य जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और श्रीमती सरकार आलिया से कहता हूं कि वे इसे स्वीकार करें।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, मुझे दुख है कि मैं आचार्य जी के प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता हूं। मान्यवर, इस प्रस्ताव के दो भाग हैं—एक भाग में तो यह कहा गया है कि ३ एकड़ से कम जोत वाले किसानों से लगान न लिया जाय और दूसरे भाग में यह कहा गया है कि जहां चकबंदी हो रही है वहां के भूमिहीन किसानों की आबादी के लिये जमीन छोड़ी जाय।

मान्यवर, सबसे पहले मैं पहले भाग के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करूंगा। श्रीमन्, आचार्य जी ने जो यह कहा कि छोटे किसानों के पास खेती के लिये अच्छे साधन नहीं होते हैं, यह सही बात है, किन्तु वास्तव में हमारे सामने जो इस सम्बन्ध में कठिनाई है उसको भी ध्यान में रखना चाहिये। आज नियोजन का युग है और हमको नियोजन के लिये धन की आवश्यकता पड़ती है। आज एक-एक कौड़ी इकट्ठा करके नियोजन को सफल बनाने का प्रयत्न किया जा जा रहा है। अगर हम इस प्रस्ताव को मान लेते हैं तो सरकार को ७–८ करोड़ का घाटा उठाना होगा और फिर उसको दूसरी जगह से लाना होगा। इस तरह से एक बड़ी परेशानी लोगों में पैदा होगी और सबसे बड़ी अड़चन जो है अगर इस प्रस्ताव को मान लिया जाय तो जितने भी

[श्री माताप्रसाद]

काश्तकार ३ एकड़ से ऊपर के हैं वे सभी अपने खेतों का हिस्सा करना शुरू कर देंगे। मान लें किसी काश्तकार के पास ८ एकड़ जमीन है और उसके घर में ४ व्यक्ति हैं तो वह सभी लोग कानूनी ढंग से फर्जी मुकदमा दायर करेंगे और बटवारे के लिये दरख्वास्त दे देंगे कि हमारी जमीन बांट दी जाय। उसका परिणाम यह होगा कि जमीन के बहुत ज्यादा टुकड़े हो जायेंगे और आप देखेंगे कि ५-४ साल के अन्दर ही सूबे की कोई भी जमीन ऐसी नहीं बचेगी जो तीन एकड़ से ज्यादा पड़े।

एक चीज और है। हमारे सूबे में तो यों ही बहुत छोटे-छोटे काश्तकार हैं। उदाहरण के लिये मैं चौधरी चरण सिंह जी की पुस्तक 'भूमिव्यवस्था में क्रांति, उत्तर प्रदेश' के पृष्ठ ६२ से पढ़ता हूं कि देवरिया जिले में ८७.४६ प्रतिशत काश्तकारों का अनुपात है और इनसे से खेतिहरों के परिवार २.९७ आबादी का है। इसी तरह बस्ती में २.९२, गोरखपुर में २.६२ आजमगढ़ में २.५५ और मेरठ में २.५९। अगर हम इस प्रस्ताव को मान लेते हैं तो इसका नतीजा यह होगा कि इन जिलों का जो औसत है उस पर तो सब लगान माफ कर देना पड़ेगा। बटवारे का खतरा और फर्जी मुकदमों का खतरा है जैसा मैंने कहा वह सबसे ऊपर है। कहने में तो बहुत अच्छी चीज है कि ३ एकड़ से कम काश्तकारों का लगान माफ कर दिया जाय लेकिन व्यावहारिक बात नहीं होगी।

बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि जो सवा ६ एकड़ के काश्तकार हैं उनका लगान माफ होना चाहिये। इसी पुस्तक के पृष्ठ ५९ में लिखा है कि ऐसे लोगों के पास जो औसत जमीन सूबे के अन्दर आती है वह ४.८ एकड़ है। और अगर यह प्रस्ताव मान लिया जाय तो एक बहुत बड़ी व्यावहारिक अड़चन पैदा होगी, ८ या ९ करोड़ का घाटा तो होगा ही लेकिन थोड़े समय के अन्दर जितनी भी आमदनी सरकार को मालगुजारी से होती है वह सब खत्म हो जायेगी और कोई आमदनी नहीं होगी। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

मान्यवर, दूसरी बात जो कही गयी है वह यह है कि जहां पर चकबंदी हो रही है वहां के भूमिहीनों को आबादी के लिये जमीन देने की व्यवस्था की जाय। माननीय सदस्यों को मालूम है कि चकबंदी अधिनियम में ऐसी व्यवस्था है कि सौ में से ५ एकड़ कटौती करके जिनके पास आबादी की या दूसरी आवश्यकता की जमीन नहीं है उनके लिये दी जाय। माननीय श्री नीलाल जी अवस्थी ने कहा कि चकबंदी से न फायदा हुआ है और न ही होगा। शायद अवस्थी जी के क्षेत्र में चकबंदी नहीं हो रही है। मेरे क्षेत्र में चकबंदी हो रही है और मैं कह सकता हूं कि चकबंदी से जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है वह यही है कि जब चकबंदी नहीं हो रही थी उसके पहले जो बहुत से भूमिहीन हरिजन लोग हमारे यहां चालीसों पचासों वर्षों से बसे हुये थे, आबादी उनकी नहीं लगी हुई थी किसी का बाग दर्ज था और किसी का खेत दर्ज था। लेकिन जब चकबंदी हुई तो मौके पर कागज दुरुस्ती होने लगी। तो उनकी आबादी की जमीन दर्ज हो रही है। सबसे बड़ी राहत तो किसानों को चकबंदी से यह मिली, और दूसरे जो जमीन पर काबिज था किसानों को धमकाया करता था कि अगर तुम हमारा काम नहीं करोगे तो हम तुम्हें निकाल देंगे या तुम्हें हर तरह से परेशान करेंगे। वह भी खत्म हुआ। तो सबसे बड़ा फायदा तो ऐसे लोगों को हुआ ही है जिनकी आबादी की जमीन दर्ज नहीं थी वह आज चकबंदी होने के कारण दर्ज हो चुकी है और उनको राहत मिल रही है जैसा कि मैंने बताया कि अधिनियम में यह व्यवस्था की गयी है कि सौ एकड़ में ५ प्रतिशत तक कटौती कर सकती है चकबंदी कमेटी। लेकिन कमेटी में काश्तकार होते हैं। वह इस डर से कभी कभी कटौती नहीं करते कि कटौती की जमीन हम लोगों की जमीनों में से ली जायगी। इसलिये सरकार ने एक यह व्यवस्था की है कि अधिनियम में कि अगर कटौती नहीं करते हैं तो सी०ओ० और ए०सी०ओ० को अधिकार दिया है कि ५ एकड़ तक अपनी तरफ से अनिवार्य रूप से कटौती कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि इस नियम का कड़ाई से पालन होना चाहिये।

आबादी के लिये जो जमीन दी जाती है उसमें यह अड़चन आती है कि एक बहुत बड़ा गांव है जिसमें ८–१० पुर्वे हैं। अगर एक ही जगह जमीन छोड़ दी जाती है तो कोशिश यह होती है कि जो उस गांव के होशियार लोग होते हैं वह उस सार्वजनिक जमीन को अपने काम में ले आते हैं और प्रायः ऐसी जमीन जहां गरीब लोग बसते हैं वहां नहीं छोड़ी जाती है। इसलिये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि जो हरिजन या गरीब हैं जिनके पास अपनी जमीन बिलकुल नहीं है उनकी बस्तियों के पास, पुर्वे के पास, इस तरह की व्यवस्था अवश्य हो जाय जिससे वे अपने पशुओं को चरा सकें, उनकी आबादी बढ़े और वे उसका लाभ उठा सकें। हमें खुशी है कि अब सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि हरिजनों के लिये अलग से जमीन दे दी है। हमारे यहां चकबन्दी कमेटी ने यह किया है कि अगर हम सबके लिये आबादी के लिये जमीन छोड़ते हैं तो चालाक लोग अपने लिये ले लेंगे, इसलिये कुछ जमीन हरिजनों के लिये रिजर्व करदी जाय जिसमें हरिजन ही बस सकते हैं, दूसरे नहीं। यह चीज भी बड़ी अच्छी है।

एक अड़चन यह पड़ती है कि जमीन की व्यवस्था करने का भार ग्राम समाज को दे दिया गया है। पंचायतों की सार्वजनिक जमीन और चकबन्दी से जो सार्वजनिक हित के लिये जमीन निकलती है उसका भार ग्राम समाज को दिया गया है। ग्राम समाज काफी गड़बड़ी कर रहे हैं। काफी अंश तक जिसे जमीन की जरूरत होती है उसे नहीं देते हैं बल्कि बड़े लोगों को या प्रधान खुद ही अपने नाते रिश्तेदार के नाम जमीन लिख देते हैं। इस तरह से गरीब और भूमिहीनों को जमीन नहीं मिल पाती, जबकि नियमानुसार उनको ही पहले मिलनी चाहिये, यह बड़े अफसोस की बात है। जिनके पास अपनी जमीन काफी है वह उसे ले लेते हैं। तो मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि वह ऐसी व्यवस्था करें कि इस संबंध में लोग चालाकी से काम न ले सकें। एक परिवार में एक आदमी के पास जमीन होती है। वह खुद अपने नाम से नहीं लेता, बल्कि अपने परिवार में ही जिसके नाम जमीन नहीं है वह उसके नाम में किसी न किसी तरह से जमीन लिखवा देता है और कानूनी ढंग से वह कहते हैं कि वह तो भूमिहीन है, उसके पास जमीन कहां है? इसलिये उनको दे दी गयी। इसलिये कोई रुकावट होनी चाहिये कि जिनके पास जमीन है उनके परिवार में जमीन न दी जाय।

मान्यवर, चकबन्दी अधिनियम में यह व्यवस्था है कि स्कूल के लिये, रास्ते के लिये, मकान के लिये, कब्रिस्तान के लिये हरिजनों को जमीन दी जाय, चमड़ा जो निकालते हैं उनको धोबियों को जमीन दी जाय। कभी-कभी बड़ी-बड़ी अड़चन यह पड़ती है कि जो लोग रुचि रखते हैं उनको जमीन मिल जाती है। लेकिन आम तौर से ऐसा होता है कि गरीब हरिजन लोग यह जानते नहीं कि चकबन्दी अधिनियम में क्या-क्या सहूलियतें दी गई हैं अतः वह मांग भी नहीं कर पाते हैं।

दूसरी बात यह है कि अधिकारी या गांव के जो काश्तकार होते हैं वह इस बात की कोशिश करते हैं कि जमीन की कटौती कम से कम हो क्योंकि जितनी ही ज्यादा कटौती होगी उतनी ही ज्यादा जमीन बड़े काश्तकार की निकलेगी। कुछ अधिकारी जरूर इस बात का प्रयत्न करते हैं कि जमीन छोड़ी जाय लेकिन कुछ अधिकारी उसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते। आज गांवों में आबादी बढ़ती जा रही है। खास तौर से हरिजनों और गरीबों की आबादी बहुत बढ़ रही है जिनके पास खेत नहीं हैं। अगर आज उनकी आबादी के लिये समुचित व्यवस्था नहीं की गई तो भविष्य में उनके रहने का कहीं ठिकाना नहीं रह जायगा। आज भी मेरे जिले में यह हालत है कि हरिजनों की बस्ती में उनके घरों के सामने अगवारे और पिछवारे दूसरों के खेत पड़ते हैं। जिन लोगों के वह खेत होते हैं उनके यहां अगर वह हरिजन लोग मजदूरी करने नहीं जाते हैं तो वह उनको तंग करते हैं।

मान्यवर, चकबन्दी में ऐसा होता है कि होशियार लोग तरकीब निकाल लेते हैं। चकबन्दी अधिनियम में यह व्यवस्था है कि छोटे काश्तकारों को उनके घर के आस पास जमीन दी जानी चाहिये लेकिन कुछ चालाक लोग उन हरिजनों से हमेशा काम लेने के लिये यह कोशिश करते हैं कि उनके घर के अगवारे पिछवारे ही अपना चक बनवा लें ताकि उनके खेत में हरिजनों के बच्चों या

[श्री माताप्रसाद]

जानवरों द्वारा नुकसान होने पर वह हमेशा उन पर हावी रहें। इसलिये मेरा सरकार को सुझाव है कि उनको यह आदेश देना चाहिये कि हरिजनों की बस्तियों के आसपास दूसरे लोगों को चक न दिये जायं। मान्यवर, चकबन्दी की जो व्यवस्था चल रही है वह पता नहीं कितने दिनों तक चलेगी जबकि गांवों में आबादी बहुत जोरों से बढ़ रही है। भूमिहीन गरीबों में आबादी ज्यादा बढ़ती है। इसलिये हर गांव में यह अनिवार्य कर दिया जाना चाहिये कि उनकी आबादी के लिये भूमि छोड़ दी जाय। आचार्य जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं समझता हूं उसकी जरूरत नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

*श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय आचार्य जी की तरफ से इस सदन में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक इस प्रस्ताव का संबंध है और इसकी भावना का संबंध है, मैं आपके द्वारा सदन को बता देना चाहता हूं कि इस सदन में जब जब किसानों की सुरक्षा के लिये, किसानों के लगान में कमी करने के लिये और सरकार किसानों पर जो टैक्स लादती जा रही है उसको कम करने के लिये कोई प्रस्ताव आया तो सरकार ने उसको उपेक्षा की दृष्टि से देखा। श्रीमन्, मैंने इसी सदन में आधे लगान का प्रस्ताव रखा और उसको रखते हुये सब प्राविसेज के आधार पर यह सिद्ध किया कि उत्तर प्रदेश के किसानों का लगान आधा किया जाय, चाहे वह पहले की रेवन्यू के आधार पर जो कि ४७ में लगा दी थी और जो आज तीन गुनी हो गई है, उस आधार पर जमींदारों को जो पुनर्वासिन मिलता था उसको देने के आधार पर भी लगान को आधा किया जा सकता था, लेकिन सरकार ने लगान आधा नहीं किया। जिस समय यहां पर चौधरी चरण सिंह जो माल मंत्री थे, उस समय मैंने सदन में उसके कारण रखे थे और आंकड़े रखे थे। राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन् १९३१ में कराची के अधिवेशन में प्रस्ताव पास किया था कि जमींदारी समाप्त करके भूमि व्यवस्था कानून लायेंगे और किसानों के लगान को आधा करेंगे, लेकिन वह प्रस्ताव इस सदन के अन्दर निराधार हो गया। उस प्रस्ताव के संबंध में चौधरी चरण सिंह ने यही कहा कि चुनाव से पहले या सत्ता में आने से पहले पार्टियां इस तरह की घोषणायें करती ही रहती हैं। यह बड़े शर्म की बात थी कि सरकार की तरफ से ऐसा कहा गया। आज उधर से जो इस प्रस्ताव के खिलाफ भाषण हो रहे हैं, उनको हम आश्चर्य की दृष्टि से नहीं देखते हैं क्योंकि उधर से जितने भी भाषण हुये हैं वे किसानों और मजदूरों के खिलाफ ही हुये हैं और पार्टी के आधार पर जो आदेश हैं उस आदेश के आधार पर बंध करके ही वे भाषण हुये हैं।

श्री माताप्रसाद---अधिष्ठाता महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या कोई माननीय सदस्य इस प्रकार से कह सकता है कि किसी आदेश के अन्तर्गत भाषण होते हैं।

श्री अधिष्ठाता---यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री मलिखानसिंह---१९३७ में कांग्रेस ने जो रिज्योलूशन पास किया था और यह कहा था कि भूमिहीनों का लगान माफ किया जायगा उसके खिलाफ ही इस सरकार ने कार्य किये हैं।

किसान आज इस सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। किसान एक ऐसा व्यक्ति है जो गांवों में रहता है और जमीन से अनाज पैदा करता है। उसके ऊपर लगान का ही बोझ पड़ता हो, ऐसी बात नहीं है। चाहे वह सेल्स टैक्स हो, चाहे उत्पादन कर हो, चाहे एक्साइज ड्यूटी हो, चाहे और उसकी खाने पीने की वस्तुयें हों, वह सब पर आपको टैक्स देता है और इस प्रकार से उसके ऊपर ७२ प्रतिशत टैक्स पड़ता है और इस प्रकार से इस सरकार की जितनी योजनायें

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं, उनके बोझ को वह अपने कंधे पर ढोता है। उस टैक्स से आप शहरों की सजावट करते हैं और वह किसान उससे जरजर होता जा रहा है। जिस प्रकार से रावण खून लेता था उसी प्रकार से भारतीय किसानों से टैक्सों के द्वारा आप उनका खून चूसते हैं और यह सब योजनाओं के नाम पर कर रहे हैं।

औसत किसान पर ३ एकड़ भूमि है जो किसी प्रकार भी एकोनामिक होल्डिंग नहीं कही जा सकती। वह किसान कभी भी अपने पास पैसा नहीं रख सकता। केवल वह अपनी गुजर ही कर सकता है। खाली अन्न खा पायेगा, शहरों के लिये गेहूं पैदा करेगा और स्वयं मोटा अनाज खायेगा, गेहूं और सेला चावल वह नहीं खा पायेगा। कपड़ा और सारा आवश्यक सामान वह शहरों से खरीदता है। इस प्रकार से ६० प्रतिशत टैक्स आपका किसान के ऊपर ही पड़ता है।

इसलिये किसान इस सरकार से दान नहीं मांगता है। आज इस प्रदेश में अन्न का संकट है, वह किसान कहता है कि हम अन्न का संकट दूर करेंगे, प्रदेश की भुखमरी को दूर करेंगे, लेकिन हमें सुविधायें दो। जब किसान के यहां अन्न पैदा नहीं हुआ था और सब लोगों ने यहां से वाक आउट किया था क्योंकि सरकार से खाद्य समस्या का कोई हल नहीं हो पाया था तो सरकार ने उसका उत्तरदायित्व किसके ऊपर रखा? किसान के ऊपर। सरकार ने कहा कि इस देश का किसान इतना निकम्मा हो चला है कि काम करना जानता ही नहीं है, इसीलिये नागपुर में, अभ्यंकर नगर में, सहकारी खेती का ऐसा भयंकर प्रस्ताव पास किया जिसकी कोई हद नहीं। जैसा कि अभी ब्रजबिहारी मेहरोत्रा जी ने कहा हमारी आबादी जिस तरह से दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उससे काफी अनइकोनामिक होल्डिंग हो जायेंगी और हो सकता है कि ऐसी जमीन के लगान की माफी की आवाज किसानों की तरफ से उठे। एक प्रश्न के उत्तर में बतलाया गया कि आजमगढ़ कोआपरेटिव फेडरेशन में डेढ़ लाख रुपये का गबन हुआ। जब कोआपरेटिव सोसाइटीज में आप कोई चीज नहीं कर पा रहे हैं तो किसानों पर जो एक चक्र यह कोआपरेटिव फार्मिंग का चलाया है वह किसानों के लिये कितना घातक हो सकता है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। यह वही किसान उस समय कल्पना करेगा जब कि उसे अपने बच्चे की बीमारी में इलाज के लिये कोआपरेटिव फार्मिंग की जमीन पर कोई रुपया नहीं मिलेगा और वह अपने बच्चे का इलाज नहीं करवा पायेगा तथा और कोई मुसीबत आने पर भी स्वयं उसे बरदाश्त करना होगा।

आज सरकार भूमि व्यवस्था के नाम पर जितने भी कानून हैं, किसानों पर लादती जाती है और जिसके लिये आज यह सरकार कोआपरेटिव फार्मिंग का नारा लगाती है, और खेतीहर मजदूरों को दिखलाना चाहती है कि हम खेती के लिये अच्छे अच्छे साधन देंगे, ट्रैक्टर्स देंगे, और इस तरह से खेती करायेंगे। लेकिन यह कितना घातक है, मैं पहले कह चुका हूं, इसलिये पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वे किसान जिनके पास अनइकोनामिक होल्डिंग्स हैं और जो जमीन के ऊपर बोझ हैं, उस बोझ तो हटाने के लिये आपने कोई हल निकाला है? क्या आपने गांव गांव में काटेज इंडस्ट्रीज खोल दी हैं जिससे बेकार किसानों को काम मिल सके? जितनी भी योजनायें होती हैं वे शहरों में ही लागू होती हैं। अनइकोनामिक होल्डिंग्स पर से लगान को खत्म कर देने की किसानों की जायज मांग है क्योंकि यह सरकार हमेशा हम लोगों के सामने यह हौवा दिखलाती रही है कि रेवेन्यु का क्या होगा, उसकी पूर्ति हम कैसे कर सकेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि फारेस्ट डिपार्टमेंट पर जब डिबेट हो रहा था तो मैंने कहा कि ७ पैसे मन लकड़ी क्यों दी गयी जब कि बाजार में उसका भाव रुपये, बीस आने मन है? मैंने कहा था कि लीसा को १३ रु० मन पर क्यों बेचा गया जिससे २ करोड़ रुपया निकल सकता है? मैं पूछना चाहता हूं कि गन्ना मिल मालिकों और कानपुर के मिल मालिकों पर जो लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठा हो रहा है, उस रुपये को लेने की सरकार के अन्दर हिम्मत

[श्री मीलखान सिंह]

है ? कोई उत्तर नहीं होगा। लेकिन किसानों से यह बात कह दी जायगी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये रुपये की जरूरत है, इसलिये आबपाशी बढ़ा रहे हैं और लगान कम नहीं कर सकते हैं। मैंने एक योजना बना कर दी थी कि अगर इस योजना से सरकार काम करे तो उसको ४ करोड़ रुपये का लाभ हो सकता है और डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी ने मेरी बात को स्वीकार कर लिया था और उन्होंने कहा कि वास्तव में आपकी राय बिलकुल सही है लेकिन पहले मैं इसके ऊपर विचार कर लूं। यह उस समय की बात है जब आधे लगान का सवाल चल रहा था। हमारे सामने फिर वही बात दोहरा दी जायगी कि रुपया कम होगा इसलिये उनके लगान की माफी हम नहीं कर सकते हैं। अगर आप उनका लगान माफ नहीं करेंगे तो किसान एक बैल भी नहीं खरीद सकता। १५ बीघे का किसान बैल नहीं खरीद सकेगा और जिसकी खेती अलाभकर है उस को सूद पर पैसा लेना होता है आप उस के लिये पैसे का प्रबन्ध कीजिये, उस से कहिये कि तुम से लगान नहीं लिया जायगा और तुम भी उत्पादन बढ़ाकर देश की योजना में अपना योगदान करो। इस तरह से आप उस की पैदावार बढ़ाने में सहायक बना सकते हैं।

दूसरी चीज यह है जो चकबन्दी के सम्बन्ध में कही गई है कि चकबन्दी में गावों में बेमकान लोगों की आबादी के लिये जमीन छोड़ी जाय। इसमें यह है कि हम इतनी जमीन आबादी के लिये छोड़ दें, लेकिन वह किस लिये ? वह जमीन सार्वजनिक हित के लिये छोड़ी जायगी। यह प्रस्ताव कहता है कि वह उन व्यक्तियों को दी जाय जिन के पास कोई मकान या कोई छप्पर तक के लिये जमीन नहीं है, जिन के पास इतनी भी जमीन नहीं है कि वह मकान के साथ जानवरों को भी बांध सकें। जहां किसान सोता है वह वहीं जानवर बांधता है। तो सवाल यह है कि जिन के पास जमीन नहीं है उन को जमीन कैसे दी जाय। जहांतक सार्वजनिक हित की बात है देहात में जो लोग जरा जागरूक रहते हैं, जो अफसरों से मिले जुले रहते हैं पहले उन को अधिकार मिल जाता है इसलिये इस में ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये कि वह जमीन केवल उन्हीं को मिले जिन के पास वास्तव में जमीन नहीं है और मैनुअल में जो दस प्रतिशत रखा है उसको और बढ़ाया जाय ताकि भूमिहीन जिन के पास मकान नहीं है उसको जमीन मिल सके और जिस किसान के पास अलाभकर जोत है वह भी आगे बढ़ सके। वह ऐसे लोग हैं कि जिन का लगान माफ होना चाहिये ताकि उस के दिमाग में यह न रहे कि लगान देना है और पैसा कहां से आयेगा। वह बड़े-बड़े सूदखोरों के पास न जाय इस का प्रबन्ध होना चाहिये। कहा जायगा कि हम ने साधन सहकारी समितियां खोल दी हैं। वहां पर जो रुपया किसान को मिलता है वह एक बार साल में किसान को जमा करना होता है और उस के बाद आगे के लिये रुपया मिलता है। लेकिन अगर इत्तिफाक से सूखे या बाढ़ से उस की एक फसल खराब हो गई तो उस की बुरी हालत हो जाती है और उसको ५ दिन के लिये ही अगर रुपये की जरूरत होती है तो महाजन सूदखोर उस से ५ दिन के लिये ही ५ रुपया सैकड़े का सूद लेता है, २०० रुपया देकर खाली ५ दिन के वह दस रुपया लेता है जो १५--२० प्रतिशत से भी अधिक पड़ता है। इस तरह की ज्यादती को हमारा भूमिहीन अब बरदाश्त नहीं कर सकता और इसी के आधार पर मेरा खयाल है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाया। अच्छा हो कि भूमिहीनों का लगान माफ हो ताकि गरीब किसान जिस के पास थोड़ी सी खेती है और ४ लड़के हैं वह भी खुशहाल बन सके और देश के लिये अधिक उत्पादन कर सके। इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि यह सदन इस पर गम्भीरता से विचार कर के इसे पास करेगा।

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है उस पर दोनों ओर के माननीय सदस्यों ने अपने भाषण दिये, उनके विचारों को मैंने सुना। मुझे प्रस्तावक महोदय क्षमा करें क्योंकि इस प्रस्ताव की जो शब्दावली है वह कोई उचित नहीं मालूम होती है। मैं उसको पढ़कर सुनाये देता हूं---यह सदन यह निश्चय करता है कि तीन एकड़ से कम भूमि रखने वाले किसानों से

लगान वसूल न किया जाय, इसका पहला अंग यह है। तो प्रस्तावक महोदय के दिमाग में तो शायद अलाभकर जोत की बात थी, लेकिन उन्होंने उसमें तीन एकड़ की संख्या रखी। मैं यह पूछना चाहता हूं कि वह तीन एकड़ जमीन तो कई किस्म की हो सकती है। पालव भी हो सकती है, गोइंड़ भी हो सकती है और मझार भी हो सकती है। तो तीन एकड़ का मयार कैसे रख दिया गया कि तीन एकड़ की ही जोत अलाभकर होगी, बाक़ी नहीं हो सकती ?

जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा, तीन एकड़ १५ बीघा खाम होता है। अगर उसकी सभी जमीन गोइंड़ है, सींचने के साधन काफी हैं, नहर है, कुआ है, कई चीजें हैं, और फर्टिलाइजर वगैरह भी काफी मिलता है, उसके जोतने बोने वाले भी काफी मेहनती और मशक्कती हैं, तो उसकी हैसियत और उसकी पैदावार तो दूसरी होगी। लेकिन अगर तीन एकड़ से ज्यादा जमीन भी किसी के पास है और सभी पालव किस्म की है, भले ही ४–५–६ एकड़ है, सिंचाई वगैरह के साधन नहीं हैं, तो उसकी हैसियत और पैदावार दूसरी होगी। तो यह क्या कोई न्यायसंगत बात है कि तीन एकड़ से जो कम हो वह तो अलाभकर मान ली जाय और जो ४, ५, ६ एकड़ हो और महा रद्दी हो, कोई साधन न हों, तो उसे न माना जाय ? तो इस प्रस्ताव की जो शब्दावली है उसे तो हम किसी प्रकार से स्वीकार कर ही नहीं सकते हैं।

प्रस्तावक महोदय इस बात पर प्रकाश डालें कि जिसके पास तीन एकड़ से कम जमीन है उन्होंने कैसे इस बात को समझ लिया कि कल भी वही हालत रहेगी जिस तरह से आबादी बढ़ती जायगी वह और भी कम होती जायगी। तो क्या लगान न देने से ही वह लाभकर जोत हो जायगी ? मूल प्रश्न तो यह है कि किस तरह से हमको अलाभकर जोतों को लाभकर करना है। हमारी आबादी बढ़ती चली जा रही है और सभी लोग जानते हैं कि एक जमाना वह था कि हरएक परिवार के पास १००, ५०, ६० बीघा जमीन हुआ करती थी और उस वक्त यह हालत थी कि किसी से खुश हो गये, किसी के लड़का हो गया तो गांव का गांव दे दिया, ५० बीघा जमीन दे दी। लेकिन वह किस तरह से कम होता गया क्या वह सब लोग जानते हैं ? परिवार बढ़ता गया। जिसके पास ५० बीघा जमीन थी वह बटकर २५ बीघा हो गई, फिर साढ़े १२ बीघा हुई, फिर सवा ६ बीघा हुई और फिर ३ बीघा की भी नौबत आयी। तो क्या उसका इलाज यह है कि लगान लेना बन्द कर दिया जाय ? तो क्या उससे सारा किस्सा ख़त्म हो जायगा, सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी, सब की गुजर-बसर ठीक से होगी और फिर कोई प्रश्न इस व्यवस्था को ठीक करने के लिये नहीं आयगा ? अगर उस मूल प्रश्न को देखें तो उसमें सवाल यह पैदा होता है आ कर के कि हमें जमीन पर से बढ़ते हुए आबादी के बोझ को हटाना है और यह करना है कि जितने लोग इस समय खेती में लगे हुये हैं उनको कोई दूसरा रोजगार दें तभी हम इस समस्या को हल कर सकते हैं। इससे तो नहीं कर सकते हैं कि किसी खाते की मालगुजारी वसूल न करें।

जैसा कुछ माननीय सदस्यों ने कहा सीलिंग के समय विरोधी दल के लोगों ने कहा कि सीलिंग तो कर रहे हैं लेकिन आप को कुछ जमीन मिले मिलायेगी नहीं। क्यों कहा ? इस लिये कहा कि उसका बन्दोबस्त लोग अभी से कर रहे हैं। वह आपस में, अपने घर के सदस्यों में, जितनी भी रियायत कानून देता है, उस तरीके से बांट कर जमीन को सीलिंग की हद से कम किये दे रहे हैं। तो लाजिमी है जहां आप ने मालगुजारी माफ़ करने की बात रखी वहां यही बात पैदा होगी कि लोग जमीन को छोटे-छोटे खातों में बांट देंगे और हर खाता आप को तीन एकड़ से कम ही नजर आयेगा। अब इसका नतीजा आप सोच सकते हैं। योजनाकाल में जब हम उन्नतिशील बातें कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि किस तरह से हमारा आर्थिक स्तर ऊंचा हो, तो जो बातें मैंने कहीं उन्हीं से कुछ हो सकता है न कि जमीन को छोटे-छोटे खातों में बांट कर। ऐसी हालत में हमको मूल प्रश्नों की तरफ़ देखना होगा न कि दूसरी तरफ़। तो आप देखें कि एक तरफ़ तो तीन एकड़ से कम की बात जो है उससे भी जमीन बंटती है और अगर यह चीज आप नहीं स्वीकार करते हैं तब भी वही नतीजा होने जा रहा है। जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी उसी तरह से उसका

[श्री कुंवरकृष्ण वर्मा]

बंटवारा होता जायगा और नौबत यह आयेगी कि छोटे-छोटे रकबों में जमीन बंट जायगी। इस समय आपने ३ एकड़ से कम कर दिया तो थोड़े दिन बाद यह आयेगा कि आप हर एक की मालगुजारी माफ करें। तो किस तरह से अपना भला कर सकेंगे, जब कि मेरी समझ में विरोधी दल के माननीय सदस्य भी चाहते हैं कि किसी तरीके से योजनायें जो हमारी हैं वे सफल हों, और हम अपना स्तर ऊंचा कर सकें, गरीबी दूर कर सकें ?

इसके अलावा दूसरा इसका अंग जो है वह अजीबो गरीब है। जहां तक उसकी शब्दावली की बात है वह इस प्रकार है "और चकबन्दी योजना में ऐसी व्यवस्था की जाय कि प्रत्येक भूमिहीन को आबादी के लिये भूमि मिल सके।" मैं समझा करता था कि गांव में जो लोग ऐसे हैं जिनके पास जोतने बोने के लिये जमीन न हो जिनके पास काश्त करने को जमीन नहीं है उन्हीं को भूमिहीन कहा करते थे। अब यहां यह रख दिया गया कि प्रत्येक भूमिहीन को आबादी के लिये जमीन मिल सके। तो मेरी समझ में इस भूमिहीन शब्द को और बढ़ा दिया गया।

आचार्य दीपंकर—यह तो बहुत सीधा-सादा लफ्ज है।

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा—आप की समझ में होगा लेकिन जब कानून की शक्ल में आयेगा तो जो बात मैं उठा रहा हूं वह बात भी सामने आयेगी और फिर भूमिहीन कहीं का भी हो, कोई भी आवे और कहे कि हमको मकान बनाने के लिये जमीन दी जाय तो उसको देनी पड़ेगी। तो क्या हम ऐसे बेकार आदमियों की आबादी जिनके पास वहां काश्त करने की कोई भूमि नहीं है वहां बढ़ाते ही चले जायं ? इसकी शब्दावली तो महज इतनी ही है कि "और चकबन्दी योजना में ऐसी व्यवस्था की जाय कि प्रत्येक भूमिहीन को आबादी के लिये भूमि मिल सके।" इसके अलावा और कोई चीज तो है नहीं। फिर, जिस वक्त चकबन्दी हो रही है उस वक्त तो व्यवस्था कर दो प्रत्येक भूमिहीन के लिये लेकिन जिस रेट से आबादी बढ़ती जा रही है तो उसके बाद क्या होगा ? ऐसी हालत में इसको चकबन्दी पर लादना ठीक भी नहीं है। असल में ग्राम समाज की कमेटी इसकी व्यवस्था करती है। चकबन्दी में थोड़ी सी जमीन सार्वजनिक कामों के लिये एलाट कर दी जाती है। उसमें से इन चीजों को भी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन जैसा मैंने कहा, असल में चाहिये तो यह कि हम मूल प्रश्न को देखें और उस हिसाब से व्यवस्था करें ताकि कुछ दिन तक वह चल सके। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री रामकुमार वैद्य (जिला मुरादाबाद)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय आचार्य दीपंकर जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मैं आशा करता था कि आज इस सदन में इस प्रस्ताव को स्वीकार करके हमारा जो शासन रूढ़ दल है वह अपने उस ऋण का परिशोध करेगा जो उसने भारतीय जनता के सम्मुख बार-बार प्रतिज्ञा की है, प्रस्ताव पास किये हैं और लोगों को आश्वासन दिया है और एक सीमा तक मैं यह कहने की अनुमति आप से चाहता हूं कि लोगों की भावनाओं को उभार कर उन्हीं आधारों पर उस दल ने वोट प्राप्त किये हैं। यह निर्विवाद है और सत्य है कि कांग्रेस ने पहले कई बार इस तरह की घोषणा की कि भूमि का लगान आधा होना चाहिये। आज जब एक प्रस्ताव सदन के सम्मुख आता है जिसमें एक बड़ी मासूम मांग है कि जिन लोगों के पास तीन एकड़ तक भूमि है उन से लगान न लिया जाय तो मैं समझता नहीं कि उसमें विवाद क्यों उपस्थित होता है। निश्चित रूप से सभी ने यह माना है कि हमारे देश में आज कई प्रणालियों से भूमि-व्यवस्था का अनुशीलन हो रहा है। योजना आयोग से लेकर प्रदेशीय सरकार के स्तर तक बहुत सी कमेटियां बैठी हैं, बहुत से आयोग नियुक्त किये गये हैं जिन्होंने इस बात का पता लगाया है और रिपोर्टें वगैरह भी दी हैं कि हमारी भूमि का कितना भाग लाभकर है और कितना अलाभकर है। इस सम्बन्ध में काफी प्रमाण हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिन्हें यहां देने की आवश्यकता नहीं है कि तीन एकड़ तक जो भूमि रखते हैं वह लाभकर जोत नहीं हो सकती।

इन्टेन्सिव कल्टीवेशन एक उपाय है जिससे हम अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। उत्पादन बढ़ाने का अर्थ यह हुआ कि किसान अपनी आमदनी भी बढ़ा सकता है। लेकिन तीन एकड़ भूमि में हमारे जिले में १८, १९ बीघा भूमि होती है। तो इतनी जमीन में किस प्रकार एक किसान सारी चीजों का इन्तजाम कर सकता है? उसे पानी का टैक्स देना होता है। तीन एकड़ भूमि ऐसी भी नहीं है कि उसे इतनी भी आय हो सके कि वह पानी का अपना साधन एकत्र कर ले। इसी प्रकार तीन एकड़ भूमि ऐसी भी नहीं है कि उसमें किसान के परिवार का गुजारा भी हो जाय, बैल वगैरह के लिए चारे का उत्पादन भी हो जाय, और कैश क्राप भी पैदा कर ले जिससे सरकार के तरह-तरह के करों को दे सके। प्रस्ताव की शब्दावली में साफ़ है—"यह सदन यह निश्चय करता है कि तीन एकड़ से कम भूमि रखने वाले किसानों से लगान वसूल न किया जाय"। मैं तो आचार्य जी की इस सरलता पर मुग्ध हूं। उनके प्रस्ताव में वाक् वितंडावाद नहीं है। तो जहां तक इस प्रस्ताव के इस पूर्वार्द्ध का सम्बन्ध है अधिष्ठाता महोदय, मैं समझा नहीं कि इसमें कठिनाई क्या है इस बात को समझ लेने में कि तीन एकड़ तक भूमि लाभकर होती है। जो हमारी वर्तमान भूमि-व्यवस्था है उसमें यह स्वतः सिद्ध है कि तीन एकड़ की भूमि में कोई किसान लाभकर व्यवसाय नहीं कर सकता, और श्रीमन्, हम उस किसान के दैनिक श्रम का भी मूल्यांकन करें तब तो एक दुर्दशापूर्ण चित्र सामने आ जाता है। प्रश्न यह है कि अगर सदन उदारतापूर्वक यह निश्चय कर दे कि उनसे लगान नहीं लिया जायगा तो देखना यह है कि जो तीन एकड़ तक भूमि रखते हैं और इस प्रस्ताव में यह अन्तर्निहित है कि यह प्रश्न केवल तीन एकड़ तक का नहीं है, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो तीन एकड़ से कम भूमि रखते होंगे, कुछ लोगों के पास ४ एकड़, ५ एकड़, ६ एकड़, ७ एकड़ भूमि है। उनकी पैदावार क्या होगी? उसको अपने परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करनी है, पशुओं के लिये कुछ न कुछ उगाने की आवश्यकता पड़ती है। अन्य साधनों के अभाव में यह भूमि बहुत कम है। यह स्पष्ट इस बात का प्रमाण है कि किसानकि आर्थिक दशा अच्छी नहीं है। तो वह किस तरह से निर्वाह करे?

दूसरी तरफ हमने नारा दिया है कि हम अधिक अन्न उत्पादन करेंगे और प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था को उन्नत करेंगे, प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ायेंगे। इसके लिये उपाय क्या है? मैं आशा करता था कि वह सरकार जो किसानों के बहुमत के रूप में अधिष्ठित है जिसने किसान को सब से बड़ी समर्थक पार्टी होने का दावा करने के लिये दो बैलों की जोड़ी का चुनाव चिह्न बना रखा है, जिससे लोगों को यह भ्रम पैदा होता है कि बैलों की जोड़ी वाली पार्टी ही किसानों की सच्ची समर्थक है और यह सरकार जो किसानों के समर्थन पर पदारूढ़ हुई है, जिसने बार-बार किसानों की उन्नति के लिये घोषणाएं कीं और आज जिस प्रकार योजनाएं चल रही हैं सरकार द्वारा निर्धारित की हुई, वह किसानों की स्थिति सुधारने के लिये है। जब एक सीधा सा प्रस्ताव रखा जाता है जो कि किसानों को अधिक प्रोत्साहित कर सकता है, उनका साहस बढ़ा सकता है, कि वह अधिक अन्नोत्पादन करें, तो हम यह आशा करते थे ऐसे निर्दोष प्रस्ताव को यह सरकार मान लेगी। किसानों की सहायता का और दूसरा क्या उपाय हो सकता है? आप जो सिंचाई योजनाओं के लिये कुछ कर्ज देते हैं, वह सूद के साथ वापस कर लिया जाता है। आप बैल खरीदने के लिये जो तकावी देते हैं, उसको भी सूद के साथ वापस कर लेते हैं। बीज बंटवाते हैं वह भी सूद के साथ वापस हो जाता है। इसमें किसान की इस प्रकार सहायता है कि वह महाजन के पंजे में न फंसे और कुछ कम सूद पर चीजें ले ले। लेकिन जो ठोस सहायता हो सकती है, जो उसकी आर्थिक स्थिति को कुछ बना सकती है, वह यह है कि उसको भार मुक्त किया जाय। वह इस प्रकार कि अगर किसी के पास तीन एकड़ तक भूमि है तो कृषि की अर्थ-व्यवस्था को उन्नत करने के लिये उसका लगान माफ कर दिया जाय। सरकार ऐसा कर के अपने पवित्र दायित्व की पूर्ति करेगी। इस तरह से मोटेतौर पर वह इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकती है। यदि हम इसके फलाफल पर विचार करें, तो इससे बड़ा भारी लाभ भी हमें दृष्टिगोचर होता है। हमारी योजनायें जिस सीमा तक सफल हुई हैं और जहां तक सरकार उनका श्रेय लेती है वह तो

[श्री रामकुमार वर्मा]

ठीक ही है। लेकिन जहां तक योजना की असफलता की बात प्रति दिन यहां इस सदन में भी और सदन के बाहर भी कही जाती है, उसमें एक प्रश्न प्रायः आता है सबके सामने कि इन योजनाओं में जन उत्साह सरकार को मिल नहीं सका। लोगों ने हृदय से योजना का उतना समर्थन नहीं किया जितना कि किया जाना चाहिये था। यदि हम इस प्रश्न पर विचार करें कि किस जनता के उत्साह की मांग हम करते हैं तो स्पष्ट है कि वह हमारे गांवों में बसने वाले वही ८० फीसदी लोग हैं जो कृषि में लगे हुए हैं, उसमें कुछ खेतिहर मजदूर भी हैं और अधिकांश किसान हैं। और यह भी स्वतः सिद्ध है कि उन किसानों की संख्या निश्चित रूप से बहुत बड़ी है कि जिनके पास भूमि तीन एकड़ से कम है। बहुत ज्यादा भूमि रखने वाले लोग जिनके लिये कि उस पक्ष के माननीय मित्रों को आशंका है कि यदि हमने लगान हटा लिया तो हजारों लोग तीन एकड़ से कम भूमि वाले बन जायेंगे।

श्रीमन्, मैं तो इस प्रश्न को इस रूप में ले नहीं सकता, इसलिए कि दो सौ एकड़ जमीन मान लीजिए कि किसी के पास है तो वह सिर्फ इसलिए कि ढाई सौ या ३ सौ रुपया लगान का बच जायगा क्या उस जमीन को दान कर देगा? या यह कि वह बटवारा कर लेगा, तो वह तो आप भी चाहते हैं कि बटवारा हो। आपने भी तो सीलिंग किया है इसलिये कि भूमि अधिकारी जनों के पास पहुंचे और एक ही व्यक्ति का अधिकार हटाया जाय। तो इस तरह से लोगों के सामने एक भूत रखना और हौवा दिखाना कि यदि लगान माफ किया जायगा तो सभी तीन एकड़ वाले बन जायेंगे यह कुछ उचित नहीं है। हमें यह सोचना चाहिये कि हमारे प्रदेश में काफी बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो तीन एकड़ तक ही भूमि रखते हैं। आप किसी प्रकार की भी अर्थ-व्यवस्था को नियोजित करें लेकिन भूमि की कमी लोगों को अधिक उत्पादन से रोकती है। किसान को सब से पहले तो अपने खाने के लिये चाहिए, चाहे मटर हो, ज्वार हो, चना हो, कोई भी छोटा या मोटा अनाज हो, कुछ न कुछ उसे अपने भरणपोषण के लिये पैदा करना है। इसके बाद जो कृषि के पशु हैं उनके चारे के लिये भी व्यवस्था करनी पड़ती है। कुछ तो चारा उस अनाज से निकल आता है और कुछ आजकल जो उन्नत कृषि हो रही है उसमें उनको कुछ पास में भी बोनी पड़ती है अपने पशुओं के चारे के लिये। तो इसके बाद उसके पास रहता क्या है? इस तरह से निशि दिन जो कर्ज के बोझ से मरता रहता है, उस किसान को आखिर हम किस तरह से सहारा दे सकते हैं? कुछ तो सहारा देने के प्रकार सरकार ने निकाले हैं और निश्चित रूप से ग्रामों में उससे कुछ लाभ भी पहुंचा है, किसानों ने अवश्य कुछ अपने को सुधारा भी है, लेकिन एक बहुत बड़ा काम हम उनको सहायता देने का कर सकेंगे यदि हम इन छोटे-छोटे किसानों को लगान से मुक्त कर दें। इससे लोगों में एक उत्साह आयेगा, एक उन्नति की भावना आयेगी, लोग यह समझेंगे कि सरकार किसानों को सहायता वास्तव में देना चाहती है।

इस सन्दर्भ में एक प्रश्न यह भी उठाया गया कि जो रेवेन्यू की इससे हानि होगी उसकी पूर्ति किस तरह की जाय? श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि हमारे प्रदेश का लगान जितना है उसमें से जितना इन छोटी भूमि वालों का अंश आता है उससे कुछ अधिक ही रकम आज जो हमारे प्रदेश में बड़े-बड़े पैसे वाले हैं, जिनके हाथ में बड़े-बड़े कल कारखाने हैं, उनके ऊपर सरकार का बाकी है। उसकी वसूली के लिये जो उपाय अपनाये जाते हैं और तीन चार पांच रुपए के लिये जो उपाय अपनाये जाते हैं यदि उन्हीं का अनुशीलन किया जाय तो दृश्य साफ हो जाता है कि सरकार किसानों की कितनी बड़ी सहायक है। एक किसान यदि फसल में पांच रुपया लगान न दे पाये तो उसकी गिरफ्तारी हो जायगी, उसके घर पर कुर्की हो जायगी। लेकिन एक कारखानेदार पर अगर सरकार का दो लाख या पांच लाख रुपया भी बकाया है तो मैंने आज तक तो सुना नहीं कि किसी कारखाने वाले की गिरफ्तारी हुई हो। कोई पूंजीपति तो आज तक शायद गिरफ्तार नहीं किया गया न किसी के घर पर कुर्की गई। लेकिन किसान की गिरफ्तारी का दृश्य गांव-गांव में कस्बे-कस्बे में आप देख सकते हैं कि पांच-पांच और चार-चार रुपये की वसूली के लिए लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो अगर सरकार के हृदय में किसान के प्रति

कोई सद्भावना नहीं है, अगर उसके सामने केवल एक ही प्रश्न है कि पैसा चाहे किसी भी नाम पर और किसी भी प्रकार से वसूल किया जाय तब तो कहने के लिये कुछ भी नहीं है, प्रस्ताव की शब्दावली में चाहे कुछ भी हो, लेकिन यदि सरकार किसानों को कुछ भी सहायता देना चाहती है तो प्रस्ताव बहुत सीधा-सादा है, स्पष्ट है, और स्पष्ट उसकी भावना है कि जिनकी आय बहुत कम है भूमि से, जिनको बहुत कम पैदा भूमि से मिलता है, जो अनुत्पादक कृषि करते हैं, उन लोगों से सरकारी लगान न लिया जाय। उसके बाद भी बहुत से किसान रहेंगे जो सरकार के प्रति किसी न किसी रूप में अपने उत्तरदायित्व की बात कर सकते हैं।

मिसाल के तौर पर उन्नत कृषि की बात आज चल रही है जिससे भूमि में अधिक से अधिक पैदावार कर सकें। उनकी भूमि को अच्छा बनाने के लिये अच्छा खाद दें, अच्छा बीज दें, कुछ प्राकृतिक खाद दें, कुछ रासायनिक खाद दें, इस प्रकार की सब योजनायें सरकार की ओर से आजकल चल रही हैं। तो जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि हम इन चीजों को हृदयगंम कर सकें तो इसके लिये हमको तेज कदम उठाना होगा। मेरा निश्चित मत है कि यदि आचार्य जी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाय तो किसानों के अन्दर एक स्फूर्ति आयेगी। प्रत्येक भूमिहीन को चकबन्दी के सम्बन्ध में गृह निर्माण के लिये कुछ भूमि दी जाने की बात सर्वथा निर्दोष है। यह कहना कि शहर से लोग जाकर वहां रहने लगेंगे यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि यह किस प्रकार का तर्क है। फिर यह किया जा सकता है कि जब उपनियम वगैरह बनायें जांयगे तो उनमें उल्लेख किया जा सकता है कि उसी ग्राम के निवासियों को भूमि रहने के लिये दी जाय। पहले आप इस संकल्प को तो स्वीकार करें। यदि आप इस संकल्प को स्वीकार कर लें तो इस बात का प्रबन्ध किया जा सकता है कि सार्वजनिक उपयोग के लिये जो भूमि छोड़ी जाय उसमें भूमिहीन लोगों को गृहनिर्माण के लिये भूमि दी जाय। यह मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप इस संकल्प को स्वीकार कर लेते हैं तो वह भूमि उसी ग्राम के निवासियों को दी जायगी। बाहर से आने वाले लोगों को वह भूमि नहीं दी जायगी। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस निर्दोष प्रस्ताव को स्वीकार करके किसानों के भार को कम किये जाने के लिये अपने पवित्र कर्तव्य का पालन करेगी। जहां तक जमीन का सम्बन्ध है मैं यह समझता हूं कि इस पक्ष के और उस पक्ष के सभी सदन के सदस्यों की यह भावना है कि अनुपात्पादक कृषि करने वाले किसानों का लगान हटाया जाय। चाहते सभी हैं किन्तु पार्टी पोजीशन को मैं जानता हूं और उनकी विवशता को भी जानता हूं किन्तु सब का मत यही दिखाई पड़ता है कि यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि इस प्रस्ताव के दोनों अंगों को सभी माननीय सदस्य एक मत से स्वीकार करेंगे।

श्री रघुवीरसिंह (जिला एटा)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री जोखई (जिला इलाहाबाद)—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि बहुत कोशिश करने के बाद आपने मुझे बोलने का समय दिया। हमारी विरोधी पार्टी की तरफ से जो तीन एकड़ की लगान माफी का प्रस्ताव आया है कि उन काश्तकारों से मालगुजारी न ली जाय तो मैं उन विरोधी पार्टी के सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि जो बराबर भूमिहीनों की यहां पर बात की जाती है इसका क्या मतलब है। यह तीन एकड़ की मालगुजारी की माफी का जो प्रस्ताव है इससे भूमिहीनों का क्या सम्बन्ध है। जिनके पास जमीन नहीं है उनसे इस प्रस्ताव का क्या सम्बन्ध है। मैं तो हमेशा देखता हूं कि हमेशा इसी तरीके के अनर्गल प्रस्ताव ले

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जोखई

आते हैं और अनर्गल बात करते हैं। जिनके पास जमीन नहीं है उनसे इस प्रस्ताव का सम्बन्ध ही नहीं है। जिनके पास जमीन है उनकी बात आप करिये। इस प्रस्ताव का मतलब यह है कि भूमिहीनों से आपको वोट मिलता है। वे बेचारे जानते ही नहीं हैं और गलत बातें समझा कर उनसे वोट ले लेते हैं। मैं तो विरोधी पार्टी वालों से कहूंगा कि ऐसे गलत प्रस्ताव लाकर वे सदन का समय बर्बाद न किया करें। अगर ऐसे प्रस्ताव लाते हैं कि जिनके पास थोड़ी जमीन है उनकी सहकारी खेती करा दी जाय, या उनको खेती के लिये और अधिक सुविधायें दी जायं, या किसानी के औजार दिये जायं ताकि उनकी पैदावार में बढ़ोत्तरी हो सके, तो मैं मान लेता कि ठीक है। लेकिन वे इस तरह के गलत प्रस्ताव लाते हैं।

मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार को खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये कुछ कदम उठाने चाहिये। कुछ खेती सहकारी आधार पर करानी चाहिये। तीन एकड़ से कम वालों की खेती एक में कर के उनसे सहकारी खेती करायी जाय और उन्हें उचित साधन दिये जायं ताकि प्रदेश की पैदावार बढ़ सके और वे मिल कर काम करना सीख सकें। भूमिहीनों के शुभचिन्तक आप विरोधी पक्ष वालों से कम सरकार नहीं है। माननीय मंत्री जी भी महसूस करते हैं कि भूमिहीनों को जमीन मिलनी चाहिये, उनको सुविधा मिलनी चाहिये और सरकार यह सब कर रही है। उसके लिये आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार के लिये हमेशा शिकायत रहती है कि वह किसानों के लिये कुछ नहीं कर रही है। मैं तो कहता हूं कि यह तो वही बात हुई कि दो विद्यार्थी थे। एक ने तो अपनी पट्टी पर पूरा-पूरा लिख दिया और दूसरे ने अपनी सारी पट्टी पोत कर रख दी। तो मास्टर साहब जिसने पट्टी लिखकर रखी है, उसमें ही तो गलती निकालेंगे और बतलायेंगे। जिसने पट्टी पोत कर रख दी है उसके लिये वह क्या कहेंगे। हमारी सरकार ने किसानों से १०० वायदे किये थे, उनमें से ५० को तो पूरा किया, पट्टी पर कुछ लिखा तो, भले ही गलत लिखा, आपने तो एक भी अपना वायदा पूरा नहीं किया। आपने तो पट्टी पोत कर रख दी। किसानों की जो मांग है, उसे हम पूरा करेंगे, जितना हो सका हमने पूरा किया है। धीरे-धीरे सब काम होंगे। आपने इस प्रस्ताव के द्वारा किसानों में एक फीलिंग पैदा करने की कोशिश की है कि हमने तो आप लोगों के लिये यह किया लेकिन सरकार हमारी बात मानना ही नहीं चाहती। अभी आप तीन एकड़ वालों के लिये लगान माफी की बात कह रहे हैं फिर आप उनके लिये गाड़ी का टिकट माफ करने की बात करने लगेंगे। जानते हैं कि सरकार मानेगी नहीं, लेकिन उससे आपको प्रचार करने का मौका मिल जायगा और जनता का झुकाव आप अपनी ओर खींच सकेंगे। तो इस प्रकार के अनर्गल प्रस्ताव मानने के लिये सरकार तैयार नहीं है।

अब मैं चकबन्दी के बारे में भी कहना चाहता हूं। हमारे यहां इलाहाबाद में भी चकबन्दी हो रही है। वहां मेजा तहसील में ३–४ सौ बीघे जमीन ऐसी पड़ी हुई है जो बेकार है और उसका इन्तजाम नहीं हो पा रहा है क्योंकि गांव पंचायत वहां की कोई प्रस्ताव उस संबंध में पास नहीं करती और जब तक वहां से प्रस्ताव पास नहीं हो जाता तब तक एस० डी० ओ० या जिलाधीश वगैरह को उसको करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जब वहां चकबन्दी हो तो यह भूमि जो बेकार पड़ी है वह वहां के भूमिहीन किसानों को दे दी जाय जिससे उत्पादन में वृद्धि हो सके।

एक सुझाव मैं और देना चाहता हूं। हमारे यहां मेजा तहसील के पास एक सिरसा टाउन एरिया है उसी के पास पुरवा है वहां पर नदी के किनारे कुछ हरिजन लोग बसे हुये हैं। उनके मकान बरसात में बह जाते हैं और उनके रहने के लिये कोई प्रबन्ध नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार उनके लिये भूमि देने की व्यवस्था करे। यह मामला कई दिनों से चला आ रहा है और सरकार को इस ओर शीघ्र ध्यान देना चाहिये। वहां पर एस० डी० ओ० वगैरह भी गये और उन्होंने उसको देखा है। जब वहां चकबन्दी शुरू हो तो इस बात का ध्यान रखा जाय और उन लोगों को लिये भूमि का प्रबन्ध हो।

श्री अधिष्ठाता—आप कृपया विषय पर ही बोलें।

श्री जोखई—श्रीमन्, विषय पर ही हूं, चकबन्दी का प्रश्न भी इसमें है।

श्रीमन्, एक सुझाव करछना, परगना बारा के बारे में भी देना चाहता हूं। वहां पर भी हर एक गांव सभा के पास १००–१५० बीघे जमीन पड़ी हुई है जो बिलकुल बेकार है। वहां की जमीन भी भूमिहीन किसानों को दी जाय किसान जिनके यहां काम करते हैं उनके यहां ही रहते हैं किन्तु अगर जब कभी वे वहां से हटा दिये जाते हैं, काम छोड़ देते हैं, तो उनको रहने की बड़ी परेशानी हो जाती है।

श्री अधिष्ठाता—आप कृपया विषय पर ही बोलें, अन्यथा बैठ जायं।

श्री जोखई—इन शब्दों के साथ मैं इस ३ एकड़ के प्रस्ताव का विरोध करता हूं, यह बिलकुल असंगत है, और आशा करता हूं माननीय सदस्य इसको वापस ले लेंगे।

***श्री देवीप्रसाद मिश्र** (जिला फैजाबाद)—श्रीमन्, मैं आचार्य दीपंकर जी के प्रस्ताव का तहेदिल से समर्थन करता हूं। यह हमें मालूम हैकि आचार्य जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका अपना एक दृष्टिकोण है और उस दृष्टिकोण को न समझने के कारण ही एक कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो गलत ही नहीं हैं, बल्कि भ्रामक भी हैं। मैं उधर के माननीय साथियों को यह याद दिलाना नहीं चाहता कि कांग्रेस ने इस संबंध में कब क्या कहा क्योंकि मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि कांग्रेस की जो नीति और परम्परा है उसका बहुत कुछ ज्ञान उधर के साथियों को नहीं है। कुछ साथी तो ऐसे हैं जो कांग्रेस के इतिहास और परम्परा का ज्ञान रखते हैं और उसमें पले हुये हैं। तो उनको एक उत्तराधिकार अंग्रेजों का भी मिला हुआ है। अब वह २ चीजों के उत्तराधिकारी हैं। एक तो कांग्रेस की पुरानी परम्परा है जिसके अनुसार यह प्रस्ताव आया है और दूसरा वह बोल है जो वह बोल रहे हैं जो अंग्रेजों से उत्तराधिकार में उनको प्राप्त हुआ है। मेरा विश्वास है कि दिन ज्यों ज्यों बीतते चले जा रहे हैं त्यों त्यों वह कांग्रेस की परम्पराओं को भूलते चले जा रहे हैं और ज्यों ज्यों दिन बीतते जायंगे त्यों त्यों अंग्रेजों का उत्तराधिकार उनके ऊपर छाता चला जा रहा है और चला जायगा। यही कारण है कि इस मूल प्रस्ताव के समर्थन में हमारे बड़े-बड़े विद्वानों से भी गलती हुई है।

अब मैं उस दृष्टिकोण की तरफ आ रहा हूं जिस दृष्टिकोण के अनुसार यह प्रस्ताव रखा गया है। इस संकल्प में जो 'तीन एकड़' शब्द रखे गये हैं वे कोई ऐसे शब्द नहीं हैं जो महदूद करते हों। उसका मूल सिद्धान्त तो यह था कि जिसे आप अलाभकर समझते हों उसका लगान माफ कर दिया जाय। यह 'तीन एकड़' तो सांकेतिक था और एक औसत के तौर पर प्रस्तावक ने रखा था। अगर आप समझते हैं कि तीन एकड़ से ज्यादा हो सकता है तो आप उस हद तक ले जा सकते हैं उसमें हमें कोई दुराग्रह नहीं है।

एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि आखिर कोई न कोई सिद्धान्त जमीन के बारे में आपको बनाना ही चाहिये क्योंकि सिद्धान्त बगैर बनाये हुये अगर इसी तरह से विचार करेंगे तो निश्चित बात है कि आप गलत जगह पर पहुंच जायेंगे। जमीन के बारे में एक साथी ने उधर से कहा था कि जमीन बड़े झगड़े की चीज है। यह झगड़े की चीज कभी भी नहीं रही है और कम से कम भारतवर्ष में तो झगड़े की चीज कभी नहीं रही है। प्राचीन समय से ही जोतने वाले का उस पर अधिकार रहा है और हमेशा से ही उसका आधिपत्य उस पर रहा है। अंग्रेज जब आये थे और उन्होंने जो सर्वे किया था तब उन्होंने यह साफ-साफ मान लिया था कि हिन्दुस्तान में जमीन का मालिक जमीन का जोतने वाला ही है।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा—यह कहां से आपको मालूम हुआ। यह बिलकुल गलत है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं माना।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री देवीप्रसाद मिश्र--मैं आपको लिखा दिखा सकता हूं । आपको नहीं मालूम है । उन्होंने जब लगान के लिये सुझाव आया तो उन्होंने साफ-साफ लिखा था कि लगान हम इसलिये ले रहे हैं कि लगान बगैर हमारा काम नहीं चलता । उन्होंने कहा था कि लगान लगाना उनकी मजबूरी है और उनके बिना देश का और राज्य का काम नहीं चल सकता ।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा--यह बिलकुल गलत है ।

श्री देवीप्रसाद मिश्र--मैं अपने मेहरोत्रा जी के ज्ञान के लिये फिर दोहराता हूं । अंग्रेजों ने साफ-साफ इस बात को माना था कि लगान लेना आवश्यक नहीं है । लेकिन अब उनके तर्क तर्कसंगत नहीं रह गये हैं । जब अंग्रेजों ने यह बात कही थी तो लगान की तहसील ज्यादा थी और लगान की मात्रा इतनी अधिक थी कि लगान बगैर काम नहीं चल सकता था । उनकी मजबूरी थी लेकिन आप का बगैर लगान लिये हुए काम चल सकता है । यहां पर तरह तरह के प्रश्न उठाये गये हैं । यह कहा गया है कि अगर लगान माफ हो जायगा तो सरकार का काम कैसे चलेगा ? लेकिन अगर उन्होंने बजट का अध्ययन किया होगा तो उन्हें मालूम हो जायगा कि १५४ करोड़ का आपका बजट है और अगर प्लान का बजट भी इसमें जोड़ दें तो बहुत ज्यादा हो जाता है । उसमें से हम मालगुजारी कितनी माफ करने के लिये कह रहे हैं ४ या ५ करोड़ और दो सौ करोड़ में से तीन या ४ करोड़ की मालगुजारी माफ कर दी जाय तो किसानों के ऊपर से बहुत बड़ा बोझ दूर हो जायगा और सरकार के लिये भी कोई दिक्कत की बात नहीं है । क्योंकि रुपये में १ पैसा या आध पैसा माफ करने से कोई काम नहीं रुकने वाला है लेकिन यह बात भी उनकी समझ में नहीं आ रही है तो मैं यही कह सकता हूं कि उनकी बुद्धि में थोड़ी कमी आ गयी है । हजारों तरीके निकल सकते हैं, टैक्सेशन आप रोज करते ही चले जाते हो तो फिर यह कोई बहाना नहीं है कि अगर इसको माफ हम कर देंगे तो राज्य ही नहीं चल पायेगा । वास्तव में यह मनोवृत्ति की बात है । अगर आप किसानों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं और उनके बोझ को हटा देना चाहते हैं और अगर उनके लिये आप ४ या ५ करोड़ रुपये माफ कर देंगे तो आपके राज्य का कार्य बन्द हो जायगा ऐसी कोई सम्भावना नहीं है ।

एक बात मैं इस विषय में जरूर कहूंगा कि यह शंका प्रकट की गयी है उधर से कि अगर इस तरह की परम्परा चला देंगे कि ३ एकड़ पर लगान न लिया जाय तो बहुत से लोगों को प्रलोभन उत्पन्न हो जायगा कि वह अपनी जमीनों का बंटवारा कर लें और इस तरह से जमीनें छोटी हो जायंगी । इसके जवाब में मैं मेहरोत्रा साहब से यह पूछना चाहता हूं, वह कानपुर के हैं, वह बतायें कि क्या यह सही नहीं है कि बनियों और रोजगारियों पर यह नियम लागू है कि अगर इतनी आमदनी होगी तभी उनपर टैक्स लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा ? इस तरह से तो उनके लिये भी प्रलोभन है कि संयुक्त परिवार-को बांट करके छोटे-छोटे परिवार कर दें और टैक्स से बच जायें । लेकिन उनके लिये वह ऐसे तर्क प्रस्तुत नहीं करते हैं । वह यह नहीं मानते कि रोजगारी बेईमानी करेगा, उद्योगपति बेईमानी करेगा । वह समझते हैं कि बड़े लोग बेईमानी नहीं करते, तो क्या वह यह समझते हैं कि सिर्फ किसान ही बेईमान है जो सरकार को धोखा देने के लिये बेईमानी करेगा ताकि मालगुजारी से सरकार को महरूम करे ? अगर ऐसी बुद्धि उनकी हो तो हो सकती है, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है । ऐसे परिवर्तन हुआ ही करते हैं । दुनियां में इतने परिवर्तन हुये हैं, अगर बुद्धि में इतना परिवर्तन हो गया है तो मुझे कुछ कहना नहीं है । लेकिन वास्तविकता हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि मालगुजारी का लोभ बहुत बड़ी चीज नहीं है । उस लोभ से बटवारा कभी नहीं होगा । हां, इस ढंग से जरूर हो जायगा कि भाइयों में या पट्टीदारों में यदि पटती नहीं है । जमीन छोटी हो या बड़ी हो, मालगुजारी न देनी पड़े इसके लिये बटवारा नहीं होगा । साथ ही यह भी ध्यान में रखने की बात है कि रोजगारी तो कागजी बंटवारा कर सकता है और कर से बच सकता है, लेकिन किसान कैसे करेगा ? वह कागजी बंटवारा तो नहीं कर सकता । उसके लिये तो उसे बैल रखने होंगे, हल रखेगा, फर्जी बंटवारा वह कर नहीं सकता । जब भी होगा, असली बंटवारा उसका होगा । इसलिये यह भय जो आपके हृदय में है, वह गलत है, निर्मूल है ।

साथ ही यह भी आश्चर्य हुआ कि एक बहुत ही सरल और सीधा प्रस्ताव रखा हुआ था कि जो लोग गांव में बसते हैं लेकिन बसने के लिये भी जमीन नहीं है, लोहार हैं, कहार हैं, कुम्हार, मजदूर और हजारों किस्म की जातियां गांव में रहती हैं जो घर बनाना चाहती हैं, छोटा सा चप्पा चाहती हैं जहां वह अपनी छोटी सी मड़ैया रख लें, कुटिया बना लें, लेकिन उनके लिये जमीन नहीं है, उनके लिये थोड़ी सी जमीन दे दी जाय और सार्वजनिक संपत्ति में से दे दी जाय। लेकिन उनके दिमाग में यह चीज आ गयी कि अगर कहीं यह प्रावीजन कर दिया जायगा तो लखनऊ और कलकत्ते से न जाने कितने लोग गांव में जाकर अपने महल खड़े कर लेंगे। गांव में कौन सा अट्रैक्शन है ? न बिजली है, न पानी है, टूटी-फूटी जगह है। यह तर्क उन्हीं दिमागों में आ सकता है जिनमें अब कोई दूसरी चीजें आ गयी हैं। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह अपनी भूमि की नीति को स्पष्ट करे। क्या उसका व्यवहार शहर के लोगों के साथ दूसरे प्रकार का रहेगा और कर की नीति उनके लिये दूसरी रहेगी और गांव वालों के लिये दूसरी रहेगी ? अगर दोनों के साथ उसका एक सा व्यवहार रहना है तो जैसे इनकम-टैक्स में कुछ रुपये छोड़ देते हैं कि इतनी आमदनी पर इनकम-टैक्स नहीं लेंगे, क्योंकि यह जरूरी है कि इतना तो उसके रहन-सहन के लिये, लड़के-लड़की के पालन-पोषण के लिये जरूरी है तो उसी तरह से गांव में भी कोई सीमा रखनी होगी कि इतने पर लगान नहीं लिया जायगा। मैं इस बात को नहीं मानता कि आपकी सरकार सिर्फ शहर वालों के लिये ही बनी है। जिनके बैल के नाम पर आप वोट मांगते हैं, कोई कारण नहीं है कि इस सिद्धांत को आप उनके लिये देहात में लागू न करें जहां खेत जोतने वाले पैदा होते हैं। मेरी समझ में आ नहीं रहा है कि आप तीन एकड़ से कम जमीन पर लगान माफ क्यों नहीं कर सकते। उससे क्या हर्ज हो जायगा, मैंने आपको बतलाया कि मालगुजारी में आपको कोई खास नुकसान नहीं हो रहा है। और जो नुकसान भी होगा उसके लिये आपके पास हजारों रास्ते खुले हुये हैं। रुपये में एक पैसे की कमी कोई ऐसी कमी नहीं है जो सरकार बरदाश्त न कर सके। दूसरे आप जानते हैं कि इस कमी को पूरा करने के बहुत से रास्ते बने हुये हैं। जो ज्यादा जमीन जोतते हैं उन पर आप ज्यादा लगान लगा सकते हैं। आप यह उसूल भी मान चुके हैं। इस कमी को आप उन लोगों से आसानी से पूरा कर सकते हैं। इसमें आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा श्री सुखराम दास का नाम पुकारने पर)

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब विवाद समाप्त किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—मैं एक माननीय सदस्य का नाम पुकार चुका हूं। उनके बोलने के पश्चात् आप इसको ला सकते हैं।

श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, विरोधी पार्टी की ओर से जो प्रस्ताव आया है उससे मैं समझता हूं कि आम जनता का कोई फायदा नहीं होगा। वह यह चाहते हैं कि तीन एकड़ से कम भूमि वाले किसानों से लगान न लिया जाय। मान्यवर, आप जानते हैं कि इस प्रदेश में ५० फीसदी से अधिक ऐसे किसान हैं जिनके पास तीन एकड़ से कम भूमि है। आप यह भी जानते हैं कि मालगुजारी से ही सरकार का कार्य चलता है। सरकार के पास सबसे अधिक पैसा जमीन की मालगुजारी से ही आता है। उसी के द्वारा सरकार के सारे कार्य होते हैं। जब ५० फीसदी से ज्यादा किसानों का लगान माफ कर दिया जायगा तो फिर सरकार जो योजनायें चला रही है जिसके लिये सरकार बाहर से भी कर्जा लेती है और रात-दिन चिन्तित रहती है वह कार्य कैसे हो पायगा। विरोधी दल ने यह नहीं सोचा कि इसी रुपया से सरकार के सारे कार्य चलते हैं। जब रुपया नहीं होगा तो फिर स्कूल,

[श्री सुखराजदास]

सड़कें और अस्पताल कैसे बनेंगे ? जब सड़कों का बजट सदन में पेश होता है तो सभी सदस्य चिल्लाते हैं कि हमारे क्षेत्र में सड़क नहीं है । तो जब हमारे पास धन नहीं रह जायगा तो सड़कें कैसे बन सकेंगी और स्कूल कैसे बनेंगे ? जब स्कूल नहीं बनेंगे तो बच्चे कहां पढ़ेंगे ? आज मान लीजिये चार रुपये या तीन रुपये बीघा लगान लिया जाता है, तीन बीघा वाला किसान १२ रुपये देता है । इस तरह से एक गांव से हजार रुपये इकट्ठा करके वहां सड़क बना दी जाती हैं जिससे गांव वालों को बड़ा फायदा पहुंचता है । आज गरीब भी देने में हिचकिचाता नहीं है क्योंकि वह चाहता है कि उसका काम हो और उसकी तरक्की हो और सरकार भी उस तरफ ध्यान देती है । बजट के अवसर पर विरोधी दल चिल्लाता है कि हमारे जिले में, हमारी तहसील में सड़क नहीं बन रही है । जब सरकार के पास धन नहीं रहेगा तो वह सड़क कैसे बनवायेगी ? यह बात तो हमको स्वयं सोचनी चाहिये । जब स्कूल नहीं बनेंगे तो हमारे बच्चे कहां पढ़ेंगे और जब पढ़ेंगे नहीं तो फिर दूसरों के मुकाबले में तरक्की कैसे करेंगे ?

आज जब किसान बीमार होता है तो अस्पताल जाता है, लेकिन जब अस्पताल नहीं होगा तो उसकी दवा-दारू कैसे हो पायेगी ? अस्पताल के डाक्टरों की तनख्वाह कहां से दी जायेगी ? आप तनख्वाह बढ़ाने के लिये भी कहते हैं और सड़कों और अस्पतालों के बनाने की भी बात कहते हैं लेकिन दूसरी तरफ आमदनी का जरिया भी समाप्त करना चाहते हैं । आप क्यों चाहते हैं कि लगान न देना पड़े ? आखिर सरकार का काम कैसे चलेगा, देश की तरक्की कैसे होगी और तरह तरह की सुविधायें जो खेती की तरक्की के लिये दी जा रही हैं वह तरक्की कैसे हो पायेगी ? विरोधी भाई यह नहीं सोचते हैं कि तरह-तरह की सुविधायें जो किसानों को दी जाती हैं उन पर सरकार की आय कम करके रोक नहीं लगानी चाहिये । इलेक्शन में इस जैसे प्रस्ताव का प्रचार करके वोट मांगने के लिये यह प्रस्ताव लाया गया है । इसमें कोई तत्व नहीं है । एक तरफ तो हमारे विरोधी भाई कहते हैं कि आमदनी कम हो रही है और फिर काम भी ज्यादा चाहते हैं, दोनों बातें कैसे हो सकती हैं ? उन्होंने कहा कि भूमिहीनों को जमीन देनी चाहिये । अधिनियम में यह है कि गांव की चकबन्दी कमेटी प्रस्ताव पास करे कि इतनी जमीन भूमिहीनों के लिये जरूरी है और वह छोड़ी जाय और जहां ऐसे प्रस्ताव पास हुये हैं वहां जमीन छोड़ी गई है । यह कह सकते हैं कि अधिकारी जहां जमीन छोड़नी चाहिये वहां ठीक प्रकार से नहीं छोड़ते हैं । जमीन इस तरह से छोड़ी जाती है जिससे हरिजनों को कठिनाई होती है । मेरे यहां चकबन्दी से एक बिस्वा जमीन भी जहां हरिजनों की आबादी है वहां नहीं छोड़ी गई और उनके बैठने के लिये भी स्थान नहीं है । उस गांव में आबादी छोड़ी गई वहां, जहां बड़े-बड़े ठाकुर और काश्तकार हैं । कानूनगो और अमीन वहां पानी पीते हैं, और वहीं उन्हें अच्छा खाना मिलता है । वे उनकी आबादी छोड़ देते हैं ।

मैंने अपने जिले फैजाबाद की बात एस० ओ० सी० से कही कि छोटे काश्तकारों को चक नहीं दिये गये और न उनके लिये आबादी की जमीन छोड़ी गई । बड़े-बड़े काश्तकार जो ठाकुर और ब्राह्मण थे उनको चक दे दिये और दूसरों का निकलना दूभर हो गया । मैंने कई बार उनसे कहा, वह मौके पर भी गये लेकिन हुआ कुछ नहीं । उन गरीबों के पास पैसा नहीं है ताकि निगरानी करें । ए० सी० ओ० जो करते हैं वही एस० ओ० सी० करते हैं । वे कहते हैं कि चकबन्दी जल्दी करो । फिर गरीब लोग कर्ज लेकर अपील करते हैं मगर डाइरेक्टर साहेब अमीन और कानूनगो को बुलाकर खसरा और नक्शा रखकर, वही फैसला कर देते हैं जो अमीन और कानूनगो बताते हैं । अगर यह शिकायत माननीय मित्रों ने की होती तो हम उसे मानते । हमारे यहां छोटे काश्तकारों को गांव से दूर जमीन दी गई है और बड़े-बड़े काश्तकारों को, जिनकी हर जगह जमीन है, उन्हें गांव के छोटे छोटे काश्तकारों के मुहारे पर जमीन दे दी गई है । नतीजा इसका यह होता है कि छोटे-छोटे काश्तकारों को निकलने में बड़ी दिक्कत होती है । यह बड़ी परेशानी है और इससे गांवों के किसानों को काफी दिक्कत हुई है ।

खास तौर से हम लोगों के पास गरीब लोग आते हैं और अगर हम लोग एस० ओ० सी० और डिप्टी कमिश्नर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं तो वे कोई सुनवाई नहीं करते हैं बल्कि और भी उनके खिलाफ कर देते हैं ताकि और कोई उनके पास जाने का साहस न करे। इस तरह का रवैया चकबन्दी अधिकारियों का है। जिलों में इस बात की जांच कराई जाय कि कितने लोगों को उनकी असली जमीन नहीं मिली है। जिन लोगों की जमीन गांव के पास थी उनको गांव से दूर दी गयी है, जिसको अव्वल थी उसको सी० क्लास की जमीन दी गयी है लेकिन बड़े-बड़े काश्तकारों के पास अगर सी० क्लास जमीन थी तो उनको अव्वल दे दी गई है। माननीय माल मंत्री जी इसकी कमेटी के द्वारा जांच करायें।

गांवों में जो आपकी चकबंदी कमेटियां बनी हुई हैं, चकबंदी अधिकारी उनकी राय नहीं लेते हैं। मुझे कई गांवों का इल्म है और मैंने चकबन्दी कमेटी के सदस्यों से पूछा है। इन कारणों से चकबन्दी से बड़ी परेशानी हो रही है। मेरा यह निवेदन है कि जहां आबादी नहीं छोड़ी गयी है वहां आबादी छोड़ी जाय। देखा यह गया है कि जो गांव का सबसे सरकश आदमी होता है वह गांव का प्रधान बन जाता है। वह हरिजनों को जमीन न देकर अपने पट्टीदार को दे देता है। थानेदार को दरख्वास्त दी जाती है तो कहा जाता है कि वह जमीन तो एलाट हो चुकी है। सरकार इसकी जांच कराये और हरिजनों को उचित व्यवस्था करे।

हरिजनों को जो १८ प्रतिशत का संरक्षण मिलना चाहिये वह इस विभाग में नहीं मिल रहा है। ए० सी० ओ०, सी० ओ०, लेखपाल, अमीन और कानूनगो की जगहें खाली हैं और हरिजन उम्मीदवारों की लिस्ट भी बनी हुई है लेकिन उनको स्थान नहीं दिया जाता है। अमीन और लेखपाल को छोड़ दीजिये, चपरासियों तक में, जिनमें किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, हरिजन नहीं रखे जाते। चूंकि सरकार का वायदा १८ फीसदी संरक्षण देने का है इसलिये उसको देने का प्रयत्न करना चाहिये। इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री रामलखन मिश्र—अधिष्ठाता, महोदय, अपने क्लोजर के प्रस्ताव पर मैं निर्णय चाहता हूं।

आचार्य दीपंकर—अधिष्ठाता, महोदय, यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। अभी इस पर बहुत से माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं। इस वजह से इसके लिये आप और अधिक समय एलाट करने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता—यह तो माननीय सदस्यों के मत से ही पता चल जायगा। इस-लिये मैं इसको उपस्थित किये देता हूं।

प्रश्न यह है कि अब वाद-विवाद समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय आचार्य दीपंकर जी ने जो संकल्प रखा है, उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। आज सबेरे से इस पर चर्चा चल रही है और सत्तारूढ़ पक्ष की तरफ से जो बातें कही गयीं उससे साफ यह विदित होता है कि इसके महत्व को वे मानते हैं, इस भावना की वे कद्र करते हैं, सिर्फ गड़बड़ी उनको इस बात में है कि इसको कैसे लागू किया जाय।

मान्यवर, इसके लिये मैंने पहले भी जिक्र किया था और आज भी मुझे यह कहना पड़ता है कि अगर इस संकल्प में कोई ऐसी बात है जिसको कार्यान्वित करने में उनको दिक्कत महसूस हो रही है तो उनके पास ला डिपार्टमेंट है, और उनके पास इसके विशेषज्ञों की पूरी फौज मौजूद है, वे उसे दुरुस्त कर सकते हैं। हम लोगों के कहने का मतलब सिर्फ यह है कि

[श्री अब्दुल बख्श लारी]

जो इसके [illegible] भावनायें भरी हुई हैं, गरीब किसानों की सहायता, उनकी रक्षा, उनको ऊपर [illegible] देना, यानी उसके अन्दर रखते हुए, जिस तरह से भी चाहें, इस संकल्प को बदल सकते हैं।

[illegible] एकड़ से कम भूमि का लगान माफ कर दिया जायगा तो रुपये की बहुत [illegible], यह गाड़ी नहीं चल सकेगी, अस्पताल नहीं खुल सकेंगे, सड़कें नहीं बन [illegible] खुल सकेंगे। लेकिन पैसे का जो दुरुपयोग जगह-जगह हो रहा है, मेरे [illegible] सदन के सभी माननीय सदस्य उससे अवगत हैं। इस बात को कौन नहीं जानता कि बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पर लोगों को कितने लाखों रुपये तनख्वाह के रूप में दिये जाते हैं? बहुत से पोस्ट ऐसे क्रिएट किये गये हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं है, उन पर पैसे बर्बाद किया जाते हैं। आखिर वे पैसे कहां से आते हैं? वे इन्हीं गरीबों की गाढ़ी कमाई के पैसे होते हैं, वे इन्हीं गरीबों के खून पसीने के होते हैं लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। जब कभी गरीब किसानों की भलाई की बात कही जाती है तो उस वक्त सबसे बड़ा पत्थर सामने रख दिया जाता है कि साहब, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, गवर्नमेंट कैसे चलेगी, पैसे कहां से आयेंगे? माननीय मिन्त्र जी ने एक सुझाव दिया था कि अगर पैसे की बहुत बड़ी कमी पड़ती है तो इसको इस तरह से पूरा करें कि छोटे काश्तकारों के लगान तो कम करें और माफ करें और जो बहुत ज्यादा खेत जोतते वाले हैं उन पर लगान बढ़ा दें तो बराबर हो जायगा। लेकिन होता क्या है? सी० एल० आर० डी० स्कीम के अन्दर जो लगान बढ़ाया गया है उसका भी थोड़ा जिक्र करना चाहता हूं। जिनके पास दो ढाई एकड़ जमीन है उनको तो १२—१४ रुपये लगान देना पड़ता है और जिन के पास १००—२०० एकड़ जमीन है उनको डेढ़ दो रुपये एकड़ लगान देना पड़ता है। आखिर यह क्या है? क्या इसी को प्रजातंत्र कहते हैं?

मान्यवर, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी तथा सत्तारूढ़ दल के लोगों का ध्यान उस तरफ ले जाना चाहूंगा जब उनकी यह हुकूमत यहां कायम नहीं हुई थी। जब स्वतंत्रता हमें नहीं मिली थी, उस वक्त ये क्या कहते थे और आज क्या कर रहे हैं। उस वक्त अगर यह सोचा गया होता कि हम शराब की दूकानों पर पिकेटिंग कर रहे हैं, अगर शराबबन्दी हो गयी तो गवर्नमेंट कैसे चलेगी, अगर लगान रोक दिया गया तो गवर्नमेंट कैसे चलेगी, अगर नमक का टैक्स नहीं लिया गया तो गवर्नमेंट कैसे चलेगी तो बात दूसरी होती लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उस वक्त सीधे-सीधे यह कहा जाता था कि आजादी मिलने के बाद जमींदारी खत्म कर दी जायेगी, बाद किसानों का लगान आधा होगा, लेकिन लगान आधा नहीं हुआ। लगान आधा उनका हुआ जो बड़े-बड़े काश्तकार थे और जो किसी जमाने में जमींदार थे, जिनके पास १००—२००—४०० या १,००० एकड़ जमीन थी, जिन्होंने गरीब किसानों को कानून का सहारा लेकर उनके २—४—और ५ एकड़ जमीन से बेदखल कर दिया था। छोटे किसान का लगान पहले से तीन गुना, चौगुना तक हो गया और जमींदार को जो छूट आप देते थे, जमींदारी खत्म होने के बाद आप उसे खुद लेने लग गये। आखिर इन किसानों की भलाई के लिये कोई तरीका तो सरकार निकाले। इस संकल्प की सीधी बात यह है कि तीन एकड़ से कम भूमि वाले किसानों से लगान न लिया जाय।

मैं यह मानता हूं कि कोई भी देश या प्रदेश उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब-तक कि उसके पास पैसे न हों। और इसको माफ कर देने से एक बहुत बड़ी रकम घट जायगी लेकिन उसको पूरा करने के बीसों तरीके हो सकते हैं। एक तरफ तो सरकार में फिजूल-खर्ची करके ऐशोआराम का सामान होता है, जगह-जगह क्रीड़ास्थल बनाये जाते हैं और तमाम दूसरी फिजूलखर्ची की जाती हैं लेकिन दूसरी तरफ पैसे कि दोहाई दी जाती है। मैं भी उससे सहमत हूं कि बड़ी खेती वालों पर लगान बढ़ा कर उस कमी को पूरा किया जा सकता है। देखना हमें यह है कि इन तीन एकड़ वाले किसानों की हालत आज क्या है। आप जानते होंगे

कि हम लोग देहातों में जाते हैं और गरीब किसानों के घरों को जाकर देखते हैं तो उनको देख कर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उन के घरों में चार दाने खाने को नहीं होते, उनके छप्परों पर करकश नहीं है तो और बारिश होती है तो पानी उनके घरों में भर जाता है, रात भर वह पानी में बैठ गुजार देते हैं, उनके बदन पर चीथड़े पड़े हैं। लेकिन यहां लखनऊ में बैठने वाले सरकार के लोग कहते हैं कि अब हमारे यहां मोटा कपड़ा पहनने वाला कोई किसान नहीं है और सभी महीन कपड़ा मांगते हैं, मोटा अन्न कोई नहीं खाता और सब गेहूं चावल चाहते हैं। मुझे ताज्जुब होता है कि देहात से आने वाले माननीय सदस्य कैसे यह बात सहते हैं कि किसान की हालत अब इतनी अच्छी हो गई है। मैं एक पिछड़े क्षेत्र से आता हूं और कह सकता हूं कि आज ८० प्रतिशत किसान के पास खाने को पैसा नहीं है, अन्न नहीं है।

पिछले साल ही हमारे एक प्रश्न के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया था कि एक हरिजन बुढ़िया औरत भूख से मर गई और उसके घर वाले आखिरी दम तक उसको सिवा आम की गुठली की रोटी के और कुछ न दे सके। नतीजा यह हुआ कि वह भूख से तड़प-तड़प कर मर गई, वहां देहात में पानी भर गया था इसलिये कोई उसकी मदद भी न कर सका। वह पहला चांस था कि सरकार ने यहां स्वीकार किया था कि उसकी भूख से मृत्यु हुई। उसके ऊपर जब आधा घंटे का विवाद मांगा गया तो माननीय अली जहीर साहब जो मंत्री थे वह तो चले गये और अपनी जगह पर एक बड़े चाकचौबन्ध मंत्री को रख गये और उन्होंने बड़ा घुमा फिरा कर उलट फेर कर के कह दिया कि उसकी मृत्यु भूख से नहीं हुई, वह अपनी मौत मरी और आम की गुठली उसने खाई थी। यह उस क्षेत्र के गरीब किसानों का एक नमूना था। ऐसी सैकड़ों मिसालें मैं दे सकता हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी चैती कटी है, कोई देर नहीं हुई है लेकिन इस वक्त भी करीब ८० प्रतिशत किसानों के घर में एक दाना गल्ला भी नहीं मिलेगा और अगर वह रात-दिन मजदूरी न करें और बैल की तरह न जुते रहें तो उन को खाने का भी ठिकाना नहीं होगा। ऐसी हालत में इन किसानों पर आप को दया की दृष्टि करनी होगी और उनकी तकलीफ को सुनना और समझना होगा और कोई न कोई तरीका उनकी मदद का निकालना होगा। हम और आप सब मिलकर उनको राहत देने का कोई तरीका निकालें। ऐसा कोई प्रस्ताव आये तो उसकी मखौल उड़ाना और प्रस्ताव पर क्लोजर बार-बार मूव करना कोई मुनासिब बात नहीं है।

एक सज्जन ने बेघर लोगों को मकान के लिये जमीन देने का जो प्रस्ताव है उसके सम्बन्ध में कहा कि इतनी जमीन कहां से आयेगी और न मालूम कितने लोग इधर और उधर के बेघरबार के आकर भर जायेंगे और जमीन मांगेंगे। मुझे तो तरस आया उन की बुद्धि पर, क्योंकि यह प्रस्ताव तो उन गरीबों और मजदूरों के लिये है जिन के पास गांव में सिर छिपाने के लिये, छप्पर रखने के लिये दस गज जमीन भी नहीं है और जो मजबूरी में दूसरों के मकानों पर रहते हैं और वहां बेगार करते हैं। उन के लड़के और लड़कियां उस मालिक की रजामन्दी पर रहते हैं और वह उनसे सब तरह के जाबेजा काम और बेगार लेते हैं। अगर उन गरीबों के रहने के लिये कोई छप्पर भर जमीन मिल जाय तो वह भी अपनी इज्जत आबरू को कायम रख सकें, वह भी अपने बाल-बच्चों को साये में सुला सकें। खेल तमाशों और रंगशाला के लिये तो इस सरकार को जमीन और पैसा मिल जाता है लेकिन उन गरीबों की तरफ कोई तवज्जह नहीं दी जाती तो अफसोस होता है। यह कहां तक जायज है कि उन्हीं के खून पसीने की कमाई से शहरों में गुलछर्रे उड़ाये जायं? अभी कल ही हमने सुना कि ५८ लाख रुपया रंग महल के बनाने में व्यय होगा। मैं कहता हूं कि इन चीजों को आप बनाइये जरूर लेकिन इन चीजों को कम से कम आप उस वक्त तक के लिये रोक दीजिये जब तक कि देहात के गरीब किसानों के तन पर चीथड़े न खत्म हो जायं, जबतक उनके सिर ढकने के लिये छप्पर न हो जायं, जब तक उनके घर में पेट भरने के लिये ४ दाने न हो जायं, जबतक वह ऊपर न उठ जायं।

[श्री अब्दुल रऊफ लारी]

मान्यवर, इस सरकार का यह समाजवाद हमारी समझ में नहीं आता कि एक के पास १ धोती और एक के पास २० धोती है, तो दोनों को जोड़ कर कह दिया जाता है कि साढ़े दस धोती हर एक के पास हैं। यह समाजवाद नहीं है। समाजवाद यह है कि जिसके पास १ धोती है उसके लिये ४, ५ की जायं और जिसके पास २० धोती हैं उससे कहा जाय कि वह रुका रहे। हमारी सरकार कहती है कि हम दोनों को बढ़ायेंगे। नतीजा यह हो रहा है कि अमीर, अमीर होता जा रहा है और गरीब, गरीब होता जा रहा है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि आजादी की लड़ाई में जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर किया उनकी आस्था डेमोक्रेसी से उठती जा रही है। गरीब कहते हैं कि सुनते थे आजादी के बाद आराम मिलेगा लेकिन हो बिलकुल उल्टा रहा है। घूसखोरी का बोलबाला है, गरीबी बढ़ती चली जा रही है। इसका दोष उन लोगों पर लगेगा जो इस प्रस्ताव का मखौल उड़ा रहे हैं। इसका दोष सत्ताधारी पार्टी पर लगेगा, मंत्रिमण्डल पर लगेगा। इतनी बड़ी तपस्या और त्याग से प्राप्त की गई चीज के प्रति लोगों की आस्था मिटती जा रही है, लोग उससे (प्रजातन्त्र से) उदासीन होते जा रहे हैं, वोट देने के नाम से घबड़ाते हैं। कहते हैं क्यों वोट दें, इससे हमारा क्या फायदा है? वह बुरा दिन होगा जब डेमोक्रेसी का गला घुट जायगा और कोई न कोई डिक्टेटर यहां आ जायगा। इस सारे पाप के भागी मखौल उड़ाने वाले होंगे, यह सरकार होगी।

इस संकल्प में बहुत सीधी-सी बात है कि तीन एकड़ से कम जमीन वालों का लगान कम किया जाय या माफ किया जाय। अगर मंत्री जी माफ करने के पक्ष में नहीं हैं तो कम किया जाय। कुछ हदबन्दी की जाय कि यदि १०० एकड़ वाले का ५ रुपया प्रति एकड़ लगान हो तो ५० एकड़ वाले का ४ रु० हो, २० एकड़ वाले का साढ़े तीन रु० हो, और ३ एकड़ वाले का १, २ रु० हो। लेकिन अभी होता क्या है? उल्टा हो रहा है। ३ एकड़ वाला लगान देता है १२ रु०, २० एकड़ वाला देता है ७ रु० और १०० एकड़ वाला लगान देता है डेढ़ रुपया फी एकड़। इसका रकार्ड तो सरकार के पास मौजूद है, मंत्री जी अगर मेरी बात को न माने तो रेकार्ड देख सकते हैं। तो यह अंधेर है और यह ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता है। अभी समय है, इसको मंत्री जी दुरुस्त कर दें और जनता को दिखायें कि तुम्हारे लिये हम कुछ कर रहे हैं।

कहा गया कि विकास का जमाना है, पैसे की जरूरत होती है। मैं मानता हूं ठीक है। कर्जे से, और तरह से रुपये ले रहे हैं, लेकिन उस पैसे को कायदे से खर्च भी तो करें। आज होता यह है कि ८०, ९० फीसदी रुपया शहरों में खर्च हो रहा है। जहां पिच रोड्स हैं वहां सीमेंट की सड़कें बनायी जा रही हैं, जहां कंकड़ की सड़कें हैं वहां पिच रोड्स बन रही हैं और जहां पर कुछ नहीं है, धूल उड़ती है, वहां कोई सड़क नहीं बन रही है। ऐसी ऐसी जगहें हैं जहां अगर एक दफा मंत्री जी को जाना पड़े तो जिन्दगी भर उन्हें याद रहे। मैं कहता हूं कि देहात में जो कच्ची सड़कें हैं उनको कंकड़ की तो बना दीजिये और जो पगडंडियां हैं उनको कच्ची सड़कों में बदलिये। हमारे क्षेत्र में साल में ८ महीने में बैलगाड़ियां देहात में बनी रहती हैं। नतीजा यह होता है कि बनिया घोड़े पर लादकर देहात से सस्ते दाम पर किसान से माल खरीद लेते हैं क्योंकि किसान सड़क न होने की वजह से ही अपना माल बाजार में नहीं ले जा सकता। डयोढ़े और दुगने के फर्क पर किसान को अपना माल बेचना पड़ता है। पहले आप कच्ची सड़क बनायें, उसके बाद कंकड़ की सड़क बनायें। लेकिन करते हैं उल्टा।

मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह कम से कम देहात के लोगों की परेशानियों को तो देखें, उनके साथ हमदर्दी प्रकट करें। मंत्री जी इस प्रस्ताव पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें और जो भी मुमकिन हो सकता हो इसमें सहूलियत देने के लिये वह आज वायदा करें।

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)—अधिष्ठाता महोदय, मैं क्लोजर मूव करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--अभी तो क्लोजर मूव हो चुका है, बार-बार नहीं होता।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)--अधिष्ठाता महोदय, मैं बधाई देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--मान्यवर, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। अभी चेयर से माननीय झारखंडे राय जी का नाम पुकारा गया था और रामेश्वर प्रसाद जी से आपने कहा था कि बार-बार क्लोजर नहीं मूव होता, तो माननीय रामलखन मिश्र कैसे बोलने लगे ?

श्री अधिष्ठाता--झारखंडेराय जी का नाम नहीं पुकारा गया। माननीय रामलखन मिश्र को बुलाया गया था।

श्री रामलखन मिश्र--मान्यवर, मैं आचार्य जी के संवेदनशील हृदय की तो प्रशंसा करता हूं, लेकिन जो प्रस्ताव उन्होंने पेश किया है उसका घोर विरोध करता हूं। उसके कई कारण हैं। एक तो उनके भाव भाषा में नहीं आ सके हैं। यदि यह कहा जाय कि चुनाव के प्रचार की दृष्टि से यह प्रस्ताव महत्व रखता है तो मैं मानने के लिये तैयार हूं। केवल चुनाव के प्रचार की दृष्टि से इसके ऊपर जोर दिया जा रहा है वरना यह इतना रिएक्शनरी प्रस्ताव है कि जिसका कोई वर्णन नहीं हो सकता है।

श्रीमन्, सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की नेट इन्कम लैंड रेवेन्यू से है और ७ करोड़ रुपये की क्षति इस सूबे को इस की वजह से उठानी पड़ेगी। जमींदारी एबालिशन कमेटी के सामने जो आंकड़े मुझे देखने को मिले उसमें तीन एकड़ से कम वाले उस समय २४-२५ प्रतिशत थे और इस समय तो और भी अधिक हो गये होंगे। मान्यवर, शोर बहुत हो रहा है, सदस्यों से निवेदन है कि यदि वह न सुनना चाहें तो मैं बन्द कर दूं या वह ध्यान से सुन लें।

यह विचार करने की बात है कि तीन एकड़ से कम जमीन चाहे उसमें बेला, चमेली, पान, किसी भी किस्म की क्राप होती हो उसका लगान क्षमा किया जाय और जो बिलकुल ऊसर हो, सिंचाई का साधन न हो, वहां भी वैसा ही किया जाय। जब हम कोई प्रस्ताव वैधानिक रूप से लेते हैं तो उसके प्रत्येक पहलू पर विचार करना होता है। इस प्रस्ताव के अन्दर एक सांगोपांग रूप नहीं आया हुआ है। केवल यह कहा गया है कि ३ एकड़ से कम वालों का लगान क्षमा किया जाय। तो सीलिंग के बाद ४० एकड़ रहता है, सभी का लगान क्षमा कर दिया जाय तो और भी अच्छी बात होगी। एक ऐसा भी समय आ सकता है जब कि रेंट न लिया जाय बल्कि टैक्स लिया जाय। उन्नतशील देश में, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, अपनी आमदनी का ६५ प्रतिशत तक देना पड़ेगा तब कहीं देश और प्रदेश का निर्माण हुआ करता है। केवल भावनात्मक दृष्टिकोण से ही किसी बात को नहीं सोचना चाहिये।

एक यह संशोधन आया कि प्रोड्यूस रेंट लिया जाय। यह और भी प्रतिक्रियावादी है। १५ के बंधन की भी बात आई। उसमें कास्ट आफ रिअलाइजेशन ज्यादा होगा और वह सारे किसानों पर जायगा, तो वह तो इतना प्रतिक्रियावादी है जिसकी कि कल्पना भी नहीं की जा सकती।

इस प्रस्ताव को यदि मान लिया जाय तो भूमिहीन शब्द निरर्थक और नपुंसक है, जिसके अनुसार गांव में एक हजार पाने वाला भी भूमिहीन हो सकता है, वह लैंडलेस लेबरर का अनुवाद नहीं है। लेकिन उसके सामने घुटने टेकने को प्रस्तावक महोदय कहते हैं। यह बात किसी की समझ में आने वाली नहीं है। जहांतक चकबन्दी योजना का सवाल है उसमें तो जमीन छोड़ी जाती है और धारा १९८ के अनुसार भूमि प्रबन्धक कमेटी उसके बारे में निर्णय करती है। इस प्रस्ताव के द्वारा हम उस कानून में कोई परिवर्तन नहीं ला रहे हैं। चकबन्दी कानून स्वयं एक ऐसा कानून नहीं है जिसमें हम इस चीज की व्यवस्था कर सकें।

[श्री रामलखन मिश्र]

एक ओर तो आप कोई बन्धन नहीं बांधेंगे, किसान को खुली छूट रहेगी कि अपनी होल्डिंग का वह बटवारा करा सके और उसके बाद आप यहां पर एक स्वर से कह देंगे कि तीन एकड़ तक की जमीन को हम खुली छूट देते हैं, यह केवल बुद्धि का जुलाब है और कोई शब्द नहीं है जिसमें मैं इसकी व्याख्या कर सकूं। सीलिंग की रिपोर्ट के बाद जब जमीन मिलने को आयेगी उस समय आप देखेंगे कि कितनी जमीन मिली। कौन ऐसा होगा जो इस अर्थ संचालित संसार में अपनी जमीन का बटवारा नहीं करा देगा ? ज्वाइंट हिन्दू फैमिली के अन्तर्गत तमाम वह रूलिंग्स हो गयी हैं कि प्रत्येक का शेयर होता है, तो तीन एकड़ से भी कम हो जायगा।

एक समय था जब एक प्रस्ताव लाने के लिये हमें बड़े-बड़े बन्धन बांधने पड़ते थे, दस-दस रोज तक हम सोचते थे, प्रत्येक शब्द पर हमें विचार करना पड़ता था, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज जिसकी समझ में जो आया उसने सदन में वैसा प्रस्ताव रख दिया। नतीजा यह होता है कि जितने ला हम बनाते हैं वे सारे के सारे डिफीट होते चले जा रहे हैं। कारण यह होता है कि प्रेमवश, दुराग्रहवश, हठवश या और दूसरे कारणों से हम संशोधनों को स्वीकार कर लेते हैं और जब वे ला के तराजू पर तौले जाते हैं तो वे अवैध करार दिये जाते हैं। यह प्रस्ताव तो रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक ही कहा जा सकता है। भूमिहीन की क्या परिभाषा है ? हमारे एक मित्र ने एक प्रश्न किया था उसका कोई उत्तर नहीं दिया गया, कोई आंकड़े नहीं प्रस्तुत किये गये। सारे प्रदेश में तीन एकड़ ही जोत रह जायगी और सारी आय ठप्प हो जायगी। फिर क्या हम आकाश मार्ग से इन्कम लायेंगे ? वह कौन सी व्यवस्था होगी ? उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत कौन सी और आय है ? एक ओर तो कहा जाता है कि हमने पुल नहीं बनाया, हमने फलां काम नहीं किया, हमने विकास का अमुक काम नहीं किया और दूसरी ओर कहा जाता है कि लगान न लो। यह कोई लैंड टैक्स नहीं है, लगान है सर्किल रेट से, रोस्टर रेट से। जब यह बांधा गया था तो उसके अन्दर एक विचार हुआ था। उस साहित्य को भी हमें पढ़ना पड़ेगा। राजा टोडरमल के समय से आजतक लगान का एक इतिहास है। बन्धनों के कारनामों और अपने प्रदेश का जो एकोनामिक ढांचा है उसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। केवल कल्पना मात्र से, भावना मात्र से, धुंआधार व्याख्यान मात्र से हम इस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। हमें बिलकुल कैलकुलेटेड ब्रेन से एक एक चीज को देखना पड़ेगा तब हम एक आर्थिक दृष्टिकोण से कोई प्रस्ताव इस विधान भवन में ला सकते हैं। इस प्रस्ताव की शब्दावली को अन्त तक देखने के बाद मैं केवल यही कह सकता हूं कि यह रद्दी की टोकरी में फेंकने के लायक है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मित्र जो एक ही शब्द को दो-दो बार दोहरा रहे हैं इसकी मैं यह व्यवस्था चाहूंगा कि किसी प्रस्ताव पर जिस पर दो मत हैं, एक आपका और दूसरा हमारा, उसको रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक है ऐसा कहना कहां तक उचित है, क्योंकि यह तो सभी मेम्बरों का अपमान हो जाता है। इसलिये इस बारे में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—इसमें कोई वैसी बात नहीं है। एमफैसिस के लिये तीन दफा भी कह सकते हैं।

श्री रामलखन मिश्र—यह दुर्भाग्य है कि मेरी वाणी के प्रधान स्वर को न पहचान कर के, किसी रोष को ले लिया गया। वैसे तो हम कितने ही प्रस्ताव पास कर लें लेकिन आया वे प्रस्ताव व्यावहारिक रूप में आ सकेंगे या नहीं इसको भी तो हमें देखना होगा। मान्यवर, मैंने एक बात भी ऐसी नहीं कही जो अर्थ शास्त्र से सम्बन्धित न हो। मेरी वाणी में तेजी केवल इस कारण से आयी है कि प्रदेश के हित में मैं संलग्न हूं और तल्लीन हूं। जब मैं देखता हूं कि यह प्रदेश के आर्थिक मेरुदंड को चकनाचूर करने वाला प्रस्ताव सदन में आया है तो स्वाभाविक है कि मुझे चोट पहुंचे और मैं इस पर ऐसी व्यवस्था लाऊं जिसे माननीय सदस्य

इस सदन में प्रस्ताव लाने से पहले बीस बार सोचें, पारिभाषिक शब्दों का समावेश करें जिससे न्यायालय में जाने के बाद वह अवैध न हो जाय।

प्रजातन्त्र के दो रूप हैं। एक वह रूप है जिस के अन्दर हम बैठते हैं। यहां वोट से निर्णय होता है। एक इसका दूसरा रूप है—न्यायालय। उसमें व ट नहीं होता है। वहां विधान सभा से लेकर जितनी एग्जीक्यूटिव चीजें हैं उनका वहां जा कर संतुलन होता है। अगर हम पिछले पांच वर्षों का सिंहावलोकन करें, तो जितने विधान आपने बनाये, उनमें से कितने विधान ऐसे हैं जिनमें हाईकोर्ट में जाने के पश्चात् हमें संशोधन नहीं करने पड़े, जब कि ला डिपार्टमेंट, लीगल रेमेम्ब्रेंसर, एडवोकेट जनरल की सम्मतियों को लेकर आप यहां बैठते हैं और विचार करते हैं? लेकिन फिर भी न्याय की तूलिका के ऊपर जब तौला जाता है तो छिन्न-भिन्न हो जाता है। उस दृष्टिकोण को लेकर जब हम प्रस्ताव को सामने रखते हैं तो न तो कोई इसमें वास्तविकता है और न कोई इसका उद्देश्य है। यह कौन-सा उद्देश्य होगा कि सात करोड़ रुपये की क्षति पहुंचा दें और सारे प्रदेश की इनकम को बन्द कर दें।

मैं नहीं जानता लोगों को भूमि का बंटवारा करने से कैसे रोका जायगा? चकबन्दी विधान को नहीं जानते। चकबन्दी विधान के अन्दर तीन एकड़ से नीचे जमीन वालों का भी पार्टीशन हो सकता है। तो बहुत आसानी से इस कदर पार्टीशन हो जायेंगे जिसका कोई वर्णन नहीं है। सारे प्रदेश में ज्वाइंट हिन्दू फैमिली का विनाश तो है ही, कालचक्र की प्रेरणा से अगर यह प्रस्ताव पास हो जाय तो और उसका विनाश हो जायगा। यह प्रस्ताव प्रदेश के हित में नहीं है, यह किसी के उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता एक पूर्ति करता है, भोले भाले किसानों के बीच में हम जायं और इस प्रस्ताव को पढ़ें और उसके ऊपर ट्रेजरी बेंचेज वालों पर आक्षेप करें तो सम्भव है कि कुछ समय के लिये हम वहां अंधड़ ले आयें लेकिन जिस समय विचार की कसौटी पर आयेगा तो अग भंग हो जायगा।

श्री अधिष्ठाता—श्री झारखंडे राय।

श्री रघुवीरसिंह—प्रश्न उपस्थित करने के प्रश्न पर आप एक बार भी मत नहीं ले रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—दो दफा प्रश्न उपस्थित हो चुका है और प्रश्न स्वीकृत नहीं हुआ। अब मैं झारखंडराय जी को बुला चुका हूं।

श्री रघुवीर सिंह—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब कभी भी प्रश्न उपस्थित किया जाय, हर समय मत लेना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—यह जरूरी नहीं है। यह मेरा अधिकार है कि मैं स्वीकार करूं या न करूं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—मान्यवर, मेरा विचार है कि भूमि सुधार के क्षेत्र में कांग्रेस सरकार लक्ष्यहीन गति से और लक्ष्यहीन दिशा में चल रही है। इसका स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं है। इस १४ साल के दौरान में भी अभी तक भूमि सुधार का कार्य इस सरकार में पूरा नहीं हो सका। आज के माल मंत्री जी हैं उस समय मंत्री थे जब जमींदारी उन्मूलन कानून इस सदन में पारित किया गया था। उस समय से आज तक भूमि सुधार का कार्य चल रहा है। समाप्त ही नहीं हुआ है। किसी भी देश की अर्थ व्यवस्था के दृढ़ होने के लिये जरूरी है, उसके उद्योग-धन्धों के विकास के लिये भी जरूरी है कि उसकी कृषि-नीति दृढ़ हो और कृषि के क्षेत्र में क्रान्तिकारी भूमिसुधार शीघ्र लागू किये जायं तथा उत्पादन के क्षेत्र में इतनी शीघ्रता से हम बढ़ें कि उसके आधार पर आसानी से देश के उद्योग-धन्धों का विकास किया जा सके। राष्ट्रीय आन्दोलन की किसान नीति की मुख्य धुरी थी—

[श्री झारखंडेराय]

'लैंड टु दी टिलर,' जमीन जोतने वालों के हाथ में दी जाय। उस समय किसानों में जागृति फैलाने का और किसानों को राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ जोड़ने का एक युद्ध-घोष यह हो चुका था, यह लड़ाई का एक नारा था और इसी नाते किसान जनता राष्ट्रीय आन्दोलन में करोड़ों की संख्या में शामिल हुई। किसान समस्या हमारे प्रदेश की किसान समस्या नहीं बल्कि राष्ट्रीय समस्या है और भारतवर्ष की दृढ़ आर्थिक नीति के लिये यह आवश्यक है कि किसान समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जा सके। किसान की बहबूदी ही राष्ट्र की बहबूदी है क्योंकि किसान की संख्या हमारे देश में ७० फीसदी है और हमारे प्रदेश में, जो अपेक्षाकृत अन्य बहुत से प्रदेशों से पिछड़ा हुआ है, इसकी संख्या अनुपातत: ८० प्रतिशत तक पहुंचती है। तो उस जनता के हिस्से को असन्तुष्ट रखना या उनके विकास की दिशा में धीमी गति से चलना पूरे देश के विकास की गति को मद्धिम कर देना है।

जो प्रस्ताव आचार्य दीपंकर जी ने पेश किया है, मैं समझ न सका ठीक से उधर के बोलने वाले भाइयों की बातों से कि उसका वह विरोध क्यों करते हैं। मुमकिन है कि उसके किसी खास अंग का विरोध वह करते हों लेकिन उसकी आत्मा का या उसकी स्पिरिट का विरोध वह क्यों करते हैं यह मैं भली भांति समझ नहीं सका। रुपये का सवाल उठाया जाता है। ६ एकड़ अलाभकर जोत मानकर अगर उन्हें लगान से मुक्त किया जाय तो ७ करोड़ के लगभग लगान की कमी होती है, ऐसा मेरा अनुमान है, अगर इसमें कुछ गलती हो तो सरकार के पास विभाग है, वह इसको दुरुस्त कर सकती है, उसके मानने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब तीन एकड़ की ही बात की जाती है तो तीन, साढ़े तीन करोड़ रुपये से ज्यादा सरकार का उसमें नुकसान नहीं होगा। उस नुकसान की भरपाई बहुत से तरीकों से की जा सकती है। यह हम नहीं कहते कि टैक्स बढ़ाया जाय, लेकिन सरकार तो विकास के नाम पर बहुत टैक्स भी लगा देती है। भारत सरकार ने पिछले साल ३५ करोड़ रुपये का टैक्स लगा दिया था। इस साल भी करीब ६० करोड़ का टैक्स नया लगाया है। हमारी सूबे की सरकार ने भी साढ़े चार करोड़ का टैक्स अभी-अभी इस बजट में बढ़ाया है। इसका असर हमारे प्रदेश की अर्थ व्यवस्था पर पड़ा है, क्रय शक्ति पर पड़ा है और चीजों की महंगाई पर पड़ा है। तो टैक्स लगाने का भी एक तरीका है---इन्डाइरेक्ट टैक्सेशन। जो अप्रत्यक्ष कर का तरीका है उसको सरकार अपनाती है। उसके लिये सब से इसका ठोस उपाय जो मेरी समझ में है जिससे यह कमी भरपूर की जा सकती है वह है लगान की एकरूपता।

माननीय मंत्री जी बतायेंगे इस बात को कि प्रदेश में लगान की एक रूपता है ही नहीं। बगल का एक किसान का खेत है, उसका लगान ६ रुपया एकड़ है और ठीक उसी की मेड़ पर एक पुराने जमींदार का खेत है उसका लगान १ रुपया एकड़ है। यानी कमाल है और १४ साल की हुकूमत में लगान की एकरूपता को जोत के आधार पर या किसी और आधार पर ही नहीं लागू किया जा सका। इस कमाल के लिये क्या कहा जाय, उसके लिये सरकार की बधाई दूं या निन्दा करूं, यह आप स्वयं समझ लें किये किसके पात्र हैं। तो लगान की एकरूपता से करोड़ों रुपये की आय हम कर सकते हैं। यह घाटा भी उससे पूरा हो जायगा और उसके अलावा और भी आय उससे सरकार को होगी। लेकिन हर प्रगतिशील कदम का विरोध करना मानो सरकार का धर्म सा हो गया है। कल एक प्रस्ताव आया था जिसका विरोध किया गया, उसकी स्पिरिट को भी नहीं स्वीकार किया गया। आज एक प्रस्ताव आया, उसके आधे हिस्से को तो कुछ भाइयों ने जरूर स्वीकार किया है कि आबादी के लिये जमीन जरूर मिलनी चाहिये क्योंकि जो हरिजन भाई हैं वह तो भुक्तभोगी हैं, उनको मालूम है।

मान्यवर, आपका सम्बन्ध भी देहात से होगा और है। आप जानते हैं कि भूमिहीनों में दो प्रकार के लोग हैं। ऐसे लोग भी हैं जिनका खेती से सम्बन्ध सीधा नहीं है। वह अन्य प्रकार का कार्य करते हैं। दूसरे भूमिहीन हो सकते हैं, जिनका सम्बन्ध भूमि के साथ

जुड़ा हुआ होता है, लेकिन जो ऐसे भूमिहीन हैं उनमें हरिजनों की संख्या बहुत ज्यादा है। गांवों में जाकर उनके घरों की हालत देखी जाय तो मालूम होगा, जैसा कि लारी जी ने कहा कि उनकी ऐसी दशा है, जिसको देखकर रोना आता है। उनका आगे का जो दरवाजा है वहां तक किसी का खेत है या पिछवाड़े तक किसी का खेत है या अगल बगल में कोई खेत है, तो अगर वे खेत वाले उससे नाराज हो जायं तो वे पुराने बाबू यहां तक कह देते हैं कि तुमको अपने घर से निकलने नहीं देंगे, टांग काट देंगे। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि खेत-वालों ने उनके रास्ते को रोक दिया है और वे अपने घरों से निकल नहीं पाये हैं, ऐसे वाकयात हरिजनों के साथ बहुत होते हैं। यह भुक्तभोगी उस आधार को मानते हैं, लेकिन जहां तक लगान छोड़ने का सवाल है, लारी जी की बात सही है, अगर सरकार सोचती है कि उसका इतना बड़ा नुकसान हो जायगा तो क्या उसकी भरपाई नहीं हो सकती है? इस लगान को कम करने की बात को अगर सरकार मान ले, आधी बात ही मान ले और आधी प्राप्ति ही हो जाय तो वही उचित हो सकती है। जब सरकार व्यापारियों के साथ या महाजनों के साथ, जो शहर में रहते हैं, कुछ रियायत करती है और एक सीमा तक कोई लगान या कोई टैक्स नहीं लेती है तो इन भूमिहीनों अथवा कम जोत वालों के लिये भी कुछ रियायत होनी चाहिये। जब शहर में रहने वाले ट्रेडर्स कुछ आमदनी तक विमुक्त हैं तो क्या वजह है कि एक बीघा या एक धूर तक जो जोतते हैं उन पर भी यह लगान लागू रहे? यह डबल स्टैंडर्ड है। एक तरफ व्यापारी हैं, उनके साथ तो सरकार इस प्रकार से व्यवहार करती है कि उनके लिये छूट देती है एक सीमा तक और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो मुश्किल से अपने बच्चों तक को नहीं खिला पाते, जो अपने परिश्रम का मूल्य पाते नहीं हैं, जो अपनी पैदावार से दो महीने तक पेट नहीं भरते हैं, जिनके बच्चे गोबरहा और बरगद, पीपल और पाकड़ की गदिया खाकर अपना समय व्यतीत करते हैं, जो अपने शरीर पर एक चिथड़ो लपेटे घूमते हैं, जिनके बच्चे आम की गुठली खाते हैं। तो ऐसे बच्चों के जो अभिभावक हैं, उनके छोटे-छोटे खेतों पर सरकार के लगान का चाबुक चलता रहे, मैं समझता हूं कि मामूली से न्याय के दृष्टिकोण से यह उचित नहीं है। इसलिये यह जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार होना चाहिये।

क्रान्तिकारी भूमि सुधार से सरकार को एक अजीब घबड़ाहट है। आप स्वयं सोचें कि १४ वर्ष आजाद हुये इस देश को हो गया, जमींदारी का भी खात्मा हो गया। चकबन्दी कानून जब लागू किया गया तो माननीय चरणसिंह ने कहा था कि भूमि सुधार का इससे बढ़कर क्रान्तिकारी कदम नहीं हो सकता है। यह अन्तिम चरण है।

लेकिन जब नागपुर में हदबन्दी का प्रस्ताव पास हो गया तो मजबूरन उनको यह विचार बदलने पड़े। वह चीज सामने आई। उसमें जो कानून बना है उसमें प्रदेश भर में कितनी जमीन मिलेगी माननीय मंत्री जी आज तक इसको नहीं बता सके। हमने उस समय मांग की थी कि इस कानून के लागू होने के बाद कितनी भूमि भूमिहीनों को मिलेगी, बताया जाय, परन्तु इसके आंकड़े हमको आज तक मिल नहीं सके हैं।

हमारे बगल का देश, पड़ोसी देश जिसके साथ हमारा सीमा-विवाद है, चीन एक बहुत बड़ा देश है....

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है कि जो विधान मंडल के सदस्य नहीं हैं और विधान सभा सचिवालय के सदस्य भी नहीं हैं, ऐसे सज्जन यहां पर बैठे हुये हैं। मैं समझता हूं कि उनको यहां पर नहीं बैठना चाहिये। इस सम्बन्ध में आपकी क्या व्यवस्था है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जो डिप्टी सेक्रेटरी यहां पर बैठते हैं, यहां की यह परम्परा है कि उनको अलाउ किया जाता है ताकि मंत्री उनसे आवश्यकता पड़ने पर सहायता ले सकें।

श्री रामस्वरूप वर्मा—कोई इस प्रकार का उदाहरण दिखा दिया जाय कि जो विधान मंडल के सदस्य नहीं हैं और विधान सभा सचिवालय के कर्मचारी भी नहीं हैं, उनको यहां पर बैठने दिया गया हो। ये लोग यहां पर बैठ नहीं सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता—चूंकि अब समय समाप्त हो गया है इसलिये इसके ऊपर कल माननीय अध्यक्ष अपनी व्यवस्था देंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

रामप्रकाश,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
४ अप्रैल, १९६१।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८२५ पर)

सैनिक स्कूल, लखनऊ में कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में स्थिति

सैनिक स्कूल में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर इस समय निम्नलिखित कर्मचारी हैं:—

पद	संख्या	वेतन-क्रम
१—प्रिंसिपल	१	५००-५०-१,०००—इ०रो०—५०-१,२००।
२—वाइस प्रिंसिपल	१	२५०-२५-३७५—द० रो०—२५-५०० तथा ७५ रुपये विशेष वेतन।
३—हाउस मास्टर	१	२००-१०-२५०—इ० रो०—१०-३१०—द० रो०—१४-४५०।
४—मास्टर	३	२००-१०-२५०—द० रो०—१०-३१०—द० रो०—१४-४५०।
५—स्टेनोग्राफर	१	१६०-१५-२८०—द० रो०—२०-४०० तथा वर्तमान वेतन का २० प्रतिशत या ४० रुपये, जो भी दोनों में कम हो, की दर से कम्पैन्सेटरी अलाउन्स।
६—क्रेयरटेकर	१	१००-१०-२५० तथा वर्तमान वेतन का २० प्रतिशत, या ४० रुपया, जो भी दोनों में कम हो, की दर से कम्पैन्सेटरी अलाउन्स।
७—एकाउन्टेन्ट	१	८०-६-११०—द० रो०—६ १४०।
८—टाइपिस्ट	१	६०-४-८०—द० रो०—४-१००।
९—जूनियर क्लर्क	१	६०-४-८०—द० रो०—४-१००।

२—स्कूल के प्रिंसिपल, मेजर एच०आर०एच० डैनियल भारतीय सेना के एजूकेशन कोर (Army Education Corps) में मेजर हैं तथा स्कूल में आने से पहले इंडियन मिलेटरी एकाडेमी (Indian Military Academy) देहारादून में सीनियर इंस्ट्रक्टर थे। चूंकि सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश के बालकों को नेशनल डिफेंस एकाडेमी (National Defence Academy) की परीक्षा में अधिक संख्या में सफल बनाने के लिये स्थापित किया गया है इसलिये प्रिंसिपल की नियुक्ति के संबंध में यहां से भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) को लिखा गया। रक्षा मंत्रालय ने अपने यहां चुनाव करके वर्तमान प्रिंसिपल मेजर डैनियल का नाम भेजा। इसके अतिरिक्त Army Head quarters ने Rashtirya Indian Military College के प्रिंसिपल ने, तथा शिक्षा सचिव ने भी नाम भेजे, कुछ अन्य व्यक्तियों ने भी सरकार को सीधे इस पद के लिये प्रार्थना-पत्र भेजे। इन व्यक्तियों का इन्टरव्यू (interview) यहां एक सेलेक्शन कमेटी ने किया जिसमें निम्नलिखित सदस्य थे:—

(१) मुख्य सचिव,

(२) शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश,

(३) ब्रिगेडियर राम सिंह, कमांडर, लखनऊ सब-एरिया,

(४) ब्रिगेडियर वी०डी० जयाल, डाइरेक्टर, मिलेटरी तथा सीविल सर्विस स्कीम, उत्तर प्रदेश,

(५) कर्नल जी० आर० नागर, डाइरेक्टर आफ ट्रेनिंग तथा इम्प्लायमेन्ट,

(६) मेजर एम० सी० शर्मा, जो उस समय श्री राज्यपाल के सचिव थे।

३—इस कमेटी ने प्रिंसिपल के पद के लिये सबसे उपयुक्त मेजर डैनियल को समझा। इस सम्बन्ध में तुरन्त रक्षा मंत्रालय को लिखा गया और साथ ही साथ लोक सेवा आयोग को भी। लोक सेवा आयोग की सलाह से यह निश्चित किया गया कि जहां तक मेजर डैनियल की नियुक्ति का सवाल है, यह नियुक्ति लोक सेवा आयोग के (purview) से बाहर कर दी जाय। इस सलाह के फलस्वरूप सरकार ने मेजर डैनियल को सबसे उपयुक्त व्यक्ति समझ कर नियुक्त कर लिया।

४—जहां दूसरी teaching posts का सवाल है, इन पर सब शिक्षक प्रदेश के शिक्षा विभाग से deputation पर लिये गये हैं और इन पर Uttar Pradesh Public Service Commission (Limitations of Functions) Regulations लागू नहीं होते। इसलिये इनके लिये आयोग से सलाह करने की आवश्यकता नहीं थी।

४—Clerical staff में स्टेनोग्राफर और केअरटेकर (caretaker) सचिवालय से deputation पर हैं और एकाउन्टेन्ट टाइपिस्ट, तथा जूनियर क्लर्क बाहर से लिये गये हैं। इन के चुनाव में भी आयोग से परामर्श करने की आवश्यकता न थी।

संसदीय प्रतिष्ठान

नत्थी 'ख'

तालिका

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८२६ पर)

क्रम-संख्या	नाम	वर्तमान पद तथा विभाग का नाम
१	श्री गोविंद नारायन, आई० सी० एस०	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। इसके अतिरिक्त आयुक्त, उत्तरखंड डिवीजन।
२	श्री बिपिन बिहारीलाल, आई० सी० एस०	आयुक्त तथा सचिव, सिंचाई तथा विद्युत् शक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश तथा चेयरमैन, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्।
३	श्री रघीबीर शरण दास, आई० ए० एस०	सचिव, सार्वजनिक निर्माण तथा परिवहन विभाग। इसके अतिरिक्त सचिव, सहायता तथा पुनर्वासन विभाग और पदेन आयुक्त, सहायता तथा पुनर्वासन, उत्तर प्रदेश और प्रादेशिक परिशोधन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
४	श्री श्याम सुन्दर लाल कपकड़ आई० ए० एस०	सचिव, स्वायत्त शासन शाखा।
५	श्री देव व्रत दत्त, आई० ए० एस०	उप सचिव, नियोजन विभाग तथा अर्थ तथा संख्या विभाग तथा उप विकास आयुक्त (प्रशासन) उत्तर प्रदेश।
६	श्री भरत नारायन, आई० ए० एस०	उप सचिव, वित्त विभाग।
७	श्री त्रिभुवन प्रसाद तिवारी आई० ए० एस०	उप-विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश और उप-सचिव, नियोजन विभाग।

नत्थी 'ग'

(देखिये श्रम मन्त्री की प्रार्थना पर २७-४-६१ के स्थगित तारांकित प्रश्न ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३७ पर)

तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित जिलों में औद्योगिक आस्थान खोलने का आयोजन है :----

१----वाराणसी, लखनऊ, अलीगढ़ तथा मेरठ में बड़े आकार की इस्टेट।

२----गोरखपुर, मिर्जापुर, बरेली, सहारनपुर तथा देहरादून में मध्यम प्रकार की इस्टेट।

३----उन्नाव, आजमगढ़, सीतापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, बुलन्दशहर, आगरा तथा फर्रुखाबाद में छोटी इस्टेट।

४----देहरादून, नैनीताल, झांसी, आलौन, बांदा, सुल्तानपुर, हमीरपुर, फैजाबाद, गोरखपुर, आजमगढ़, देवरिया, बरेली, इटावा, इलाहाबाद, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत, लखनऊ, बहराइच, लखीमपुर-खीरी, अलीगढ़, बुलन्दशहर, मथुरा, मैनपुरी, गाजीपुर, मिर्जापुर, गोंडा, फर्रुखाबाद, बलिया, देवरिया, शाहजहांपुर, फतेहपुर, रायबरेली, मुजफ्फरनगर, बदायूं तथा प्रतापगढ़ जिलों में सामुदायिक विकास खंडों में।

५----जौनपुर, बाराबंकी, फैजाबाद, रामपुर, शाहजहांपुर, लखीमपुर-खीरी, मुजफ्फरनगर, आगरा, अलीगढ़ तथा मथुरा जिलों में औद्योगिक आस्थानों के लिये भूमिखंड विकसित करके दिये जायेंगे।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'घ'

(देखिये श्रम मन्त्री की प्रार्थना पर २७-४-६१ के स्थगित तारांकित प्रश्न १०८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८४१ पर)

क्रम-संख्या	जिले का नाम	पावर क्रशर्स की संख्या जिनके लिये १९६०-६१ के सीजन में प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये।	पावर क्रशर्स की संख्या जिनके लिये सन् १९६०-६१ के सीजन के लिये लाइसेंस दिये गये या लाइसेंस रिन्यू किये गये।
१	२	३	४
१	देहरादून	६	६
२	सहारनपुर	२१५	२१४
३	मुजफ्फरनगर	३६९	३६१
४	बुलन्दशहर	१८	१८
५	मेरठ	२०४	१९२
६	अलीगढ़	१३	१३
७	मथुरा	८	८
८	आगरा	१	१
९	मैनपुरी	५	५
१०	एटा	९	९
११	बदायूं	१५	१५
१२	फर्रुखाबाद	१६	१६
१३	बरेली	२१	२१
१४	मुरादाबाद	१५८	१४८
१५	बिजनौर	२६१	२३५
१६	शाहजहांपुर	६०	५७
१७	पीलीभीत	१७	१७
१८	रामपुर	१६	१५
१९	इटावा	..	..
२०	फतेहपुर	२	२
२१	इलाहाबाद	..	..
२२	झांसी	..	..
२३	जालौन	..	..
२४	हमीरपुर	..	..
२५	बांदा	..	..
२६	वाराणसी	२	२
२७	मिर्जापुर	..	..
२८	देवरिया	८	८
२९	गाजीपुर	६	६
३०	बलिया	१९	१९
३१	आजमगढ़	२०	२०
३२	गोरखपुर	२	२
३३	बस्ती	..	..
३४	नैनीताल	२३	२३

क्रम-संख्या	जिले का नाम	पावर क्रशर्स की संख्या जिनके लिये १९६०-६१ के सीजन में प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये।	पावर क्रशर्स की संख्या जिनके लिये सन् १९६०-६१ के सीजन के लिये लाइसेंस दिये गये या लाइसेंस रिन्यू किये गये
१	२	३	४
३५	लखनऊ	३	३
३६	कानपुर	..	..
३७	बाराबंकी	२	२
३८	उन्नाव	१	१
३९	रायबरेली	..	..
४०	सीतापुर	१३	१२
४१	हरदोई	४	४
४२	खीरी	५७	५३
४३	फैजाबाद	५	५
४४	जौनपुर	४	४
४५	सुल्तानपुर	..	..
४६	गोंडा	२	२
४७	बहराइच	२	२
४८	प्रतापगढ़	..	..
४९	टेहरी गढ़वाल	..	..
५०	गढ़वाल	..	..
५१	अल्मोड़ा	..	..
५२	चमोली	..	..
५३	पिथौरागढ़	..	..
५४	उत्तर काशी	..	..
	योग	१,५८७	१,५२१

नोट:—१९६०-६१ के सम्बन्ध में जो आंकड़े दिये गये हैं वे अन्तिम नहीं हैं क्योंकि कुछ प्रार्थियों ने जो प्रार्थना-पत्र देर से दिये वे अभी फील्ड स्टाफ द्वारा भेजे जा रहे हैं।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये श्रम मन्त्री की प्रार्थना पर २७-४-६१ के स्थगित तारांकित प्रश्न १२१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८४२ पर)

क्रम-सं०	मिल का नाम	वीविंग विभाग	स्पिनिंग विभाग
१	मेसर्स न्यू विक्टोरिया मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर।	६० प्रतिशत	८५ प्रतिशत
२	मेसर्स एल्गिन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर।	५७ ,,	१०० ,,
३	मेसर्स जे० के० काटन स्पिनिंग ऐंड वीविंग मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर।	६० ,,	४९ ,,
४	मेसर्स जे० के० काटन मैनुफेक्चरर्स लिमिटेड, कानपुर।	कुल ५६ रिंग प्रेस पर १० नं० के सूत से मोटा माल चलने पर बिना रेशनलाइजेशन के एक पल्ला चलते हैं और बढ़िया माल पर रेशनलाइजेशन के आधार पर दो पल्ला चलाये जाते हैं।	
५	मेसर्स एल्गिन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर।	९४ प्रतिशत	९६ प्रतिशत
६	मेसर्स कानपुर टेक्सटाइल्स लिमिटेड, कानपुर।	९२ ,,	३३ ,,
७	मेसर्स म्योर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर।	३९ ,,	८८ ,,
८	मेसर्स स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर।	२० ,,	१९ ,,
९	मेसर्स अथर्टन वेस्ट ऐन्ड कम्पनी लिमिटेड, कानपुर।	७३ ,,	६० ,,
१०	मेसर्स लक्ष्मी रतन काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर।	१०० ,,	१०० ,,

विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये ४ मई, १९६१ के लिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८४४ पर।)

उत्तराखण्ड के तीन जिलों के लिये १९६०—६१ में विद्यार्थियों को वजीफा आदि देने के लिये स्वीकृत की गई धनराशियों का ब्योरा

क्रम-संख्या	जिले का नाम	जिले के स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिये वजीफा आदि के लिये स्वीकृत की गयी धनराशि	जिले के बाहर उच्च तथा प्राविधिक (Technical) शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिये स्वीकृत की गयी धनराशि इस में बोर्डर इलाकम सम्मिलित नहीं है
१	२	३	४
		रु०	रु०
१	चमोली	१२,८४८	८,०००
२	उत्तरकाशी	८,३९२	८,४००
३	पिथौरागढ़	२३,८४०	२०,०००

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८४५ पर)

राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ की सीमा के अंतर्गत १ मार्च, १९५८ से अब तक घटित मारपीट तथा झगड़ों का विवरण

क्रम संख्या	झगड़े व मारपीट का विवरण तथा संबंधित व्यक्तियों के नाम	अन्तिम निर्णय
१	२	३
१	दिनांक १-५-५९ को श्री सुन्दर लाल, डिस्ट्रीब्यूटर तथा श्री सीताराम तृतीय डिस्ट्रीब्यूटर आपस में मारपीट तथा गाली-गलौज करते हुये पाये गये जिसका कारण श्री सीताराम का प्रेस के अन्दर धूम्रपान करना और श्री सुन्दरलाल के द्वारा इसकी सूचना अधिकारियों को देना था।	दोनों कर्मचारियों को (श्री सुन्दर लाल तथा सीताराम) दिनांक २-५-५९ से निलम्बित कर दिया गया तथा उनके विरुद्ध उचित अभियोग लगाये गये और अन्तिम निर्णय के अनुसार दोनों व्यक्तियों को दिनांक २६-६-५९ से पुनः कार्य के लिये बुलाया गया किन्तु श्री सीताराम को एक वार्षिक वेतनवृद्धि से एक वर्ष के लिये पदावनत् किया गया तथा श्री सुन्दर लाल को एक वार्षिक वेतन वृद्धि से ६ माह के लिये पदावनत् किया गया।
२	दिनांक १७-६-५९ को श्री बी० सी० मजूमदार, लीथो मशीनमैन को सर्वश्री एस० के० सिनहा, लीनो आपरेटर, एस० एन० विश्वास, ए० एन० पी० पी०, डी० के० डे सरकार, जी० पी० पी० तथा बैजनाथ सहाय, बाइन्डर ने प्रेस के मुख्य द्वार पर मारा जिसका कारण बी० सी० मजूमदार का श्री एस० एन० दास गुप्ता, ड्राफ्टसमैन के साथ हंसी-मजाक तथा व्यंगात्मक शब्दों का प्रयोग करना था।	जांच करने पर यह निश्चय किया गया कि इन चार व्यक्तियों को, जिन्होंने मारपीट में भाग लिया था श्री बी० सी० मजूमदार तथा श्री एस० एन० दास के आपस के झगड़े में हस्तक्षेप करके मार-पीट में भाग नहीं लेना चाहिये था, इस कारण इन चारों व्यक्तियों को कड़ी चेतावनी दे दी गई कि वे कार्यालय में अपने किसी भी सहकर्मचारी से ऐसी हंसी-मजाक न करें जो कि उन्हें अप्रिय हो। इस चेतावनी का पृष्ठांकन भी उनके चरित्र पंजिका में कर दिया गया है। श्री एम० एन० दास गुप्ता को भी इस आधार पर कि उन्होंने अन्य व्यक्तियों को श्री मजूमदार को मारने के लिये भड़काया तथा सहनशीलता से काम नहीं लिया, के लिये कड़ी चेतावनी दी गई जिसका पृष्ठांकन उनकी चरित्र पंजिका में कर दिया गया है।

क्रम-संख्या	झगड़े व मारपीट का विवरण तथा संबंधित व्यक्तियों के नाम	अन्तिम निर्णय
१	२	३
	३—दिनांक १३-१-६० को सर्वश्री लल्लनसिंह, वाइन्डर तथा शिवधर द्विवेदी, वाइन्डर, विभाग में मारपीट करते हुये पाये गये जिसका कारण पदोन्नति के विषय में संबंधित था	मामले के ऊपर उचित जांच के उपरान्त श्री लल्लन सिंह तथा श्री शिवधर द्विवेदी व ६ कर्मचारी जिन्होंने मारपीट में परोक्षरूप से भाग लिया था को कड़ी चेतावनी दी गई कि भविष्य में ऐसा कार्य न करें जिससे अनुशासन भंग हो।
	४—दिनांक २-५-६० को विभाग के अंदर सर्वश्री बालादीन, वाइन्डर तथा मोहम्मद आकिल, वाइन्डरी काउन्टर के मध्य कुछ व्यक्तिगत विषयों के कारण मारपीट हुई।	मामले के ऊपर जांच के उपरान्त दोनों व्यक्तियों को कार्यालय के अन्दर झगड़ा करने के कारण दोषी पाया गया और इसलिये उन्हें कड़ी चेतावनी दी गई।
	५—दिनांक २-५-६० को सर्वश्री डम्बर सिंह, गेटमैन तथा रूप नारायण बाजपेयी (प्रेस कैन्टीन पान वाला) के बीच व्यक्तिगत विषय में मारपीट हुई।	जांच करने के उपरान्त दोनों ही व्यक्ति प्रेस के अन्दर मारपीट करने के कारण दोषी पाये गये और दोनों को कड़ी चेतावनी दी गई।
	६—दिनांक २५-५-६० को श्री श्याम सुन्दर दत्त (कर्णिक), न्यू गवर्नमेंट प्रेस, ऐशबाग लखनऊ, एक दूसरे कर्मचारी श्री शिवशंकर शर्मा, लिपिक से कार्यकाल के समय में सर्वश्री श्यामल कुमार राय, अभयनारायण राय, तथा मनी शंकर श्रीवास्तव के सहयोग से मारपीट करते हुये पाये गये। जिसका कारण निम्नलिखित है :— कुमारी पुष्पा देवी सहगल, से जो उसी प्रेस में कर्णिक के पद पर कार्य संचालित करती है, एक सीनियर कर्णिक श्री एस० एन० विश्वास ने सहकर्मचारी होने के नाते अधिक घनिष्ठता स्थापित करना चाहा यद्यपि श्री विश्वास का यह आचरण कुमारी पुष्पा को नापसन्द था किन्तु फिर भी इसकी चर्चा उसने स्वभाववश किसी उच्च अधिकारिवर्ग से और न तो अपने वर्ग के किसी लेडी कर्मचारी से ही किया। श्री शिवशंकर शर्मा से, जो कि उसी सेक्शन में कार्य करते थे कुमारी पुष्पा ने श्री विश्वास की धृष्ठता की चर्चा की और दिनांक २४-५-६० को कार्यालय के बाद श्री शिवशंकर शर्मा ने श्री विश्वास को वाद विवाद के पश्चात् मारा।	मामले की जांच के पश्चात् यह निर्णय किया गया कि इस मामले में पहिला दोष श्री एस०एन० विश्वास का है जिन्होंने कुमारी पुष्पा से अधिक घनिष्ठता स्थापित करने की चेष्टा की। इस प्रकार का उनका पहला दोष था इसलिये उन्हें कड़ी चेतावनी दी गई कि भविष्य में इस प्रकार के अनुचित आचरण के लिये उन्हें नौकरी से अलग कर दिया जायगा जिसका पृष्ठांकन उनकी चरित्र पंजिका में भी कर दिया गया। इसी प्रकार श्री शिव शंकर शर्मा को भी झगड़ा करने के अपराध में कड़ी चेतावनी दी गई। अन्य संबंधित व्यक्तियों श्री एस०एन० दत्त, अभय नारायण राय तथा मनी शंकर श्रीवास्तव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हो रही है और आरोप-पत्र दिये गये हैं। अपराध सिद्ध हो जाने पर सभी संबंधित व्यक्तियों को समुचित दन्ड दिया जायेगा।

क्रम-संख्या	झगड़े व मारपीट का विवरण तथा संबंधित व्यक्तियों के नाम	अन्तिम निर्णय
१	२	३
	फलस्वरूप श्री विश्वास के साथी श्री० एस० एन० दत्ता ने अभय नारायण राय और श्यामल कुमार राय तथा मनी शंकर श्रीवास्तव के सहयोग से दिनांक २५–५–६० को कार्यालय में कार्यकाल के समय श्री शिवशंकर को मारा ।	
७—दिनांक २३–६–६० को प्रेस क्षेत्र के भीतर सर्वश्री चोखा राम, काउन्टर तथा मोहम्मद इब्राहिम, सहायक बाइन्डर के बीच कुछ घरेलू मामले पर मार-पीट ई ।		जांच करने पर दोनों ही झगड़ालू स्वभाव के पाये गये और फलस्वरूप दोनों को कड़ी चेतावनी दी गई ।
८—दिनांक २२–११–६० को सर्वश्री गुलाब-चन्द्र, सहायक बाइन्डर तथा चन्द्रिका प्रसाद, सहायक बाइन्डर के मध्य कुछ व्यक्तिगत विषय पर मार-पीट हुई ।		दोनों व्यक्तियों ने एक सम्मिलित समझौते द्वारा क्षमा प्रार्थना की, किन्तु अनुशासन भंग करने के आरोप में दोनों व्यक्तियों को कड़ी चेतावनी देकर मुक्त कर दिया गया ।

मेरा पदेश्वर विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८४५ पर)

संलग्नक

जी हां, इस सड़क को लगभग ५०० फीट चौड़ी व करीब २ मील लम्बी बनवाने का उक्त फैक्टरी का प्रस्ताव है और अर्जन हेतु प्रस्ताव में भूमि का ग्रामवार ब्यौरा निम्नलिखित है :—

नाम मौजा	क्षेत्रफल एकड़ों में
चांदीतारा	२२.७९
बरवरा	४१.९७
व्यासपुर	१९.१०
चौरहट	३६.४१
रतनपुर	०.४९
डोमरी	०.९०
योग ..	१२१.६६

उक्त अर्जन के विरुद्ध ग्रामीणों द्वारा प्राप्त आवेदन-पत्र पर विचार करने के पश्चात यह देखा गया कि भूमि की आवश्यकता कुछ कम की जा सकती है। अतः फैक्टरी के अधिकारी को अपनी आवश्यकता पर पुनः विचार करने को तथा संशोधित प्रस्ताव प्रेषित करने को कहा गया है। संशोधित प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी और तत्पश्चात् अनुमानित मुआविजे की दर बतलायी जा सकेगी।

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८४६ पर)

क्रम-संख्या	उस ग्राम का नाम जिसमें भूमि स्थित है	भूमि क्रय करने की दर प्रति एकड़		
		खेतिहर भूमि के लिये	गैर-खेतिहर भूमि के लिये	खेतिहर भूमि का बाजार का भाव प्रति एकड़
	पीलीभीत जिला			
		रु०	रु०	रु०
१	गभिया सहराई ..	.. २५०.००	१५०.००	२८०.००
२	कंजा हरैया माला ..	.. २५८.००	१८०.००	२५८.००
३	टोंडरपुर ..	.. २८२.००	१८०.००	३५०.००
४	बहरुआ ..	.. २६१.००	१८०.००	३५०.००
५	टांडा विजैसी ..	.. १६८.००	६८.००	३००.००
६	न्यूरिया हुसेनपुर ..	.. ३६३.१४ एकड़ के लिये कुल १,०२,१३९.५१ रुपया दिया गया।		३५०.००
७	महोफ ..	.. १५१.२३ एकड़ भूमि के लिये कुल ३०,१८५.६० रुपया दिया गया।		३००.००
	बिजनौर			
८	खेडकीसोराज, धर्मनगरी एइतमालीय झकड़ाखादर आदि ..	२५०.००	..	३५०.००
९	गंगोई खादर, चान्दपुर नौबाबाद ..	२५०.००	..	३५०.००
१०	फीरोजपुर दरगू, गंगोईखादर, फिरोजपुर नरोत्तम ..	२५०.००	२००.००	३५०.००

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८४९ पर)

श्री प्रतापसिंह द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या २२ से सम्बन्धित सूची

ग्राम के नाम	नुकसान रुपये में
तहसील सितारगंज	
१---बघोडो	७७५
२---कोदा खेड़ा	४८०
३---मगरमौड़ा	९४०
४---दोहरा	२५०
५---बिजटी	१,८१५
६---नकलिया	३००
७---लामाखेडा	२७०
८---सितारगंज	८,५८३
९---करघट	५,१९५
१०---रमपुरा	१,९६०
११---पडरी	६,६५५
१२---घसरी	७,०००
१३---खुनसर	५,८९०
१४---डियोडी	३६०
तहसील खटीमा	
१---मडेला	१,०९०
२---डियोडी	१,१४०
३---नगलातराई	२,४३०
४---चन्देली पट्टी	५८०
५---रतनपुर	१२,४६०
६---पचपकरिया	२००

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८५९ पर)

क्रम-संख्या	उद्योग का नाम	स्थान
१	चमड़ा पकाना ..	नगला सुभान, जगन्नाथपुर, केशमपुर, सराय पुखता एवम् अहेरीपुर।
२	जूता बनाना ..	इटावा, औरैया, बिधुना, अहेरीपुर, बाबरपुर, जसोहन।
३	गुड़ उद्योग ..	लगभग सारे जिले में।
४	हथकरघा उद्योग ..	इटावा खास, इकदिल, बकेवर, जसवन्त नगर, विधूना, भरथना, रूरूगज, महेवा, बसरेहर, परसू पुरा, मुरादगंज, अजीतमल, जुआ, जैतापुर, सराय पुखता, फफूंद, अछल्दा इत्यादि।
५	तेल घानी उद्योग	इटावा नगर, इकदिल, औरैया, जसवन्तनगर, अहेरीपुर, अजबपुर, कीरतपुर, नगला राम सुन्दर, पुरवा जैन, भरथना, सोनासी, बकेवर, फफूंद, बसई, दिवियापुर, भटपुरा, बसरेहर, करी, अन्तोल, भीकमपुर तथा हरचन्दपुर।
६	सूत कताई ..	औरैया, कैथावा, विधूना, बकेवर इत्यादि ग्रामों में।
७	दरी बुनाई ..	इटावा, औरैया, खानपुर, बाबरपुर, अहेरीपुर इत्यादि।
८	रेशम के कीड़े पालना	जैतापुर, कांकर पुरा, गढ़िया, राय सिंह, मडैया, ददौरा, मुरादगंज तथा औरैया।
९	मोर पंख की वस्तुयें	इटावा शहर।
१०	कलमी शोरा ..	फफूंद, हरचन्दपुर, खानपुर, इत्यादि।
११	बिस्कुट बनाना ..	इटावा शहर।
१२	डलिया बनाना ..	जुगरा मऊ।
१३	बान बनाना ..	पछाये गांव।
१४	बैलगाड़ी के पहिये तथा लकड़ी के कार्य	औरैया, मल्होसी।
१५	मोढ़ा बनाना ..	अकबर पुर।
१६	साबुन बनाना ..	इटावा शहर, औरैया, भरथना, जसवन्तनगर, अजीतमल।
१७	खादी बुनाई ..	औरैया।
१८	सींग की कंघी बनाना	इटावा शहर।
१९	चमड़े के सूटकेस बनाना	इटावा शहर, विधूना।
२०	लोहे की कड़ाही बनाना	सहार।
२१	हाथ धान कुटाई	इटावा शहर।
२२	होजरी उद्योग	इटावा, अजीतमल।
२३	मोमबत्ती बनाना	अजीतमल, भरथना।
२४	कशीदाकारी	इटावा शहर।
२५	उन्नतिशील पाखानों के सीमेंट के बने पाव दान।	पटकापुर (अजीतमल), इटावा।

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८६० पर)

जिला चमोली में १९६०-६१ में उत्तराखंड बजट से किये गये व्यय का विवरण

विभाग का नाम	जिलाधीश तथा जिला स्तर के अन्य मुख्य अधिकारी तथा उनके सहायकों का वेतन व भत्ता	अन्य प्रशासकीय स्टाफ, आकस्मिक व्यय तथा वैभागिक विशेष योजनायें	निवास तथा कार्यालय के भवनों का निर्माण	मार्गों का निर्माण	१९६०–६१ में कुल व्यय	
१—माल विभाग ..	७१,७१४.००	३,२७,१३२.००	..	..	३,९८,८४६.००	
२—गृह विभाग ..	११,१२८.००	२,४३,९३८.००	..	..	२,५५,०६६.००	
३—प्रान्तीय रक्षक दल ..	०	२६,७७९.००	..	..	२६,७७९.००	
४—सार्वजनिक निर्माण विभाग	६४,८४४.००	२,२१,२२२.००	३,२४,०४५.००	४,००,१३४.००	१०,१०,२४५.००	२८–२–६१ तक
५—शिक्षा विभाग ..	१७,१११.००	१,८७,८५७.००	..	..	२,०४,९६८.००	
६—चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग	१०,०३०.००	१,९८,५८९.००	..	..	२,०८,६१९.००	
७—बागवानी	७,६६१.००	६०,१७५.००	..	..	६७,८३६.००	
८—पशुपालन विभाग ..	५,९३७.००	६२,१८८.००	..	..	६८,१२५.००	
९—उद्योग विभाग	०	५,१९,८७९.००		..	५,१९,८७९.००	
कुल व्यय ..	१,७८,४२५.००	१८,४७,७५९.००	३,२४,०४५.००	४,००,१३४.००	२७,६०,३६३.००	

पी० एल० यू० पी०—ए० पी० ८२ एल० ए०—१९६१—८४५।